दृष्टि
The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

अगस्त भाग-2
2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **7**

- वन धन उत्पादक कंपनियाँ 7
- भारत के राष्ट्रीय ध्वज संबंधी नियम 8
- 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पहल 9
- तपस पहल 11
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 12
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) 14
- जनगणना 2021 16
- महाराजा रणजीत सिंह 19
- अधिकरण सुधार विधेयक, 2021 20
- संयुक्त राष्ट्र विश्व भू-स्थानिक सूचना कॉन्ग्रेस 22
- न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम प्रणाली 24
- सामुदायिक पुलिस व्यवस्था 26
- मोपला विद्रोह 27
- आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की धीमी गति 29
- डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज 5.0 31
- पीएम कुसुम और रूफटॉप सोलर कार्यक्रम फेज़-II 33
- राज्य विभाजन और आरक्षण की व्यवस्था 35
- जन शिक्षण संस्थान 36
- नैतिक पुलिसिंग 37
- हिंदुस्तान-228 सिविल एयरक्राफ्ट 38
- क्रीमी लेयर निर्धारित करने के लिये मानदंड 40
- ‘निजता का अधिकार’ और ‘भूल जाने का अधिकार’ 41
- फसल बीमा 43
- जलियांवाला बाग हत्याकांड 45
- खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन 46
- निवास और अबाध संचरण का अधिकार 48

नोट :

दृष्टि The Vision

आर्थिक घटनाक्रम **50**

- रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना 50
- वित्तीय समावेशन सूचकांक 51
- न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) 52
- RoDTEP योजना 54
- सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम 2.0 55
- भारत का ऊन क्षेत्र 57
- उभरते सितारे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड 58
- शहरी सहकारी बैंकों के लिये चार स्तरीय संरचना 60
- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 62
- वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 64
- समर्थ उद्योग भारत 4.0 प्लेटफॉर्म 65
- ईज़ 4.0 67
- गन्ने का मूल्य निर्धारण 69
- स्वेट इक्विटी' नियम: सेबी 71
- ई-श्रम पोर्टल 72
- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन' के महत्त्वपूर्ण घटक 73
- सौर ऊर्जा हेतु पर्याप्त निवेश सब्सिडी 75
- लघु वित्त बैंक 76

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम **78**

- इब्सा फोरम 78
- कॉन्ग्रेशनल गोल्ड मेडल 80
- काबुल' पर तालिबान का नियंत्रण 81
- तालिबान को प्रतिबंधों की सूची से हटाना 83
- अफगानिस्तान से सुरक्षा संबंधी खतरा 85
- भारत-नीदरलैंड संबंध 87
- ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट : मालदीव 88
- मालाबार अभ्यास 2021 90
- पर्यावरण और कृषि मंत्रिस्तरीय बैठक : ब्रिक्स 91
- अफगानिस्तान में चीन के हित 92
- विदेशी जहाज़ों हेतु चीन के नए समुद्री नियम 93

नोट :

दृष्टि The Vision

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 96

- फ्यूज़न इग्निशन 96
- नई एचआईवी वैक्सीन के लिये मानव परीक्षण 98
- नैनो रोबोट 99
- चिकनगुनिया वैक्सीन 100
- तीन सुपरमैसिव ब्लैकहोल का विलय 102

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण 104

- राष्ट्रीय जीन बैंक 104
- सुंदरबन में प्लास्टिक से संबंधित समस्या 105
- भारत में समुद्र तटीय कटाव 107
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में पारदर्शिता का अभाव 108
- भारत ने किगाली संशोधन की पुष्टि करने का निर्णय लिया 110
- लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र पर जलवायु की स्थिति 2020: WMO 112
- भारत में भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण 114
- ग्रीष्म लहर की घटनाओं में वृद्धि 116
- समुद्री मूँगों में प्रतिरक्षित कोशिकाएँ 118
- दिल्ली में 'स्मॉग टॉवर' 120
- परिवहन क्षेत्र के डिकार्बोनाइज़ेशन के लिये फोरम 122
- चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स: 'यूनिसेफ' 123
- सांभर झील का संकुचन: राजस्थान 125
- पोल्ट्री किसानों के लिये नए दिशा-निर्देश 127
- हिमालयी क्षेत्र में जलविद्युत परियोजनाएँ 128
- सीसा युक्त पेट्रोल पर रोक: यूएनईपी 129

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन 132

- जल-मौसम संबंधी आपदाओं की व्यापकता 132
- पूर्वोत्तर में भू-पर्यटन 134
- भूकंपीय वेधशालाएँ 135
- मिल्की सी फिनोमिना 137

नोट :

सामाजिक न्याय **139**

- संवाद (SAMVAD) कार्यक्रम 139
- भारत का जल संकट और महिलाएँ 140
- पोलियो 142
- दत्तक ग्रहण (प्रथम संशोधन) विनियमन, 2021 144
- तीव्र शहरीकरण और स्लम क्षेत्रों की दुर्दशा 145
- न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन 147
- 'की इंडिकेटर फॉर एशिया एंड द पैसिफिक 2021' रिपोर्ट: ADB 149
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के सात वर्ष 150

कला एवं संस्कृति **153**

- 'प्रसाद' योजना 153
- सिंधु घाटी की भाषायी संस्कृति 154
- विश्व संस्कृत दिवस 157
- श्री नारायण गुरु 158
- गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप 160

आंतरिक सुरक्षा **163**

- मेघालय में अस्थिरता 163
- बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (BTR) 165

चर्चा में **167**

- अल-मोहद अल-हिंदी अभ्यास: भारत-सऊदी अरब 167
- केव लॉयन 168
- पारसी नववर्ष: नवरोज़ 169
- हुनर हाट 170
- स्लेंडर लोरिस 171
- कैटल आइलैंड: हीराकुंड जलाशय 172
- नई शैवाल प्रजाति: अंडमान और निकोबार 173
- 'यूनाइट अवेयर' प्लेटफॉर्म 174
- राष्ट्रीय जैव उद्यमिता प्रतियोगिता 175
- इनसेल मूवमेंट 176

नोट :

- कैस्केड मेंढक की नई प्रजाति: अरुणाचल प्रदेश 177
- उत्तराखंड का नारायणकोटि मंदिर: 'धरोहर गोद लें' परियोजना 178
- तुंगभद्रा बाँध 179
- सुरंगम प्रणाली 179
- शंकराचार्य मंदिर 181
- कोंकण अभ्यास 2021 182
- कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व: उत्तराखंड 183
- "युक्तधारा" 184
- भारत-फिलिपींस सामुद्रिक साझेदारी युद्धाभ्यास 185
- मदुर मैट को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 185
- चकमा-हाजोंग समुदाय 186
- हम्पी 186
- 37वीं प्रगति बैठक 187
- AY.12 : डेल्टा वेरिएंट का उपवंश 188
- समृद्ध कार्यक्रम 189
- काजिंद-21 190
- हैकथॉन मंथन 2021 190
- हरि सिंह नलवा: सिख योद्धा 191
- चागोस द्वीप समूह में ब्रिटिश स्टैम्प्स पर प्रतिबंध 192
- स्वीप: ECI 192
- आईसीजीएस विग्रह 193
- 'इडा' (Ida) हरिकेन 194
- लैथम्स स्नाइप 195
- वेस्ट नाइल वायरस संक्रमण 196
- किलाऊआ ज्वालामुखी: हवाई 196
- दारा शिकोह 197
- दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 198

चर्चा में **199**

नोट :

दृष्टि The Vision

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

वन धन उत्पादक कंपनियाँ

चर्चा में क्यों?

जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने वन धन कार्यक्रम के तहत आकांक्षी ज़िलों को प्राथमिकता के साथ अगले पाँच वर्षों में सभी 27 राज्यों में 200 'वन धन' उत्पादक कंपनियाँ स्थापित करने की योजना बनाई है।

- आकांक्षी ज़िले भारत के वे ज़िले हैं जो खराब सामाजिक-आर्थिक संकेतकों से प्रभावित हैं। 'ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम' (TADP) को केंद्रीय स्तर पर नीति आयोग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

वन धन कार्यक्रम:

- परिचय: यह जनजातीय स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन करने और उन्हें जनजातीय उत्पादक कंपनियों में मज़बूत करने हेतु बाज़ार से जुड़ा एक आदिवासी उद्यमिता विकास कार्यक्रम है।
  - यह पहल वन धन यानी वन धन का उपयोग करके आदिवासियों के लिये आजीविका सृजन को लक्षित करती है।
- लॉन्च: इस योजना को 2018 में प्रधानमंत्री वन धन योजना (PMVDY) के रूप में लॉन्च किया गया था।
- कार्यान्वयन: इसे ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (TRIFED) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- लक्ष्य:
  - प्रत्येक चरण में इसे उन्नत करने और जनजातीय ज्ञान को एक व्यवहार्य आर्थिक गतिविधि में परिवर्तित करने के लिये प्रौद्योगिकी और आईटी को जोड़कर आदिवासियों के पारंपरिक ज्ञान और कौशल की जानकारी देना।
  - उन क्षेत्रों में जहाँ ये अभी भी प्रचलित हैं, बाज़ार को मज़बूती प्रदान करने के लिये एक व्यवहार्य पैमाने के माध्यम से आदिवासियों की सामूहिक ताकत को बढ़ावा देना और उसका लाभ उठाना।
  - मुख्य रूप से आदिवासी ज़िलों में आदिवासी समुदाय के स्वामित्व वाले लघु वन उत्पाद (एमएफपी) केंद्रित बहुउद्देश्यीय वन धन विकास केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (TRIFED):

- ट्राइफेड राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष संगठन है जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
- ट्राइफेड का उद्देश्य जनजातीय लोगों को ज्ञान, उपकरण और सूचना के साथ सशक्त बनाना है ताकि वे अपने संचालन को अधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से कर सकें।
- यह जनजातीय उत्पादकों के आधार के विस्तार हेतु राज्यों/ज़िलों/गाँवों में सोर्सिंग स्तर पर नए कारीगरों और उत्पादों की पहचान करने के लिये जनजातीय कारीगर मेलों (Tribal Artisan Melas- TAMs) का आयोजन करता है।
- यह न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के माध्यम से लघु वनोत्पाद (MFP) के विपणन के लिये तंत्र और MFP हेतु मूल्य शृंखला के विकास हेतु जनजातीय पारिस्थितिकी तंत्र से भी जुड़ा है।
- ट्राइफेड जनजातीय आजीविका कार्यक्रम के साथ कौशल विकास और सूक्ष्म उद्यमिता कार्यक्रम का भी विस्तार कर रहा है।

जनजातीय आजीविका कार्यक्रम

- वन अधिकार अधिनियम, 2006: इसने जनजातीय समुदायों को पर्याप्त स्वामित्व अधिकार दिये हैं। यह इस मायने में एक पथप्रदर्शक अधिनियम है कि पहली बार इसने न केवल पारंपरिक वनवासियों को वन भूमि के वैध मालिकों के रूप में मान्यता दी, बल्कि उनके संरक्षण हेतु भी जवाबदेह बनाया।
- पेसा 'पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) विधेयक, 1996: यह ग्राम पंचायत को वन उपज और जनजातियों के मुद्दों के समाधान हेतु स्वामित्व और अधिकार प्रदान करता है।
- जनजातियों की शिक्षा: जनजातीय समुदायों के बच्चों की शिक्षा के लिये आदिवासी बहुल प्रखंडों में कई बालिका छात्रावास और आश्रम स्थापित किये गए हैं।
  - आदिवासी छात्रों की शिक्षा के लिये एकलव्य मॉडल रेज़िडेंशियल स्कूल (EMRS) स्थापित किये गए हैं।
- वनबंधु कल्याण योजना: यह भारत की जनजातीय आबादी के समग्र विकास और कल्याण हेतु केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है।
  - इस योजना में देश की जनजातीय आबादी को अन्य सामाजिक समूहों के बराबर लाने और उन्हें राष्ट्र की समग्र प्रगति में शामिल करने का प्रस्ताव है।
  - सरकार का उद्देश्य मानव विकास सूचकांकों में अवसंरचनात्मक अंतरालों और कमियों को दूर करके आदिवासियों का समग्र विकास करना है।
- जनजातीय हस्तशिल्प: वनों के घटते क्षेत्रफल के कारण आदिवासियों के लिये रोज़गार के अवसर कम होते जा रहे हैं।
  - ट्राइफेड द्वारा ट्राइब्स इंडिया की स्थापना की गई है, जो शोरूम की एक श्रृंखला है, जहाँ जनजातीय वस्त्र, आदिवासी आभूषण जैसे हस्तशिल्प की कई श्रेणियों का विपणन किया जा रहा है।
  - ट्राइफेड जनजातियों के क्षमता निर्माण हेतु भी कार्य कर रहा है।

भारत के राष्ट्रीय ध्वज संबंधी नियम

चर्चा में क्यों?

15 अगस्त, 2021 को भारत ने अपना 75वाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया और हर वर्ष की तरह इस बार भी भारतीय प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

प्रमुख बिंदु

भारतीय झंडे को अपनाने का इतिहास

- 1906:
  - ध्यातव्य है कि पहला राष्ट्रीय ध्वज, जिसमें लाल, पीले और हरे रंग की तीन क्षैतिज पट्टियाँ शामिल थीं, 07 अगस्त, 1906 को कलकत्ता (अब कोलकाता) में 'लोअर सर्कुलर रोड' के पास पारसी बागान स्क्वायर पर फहराया गया था।
- 1921:
  - बाद में वर्ष 1921 में स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकय्या ने महात्मा गांधी से मुलाकात की और ध्वज के एक मूल डिज़ाइन का प्रस्ताव रखा, जिसमें दो लाल और हरे रंग के बैंड शामिल थे।
- 1931:
  - कई बदलावों से गुज़रने के बाद वर्ष 1931 में कराची में कॉन्ग्रेस कमेटी की बैठक में तिरंगे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था।
- 1947:
  - 22 जुलाई, 1947 को हुई संविधान सभा की बैठक के दौरान भारतीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया था।

भारतीय तिरंगे से संबंधित नियम

- प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग रोकथाम) अधिनियम, 1950:
- यह राष्ट्रीय ध्वज, सरकारी विभाग द्वारा उपयोग किये जाने वाले चिह्न, राष्ट्रपति या राज्यपाल की आधिकारिक मुहर, महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री के चित्रमय निरूपण तथा अशोक चक्र के उपयोग को प्रतिबंधित करता है।
- राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971:
    - यह राष्ट्रीय ध्वज, संविधान, राष्ट्रगान और भारतीय मानचित्र सहित देश के सभी राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान को प्रतिबंधित करता है।
    - यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के तहत निम्नलिखित अपराधों में दोषी ठहराया जाता है, तो वह 6 वर्ष की अवधि के लिये संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य हो जाता है।
        - राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना।
        - भारत के संविधान का अपमान करना।
        - राष्ट्रगान के गायन को रोकना।
- भारतीय ध्वज संहिता, 2002:
    - इसने ध्वज के सम्मान और उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए तिरंगे के अप्रतिबंधित प्रदर्शन की अनुमति दी।
    - ध्वज संहिता, ध्वज के सही प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाले पूर्व मौजूदा नियमों को प्रतिस्थापित नहीं करता है।
        - हालाँकि यह पिछले सभी कानूनों, परंपराओं और प्रथाओं को एक साथ लाने का एक प्रयास था।
    - भारतीय ध्वज संहिता, 2002 को तीन भागों में बाँटा गया है:
        - पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है।
        - दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है।
        - संहिता का तीसरा भाग केंद्र और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों और अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के विषय में जानकारी देता है।
    - इसमें उल्लेख है कि तिरंगे का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये नहीं किया जा सकता है।
    - इसके अलावा ध्वज का उपयोग उत्सव के रूप में या किसी भी प्रकार की सजावट के प्रयोजनों के लिये नहीं किया जाना चाहिये।
    - आधिकारिक प्रदर्शन के लिये केवल भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप और उनके चिह्न वाले झंडे का उपयोग किया जा सकता है।
- संविधान का भाग IV-A:
    - संविधान का भाग IV-A (जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51-A शामिल है) ग्यारह मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है।
    - अनुच्छेद 51 A (a) के अनुसार, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों एवं संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करे।

75वें स्वतंत्रता दिवस पर पहल

चर्चा में क्यों?

75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कई उपायों/पहलों की घोषणा की और अगले 25 वर्षों को भारत के लिये शानदार बनाने का आह्वान किया।

- स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि 14 अगस्त को अब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

गति शक्ति मास्टर प्लान:

- यह 'समग्र बुनियादी ढाँचे' के विकास के लिये 100 लाख करोड़ रुपए की परियोजना है।
- यह स्थानीय निर्माताओं की वैश्विक प्रोफाइल को बढ़ाने में मदद करेगा और उन्हें दुनिया भर में अपने समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्द्धा में मदद करेगा। यह भविष्य के नए आर्थिक क्षेत्रों की संभावनाओं को भी जन्म देता है।
- यह भविष्य में युवाओं के लिये रोज़गार के अवसरों का एक स्रोत होगा।

राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन:

- राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन और हरित हाइड्रोजन क्षेत्र भारत को अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक होंगे।
  - पवन और सौर जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइज़र का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है।
- यह भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनने में भी मदद करेगा। वर्तमान में भारत ऊर्जा आयात पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करता है।

चावल फोर्टीफाइड योजना:

- विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वितरित चावल को वर्ष 2024 तक फोर्टीफाइड किया जाएगा। इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), स्कूलों में मध्याह्न भोजन और एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) शामिल हैं।
- यह एक महत्त्वपूर्ण पहल है क्योंकि देश में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण का उच्च स्तर देखा गया है।
  - उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार, देश में हर दूसरी महिला एनीमिक है तथा हर तीसरा बच्चा अविकसित है।
  - भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) के आधार पर 'गंभीर भूख' श्रेणी में है।
- महाराष्ट्र और गुजरात सहित छह राज्यों ने पायलट योजना के तहत फोर्टिफाइड चावल का वितरण शुरू कर दिया है।
- खाद्य फोर्टीफाइड या संवर्द्धन भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्त्वों को शामिल करने की प्रक्रिया है।

वंदे भारत ट्रेनें:

- 75 वंदे भारत ट्रेनें 'आजादी का अमृत महोत्सव' को चिह्नित करने के लिये 75 सप्ताह में देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ेंगी।
- वंदे भारत, स्वदेशी सेमी-हाई स्पीड ट्रेन सेट को बढ़ावा दिया जा रहा है, रेलवे ने उनमें से कम-से-कम 10 को रोल आउट करने के लिये अगस्त 2022 तक लगभग 40 शहरों को जोड़कर स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाने के लिये तैयार किया है।

लड़कियों के लिये सैनिक स्कूल:

- देश के सभी सैनिक स्कूल अब लड़कियों के लिये भी खुलेंगे। देश में इस समय 33 सैनिक स्कूल चल रहे हैं।
- सैनिक स्कूल सैनिक स्कूल सोसायटी द्वारा चलाए जाते हैं जो रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
- सैनिक स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य छात्रों को कम उम्र से ही भारतीय सशस्त्र बलों में प्रवेश के लिये तैयार करना था।

स्वयं सहायता समूहों के लिये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म:

- यह डिजिटल प्लेटफॉर्म महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को देश के साथ-साथ विदेशों में भी दूर-दराज़ के लोगों से जोड़ेगा और इसके दूरगामी परिणाम होंगे।
- सरकार अपने उत्पादों के लिये देश और विदेश में एक बड़ा बाज़ार सुनिश्चित करने के लिये एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाएगी।
- गाँवों में आठ करोड़ से अधिक महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और वे शीर्ष उत्पादों को डिज़ाइन करती हैं।

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस:

- 14 अगस्त को अब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

- यह दिन भारतीयों को सामाजिक विभाजन, वैमनस्य को दूर करने तथा एकता, सामाजिक सद्भाव तथा मानव सशक्तीकरण की भावना को और मज़बूत करने की आवश्यकता की याद दिलाएगा।

तपस पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल 'उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिये प्रशिक्षण' (Training for Augmenting Productivity and Services- TAPAS) लॉन्च किया है।

- TAPAS के विचार की अवधारणा ऐसे समय में की गई थी जब कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण कार्य करने और शिक्षा के लिये ऑनलाइन माध्यम की खोज करना अनिवार्य हो गया था।

प्रमुख बिंदु:

संदर्भ:

- यह हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिये सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (NISD) की एक पहल है।
  - सामाजिक सुरक्षा को प्राय: राज्य और नागरिक समाज दोनों द्वारा व्यवस्थित तथा सुसंगत कार्रवाई के माध्यम से अपराध के खिलाफ समाज की सुरक्षा के रूप में समझा जाता है।
- यह एक मानक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (MOOC) प्लेटफॉर्म है जिसमें फिल्माए गए व्याख्यान और ई-अध्ययन सामग्री जैसी पाठ्यक्रम सामग्री होती है।
  - MOOC एक मुफ्त वेब-आधारित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है जिसे बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों की भागीदारी के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- इसमें छात्रों और पाठ्यक्रम समन्वयकों के बीच बातचीत और प्रोत्साहित करने के लिये चर्चा मंच भी शामिल है।
- यह अध्ययन सामग्री के आधार पर विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान तक पहुँच प्रदान करेगा, इस प्रकार यह शिक्षण की गुणवत्ता से समझौता किये बिना भौतिक कक्षा के पूरक का काम करता है।
- जो भी अपने विभिन्न विषयों पर ज्ञान को बढ़ाना चाहता है इसे प्रयोग कर सकता है और इसमें शामिल होने के लिये कोई शुल्क नहीं है।
- मंच को निम्नलिखित दृष्टिकोण के साथ विकसित किया गया है:
  - वीडियो, टेक्स्ट, सेल्फ असेसमेंट और चर्चाएँ।

कोर्सेज:

- पाँच बुनियादी कोर्स जैसे- नशीली दवाओं (पदार्थ) के दुरुपयोग की रोकथाम, जरा चिकित्सा/बुजुर्गों की देखभाल, मनोविकृति की देखभाल एवं प्रबंधन, ट्रांसजेंडर और सामाजिक सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर व्यापक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।

उद्देश्य :

- इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों के क्षमता निर्माण के लिये प्रशिक्षण प्रदान करना और ज्ञान एवं कौशल को बढ़ाना है।

महत्त्व :

- हमारी शिक्षा प्रणाली में जहाँ अध्यापन की ऑफलाइन विधा की पैठ काफी गहरी है, उसके लिये यह पाठ्यक्रम परिवर्तन सुनिश्चित करने के साथ ही नई संभावनाओं के लिये मार्ग प्रशस्त करेगा।
- यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन माध्यम से सामाजिक सुरक्षा के साथ सीखने और काम करने में बड़ी संख्या में लोगों को सक्षम बनाएगा।

अन्य डिजिटल लर्निंग पहल:

- स्वयं (SWAYAM) :
  - ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिये एक एकीकृत मंच और पोर्टल प्रदान करने हेतु शिक्षा मंत्रालय द्वारा 9 जुलाई, 2017 को स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (SWAYAM) लॉन्च किया गया था।
- स्वयं प्रभा (SWAYAM Prabha) :
  - यह 24X7 आधार पर देश में सभी जगह डायरेक्ट टू होम (Direct to Home- DTH) के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने की एक पहल है।
  - इसमें पाठ्यक्रम आधारित पाठ्य सामग्री होती है जो विविध विषयों को कवर करती है।
- प्रौद्योगिकी के लिये राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन (NEAT) :
  - इस योजना का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) की सहायता से सीखने वाले की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप एक अनुकूलित प्रणाली को विकसित करना है।
- प्रौद्योगिकी वर्द्धन शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPTEL) :
  - NPTEL भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलूरू के साथ सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) द्वारा शुरू की गई MHRD की एक परियोजना है।

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (NISD)

परिचय:

- NISD एक स्वायत्त निकाय है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT), दिल्ली सरकार के साथ 1860 के सोसायटी अधिनियम XXI के तहत पंजीकृत है।
- यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हेतु एक केंद्रीय सलाहकार निकाय है। यह सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में नोडल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है।
- यह सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में नोडल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है। यह राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार व गैर-सरकारी संगठनों के बीच समन्वय तथा संपर्क का कार्य भी करता है।

केंद्र:

- संस्थान वर्तमान में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, भिक्षावृत्ति रोकथाम, ट्रांसजेंडर और अन्य सामाजिक रक्षा संबंधी मुद्दों के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास पर केंद्रित है।

शासनादेश:

- संस्थान का अधिदेश प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रलेखन के माध्यम से भारत सरकार के सामाजिक रक्षा कार्यक्रमों हेतु जानकारी प्रदान करना है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर, 2021 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) में सभी रिक्त पदों पर व्यक्तियों को नामित करने का निर्देश दिया।

- इससे यह सुनिश्चित होगा कि आयोग कुशलतापूर्वक कार्य करे और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम (NCM), 1992 के तहत परिकल्पित आयोग के उद्देश्य को भी पूरी तरह से प्राप्त किया जा सके।

प्रमुख बिंदु:

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 1978 में गृह मंत्रालय द्वारा पारित एक संकल्प में अल्पसंख्यक आयोग (Minorities Commission- MC) की स्थापना की परिकल्पना की गई थी।
- वर्ष 1984 में अल्पसंख्यक आयोग को गृह मंत्रालय से अलग कर दिया गया और इसे नव-निर्मित कल्याण मंत्रालय (Ministry of Welfare) के अधीन रखा गया, जिसने वर्ष 1988 में भाषायी अल्पसंख्यकों को आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया।
- वर्ष 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अधिनियमन के साथ ही अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक/वैधानिक (Statutory) निकाय बन गया और इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) कर दिया गया।
- वर्ष 1993 में पहले वैधानिक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया और पाँच धार्मिक समुदायों- मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा पारसी को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया।
- वर्ष 2014 में जैन धर्म मानने वालों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया।

संरचना:

- NCM में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पाँच सदस्य होते हैं तथा इन सभी का चयन अल्पसंख्यक समुदायों में से किया जाता है।
- केंद्र सरकार द्वारा नामित किये जाने वाले इन व्यक्तियों को योग्य, क्षमतावान और सत्यनिष्ठ होना चाहिये।
- कार्यकाल: प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल पद धारण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक होता है।

कार्य:

- संविधान में संसद तथा राज्य विधानसभाओं द्वारा अधिनियमित कानूनों में अल्पसंख्यकों के लिये सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
- आयोग अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम लागू करने और अल्पसंख्यक समुदायों के लिये कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है।
- केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिये सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सिफारिशें करना।
- अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित विशिष्ट शिकायतों को देखना और ऐसे मामलों को उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष रखना।
- सांप्रदायिक संघर्ष और दंगों के मामलों की जाँच करता है।
    - उदाहरण के लिये 2011 के भरतपुर सांप्रदायिक दंगों के साथ-साथ असम में 2012 के बोडो-मुस्लिम संघर्षों की जाँच आयोग द्वारा की गई और उनके निष्कर्ष सरकार को सौंपे गए।
- प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है जो 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा "राष्ट्रीय या जातीय, धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की घोषणा" को अपनाने का प्रतीक है।

अल्पसंख्यकों से संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्रावधान:

- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम (NCM Act) अल्पसंख्यकों को "केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक समुदाय" के रूप में परिभाषित करता है।
    - भारत सरकार द्वारा देश में छह धर्मों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी (पारसी) और जैन को धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित किया गया है।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अधिनियम' (NCMEIA), 2004:
    - यह अधिनियम सरकार द्वारा अधिसूचित छह धार्मिक समुदायों के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करता है।

- भारतीय संविधान में "अल्पसंख्यक" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि संविधान धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है।
- अनुच्छेद 15 और 16:
  - ये अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव का निषेध करते हैं।
  - राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोज़गार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में नागरिकों को 'अवसर की समानता' का अधिकार है, जिसमें धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव निषेध है।
- अनुच्छेद 25 (1), 26 और 28:
  - यह लोगों को अंत:करण की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म का प्रचार, अभ्यास और प्रसार करने का अधिकार प्रदान करता है।
  - संबंधित अनुच्छेदों में प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या वर्ग को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों हेतु धार्मिक संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार तथा अपने स्वयं के धार्मिक मामलों का प्रबंधन, संपत्ति का अधिग्रहण एवं उनके प्रशासन का अधिकार शामिल है।
  - राज्य द्वारा पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने या अनुदान सहायता प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी।
- अनुच्छेद 29:
  - यह अनुच्छेद उपबंध करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा।
  - अनुच्छेद-29 के तहत प्रदान किये गए अधिकार अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक दोनों को प्राप्त हैं।
  - हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस अनुच्छेद का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद में 'नागरिकों के वर्ग' शब्द के उपयोग में अल्पसंख्यकों के साथ-साथ बहुसंख्यक भी शामिल हैं।
- अनुच्छेद 30:
  - धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा, संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।
  - अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों (धार्मिक या भाषायी) तक ही सीमित है और नागरिकों के किसी भी वर्ग (जैसा कि अनुच्छेद 29 के तहत) तक विस्तारित नहीं किया जा सकता।
- अनुच्छेद 350 B:
  - मूल रूप से भारत के संविधान में भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये विशेष अधिकारों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसे 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 350B के रूप में जोड़ा गया।
  - यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY)

चर्चा में क्यों?

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के तहत अप्रैल 2020 से जुलाई 2021 तक लगभग 20.32 लाख कोविड-19 परीक्षण और 7.08 लाख उपचार अधिकृत किये गए।

प्रमुख बिंदु

परिचय:

- यह माध्यमिक देखभाल (जिसमें सुपर विशेषज्ञ शामिल नहीं है) के साथ-साथ तृतीयक देखभाल (जिसमें एक सुपर विशेषज्ञ शामिल है) हेतु प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करता है।
- PMJAY के तहत लाभार्थियों को सेवा के बिंदु पर कैशलेस और पेपरलेस सेवाओं तक पहुँच प्रदान की जाती है।
- स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, चिकित्सा और देखभाल, उपचार, दवाओं की लागत तथा निदान शामिल है।

नोट :

- पैकेज्ड दरें (दरें जिनमें सब कुछ शामिल है ताकि प्रत्येक उत्पाद या सेवा के लिये अलग से शुल्क न लिया जाए)।
- ये दरें लचीली होती हैं, लेकिन वे अस्पतालों द्वारा एक बार तय होने के बाद लाभार्थी से अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकते।
- इस योजना में चिकित्सा प्रबंधन के लिये एक दैनिक सीमा भी निर्धारित की गई है।

लाभार्थी:

- यह एक पात्रता-आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है।
    - एक बार डेटाबेस द्वारा पहचाने जाने के बाद लाभार्थी को बीमाकृत माना जाता है और वह किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में मान्य हो सकता है।

वित्तीयन:

- इस योजना के लिये वित्तपोषण संयुक्त रूप से किया जाता है- सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये अपनी विधायिका के साथ 60:40, पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड में 90:10 एवं विधायिका के बिना केंद्रशासित प्रदेशों हेतु 100% केंद्रीय वित्तपोषण।

नोडल एजेंसी:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) को राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से पीएम-जेएवाई के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में गठित किया गया है।
- राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) राज्य में AB PM-JAY के कार्यान्वयन के लिये ज़िम्मेदार राज्य सरकार का शीर्ष निकाय है।

चुनौतियाँ:

- राज्यों का सहयोग
    - चूँकि 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय है और राज्यों द्वारा इस योजना के लिये 40% वित्तपोषण का योगदान दिया जाएगा, इसलिये मौजूदा 'राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं' का 'आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' के साथ समन्वय स्थापित करना महत्त्वपूर्ण होगा।
        - पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ओडिशा और दिल्ली ने इस योजना को लागू नहीं किया है।
- लागत का बोझ
    - देखभाल प्रदाताओं और केंद्र के बीच लागत एक विवादित क्षेत्र है तथा कई लाभकारी अस्पताल सरकार के प्रस्तावों को अव्यवहारिक मानते हैं।
- अपर्याप्त स्वास्थ्य क्षमताएँ:
    - आवश्यक उपकरणों की कमी से जूझ रहे सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य क्षमताएँ निजी क्षेत्र के प्रदाताओं के साथ आवश्यक भागीदारी और गठबंधन की मांग करती हैं।
    - ऐसी परिस्थितियों में सेवाओं का प्रावधान तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब प्रदाताओं को उनकी सेवाओं के लिये जवाबदेह ठहराया जाए।
- अनावश्यक उपचार:
    - 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017' ने माध्यमिक और तृतीयक अस्पतालों से एक विशिष्ट शुल्क पर सेवाओं की 'रणनीतिक खरीद' का प्रस्ताव रखा है।
    - स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ अनुबंध, जिससे वित्तीय मुआवज़ा प्राप्त किया जाता है, के माध्यम से अधिसूचित दिशा-निर्देशों और मानक उपचार प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, ताकि अनावश्यक उपचार की संभावना को रोका जा सके।

उपलब्धियाँ:

- गरीबों के लिये फायदेमंद:
  - योजना के कार्यान्वयन के पहले 200 दिनों में PM-JAY के तहत 20.8 लाख से अधिक गरीब और वंचित लोगों को लाभान्वित किया गया है, इसके तहत 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का मुफ्त इलाज कराया गया है।
- कोविड -19 के समय PM-JAY का क्रियान्वयन:
  - योजना की शुरुआत से पीएम-जेएवाई की एक प्रमुख विशेषता पोर्टेबिलिटी है, जो यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि पीएम-जेएवाई-योग्य प्रवासी कार्यकर्त्ता देश भर के किसी भी अस्पताल में योजना की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, भले ही उनके निवास की स्थिति कुछ भी हो।

संबंधित योजनाएँ:

- भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज: चरण- II (ECRP-II पैकेज):
  - यह योजना कुछ केंद्रीय क्षेत्र के घटकों के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
  - इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य बाल चिकित्सा देखभाल सहित स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने और मापने योग्य परिणामों के साथ प्रारंभिक रोकथाम, पहचान व प्रबंधन के लिये तत्काल प्रतिक्रिया हेतु स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी में तेज़ी लाना है।

आगे की राह:

- भारत के अपने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) के लक्ष्यों को पूरा करने में AB-PMJAY कार्यक्रम बड़े स्तर पर महत्त्वाकांक्षी प्रणालीगत सुधार का अवसर प्रस्तुत करता है।
  - इसके लिये लंबे समय से कम वित्तपोषित स्वास्थ्य प्रणाली में संसाधनों को शामिल करने की आवश्यकता होगी, यद्यपि यह योजना भारत को UHC की ओर निरंतर गति प्रदान करने के लिये है अत: इसके साथ शासन, गुणवत्ता नियंत्रण और प्रबंधन के परस्पर संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये ।
  - भारत में स्वास्थ्य देखभाल पर सार्वजनिक व्यय वैश्विक स्तर पर सबसे निम्न है।
- प्रौद्योगिकी और नवाचार का अच्छा उपयोग करने से स्वास्थ्य सेवा की समग्र लागत को और कम किया जा सकता है। एआई-पावर्ड मोबाइल एप्लीकेशन (AI-Powered Mobile Applications) उच्च गुणवत्तापूर्ण , कम लागत, स्मार्ट वेलनेस समाधान प्रदान कर सकते हैं। आयुष्मान भारत हेतु स्केलेबल (scalable) और इंटर-ऑपरेबल (Inter-Operable) आईटी प्लेटफॉर्म इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

जनगणना 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में गृह मंत्रालय ने लोकसभा में कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना 2021 और जनगणना से संबंधित अन्य क्षेत्रीय गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिये स्थगित कर दिया गया है।

- भारत में हर दशक में जनगणना की जाती है तथा 2021 की जनगणना देश की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि :

- प्राचीनतम साहित्य 'ऋग्वेद' से पता चलता है कि 800-600 ईसा पूर्व के दौरान कुछ विधियों द्वारा जनगणना को बनाए रखा गया था।
- मुगल बादशाह अकबर के शासन काल में प्रशासनिक रिपोर्ट 'आईन-ए-अकबरी' में जनसंख्या, उद्योग, धन और कई अन्य विशेषताओं से संबंधित व्यापक आँकड़े शामिल थे।

- भारत में पहली जनगणना गवर्नर-जनरल लॉर्ड मेयो के शासन काल में वर्ष 1872 में की गई थी। हालाँकि देश की पहली जनगणना प्रक्रिया को गैर-समकालिक (देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग समय पर) रूप से पूर्ण किया गया।
- रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के नव स्थापित कार्यालय ने वर्ष 1881 में भारत में पहली बार जनगणना पूरी की।
  - 130 से अधिक वर्षों के इतिहास के साथ यह एक विश्वसनीय अभ्यास साबित हुआ है जो प्रत्येक 10 वर्षों में आयोजित किया जाता है।
- जनगणना अधिनियम को वर्ष 1948 में लागू किया गया और इस अधिनियम के माध्यम से जनगणना के लिये एक स्थायी योजना की रूपरेखा के साथ जनगणना अधिकारियों के उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया गया।
  - जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत जनगणना में एकत्र किये गए व्यक्तिगत डेटा को अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक नहीं किया जाता है।
  - व्यक्तिगत डेटा का उपयोग राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) सहित किसी अन्य डेटाबेस को तैयार करने के लिये नहीं किया जाता है। विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर केवल समेकित जनगणना के आँकड़े ही जारी किये जाते हैं।

परिचय :

- औपनिवेशिक राज की कई विरासतें 1947 के बाद भी भारत में रहीं। भारत की जनगणना उनमें में से एक है। जनगणना शब्द लैटिन शब्द 'Censere' से लिया गया है, जिसका अर्थ है- 'आकलन करना'।
- जनगणना में जनसांख्यिकीय और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मापदंडों जैसे- शिक्षा, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, धर्म, भाषा, विवाह, प्रजनन क्षमता, विकलांगता, व्यवसाय और व्यक्तियों के प्रवासन पर डेटा एकत्र किया जाता है।
- आगामी जनगणना (Census 2021) पहली डिजिटल जनगणना होगी और इसमें स्व-गणना का प्रावधान है। जनगणना गृह मंत्रालय द्वारा कराई जाएगी।
  - डेटा संग्रह के लिये एक मोबाइल एप्लीकेशन और जनगणना से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन एवं निगरानी हेतु एक जनगणना पोर्टल विकसित किया गया है।

जनगणना 2021 vs पिछला संस्करण:

- डिजिटल डेटा:
  - यह पहली बार है कि ऑफ़लाइन मोड में काम करने के प्रावधान के साथ डेटा को मोबाइल एप्लीकेशन (गणक के फोन पर स्थापित) के माध्यम से डिजिटल रूप से एकत्र किया जाएगा।
  - यह विलंबता को कम करने और परिणाम तुरंत प्राप्त करने में मदद करेगा, पहले के मामलों के विपरीत जहाँ डेटा का विश्लेषण करने और रिपोर्ट प्रकाशित होने में कई साल लगते थे।
- जनगणना निगरानी और प्रबंधन पोर्टल:
  - यह बहु-भाषा सहायता प्रदान करने हेतु जनगणना गतिविधियों में शामिल सभी अधिकारियों के लिये एकल स्रोत के रूप में कार्य करेगा।
- कोई जाति डेटा नहीं:
  - नवीनतम जनगणना (मौजूदा योजना के अनुसार) जाति डेटा एकत्र नहीं करेगी। जबकि सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 की जनगणना के साथ आयोजित की गई थी, जाति जनगणना के परिणाम को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है।
- ट्रांसजेंडर:
  - यह पहली बार है जब ऐसे परिवारों और परिवार में रहने वाले सदस्यों की जानकारी एकत्र की जाएगी, जिनका मुखिया ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित कोई व्यक्ति है। पहले केवल पुरुष और महिला के लिये एक कॉलम था।

जनगणना का महत्त्व:

- डेटा का व्यापक स्रोत:
  - यह राष्ट्र के जनसांख्यिकीय लाभांश के बारे में जानकारी एकत्र करता है जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण, शिक्षा सर्वेक्षण, कृषि सर्वेक्षण आदि जैसे कई उद्देश्यों के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- निर्णय लेना:
  - साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने के लिये किसी भी देश के लिये जनगणना महत्त्वपूर्ण है।
- नीति निर्माण:
  - जनगणना एक आवासीय इकाई से एकत्रित जानकारी को वितरण इकाई तक ले जाने के लिये ज़िम्मेदार है। यह सुसंगत नीति-निर्माण और वैज्ञानिक योजना को बढ़ावा देगी, जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों का अनुकूलन होगा।
- सीमांकन:
  - जनगणना के आँकड़ों का उपयोग निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन और संसद, राज्य विधानसभाओं तथा स्थानीय निकायों को प्रतिनिधित्व के आवंटन के लिये भी किया जाता है।
- अनुदान:
  - वित्त आयोग जनगणना से उपलब्ध जनसंख्या के आँकड़ों के आधार पर राज्यों को अनुदान देता है।

चुनौतियाँ:

- त्रुटियाँ:
  - सांख्यिकीय कार्य के दौरान मुख्यत: दो प्रकार की त्रुटियाँ होती है: सामग्री त्रुटि और कवरेज त्रुटि, जिन्हें कम करने की आवश्यकता होती है।
- झूठी जानकारी प्रस्तुत करना:
  - विभिन्न योजनाओं के इच्छित लाभों या नागरिकता खोने के डर से और शिक्षा की कमी के कारण लोग प्राय: झूठी जानकारी प्रदान कर देते हैं।
- संबद्ध लागत
  - इस अभ्यास के दौरान सरकार द्वारा भारी व्यय (हज़ारों करोड़) किया जाता है।
- सुरक्षा
  - डेटा एकत्र करने के डिजिटल मोड की ओर बढ़ना विश्लेषण की प्रक्रिया को गति देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
  - हालाँकि एकत्र किये जा रहे डेटा की सुरक्षा (विशेषकर एप्लीकेशन पर) और ऐसे डेटा के लिये पर्याप्त बैकअप तंत्र पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
- डेटा का दुरुपयोग
  - क्षेत्रीय अधिकारियों के पास इस प्रकार के डेटा की उपलब्धता इसके दुरुपयोग की संभावना को बढ़ा देती है, क्योंकि संबंधित प्राधिकरण के पास एक विशेष परिवार (स्वामित्व, जाति, वित्तीय पहलू, व्यवसाय, जीवन शैली, आदि) के बारे में सभी जानकारी मौजूद होती है, जिसका उपयोग अनुचित कार्यों के लिये किया जा सकता है।
- सामाजिक भागीदारी का अभाव
  - समुदाय की भागीदारी का अभाव और सटीक डेटा एकत्र करने के लिये प्रगणकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण जनगणना के संचालन में एक बड़ी चुनौती है।

आगे की राह

- डेटा गुणवत्ता को मज़बूत करना काफी महत्त्वपूर्ण है, जो कि कवरेज त्रुटि और सामग्री त्रुटि को कम करके किया जा सकता है।
- प्रगणकों (डेटा संग्रहकर्त्ताओं) और आयोजकों को उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिये। साथ ही प्रगणकों को प्रेरित करने के लिये उन्हें बेहतर भुगतान भी किया जाना चाहिये, क्योंकि वे डेटा संग्रह का केंद्रबिंदु हैं और डेटा सटीकता सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं।
- जीवन में जनगणना के महत्त्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिये सार्वजनिक अभियान शुरू किये जाने चाहिये।

महाराजा रणजीत सिंह

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2019 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 'लाहौर किले' में स्थापित महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को हाल ही में एक धार्मिक कट्टरपंथी संगठन 'तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान' (TLP) के सदस्य द्वारा तोड़ दिया गया।

प्रमुख बिंदु

प्रारंभिक जीवन

- उनका जन्म 13 नवंबर, 1780 को गुजरांवाला में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है।
- वह 'महा सिंह' की इकलौती संतान थे, जिनकी मृत्यु के बाद वर्ष 1792 में रणजीत सिंह एक सिख समूह 'शुक्रचकियों' के प्रमुख बने।
- उनकी रियासत में गुजरांवाला शहर और आसपास के गाँव शामिल थे, जो अब पाकिस्तान में हैं।

योगदान

- सिख साम्राज्य के संस्थापक:
  - उन्होंने 'मिस्लों' को समाप्त कर सिख साम्राज्य की स्थापना की थी।
    - उस समय पंजाब पर शक्तिशाली सरदारों का शासन था, जिन्होंने इस क्षेत्र को 'मिस्लों' में विभाजित किया था।
    - मिस्ल, सिख संघ के संप्रभु राज्यों को संदर्भित करता है जो 18वीं शताब्दी के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में पंजाब क्षेत्र में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उभरे थे।
    - उन्होंने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में उत्तर-पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया।
  - लाहौर (उनकी राजधानी) को अफगान आक्रमणकारियों से मुक्त करने में उनकी सफलता के लिये उन्हें 'पंजाब का शेर' (शेर-ए-पंजाब) की उपाधि दी गई थी।
- सेना का आधुनिकीकरण
  - उन्होंने उस समय की एशिया की सबसे शक्तिशाली स्वदेशी सेना को और मज़बूत करने के लिये युद्ध में 'पश्चिमी आधुनिक हथियारों' के साथ पारंपरिक खालसा सेना को एकीकृत किया।
  - उन्होंने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिये बड़ी संख्या में यूरोपीय अधिकारियों, विशेष रूप से फ्राँसीसी अधिकारियों को नियुक्त किया।
  - उन्होंने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिये एक फ्राँसीसी जनरल को नियुक्त किया था।
- विस्तृत साम्राज्य:
  - रणजीत सिंह के अंतर-क्षेत्रीय साम्राज्य (कई राज्यों में फैले) में काबुल, पेशावर के अलावा लाहौर और मुल्तान के पूर्व मुगल प्रांत शामिल थे।
  - इनके साम्राज्य की सीमाएँ लद्दाख तक थीं जो उत्तर-पूर्व में खैबर दर्रा (भारत पर आक्रमण करने के लिये विदेशी शासकों द्वारा अपनाया गया मार्ग) और दक्षिण में पंजनाद (जहाँ पंजाब की पाँच नदियाँ सिंधु में मिलती हैं) तक थीं।

विरासत:

- महाराजा अपने न्यायपूर्ण और धर्मनिरपेक्ष शासन के लिये जाने जाते थे। उनके दरबार में हिंदू और मुस्लिम दोनों को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया था।
- उन्होंने अमृतसर में हरमंदिर साहिब को सोने से ढककर स्वर्ण मंदिर में परिवर्तित किया दिया।
- उन्हें महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरु गोबिंद सिंह के अंतिम विश्राम स्थल पर हजूर साहिब गुरुद्वारे के वित्तपोषण का श्रेय भी दिया जाता है।

नोट :

मृत्युः

- एक विजेता के रूप में लाहौर शहर में प्रवेश करने के लगभग 40 साल बाद जून 1839 में लाहौर में उनकी मृत्यु हो गई।
- उनकी मृत्यु के छह वर्ष बाद ही उनके द्वारा स्थापित सिख राज्य ध्वस्त हो गया जिसका प्रमुख कारण प्रमुख प्रतिद्वंद्वी समूहों के बीच आंतरिक संघर्ष था।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान:

- वर्ष 2016 में फ्राँस के सेंट ट्रोपेज़ शहर में सम्मान के प्रतीक के रूप में महाराजा की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया।
- उनके सिंहासन को लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया गया है।
- वर्ष 2018 में लंदन ने एक प्रदर्शनी की मेज़बानी की जो सिख साम्राज्य के इतिहास और महाराजा द्वारा बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर केंद्रित थी

अधिकरण सुधार विधेयक, 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने सरकार को चुनौती दी है कि वह अधिकरण सुधार विधेयक, 2021 को पेश करने के कारणों को प्रदर्शित करने वाले तथ्यों को उजागर करें।

- यह विधेयक अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश [Tribunal Reforms (Rationalisation and Conditions of Service) Ordinance], 2021 का स्थान लेता है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था।

प्रमुख बिंदु

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए मुद्दे:

- असंवैधानिक विधायी अधिभावी: विधेयक पर चर्चा का अभाव था तथा सरकार ने मद्रास बार एसोसिएशन मामले (2021) में न्यायालय द्वारा रद्द किये गए उन्हीं प्रावधानों को फिर से लागू किया है।
  - यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय के "असंवैधानिक विधायी अधिभावी" के समकक्ष है।
- सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का बार-बार उल्लंघन: अधिकरण की उचित कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने के लिये कोर्ट द्वारा समय-समय पर जारी किये गए निर्देशों का केंद्र द्वारा बार-बार उल्लंघन किया जा रहा है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकरण के सदस्यों तथा अध्यक्षों की सेवा की शर्तों और कार्यकाल के संबंध में अध्यादेश के प्रावधानों को रद्द कर दिया था।.
- कार्यकाल की सुरक्षा: अधिकरण सुधार विधेयक, 2021 पचास वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों की अधिकरण में नियुक्तियों पर रोक लगाता है। यह कार्यकाल की अवधि/सुरक्षा को कमज़ोर करता है।
- शक्तियों के पृथक्करण को कमज़ोर करना : विधेयक केंद्र सरकार को चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर निर्णय लेने की अनुमति देता है, अधिमानतः ऐसा सिफारिश की तारीख से तीन महीने के भीतर होगा।
  - विधेयक की धारा 3(7) शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए केंद्र सरकार को खोज-सह-चयन समिति द्वारा दो नामों के एक पैनल की सिफारिश को अनिवार्य बनाती है।
- अधिकरण में रिक्त पद : भारत में अब 16 अधिकरण हैं जिनमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आर्म्ड फोर्सेज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल और अन्य शामिल हैं, जिसमें अधिक रिक्तियाँ विद्यमान हैं।
  - बड़ी संख्या में सदस्यों और अध्यक्ष पदों की रिक्तियाँ तथा उन्हें भरने में अत्यधिक देरी के कारण अधिकरण कमज़ोर हो गए हैं।
- निर्णयन प्रक्रिया के लिये अहितकर : इन मामलों को त्वरित ही उच्च न्यायालयों या वाणिज्यिक सिविल अदालतों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

- नियमित अदालतों में विशेषज्ञता की कमी निर्णयन प्रक्रिया के लिये हानिकारक हो सकती है।
- उदाहरण के लिये फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण (FCAT) ने विशेष रूप से सेंसर बोर्ड के फैसलों के खिलाफ एक अपील करने वाले मामलों की सुनवाई की, जबकि ऐसे मामले के लिये विशेष न्यायालय होते है जिसमें कला और सिनेमा में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
- इसके अतिरिक्त कुछ अधिकरण और अपीलीय निकायों के विघटन एवं उनके कार्यों को उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करने की आलोचना इस आधार पर की जा सकती है कि भारतीय अदालतें पहले से ही अपने मौजूदा मामलों के भार (caseload) के बोझ से दबे हैं।

अधिकरण सुधार विधेयक, 2021:

- मौजूदा निकायों का विघटन: यह विधेयक कुछ अपीलीय निकायों को भंग करने और उनके कार्यों को अन्य मौजूदा न्यायिक निकायों को स्थानांतरित करने का प्रावधान करता है। उदाहरण के लिये 'फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण' द्वारा सुने जाने वाले विवादों को उच्च न्यायालय को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
- मौजूदा निकायों का विलय: वित्त अधिनियम, 2017 ने डोमेन के आधार पर अधिकरणों का विलय किया है। उदाहरण के लिये 'प्रतिस्पर्द्धा अपीलीय न्यायाधिकरण' को 'राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण' के साथ मिला दिया गया है।
- खोज-सह-चयन समितियाँ: ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा एक खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। इस समिति में शामिल होंगे:
  - अध्यक्ष के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (निर्णायक मत के साथ)।
  - केंद्र सरकार द्वारा नामित दो सचिव।
  - वर्तमान या निवर्तमान अध्यक्ष या उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, और
  - मंत्रालय का सचिव जिसके अधीन न्यायाधिकरण का गठन किया गया है (मतदान अधिकार के बिना)।
- राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण: इसमें अलग खोज-सह-चयन समितियाँ शामिल होंगी, जिसकी अध्यक्षता संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ अध्यक्ष (निर्णायक मत के साथ) द्वारा की जाएगी।
- पात्रता और कार्यकाल: विधेयक में चार वर्ष के कार्यकाल का प्रावधान है (अध्यक्ष के लिये 70 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा और सदस्यों के लिये 67 वर्ष)।
  - इसके अलावा इसके तहत अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति के लिये 50 वर्ष को न्यूनतम आयु आवश्यकता के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
- ट्रिब्यूनल या अधिकरण के सदस्यों को हटाना: विधेयक के मुताबिक, केंद्र सरकार, खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश पर किसी भी अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटा सकती है।

अधिकरण:

- 'ट्रिब्यूनल' (Tribunal) शब्द की व्युत्पत्ति 'ट्रिब्यून' (Tribunes) शब्द से हुई है जो रोमन राजशाही और गणराज्य के अंतर्गत कुलीन मजिस्ट्रेटों की मनमानी कार्रवाई से नागरिकों की सुरक्षा करने के लिये एक आधिकारिक पद था।
- यह एक अर्द्ध-न्यायिक संस्था (Quasi-Judicial Institution) है जिसे प्रशासनिक या कर-संबंधी विवादों को हल करने के लिये स्थापित किया जाता है।
  - यह विवादों के अधिनिर्णयन, संघर्षरत पक्षों के बीच अधिकारों के निर्धारण, प्रशासनिक निर्णयन, किसी विद्यमान प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा जैसे विभिन्न कार्यों का निष्पादन करती है।
- इसका उद्देश्य न्यायपालिका के कार्यभार को कम करना या तकनीकी मामलों के लिये विषय विशेषज्ञता सुनिश्चित करना हो सकता है।

- संवैधानिक प्रावधान:
  - अधिकरण संबंधी प्रावधान मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा शामिल किया गया।
    - अनुच्छेद 323-A: यह अनुच्छेद प्रशासनिक अधिकरण (Administrative Tribunal) से संबंधित है।
    - अनुच्छेद 323-B: यह अन्य मामलों के लिये अधिकरणों से संबंधित है।
    - अनुच्छेद 262: राज्य/क्षेत्रीय सरकारों के बीच अंतर-राज्य नदियों के जल संबंधी विवादों के संबंध में अधिनिर्णयन के लिये भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की एक भूमिका तय की गई है।

संयुक्त राष्ट्र विश्व भू-स्थानिक सूचना कॉन्ग्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यह घोषणा की गई कि दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व भू-स्थानिक सूचना कॉन्ग्रेस (United Nations World Geospatial Information Congress- UNWGIC) का आयोजन वर्ष 2022 में हैदराबाद में किया जाएगा। यह आयोजन भारत के विकसित भू-स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र की एक झलक प्रस्तुत करेगा।

प्रमुख बिंदु

UNWGIC के विषय में:

- यह वैश्विक भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन पर विशेषज्ञों की संयुक्त राष्ट्र समिति (UN-GGIM) द्वारा आयोजित किया जाता है।
- उद्देश्य: भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन और क्षमताओं में सदस्य राज्यों तथा प्रासंगिक हितधारकों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना।
- समय-सीमा: इसे प्रत्येक चार वर्ष में आयोजित किया जाता है। इसका पहला आयोजन चीन द्वारा अक्तूबर 2018 में किया गया था।
- द्वितीय UNWGIC का विषय: 'वैश्विक गाँव को भू-सक्षम बनाना'।

UN-GGIM के विषय में :

- इसका उद्देश्य वैश्विक भू-स्थानिक सूचना के विकास के लिये एजेंडा निर्धारित करने और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने हेतु इसके उपयोग को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाना है।
  - यह सतत् विकास (Sustainable Development) के लिये वर्ष 2030 एजेंडा को लागू करने और सबको साथ लेकर चलने के वादे को निभाने की दिशा में काम करता है।
- संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (United Nations Statistics Division) ने वर्ष 2009 में न्यूयॉर्क में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के भू-स्थानिक सूचना विशेषज्ञों के साथ एक अनौपचारिक परामर्शदात्री बैठक बुलाई।
- वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय से GGIM पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के संभावित निर्माण पर विचार सहित भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन के वैश्विक समन्वय पर आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) के अनुमोदन के लिये चर्चा शुरू करने तथा एक रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया गया था।
- वर्ष 2011 में ECOSOC फोरम वैश्विक भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन पर सियोल घोषणा की स्वीकृति के साथ संपन्न हुआ।

भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियाँ:

- भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी शब्द का उपयोग पृथ्वी और मानव समाजों के भौगोलिक मानचित्रण एवं विश्लेषण में योगदान देने वाले आधुनिक उपकरणों की श्रेणी का वर्णन करने हेतु किया जाता है।
- प्रागैतिहासिक काल में पहले नक्शे तैयार किये जाने के बाद से ये प्रौद्योगिकियाँ किसी- न-किसी रूप में विकसित हो रही हैं।
- द्वितीय विश्व युद्ध (1939-45) और शीत युद्ध (1945-1989) के दौरान फोटोग्राफिक व्याख्या करने और मानचित्रण हेतु विज्ञान एवं कला में तेज़ी आई तथा उपग्रहों एवं कंप्यूटरों के आगमन के साथ इन प्रौद्योगिकियों ने नए आयाम ग्रहण किये।

- मोटे तौर पर इसमें निम्नलिखित प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं:
  - रिमोट सेंसिंग: यह अंतरिक्ष या एयरबोर्न कैमरा और सेंसर प्लेटफॉर्म से एकत्र की गई इमेज और डेटा है।
  - भौगोलिक सूचना तंत्र (GIS): जीआईएस पृथ्वी की सतह पर स्थित संबंधित डेटा को कैप्चर करने, स्टोर करने, जाँचने और प्रदर्शित करने के लिये एक कंप्यूटर सिस्टम है।
  - ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS): यह किसी भी उपग्रह समूह का वर्णन करने वाला एक सामान्य शब्द है जो वैश्विक या क्षेत्रीय आधार पर पोज़िशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग (PNT) सेवाएँ प्रदान करता है।
  - 3डी स्कैनिंग: यह किसी वास्तविक वस्तु या पर्यावरण का विश्लेषण करने की प्रक्रिया है, ताकि इसके आकार और संभवत: इसके स्वरूप पर डेटा एकत्र किया जा सके।

भारत की भू-स्थानिक नीति:

- हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में भू-स्थानिक क्षेत्र के लिये नए दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
- सूचना प्रसार नीति इस क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्द्धी क्षेत्र के रूप में उदार बनाती है। नई नीति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
  - ओपन एक्सेस:
    - संवेदनशील रक्षा या सुरक्षा संबंधी डेटा को छोड़कर, सभी भारतीय संस्थाओं के लिये मानचित्रों सहित इसके भू-स्थानिक डेटा और सेवाओं तक आसान पहुँच।
    - यह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच के लिये भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों के लाभों की परिकल्पना करता है और भू-स्थानिक जानकारी को सभी के लिये सुलभ बनाता है।
    - उदाहरण के लिये स्वामित्व योजना ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाने का प्रयास करती है जिसके माध्यम से ग्रामीण भूस्वामियों को डिजिटल जोत का प्रमाण-पत्र दिया जा रहा है।
  - प्रतिबंध हटाना:
    - भारतीय निगम और नवप्रवर्तक अब प्रतिबंधों के अधीन नहीं हैं और न ही उन्हें भारत के क्षेत्र के भीतर डिजिटल भू-स्थानिक डेटा तथा मानचित्रों को एकत्र करने, तैयार करने, प्रसारित करने, संग्रहीत करने, प्रकाशित करने, अद्यतन करने से पहले पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
  - अन्य हालिया पहलें: केंद्र सरकार ने भू-स्थानिक डेटा की जानकारी को साझा करने के लिये वेब पोर्टल भी लॉन्च किये हैं।
    - सारथी (Sarthi) : भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने सारथी नामक एक वेब भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) विकसित की है। यह उपयोगकर्त्ताओं को अंतिम रूप से अत्यधिक संसाधन के बिना भू-स्थानिक डेटा का विज़ुअलाइज़ेशन, परिवर्तन और विश्लेषण के लिये एप्लीकेशन बनाने में मदद करेगी।
    - ऑनलाइन मैप्स पोर्टल : सर्वे ऑफ इंडिया के ऑनलाइन मैप्स पोर्टल में राष्ट्रीय, राज्य, ज़िला और तहसील स्तर के डेटा के साथ 4,000 से अधिक मानचित्र/नक्शे हैं जिन्हें अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिये अनुक्रमित किया गया है।
    - मानचित्रण (Manchitran) : नेशनल एटलस एंड थीमैटिक मैपिंग ऑर्गनाइज़ेशन (NATMO) ने इस पोर्टल पर भारत के सांस्कृतिक मानचित्र, जलवायु मानचित्र या आर्थिक मानचित्र जैसे विषयगत मानचित्र जारी किये हैं।
    - NATMO, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक अधीनस्थ विभाग के रूप में कार्य कर रहा है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है।
    - भुवन (Bhuvan), इसरो द्वारा विकसित एवं संचालित एक प्रकार का राष्ट्रीय वेब पोर्टल है, जिसका उपयोग इंटरनेट के माध्यम से भौगोलिक जानकारी (भू-स्थानिक जानकारी) और अन्य संबंधित भौगोलिक सेवाओं (प्रदर्शन, संपादन, विश्लेषण आदि) को खोजने और उनका उपयोग करने के लिये किया जाता है।
    - एसोसिएशन ऑफ जियोस्पेशियल इंडस्ट्रीज़ ने "भारत में जल क्षेत्र के लिये भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों की क्षमता" (Potential of Geospatial Technologies for the Water Sector in India) शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम प्रणाली

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय (SC) के कॉलेजियम ने न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु सरकार को नौ नामों की सिफारिश की है।

- कॉलेजियम ने पहली बार एक ही प्रस्ताव में तीन महिला न्यायाधीशों की सिफारिश की है।
- इस प्रकार इसने सर्वोच्च न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के पक्ष में एक मज़बूत संकेत भेजा है।

प्रमुख बिंदु:

कॉलेजियम प्रणाली:

- यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है, जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है।
- कॉलेजियम प्रणाली का विकास:
  - प्रथम न्यायाधीश मामला (First Judges Case- 1981):
    - इसने यह निर्धारित किया गया कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के सुझाव की "प्रधानता" को "ठोस कारणों" से अस्वीकार किया जा सकता है।
    - इस निर्णय ने अगले 12 वर्षों के लिये न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित कर दी है।
  - दूसरा न्यायाधीश मामला (Second Judges Case-1993):
    - सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट करते हुए कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की कि "परामर्श" का अर्थ वास्तव में "सहमति" है।
    - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यह CJI की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी।
  - तीसरा न्यायाधीश मामला (Third Judges Case- 1998):
    - वर्ष 1998 में राष्ट्रपति द्वारा जारी एक प्रेज़िडेंशियल रेफरेंस (Presidential Reference) के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पाँच सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार किया, जिसमें CJI और उनके चार वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होंगे।
- सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की अध्यक्षता CJI द्वारा की जाती है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
- एक उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं।
  - उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति के लिये अनुशंसित नाम CJI और सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम के अनुमोदन के बाद ही सरकार तक पहुँचते हैं।
- उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है और इस प्रक्रिया में सरकार की भूमिका कॉलेजियम द्वारा नाम तय किये जाने के बाद की प्रक्रिया में ही होती है।
- यदि किसी वकील को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाना है तो सरकार की भूमिका आसूचना ब्यूरो या इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) द्वारा उसकी जाँच कराए जाने तक ही सीमित होती है।
  - आसूचना ब्यूरो (Intelligence Bureau- IB): यह एक प्रतिष्ठित और स्थापित खुफिया एजेंसी है। इसे गृह मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से नियंत्रित किया जाता है।
- सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों पर आपत्तियाँ उठा सकती है और कॉलेजियम की पसंद के बारे में स्पष्टीकरण मांग सकती है, परंतु यदि कॉलेजियम द्वारा उन्हीं नामों की अनुशंसा दोबारा की जाती है तो सरकार संवैधानिक पीठ के निर्णयों के तहत उन्हें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिये बाध्य होगी।

विभिन्न न्यायिक नियुक्तियों के लिये निर्धारित प्रक्रिया:

- भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI):
  - CJI और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  - अगले CJI के संदर्भ में निवर्तमान CJI अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करते हैं।
  - हालाँकि वर्ष 1970 के दशक के अतिलंघन विवाद के बाद से व्यावहारिक रूप से इसके लिये वरिष्ठता के आधार का पालन किया गया है।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश :
  - SC के अन्य न्यायाधीशों के लिये नामों के चयन का प्रस्ताव CJI द्वारा शुरू किया जाता है।
  - CJI कॉलेजियम के बाकी सदस्यों के साथ-साथ उस उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश से भी परामर्श करता है, जिससे न्यायाधीश पद के लिये अनुशंसित व्यक्ति संबंधित होता है।
  - निर्धारित प्रक्रिया के तहत परामर्शदाताओं को लिखित रूप में अपनी राय दर्ज करानी होती है और इसे फाइल का हिस्सा बनाया जाना चाहिये।
  - कॉलेजियम केंद्रीय कानून मंत्री को अपनी सिफारिश भेजता है, जिसके माध्यम से इसे राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री को भेजा जाता है।
- उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के लिये:
  - उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इस आधार पर की जाती है मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति संबंधित राज्य से न होकर किसी अन्य राज्य से होगा।
  - यद्यपि उनके चयन का निर्णय कॉलेजियम द्वारा लिया जाता है।
  - उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश CJI और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाले एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है।
  - हालाँकि इसके लिये प्रस्ताव को संबंधित उच्च न्यायालय के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों से परामर्श के बाद पेश किया जाता है।
  - यह सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो इस प्रस्ताव को केंद्रीय कानून मंत्री को भेजने के लिये राज्यपाल को सलाह देता है।

कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना:

- पारदर्शिता की कमी।
- भाई-भतीजावाद जैसी विसंगतियों की संभावना।
- सार्वजनिक विवादों में उलझना।
- कई प्रतिभाशाली कनिष्ठ न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं की अनदेखी।

नियुक्ति प्रणाली में सुधार के प्रयास:

- 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' (National Judicial Appointments Commission) द्वारा इसे बदलने के प्रयास को वर्ष 2015 में अदालत द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिये खतरा उत्पन्न हो सकता है।

संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 124(2): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 (2) के प्रावधानों के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों के कुछ न्यायाधीशों (राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिये जितने न्यायाधीशों के परामर्श को उपयुक्त समझे) के परामर्श के बाद की जाएगी।
- अनुच्छेद 217: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के प्रावधानों के अनुसार, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा CJI, संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श और मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की जाएगी।

आगे की राह

- न्याय पालिका की रिक्तियों को भरना एक निरंतर और सहयोगात्मक प्रक्रिया है जिसमें कार्यपालिका तथा न्यायपालिका दोनों का योगदान शामिल होता है और इसके लिये कोई समयसीमा नहीं हो सकती है। हालाँकि वर्तमान में न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ न्यायिक चयन प्रक्रिया को संस्थागत बनाने के लिये एक स्थायी, स्वतंत्र निकाय की स्थापना के बारे विचार करना बहुत आवश्यक है।
- न्यायिक चयन प्रणाली को स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हुए इसमें विविधता को प्रतिबिंबित करने के साथ अपनी पेशेवर क्षमता और अखंडता का प्रदर्शन करना चाहिये।
- कुछ निश्चित रिक्तियों के लिये एक निर्धारित संख्या में न्यायाधीशों के चयन की बजाय कॉलेजियम द्वारा राष्ट्रपति को प्राथमिकता और अन्य वैध श्रेणियों के तहत न्यायाधीशों के चयन के लिये संभावित नामों की एक सूची प्रदान की जानी चाहिये।

सामुदायिक पुलिस व्यवस्था

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त ने एक सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम 'उम्मीद' (Ummeed) का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

उम्मीद (Ummeed) के बारे में:

- सामुदायिक पुलिसिंग का मूल सिद्धांत यह है कि 'एक पुलिसकर्मी वर्दी वाला नागरिक होता है और एक नागरिक बिना वर्दी वाला पुलिसकर्मी होता है'।
  - सामुदायिक पुलिसिंग का सार पुलिसकर्मियों और नागरिकों के बीच की दूरी को इस हद तक कम करना है कि पुलिसकर्मी उस समुदाय का एक एकीकृत हिस्सा बन जाए जिसकी वे सेवा करते हैं।
- इसे कानून को लागू करने वाले दर्शन के रूप में परिभाषित किया गया है जो पुलिस को उस क्षेत्र में रहने और कार्य करने वाले नागरिकों के साथ एक मज़बूत संबंध स्थापित करने के लिये दोनों को एक ही क्षेत्र में लगातार कार्य करने की अनुमति देता है।
- यह पुलिस और जनता के बीच विश्वास की कमी को कम करने में मदद करता है क्योंकि इसके लिये पुलिस को अपराध की रोकथाम और अपराध का पता लगाने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने तथा स्थानीय संघर्षों को हल करने हेतु समुदाय के साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता होती है, जिसका उद्देश्य जीवन और सुरक्षा की भावना की बेहतर गुणवत्ता प्रदान करना है।

लाभ:

- किसी सरकारी वित्त सहायता की आवश्यता नहीं।
- अपराध और अव्यवस्था के विरुद्ध प्रतिरक्षा में वृद्धि।
- पारंपरिक पुलिसिंग में मददगार।
- लोगों के बीच विश्वास कायम करना।
- सामाजिक संपर्क को प्रोत्साहित करने में मददगार।
- पुलिस और जनता दोनों के मध्य प्रोत्साहन एवं आलोचना को साझा करना।
- अपने कार्य क्षेत्र के प्रति पुलिस अधिकारियों में सुरक्षा का भाव होना।
- विश्वसनीय और आवश्यक सूचनाओं की उपलब्धता।
- लोगों के मध्य ज़िम्मेदारी की भावना पैदा करना।
- पुलिस एवं जनता दोनों की एक-दूसरे के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना।

चुनौतियाँ:

- पुलिस बल की खराब सार्वजनिक छवि।
- पुलिस बल की खराब लोक सेवा पद्धति।
- इससे भीड़ न्याय (Mob Justice) को बढ़ावा मिल सकता है।
- निवासियों में यह विश्वास कि अपराध कुछ लोगों के लिये आजीविका का स्रोत है।

अन्य उदाहरण:

- जनमैत्री सुरक्षा परियोजना: केरल
- संयुक्त गश्त समितियाँ: राजस्थान
- मीरा पैबी (Meira Paibi): मणिपुर
- सामुदायिक पुलिस परियोजना: पश्चिम बंगाल
- मैत्री (Maithri): आंध्र प्रदेश
- मोहल्ला समितियाँ: महाराष्ट्र
- पुलिस मित्र: तमिलनाडु

आगे की राह

- सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत किसी भी स्वयंसेवक को पुलिस की मदद करने की अनुमति दी जानी चाहिये, लेकिन पुलिस की भूमिका निभाने की नहीं। स्वयंसेवकों की तैनाती से पहले उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि की जाँच की जानी चाहिये।
- सामुदायिक पुलिसिंग एक दर्शन है, कार्यक्रम नहीं। यदि सामुदायिक पुलिसिंग के दर्शन को इसमें शामिल सभी लोग नहीं समझते हैं तो कार्यक्रम सफल नहीं होंगे।
- सामुदायिक पुलिसिंग और समुदाय आधारित कार्यक्रमों के सामने सबसे बड़ी बाधा परिवर्तन का विचार है। अधिकारियों को पुलिसिंग की अवधारणा को बदलना होगा तथा नागरिकों को इस बदलाव को स्वीकार करने के लिये तैयार रहना होगा।

मोपला विद्रोह

चर्चा में क्यों

हाल ही में एक राजनीतिक नेता ने दावा किया कि मोपला विद्रोह, जिसे 1921 के मप्पिला दंगों के रूप में भी जाना जाता है, भारत में तालिबान मानसिकता की पहली अभिव्यक्तियों में से एक था।

प्रमुख बिंदु

मोपला/मप्पिलास:

- मप्पिला नाम मलयाली भाषी मुसलमानों को दिया गया है जो उत्तरी केरल के मालाबार तट पर निवास करते हैं।
- वर्ष 1921 तक मोपला ने मालाबार में सबसे बड़े और सबसे तेज़ी से बढ़ते समुदाय का गठन किया। मालाबार की एक मिलियन की कुल आबादी में मोपला 32% के साथ दक्षिण मालाबार क्षेत्र में केंद्रित थे।

पृष्ठभूमि:

- सोलहवीं शताब्दी में जब पुर्तगाली व्यापारी मालाबार तट पर पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि मप्पिला एक व्यापारिक समुदाय है जो शहरी केंद्रों में केंद्रित है और स्थानीय हिंदू आबादी से काफी अलग है।
- हालाँकि पुर्तगाली वाणिज्यिक शक्ति में वृद्धि के साथ मप्पिलास ने खुद को एक प्रतियोगी पाया और नए आर्थिक अवसरों की तलाश में तेज़ी से देश के आंतरिक भागों की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दिया।

- मप्पिलास के स्थानांतरण से स्थानीय हिंदू आबादी और पुर्तगालियों के बीच धार्मिक पहचान के लिये टकराव उत्पन्न हुआ।

विद्रोह:

- मुस्लिम धर्मगुरुओं के उग्र भाषणों और ब्रिटिश विरोधी भावनाओं से प्रेरित होकर मप्पिलास ने एक हिंसक विद्रोह शुरू किया। साथ ही कई हिंसक घटनाओं की सूचना दी गई तथा ब्रिटिश एवं हिंदू ज़मींदारों दोनों के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत की गई थी।
- कुछ लोग इसे धार्मिक कट्टरता का मामला बताते हैं, वहीं कुछ अन्य लोग इसे ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संघर्ष के उदाहरण के रूप में देखते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो मालाबार विद्रोह को ज़मींदारों की अनुचित प्रथाओं के खिलाफ एक किसान विद्रोह मानते हैं। .
- जबकि इतिहासकार इस मामले पर बहस जारी रखते हैं, इस प्रकरण पर व्यापक सहमति से पता चलता है कि यह राजनीतिक शक्ति के खिलाफ संघर्ष के रूप में शुरू हुआ था जिसने बाद में सांप्रदायिक रंग ले लिया।
  - अधिकांश ज़मींदार नंबूदिरी ब्राह्मण थे, जबकि अधिकांश काश्तकार मापिल्लाह मुसलमान थे।
  - दंगों में 10,000 से अधिक हिंदुओं की सामूहिक हत्याएँ, महिलाओं के साथ बलात्कार, ज़बरन धर्म परिवर्तन, लगभग 300 मंदिरों का विध्वंस या उन्हें क्षति पहुँचाई गई, करोड़ों रुपए की संपत्ति की लूट और आगजनी तथा हिंदुओं के घरों को जला दिया गया।

कारण:

- असहयोग और खिलाफत आंदोलन:
  - विद्रोह का ट्रिगर का कारण 1920 में कॉन्ग्रेस द्वारा खिलाफत आंदोलन के साथ शुरू किये गए असहयोग आंदोलन था।
  - इन आंदोलनों से प्रेरित ब्रिटिश विरोधी भावना ने मुस्लिम मप्पिलास को प्रभावित किया।
- नए काश्तकार कानून:
  - 1799 में चौथे एंग्लो-मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मालाबार मद्रास प्रेसीडेंसी के हिस्से के रूप में ब्रिटिश अधिकार में आ गया था।
  - अंग्रेज़ोंन ने नए काश्तकारी कानून पेश किये थे, जो ज़मींदारों के नाम से पहचाने जाने वाले ज़मींदारों के पक्ष में थे और किसानों के लिये पहले की तुलना में कहीं अधिक शोषणकारी व्यवस्था थी।
  - नए कानूनों ने किसानों को भूमि के सभी गारंटीकृत अधिकारों से वंचित कर उन्हें भूमिहीन बना दिया।
- समर्थन:
  - प्रारंभिक चरणों में आंदोलन को महात्मा गांधी और अन्य भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त था लेकिन जैसे ही यह हिंसक हो गया उन्होंने खुद को इससे दूर कर लिया।

पतन:

- वर्ष 1921 के अंत तक अंग्रेज़ों ने विद्रोह को कुचल दिया था, जिन्होंने दंगा रोकने के लिये एक विशेष बटालियन, मालाबार स्पेशल फोर्स का गठन किया था।

  वैगन ट्रैज़डी (Wagon Tragedy):
- नवंबर 1921 में 67 मोपला कैदी मारे गए थे, जब उन्हें तिरूर से पोदनूर की केंद्रीय जेल में एक बंद माल डिब्बे में ले जाया जा रहा था जिसमें दम घुटने से इनकी मौत हो गई। इस घटना को वैगन ट्रैज़डी कहा जाता है।

स्वतंत्रता पूर्व प्रमुख किसान आंदोलन (Major Pre-Independence Agrarian Revolts)

- संथाल विद्रोह (1855-56)- संथाल विद्रोह पर संथालों को वैश्विक गौरव (Global Pride) प्राप्त है जिसमें 1,000 से अधिक संथाल और सिद्धो व कान्हो मुर्मू (Sidho and Kanho Murmu) के नेताओं ने वर्चस्व को लेकर विशाल ईस्ट इंडिया कंपनी (अंग्रेज़ों) के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
- नील विद्रोह (1859-60)- यह ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था, क्योंकि उन्हें उन शर्तों के तहत नील उगाने हेतु मजबूर किया गया था जो कि किसानों के लिये प्रतिकूल थे।

- पबना विद्रोह (1872-1875) - यह ज़मींदारों के उत्पीड़न के खिलाफ एक प्रतिरोध आंदोलन था। इसकी उत्पत्ति युसुफशाही परगना में हुई थी, जो अब बृहत्तर पबना, बांग्लादेश में सिराजगंज ज़िला है।
- दक्कन विद्रोह (1875) - दक्कन के किसान विद्रोह मुख्य रूप से मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों की ज्यादतियों के खिलाफ थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत रैयतों को भारी कराधान का सामना करना पड़ा। वर्ष 1867 में भू-राजस्व में भी 50% की वृद्धि की गई।
- पगड़ी संभाल आंदोलन (1907)- यह एक सफल कृषि आंदोलन था जिसने ब्रिटिश सरकार को कृषि से संबंधित तीन कानूनों को निरस्त करने के लिये मजबूर किया। इस आंदोलन के पीछे भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह थे।
- अवध में किसान आंदोलन (1918-1922)- इसका नेतृत्व एक संन्यासी बाबा रामचंद्र ने किया था, जो पहले एक गिरमिटिया मज़दूर के रूप में फिजी गए थे। उन्होंने अवध में तालुकदारों और ज़मींदारों के खिलाफ एक किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने लगान कम करने, बेगार को समाप्त करने और ज़मींदारों के बहिष्कार की मांग की।
- चंपारण आंदोलन (1917-18)- बिहार के चंपारण ज़िले के नील के बागानों में यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसानों का अत्यधिक उत्पीड़न किया गया और उन्हें अपनी ज़मीन के कम-से-कम 3/20वें हिस्से पर नील उगाने तथा बागान मालिकों द्वारा निर्धारित कीमतों पर बेचने के लिये मज़बूर किया गया था। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी चंपारण पहुँचे और चंपारण छोड़ने हेतु ज़िला अधिकारी द्वारा दिये गए आदेशों की अवहेलना की।
- खेड़ा में किसान आंदोलन (1918) - यह मुख्य रूप से सरकार के खिलाफ निर्देशित था। 1918 में गुजरात के खेड़ा ज़िले में फसलें विफल हो गईं, लेकिन सरकार ने भू-राजस्व में छूट देने से इनकार कर दिया और राजस्व के पूर्ण संग्रह पर ज़ोर दिया। गांधीजी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किसानों का समर्थन किया और उन्हें सलाह दी कि जब तक उनकी छूट की मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक वे राजस्व का भुगतान रोक दें।
- मोपला विद्रोह (1921) - मोपला मुस्लिम काश्तकार थे जो मालाबार क्षेत्र में निवास करते थे जहाँ अधिकांश ज़मींदार हिंदू थे। उनकी शिकायतें कार्यकाल की सुरक्षा की कमी, उच्च किराया, नवीनीकरण शुल्क और अन्य दमनकारी वसूली पर केंद्रित थीं। बाद में मोपला आंदोलन का विलय खिलाफत आंदोलन में हो गया।
- बारदोली सत्याग्रह (1928) - यह स्वतंत्रता संग्राम में बारदोली के किसानों के लिये अन्यायपूर्ण करों के खिलाफ सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक आंदोलन था।

आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की धीमी गति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के तहत विशेषज्ञों के एक समूह ने त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिये आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों की धीमी गति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission-NHRC) एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्तूबर, 1993 को की गई थी, जिसे बाद में 2006 में संशोधित किया गया।

प्रमुख बिंदु

भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली :

- आपराधिक न्याय प्रणाली का तात्पर्य सरकार की उन एजेंसियों से है जो कानून लागू करने, आपराधिक मामलों पर निर्णय देने और आपराधिक आचरण में सुधार करने हेतु कार्यरत हैं।
- वास्तव में आपराधिक न्याय प्रणाली सामाजिक नियंत्रण का एक साधन होती है।
- आपराधिक न्याय प्रणाली सुधारों में आमतौर पर सुधारों के तीन सेट शामिल हैं जैसे- न्यायिक सुधार, जेल सुधार, पुलिस सुधार।

- उद्देश्य :
  - आपराधिक घटनाओं को रोकना।
  - अपराधियों और दोषियों को दंडित करना।
  - अपराधियों और दोषियों का पुनर्वास।
  - पीड़ितों को यथासंभव मुआवज़ दिलाना।
  - समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना।
  - अपराधियों को भविष्य में कोई भी आपराधिक कृत्य करने से रोकना।

भारत में आपराधिक न्यायशास्त्र के लिये कानूनी ढाँचा :

- भारतीय दंड संहिता (IPC) भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता है। इसे 1860 में लॉर्ड थॉमस बैबिंग्टन मैकाले की अध्यक्षता में 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 में स्थापित भारत के पहले विधि आयोग की सिफारिशों पर तैयार किया गया था।
- आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्यवन के लिये मुख्य कानून है। यह वर्ष 1973 में पारित हुआ तथा 1 अप्रैल, 1974 से लागू हुआ।

आपराधिक न्याय प्रणाली संबंधी मुद्दे :

- बड़े पैमाने पर लंबित मामले : उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और ज़िला अदालतों में लगभग 4.4 करोड़ मामले (Cases) लंबित थे।
- विचाराधीन कैदियों की उच्च संख्या : सबसे अधिक विचाराधीन कैदियों के मामले में भारत, विश्व के प्रमुख देशों में से एक है। यह अनुभव किया गया कि मामलों के निपटारे में देरी के परिणामस्वरूप विचाराधीन और दोषी कैदियों के मामलों से संबंधित अन्य व्यक्तियों के मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है।
- पुलिस सुधारों में देरी : पुलिस सुधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद ज़मीनी स्तर पर शायद ही कोई परिवर्तन हुआ हो।
  - न्याय के त्वरित और पारदर्शी वितरण में भ्रष्टाचार, वर्कलोड तथा पुलिस की जवाबदेही एक बड़ी बाधा है।
- औपनिवेशिक युग के कानून : भारत में आपराधिक कानूनों का संहिताकरण ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था, जो आमतौर पर 21वीं सदी में भी वैसा ही बना हुआ है।

सुझावः

- आईपीसी में कुछ प्रावधानों को हटाया जा सकता है और 'अपकृत्य विधि' (Law of Torts) के तहत निवारण हेतु छोड़ दिया जा सकता है, जैसा कि इंग्लैंड में है।
- दस्तावेज़ों के डिजिटलीकरण से जाँच और परीक्षण में तेज़ी लाने में मदद मिलेगी।
- पुलिसकर्मियों के बीच कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, एक क्षेत्र में शिकायतों की संख्या के अनुपात में पुलिसकर्मियों और स्टेशनों की संख्या में वृद्धि करना तथा आपराधिक न्याय प्रणाली में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं एवं मनोवैज्ञानिकों को शामिल करना।
- पीड़ित के अधिकारों और स्मार्ट पुलिसिंग पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। पुलिस अधिकारियों की दोषसिद्धि की दर तथा उनके द्वारा कानून का पालन न करने की दर का अध्ययन करने की आवश्यकता है।
- मलिमथ समिति (2000) की सिफारिशों का कार्यान्वयन।

मलिमथ समिति (2000) की सिफारिशों का कार्यान्वयन।

- अभियुक्तों के अधिकार: समिति ने सुझाव दिया कि संहिता की एक अनुसूची सभी क्षेत्रीय भाषाओं में लाई जाए ताकि अभियुक्त को अपने अधिकारों के बारे में पता हो, साथ ही यह भी कि उन्हें कैसे लागू किया जाए और उन अधिकारों से वंचित होने पर किससे संपर्क किया जाए।
- पुलिस जाँच: समिति ने कानून और व्यवस्था से जाँच विंग को अलग करने का सुझाव दिया।
- न्यायालय और न्यायाधीश: रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात 10.5 प्रति मिलियन जनसंख्या है, जबकि दुनिया के कई हिस्सों में प्रति मिलियन जनसंख्या पर 50 न्यायाधीश हैं।
  - इसने न्यायाधीशों और न्यायालयों की ताकत बढ़ाने का सुझाव दिया।

नोट :

- गवाह संरक्षण: इसने अलग गवाह संरक्षण कानून का सुझाव दिया ताकि गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और उनसे सम्मान के साथ व्यवहार किया जा सके।
- न्यायालय के अवकाश: इसने लंबे समय से लंबित मामलों के कारण अदालत की छुट्टियों को कम करने की सिफारिश की।

डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज 5.0

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्कृष्टता के लिये नवाचार - रक्षा नवाचार संगठन (iDEX-DIO) के अंतर्गत डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज (DISC) का 5वाँ संस्करण लॉन्च किया।

- DISC 5.0 के अंतर्गत सेवाओं और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का अनावरण किया गया, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:
- सिचुएशनल अवेयरनेस, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एयरक्राफ्ट ट्रेनर, नॉनलेथल डिवाइस, 5G नेटवर्क, अंडरवाटर डोमेन अवेयरनेस, ड्रोन SWARMS और डेटा कैप्चरिंग।

रक्षा उत्कृष्टता के लिये नवाचार

रक्षा उत्कृष्टता के लिये नवाचार के विषय में:

- इसे वर्ष 2018 में भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिये तकनीकी रूप से उन्नत समाधान प्रदान करने हेतु नवप्रवर्तनकर्त्ताओं और उद्यमियों को शामिल कर रक्षा एवं एयरोस्पेस में नवाचार तथा प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने को एक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में लॉन्च किया गया था।
- यह MSMEs, स्टार्ट-अप्स, व्यक्तिगत इनोवेटर, शोध एवं विकास संस्थानों और अकादमियों को अनुसंधान एवं विकास के लिये अनुदान प्रदान करता है।
- इसको "रक्षा नवाचार संगठन" द्वारा वित्तपोषित और प्रबंधित किया जाता है।

मुख्य उद्देश्य:

- स्वदेशीकरण: नई, स्वदेशी और नवीन प्रौद्योगिकी का तेज़ी से विकास करना।
- नवाचार: सह-निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये स्टार्ट-अप के साथ जुड़ाव की संस्कृति बनाना।

प्रमुख बिंदु

डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज के विषय में:

- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा (National Defence and Security) के क्षेत्र में उत्पादों के प्रोटोटाइप/व्यावसायिक उत्पादों का निर्माण करने हेतु स्टार्ट-अप/MSMEs/इनोवेटर्स का समर्थन करना है।
- आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करने और रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्रों में नवाचार प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना।
- इसे रक्षा मंत्रालय द्वारा अटल इनोवेशन मिशन (Atal Innovation Mission) के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया था।
- कार्यक्रम के अंतर्गत स्टार्ट-अप, भारतीय कंपनियाँ और व्यक्तिगत नवप्रवर्तनकर्त्ता (अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों सहित) भाग ले सकते हैं।
- DISC 5.0 भारत की रक्षा प्रौद्योगिकियों, उपकरण डिज़ाइन और विनिर्माण क्षमताओं को विकसित करने के लिये स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।

दृष्टिकोण:

- प्रोटोटाइपिंग: राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये प्रासंगिक उत्पादों/प्रौद्योगिकियों के कार्यात्मक प्रोटोटाइप बनाने में मदद करना और भारतीय रक्षा क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ने हेतु नवाचारों को बढ़ावा देना।
- व्यावसायीकरण: भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान के रूप में नए तकनीकी उत्पादों/ प्रौद्योगिकियों के लिये एक बाज़ार और शुरुआती ग्राहक खोजने में मदद करना।

महत्त्व:

- यह युवाओं, शिक्षाविदों, अनुसंधान एवं विकास, स्टार्ट-अप और सशस्त्र बलों के बीच एक कड़ी बनाता है।
- ये चुनौतियाँ स्टार्ट-अप्स को नवीन अवधारणाओं के प्रति अधिक अभ्यस्त होने और भारत के नवोदित उद्यमियों में रचनात्मक सोच के दृष्टिकोण को विकसित करने के लिये प्रोत्साहित करेंगी।

रक्षा क्षेत्र का स्वदेशीकरण

परिचय:

- स्वदेशीकरण का तात्पर्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और आयात के बोझ को कम करने के दोहरे उद्देश्य हेतु देश के भीतर किसी भी रक्षा उपकरण के विकास एवं उत्पादन की क्षमता विकसित करना है।
  - रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता रक्षा उत्पादन विभाग के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।
- रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (DRDO), रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (DPSUs), आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) और निजी संगठन रक्षा उद्योगों के स्वदेशीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
- रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 तक रक्षा निर्माण में 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कारोबार का लक्ष्य रखा है जिसमें 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सैन्य हार्डवेयर का निर्यात लक्ष्य शामिल है।

स्वदेशीकरण की आवश्यकता:

राजकोषीय घाटा कम करना:

- भारत दुनिया में (सऊदी अरब के बाद) दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है।
- उच्च आयात निर्भरता से राजकोषीय घाटे में वृद्धि होती है।

अनिवार्य सुरक्षा:

- राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये भी स्वदेशीकरण महत्त्वपूर्ण है।
- यह तकनीकी विशेषज्ञता को बरकरार रखता है और स्पिन-ऑफ प्रौद्योगिकियों एवं नवाचार को प्रोत्साहित करता है जो कि अक्सर इससे उत्पन्न होते हैं।

रोज़गार सृजन:

- रक्षा निर्माण से सैटेलाइट उद्योगों का निर्माण होगा जो बदले में रोज़गार के अवसरों के सृजन का मार्ग प्रशस्त करेगा।

सामरिक क्षमता:

- आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग भारत को शीर्ष वैश्विक शक्तियों में स्थान देगा।
- रक्षा उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन से राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना बढ़ेगी, जो बदले में न केवल भारतीय बलों के विश्वास को बढ़ावा देगी बल्कि उनमें अखंडता और संप्रभुता की भावना को भी मज़बूत करेगी।

रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण की चुनौतियाँ:

- निजी भागीदारी का अभाव:
  - रक्षा निर्माण केवल DRDO और रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों पर निर्भर रहा है।
  - हाल ही में निजी क्षेत्र को भागीदारी की अनुमति दी गई है।
- विशेषज्ञता की कमी:
  - केवल नौसेना में वास्तुकारों को IIT के माध्यम से भर्ती किया गया था और उन्हें विदेशों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।
  - हालाँकि थल सेना और वायु सेना के पास ऐसा क्षमता निर्माण कार्यक्रम नहीं है।

- विनिर्माण में बाधाएँ:
  - नौकरशाही बाधाएँ, राजनीतिक बाधाएँ, मानव और तकनीकी संसाधनों की कमी, समय पर डिलीवरी का अभाव।
- अक्षम बजट:
  - अधिकांश रक्षा बजट वेतन, भत्तों और उपकरणों के रखरखाव में व्यय होता है।
- भ्रष्टाचार:
  - हथियारों की बिक्री और लॉबिंग ने रक्षा खर्च की दक्षता और प्रभावशीलता को कम कर दिया।
- तालमेल की कमी:
  - सरकारी धन की कमी और खराब उद्योग-अकादमिक सहयोग के कारण शिक्षा, सैन्य और शोध क्षेत्र के बीच समन्वय का अभाव।

अन्य संबंधित पहल:

- प्रथम नकारात्मक स्वदेशीकरण :
  - अगस्त 2020 में सरकार ने घोषणा की कि भारत 2024 तक 101 हथियारों और सैन्य प्लेटफ़ार्मों, जैसे-सैन्य परिवहन विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, पारंपरिक पनडुब्बी, क्रूज़ मिसाइल और सोनार सिस्टम के आयात को रोक देगा।
- सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची:
  - यह 108 सैन्य हथियारों और अगली पीढ़ी के कॉर्वेट, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (AEW&C) सिस्टम, टैंक इंजन और रडार जैसी प्रणालियों पर आयात प्रतिबंध लगाता है।
  - इसे दिसंबर 2021 से दिसंबर 2025 तक प्रभावी रूप से लागू करने की योजना है।
- रक्षा क्षेत्र में नई एफडीआई नीति:
  - मई 2020 में सरकार ने रक्षा क्षेत्र के लिये एक नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को मंज़ूरी दी है, इस नीति में ऑटोमैटिक रूट के तहत रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment- FDI) की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है।
- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020:
  - इसमें तटरक्षक बल सहित सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिये रक्षा मंत्रालय के पूंजीगत बजट से खरीद और अधिग्रहण हेतु नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं।
- रक्षा औद्योगिक गलियारे:
  - रक्षा गलियारे एक सुनियोजित और कुशल औद्योगिक आधार की सुविधा प्रदान करेंगे जिससे देश में रक्षा उत्पादन में वृद्धि होगी।

आगे की राह

- निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना आवश्यक है क्योंकि यह स्वदेशी रक्षा उद्योग के आधुनिकीकरण के लिये अधिक कुशल और प्रभावी प्रौद्योगिकी तथा मानव पूंजी का संचार कर सकता है।
- तीनों सेवाओं के बीच इन-हाउस डिज़ाइन क्षमता में सुधार किया जाना चाहिये, नौसेना ने स्वदेशीकरण के पथ पर अच्छी तरह से प्रगति की है, मुख्य रूप से इन-हाउस डिज़ाइन क्षमता, नौसेना डिज़ाइन ब्यूरो के कारण।
- सरकार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) को एक स्वायत्त दर्जा प्रदान कर सकती है जिससे निजी क्षेत्र को उप-अनुबंधों की इकाई में सुधार होगा और निजी क्षेत्रों में भी विश्वास पैदा होगा।

पीएम कुसुम और रूफटॉप सोलर कार्यक्रम फेज़-II

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय (MNRE) ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना और रूफटॉप सोलर कार्यक्रम फेज़- II के कार्यान्वयन की समीक्षा की तथा इसके विस्तार के उपायों से संबंधित सुझाव दिया है।

प्रमुख बिंदु

पीएम-कुसुम:

- ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ-ग्रिड सौर पंपों की स्थापना का समर्थन करने और ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों में ग्रिड पर निर्भरता को कम करने के लिये 2019 में एमएनआरई द्वारा पीएम-कुसुम योजना शुरू की गई थी।
- इस योजना का उद्देश्य किसानों को अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने और इसे ग्रिड को बेचने में सक्षम बनाना है।
- वर्ष 2020-21 के बजट में सरकार ने 20 लाख किसानों को स्टैंडअलोन सोलर पंप स्थापित करने हेतु सहायता के साथ योजना के दायरे का विस्तार किया तथा अन्य 15 लाख किसानों को उनके ग्रिड से जुड़े पंप सेटों को सोलराइज़ करने हेतु मदद की जाएगी।

पीएम-कुसुम योजना के लाभ:

- किसानों की मदद करना:
  - यह सिंचाई गतिविधियों के लिये दिन में बिजली का विश्वसनीय स्रोत प्रदान कर किसानों के लिये जल-सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
  - यह किसानों को अधिशेष सौर ऊर्जा राज्यों को बेचने के लिये भी प्रोत्साहित करती है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।
- पर्यावरण संरक्षण:
  - यदि किसान अधिशेष बिजली बेचने में सक्षम होंगे, तो उन्हें बिजली बचाने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा और बदले में भूजल का उचित और कुशल उपयोग होगा।
  - साथ ही विकेंद्रीकृत सौर-आधारित सिंचाई प्रदान करना और प्रदूषणकारी डीज़ल से मुक्त सिंचाई कवर का विस्तार करना।
- डिस्कॉम की मदद करना:
  - चूँकि किसान सब्सिडी वाली बिजली पर कम निर्भर होंगे, पीएम-कुसुम योजना कृषि क्षेत्र पर सब्सिडी के बोझ को कम करके बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय सशक्तीकरण का समर्थन करेगी।
  - RPO (नवीकरणीय खरीद दायित्व) लक्ष्यों को पूरा करने में उनकी सहायता करना।
- सहयोग:
  - विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देती है और पारेषण हानियों को कम करती है।
  - यह सिंचाई के लिये सब्सिडी परिव्यय को कम करने का एक संभावित तरीका है।

रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज़ II के विषय में:

- इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक रूफटॉप सौर परियोजनाओं से 40,000 मेगावाट की संचयी क्षमता हासिल करना है।
- ग्रिड से जुड़े रूफटॉप या छोटे सोलर वोल्टाइक पैनल सिस्टम में सोलर वोल्टाइक पैनल से उत्पन्न डीसी पावर को पावर कंडीशनिंग यूनिट का उपयोग करके एसी पावर में परिवर्तित किया जाता है।
- यह योजना राज्यों में वितरण कंपनियों (DISCOMs) द्वारा लागू की जा रही है।
- MNRE पहले 3 किलोवाट के लिये 40% सब्सिडी और 3 किलोवाट से अधिक तथा सौर पैनल क्षमता के 10 किलोवाट तक 20% सब्सिडी प्रदान कर रहा है।

रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के उद्देश्य:

- आवासीय, सामुदायिक, संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के बीच ग्रिड से जुड़े SPV रूफटॉप और छोटे SPV बिजली उत्पादन संयंत्रों को बढ़ावा देना।
- जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन पर निर्भरता को कम करना और पर्यावरण के अनुकूल सौर बिजली उत्पादन को प्रोत्साहित करना।
- निजी क्षेत्र, राज्य सरकार और व्यक्तियों द्वारा सौर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिये एक सक्षम वातावरण बनाना।
- छत और छोटे संयंत्रों से ग्रिड तक सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिये एक सक्षम वातावरण बनाना।
  - रूफटॉप सोलर लगाने से घरों में बिजली की खपत कम होगी और बिजली खर्च की बचत होगी।

नोट :

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये अन्य योजनाएँ

- अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क के विकास के लिये योजना: यह मौजूदा सौर पार्क योजना के तहत अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क (UMREPPs) विकसित करने की एक योजना है।
- राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति 2018: इस नीति का मुख्य उद्देश्य पवन और सौर संसाधनों, बुनियादी ढाँचे और भूमि के इष्टतम व कुशल उपयोग के लिये ग्रिड कनेक्टेड विंड-सोलर पीवी सिस्टम (Wind-Solar PV Hybrid Systems) को बढ़ावा देने हेतु एक रूपरेखा प्रस्तुत करना है।
- अटल ज्योति योजना (AJAY): AJAY योजना को सितंबर 2016 में ग्रिड पावर (2011 की जनगणना के अनुसार) में 50% से कम घरों वाले राज्यों में सौर स्ट्रीट लाइटिंग (Solar Street Lighting- SSL) सिस्टम की स्थापना के लिये शुरू किया गया था।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) : ISA, भारत की एक पहल है जिसे 30 नवंबर, 2015 को पेरिस, फ्राँस में भारत के प्रधानमंत्री और फ्राँस के राष्ट्रपति द्वारा पार्टियों के सम्मेलन (COP-21) में शुरू किया गया था। इस संगठन के सदस्य देशों में वे 121 सौर संसाधन संपन्न देश शामिल हैं जो पूर्ण या आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा के मध्य स्थित हैं।
- वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड (OSOWOG): यह वैश्विक सहयोग को सुविधाजनक बनाने हेतु एक रूपरेखा पर केंद्रित है, जो परस्पर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों (मुख्य रूप से सौर ऊर्जा) के वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर उसे साझा करता है।
- राष्ट्रीय सौर मिशन (जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में राष्ट्रीय कार्ययोजना का एक हिस्सा)।
- सूर्यमित्र कौशल विकास कार्यक्रम: इसका उद्देश्य सौर प्रतिष्ठानों की निगरानी हेतु ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है।

राज्य विभाजन और आरक्षण की व्यवस्था

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि एक अविभाजित राज्य में आरक्षित श्रेणी से संबंधित व्यक्ति उत्तराधिकारी राज्यों में से किसी एक में आरक्षण के लाभ का दावा करने का हकदार है।

- झारखंड के एक निवासी (अनुसूचित जाति) द्वारा वर्ष 2007 की 'राज्य सिविल सेवा परीक्षा' में नियुक्ति से इनकार करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के बाद यह निर्णय लिया गया है।
- बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत संसद द्वारा पारित एक नया राज्य, झारखंड बिहार के एक हिस्से के रूप में बनाया गया था।
  - भारतीय संविधान का अनुच्छेद-3 संसद को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के परिवर्तन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है।

प्रमुख बिंदु

आरक्षण

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मुताबिक, आरक्षित वर्ग से संबंधित व्यक्ति बिहार या झारखंड के उत्तराधिकारी राज्यों में से किसी एक में आरक्षण के लाभ का दावा करने का हकदार है।
- हालाँकि वह दोनों राज्यों में एक साथ आरक्षण के लाभ का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद-341(1) और 342(1) के विरुद्ध है।
  - अनुच्छेद-341: राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में और जहाँ राज्य है वहाँ राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों अथवा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के हिस्सों को विनिर्दिष्ट कर सकता है जिन्हें संविधान के प्रयोजन के लिये यथास्थिति उस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जातियाँ समझा जाएगा।
  - अनुच्छेद- 342: राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में और जहाँ राज्य है वहाँ उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के हिस्सों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिये राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजातियाँ समझा जाएगा।

अन्य राज्य प्रवासी:

- आरक्षित वर्ग के सदस्य जो उत्तरवर्ती बिहार राज्य के निवासी हैं, झारखंड में खुले चयन में भाग लेने के दौरान उन्हें प्रवासी माना जाएगा और वे आरक्षण के लाभ का दावा किये बिना इसके विपरीत सामान्य श्रेणी में भाग ले सकते हैं।

भारत में आरक्षण को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान

- भाग XVI केंद्र और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित है।
- संविधान का अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) राज्य और केंद्र सरकार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिये सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने में सक्षम बनाता है।
- संविधान (77वाँ संशोधन) अधिनियम, 1995 द्वारा संविधान में संशोधन किया गया और सरकार को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिये अनुच्छेद 16 में एक नया खंड (4A) जोड़ा गया।
- बाद में आरक्षण देकर पदोन्नत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने के लिये संविधान (85वाँ संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा खंड (4A) को संशोधित किया गया था।
- संविधान 81वाँ संशोधन अधिनियम, 2000 में अनुच्छेद 16 (4 B) सम्मिलित किया गया है इस संशोधन के तहत राज्यों को अधिकृत किया गया कि वह किसी वर्ष खाली पड़ी हुई आरक्षित सीटों को अलग से रिक्त सीटें माने तथा उन्हें अगले किसी वर्ष में भरे जाने की व्यवस्था करें। इस तरह की अलग से रिक्त पड़ी सीटों को उस वर्ष भरी जाने वाली सीटों, जो कि 50% आरक्षण की सीमा को पूरा करती हैं के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिये।
- अनुच्छेद 330 और 332 क्रमशः संसद व राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये सीटों के आरक्षण के माध्यम से विशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं।
- अनुच्छेद 243D प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये सीटों को आरक्षित करता है।
- अनुच्छेद 233T प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये सीटों का आरक्षण प्रदान करता है।
- संविधान का अनुच्छेद 335 कहता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावों को प्रशासन की प्रभावकारिता के रखरखाव के साथ लगातार ध्यान में रखा जाएगा।
- 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 ने केंद्र और राज्यों दोनों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में समाज के EWS (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) वर्ग को 10% आरक्षण प्रदान करने का अधिकार दिया।

जन शिक्षण संस्थान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जन शिक्षण संस्थान (JSS) ने केरल के नीलांबुर जंगल क्षेत्र के भीतर कुछ दूर-दराज़ की आदिवासी बस्तियों में हाई-स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था की है।

प्रमुख बिंदु

परिचय:

- JSS की योजना को पूर्व में श्रमिक विद्यापीठ के नाम से जाना जाता था, यह भारत सरकार की एक अनूठी योजना थी और इसे वर्ष 1967 से देश में गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के माध्यम से लागू किया गया था।
  - वर्ष 2000 में इस योजना का नाम बदलकर जन शिक्षण संस्थान (JSS) कर दिया गया।
- इसे जुलाई 2018 में शिक्षा मंत्रालय (तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय) से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।
- JSS न्यूनतम लागत और बुनियादी ढाँचे के साथ लाभार्थियों को उनके दरवाज़े पर व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कर लाभान्वित कर रहे हैं।

- JSS इस अर्थ में अद्वितीय हैं कि वे न केवल व्यावसायिक कौशल प्रदान करते हैं बल्कि इसमी जीवन कौशल को भी शामिल करते हैं जो लाभार्थी को दैनिक जीवन में मदद कर सकता है।
- वे अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य नहीं कर रहे हैं बल्कि विभिन्न विभागों के साथ कन्वर्जेंस प्रोग्राम भी चला रहे हैं।
  - वर्तमान में 25 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में 233 जन शिक्षण संस्थान कार्य कर रहे हैं।
  - लाभार्थियों का वार्षिक कवरेज लगभग 4 लाख है जिसमें 85% महिलाएँ हैं।

शासनादेश:

- गैर-साक्षर, नव-साक्षर, 8वीं तक की प्राथमिक शिक्षा और 15-45 वर्ष के आयु वर्ग में 12वीं कक्षा तक स्कूल छोड़ने वाले व्यक्तियों को अनौपचारिक मोड में व्यावसायिक कौशल प्रदान करना।
- प्राथमिकता समूह में महिलाएँ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और समाज के अन्य पिछड़े वर्ग शामिल हैं।

कार्यान्वयन:

- इसे भारत सरकार के 100% अनुदान के साथ गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। JSS सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत हैं।
- जन शिक्षण संस्थान के मामलों का प्रबंधन भारत सरकार द्वारा अनुमोदित संबंधित प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाता है।

JSS का कार्य-क्षेत्र:

- व्यावसायिक तत्त्वों, सामान्य जागरूकता और जीवन संवर्द्धन घटकों को शामिल करते हुए उपयुक्त पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करना।
- JSS को प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान और महानिदेशक, रोज़गार एवं प्रशिक्षण द्वारा डिज़ाइन किये गए पाठ्यक्रमों के समकक्ष प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।
- प्रशिक्षण आयोजित करने के लिये संसाधन संपन्न व्यक्तियों और मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- सरल परीक्षण और पुरस्कार प्रमाण-पत्र प्रशासित करना।
- प्रशिक्षुओं के लिये उपयुक्त प्लेसमेंट हेतु नियोक्ताओं और उद्योगों के साथ नेटवर्क स्थापित करना।

नैतिक पुलिसिंग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केरल में एक 23 वर्षीय व्यक्ति पर हमले के मामले में पुलिस ने पाँच किशोरों को गिरफ्तार किया। यह हमला भारत में नैतिक पुलिसिंग के बढ़ते उदाहरणों में से एक है।

प्रमुख बिंदु

- परिभाषा: नैतिक पुलिसिंग का सामान्यत: अर्थ एक ऐसी प्रणाली से है जहाँ हमारे समाज के बुनियादी मानकों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी निगरानी और प्रतिबंध लगाया जाता है।
  - हमारे समाज का बुनियादी स्तर इसकी संस्कृतियों, सदियों पुराने रीति-रिवाजों और धार्मिक सिद्धांतों में पाया जा सकता है।
  - यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ इस घटना की वकालत करने वाले व्यक्ति के नैतिक चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं।

नैतिक पुलिसिंग की अभिव्यक्तियाँ:

- मॉब लिंचिंग: लिंचिंग, हिंसा का एक रूप है जिसमें भीड़ बिना मुकदमे के न्याय के बहाने अपराधी को अक्सर यातना देने और शारीरिक अंग-भंग करने के बाद मार देती है।
- गोरक्षा: गोरक्षा के नाम पर लिंचिंग राष्ट्र की धर्मनिरपेक्षता के लिये गंभीर खतरा है।
  - सिर्फ बीफ के शक में लोगों की हत्या करना असहिष्णुता को दर्शाता है।

नोट :

- सांस्कृतिक आतंकवाद: एंटी रोमियो स्क्वॉड जैसे कार्यकर्त्ता शारीरिक हिंसा के माध्यम से अपने व्यक्तिपरक विश्वास को थोपते हैं।
- ऑनर किलिंग: यह नैतिक पुलिसिंग के चरम मामलों में से एक है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण करके पश्चिमी प्रभावों को कम करता है।
- मौलिक अधिकारों पर प्रभाव: कई बार ऐसा होता है जब 'नैतिक पुलिसिंग' संविधान में निहित नागरिक के मौलिक अधिकारों जैसे- भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार, गरिमा के साथ जीने का अधिकार आदि में बाधा डालती है।
  - उदाहरण के लिये नैतिक पुलिसिंग के कारण LGBT समुदाय को अत्यधिक दुष्परिणामों का सामना करना पड़ता है और इससे उनके जीवन एवं स्वतंत्रता के मूल अधिकार पर खतरा उत्पन्न होता है।

'नैतिक पुलिसिंग' को बढ़ावा देने वाले कारक:

- धार्मिक मूल्य: हिंदू धर्म में गायों की पूजा की जाती है, उन्हें जीवन के प्रतीक के रूप में देखा जाता हैऔर इस प्रकार उन्हें पूजा जाता है।
  - यह प्राय: गो-सतर्कता को बढ़ावा देता है, जो अल्पसंख्यकों के प्रति बहुसंख्यकों के बीच इस तथाकथित भावना को बढ़ावा देती है कि अल्पसंख्यक नियमित रूप से गोजातीय मांस का सेवन करते हैं।
- सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म: व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म नैतिक पुलिसिंग के लिये उत्प्रेरक का काम करते हैं, क्योंकि यह फर्जी खबरों के प्रसार को बढ़ा सकता है।
  - फेक न्यूज़ से लिंचिंग, सांप्रदायिक झड़प जैसी घटनाएँ बढ़ सकती हैं।
- पितृसत्ता: पितृसत्तात्मक मानसिकता वाले लोग महिलाओं की सुरक्षा को अपना कर्तव्य मानते हैं, क्योंकि उन्हें कमज़ोर के रूप में देखा जाता है।
  - इसके कारण प्राय: महिलाओं पर भाषण, कपड़े और सार्वजनिक व्यवहार आदि के मामले में प्रतिबंध लगाए जाते हैं।
- पुलिस द्वारा अतिक्रमण: पुलिस एक सार्वजनिक संगठन है जिसे बल प्रयोग करने के लिये असाधारण शक्तियाँ दी जाती हैं। इससे पुलिस कभी-कभी अपनी शक्तियों का अतिक्रमण कर लेती है। उदाहरण के लिये:
  - भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 292 अगर अश्लील मानी जाती है तो किताबों और पेंटिंग जैसी सामग्री को अपराध घोषित कर दिया जाता है। हालाँकि अश्लीलता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।
    - हालाँकि पुलिसकर्मी धारा 292 का उपयोग फिल्म पोस्टर और विज्ञापन होर्डिंग्स के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिये करते हैं जिन्हें अश्लील माना जाता है। यह कलात्मक रचनात्मकता को कमज़ोर करता है तथा कलाकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करता है।
  - अनैतिक यातायात (रोकथाम) अधिनियम (PITA) मूल रूप से मानव तस्करी को रोकने के लिये पारित किया गया था।
    - इसका उपयोग पुलिस द्वारा उचित सबूत के बिना होटलों पर छापे मारने के लिये किया जाता है यदि उन्हें संदेह है कि वहाँ सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है, जिससे कानूनी जोड़ों (Legal Couples) और युवाओं को शर्मिंदगी होती है।

आगे की राह

- आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार: आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि प्रशासन में संवैधानिक मूल्यों के बारे में संवेदनशीलता और जागरूकता पैदा हो सके।
  - आपराधिक न्याय प्रणाली सुधारों में आमतौर पर सुधारों के तीन सेट शामिल हैं जैसे- न्यायिक सुधार, जेल सुधार, पुलिस सुधार।
- सार्वजनिक चर्चा: विभिन्न नैतिक पुलिसिंग के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने के लिये स्कूलों तथा कॉलेजों में सार्वजनिक चर्चा व वाद-विवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

हिंदुस्तान-228 सिविल एयरक्राफ्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने एक वाणिज्यिक विमान "हिंदुस्तान-228" (Do-228) का सफल ग्राउंड रन (Ground Run) और लो स्पीड टैक्सी (Low Speed Taxi) परीक्षण किया।

- एचएएल, उड़ान (UDAN- उड़े देश का आम नागरिक) योजना को बढ़ावा देने के लिये नागरिक विमानों का निर्माण कर रहा है। केंद्र सरकार का लक्ष्य उड़ान योजना के अंतर्गत 1,000 नए हवाई मार्ग एवं 100 नए हवाई अड्डे स्थापित करना है।
- एचएएल सार्वजनिक क्षेत्र की विमान निर्माण कंपनी है। इसने भारतीय वायु सेना (IAF) के लिये हल्के लड़ाकू विमान (LCA) का भी निर्माण किया है।

प्रमुख बिंदु

हिंदुस्तान-228 के विषय में:

- राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला (NAL) में 14 सीटर सारस विमान विकास कार्यक्रम को वर्ष 2009 में स्थगित किये जाने के बाद यह भारत में छोटा नागरिक परिवहन विमान विकसित करने की दिशा में पहला बड़ा प्रयास है।
  - हालाँकि राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला उड़ान के लिये सारस एमके-2 (19-सीटर विमान) विमान को विकसित कर रहा है, क्योंकि इसमें "अकुशल", "अर्द्ध-निर्मित" और "बिना पक्की हवाई पट्टियों" में कार्य करने की क्षमता है।
- यह रक्षा बलों द्वारा उपयोग किये जाने वाले जर्मन डोर्नियर 228 रक्षा परिवहन विमान के मौजूदा फ्रेम पर बनाया गया है।
- उड़ान योजना के अंतर्गत लॉन्च एचएएल द्वारा निर्मित दो सिविल डीओ-228 का अधिकतम वज़न 6200 किलोग्राम है।
- यह एक डिजिटल कॉकपिट (वायुयान में चालक-कक्ष) से लैस है जो अधिक सटीक रीडिंग, सटीक जानकारी और फीडबैक के साथ आवश्यक डेटा प्रदर्शन तथा आपात स्थिति में पायलटों को सतर्क करने के लिये स्वत: जाँच क्षमता सुनिश्चित करेगा।
- यह एक बहुउद्देश्यीय उपयोगिता वाला विमान माना जाता है जो वीआईपी परिवहन, यात्री परिवहन, एयर एम्बुलेंस, निरीक्षण, क्लाउड सीडिंग, पैरा जंपिंग, हवाई निगरानी, फोटोग्राफी, रिमोट सेंसिंग और कार्गो परिवहन जैसी मनोरंजक गतिविधियों के लिये उपयोग किया जा सकता है।
- यह विमान 428 किमी. प्रति घंटे की अधिकतम क्रूज़ गति और 700 किमी. प्रति घंटे की रेंज के साथ रात में उड़ान भरने में सक्षम है।
- एचएएल इस विमान को नेपाल जैसे देशों को निर्यात करने पर भी विचार कर रहा है।

उड़ान योजना:

- 'उड़े देश का आम नागरिक' (उड़ान) योजना को वर्ष 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। उड़ान योजना देश में क्षेत्रीय विमानन बाज़ार विकसित करने की दिशा में एक नवोन्मेषी कदम है।
  - छोटे नागरिक विमानों को 'उड़ान योजना' का एक अनिवार्य घटक माना जाता है।
- इस योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय मार्गों पर किफायती तथा आर्थिक रूप से व्यवहार्य और लाभदायक उड़ानों की शुरुआत करना है, ताकि छोटे शहरों में भी आम आदमी के लिये सस्ती उड़ानें शुरू की जा सकें।
- इस योजना के तहत मौजूदा हवाई-पट्टी और हवाई अड्डों के पुनरुद्धार के माध्यम से देश के गैर-सेवारत एवं कम उपयोग होने वाले हवाई अड्डों को कनेक्टिविटी प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। यह योजना 10 वर्षों की अवधि के लिये संचालित की जाएगी।
  - कम उपयोग होने वाले हवाई अड्डे वे हैं, जहाँ एक दिन में एक से अधिक उड़ान नहीं भरी जाती, जबकि गैर-सेवारत हवाई अड्डे वे हैं जहाँ से कोई भी उड़ान नहीं भारी जाती है।
- चयनित एयरलाइनों को केंद्र, राज्य सरकारों और हवाई अड्डा संचालकों द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, ताकि वे गैर-सेवारत और कम उपयोग होने वाले हवाई अड्डों पर सस्ती उड़ानें उपलब्ध करा सकें।
- अब तक उड़ान योजना के तहत 5 हेलीपोर्ट्स और 2 वाटर एयरोड्रोम सहित 325 मार्गों एवं 56 हवाई अड्डों का परिचालन सुनिश्चित किया गया है।
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' (भारत@75) की शुरुआत के अवसर पर 'उड़ान 4.1' योजना के तहत लगभग 392 मार्गों को प्रस्तावित किया था।
  - 'उड़ान 4.1' विशेष हेलीकॉप्टर और सीप्लेन मार्गों के साथ छोटे हवाई अड्डों को जोड़ने पर केंद्रित है। सागरमाला सीप्लेन सेवाओं के तहत कुछ नए मार्ग प्रस्तावित किये गए हैं।
    - सागरमाला सी-प्लेन सेवा संभावित एयरलाइन ऑपरेटरों के साथ पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है।

क्रीमी लेयर निर्धारित करने के लिये मानदंड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरक्षण के दायरे से बाहर करने के उद्देश्य से पिछड़े वर्गों में से क्रीमी लेयर को तय करने के लिये आर्थिक मानदंड एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।

- सर्वोच्च न्यायालय उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें हरियाणा सरकार द्वारा क्रीमी लेयर के लिये मानदंड तय करते हुए पिछड़े वर्गों को पूरी तरह से आर्थिक आधार पर उप-वर्गीकृत करने वाली दो अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई थी।

प्रमुख बिंदु

- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय :
  - वर्ष 2000 में रिपोर्ट किये गए इंद्रा साहनी-द्वितीय मामले में दिये गए फैसले को आत्मसात किया गया। हरियाणा की अधिसूचनाओं ने केवल आय के आधार पर क्रीमी लेयर्स की पहचान करके इंद्र साहनी फैसले में घोषित कानून का उल्लंघन किया है।
  - 'क्रीमी लेयर' के बहिष्कार का आधार केवल आर्थिक नहीं हो सकता - सरकार किसी पिछड़े समुदाय के व्यक्ति को केवल इस आधार पर आरक्षण देने से इनकार नहीं कर सकती कि वह अमीर है।
    - सामाजिक उन्नति, सरकारी सेवाओं में उच्च रोज़गार आदि यह तय करने में समान भूमिका निभाते हैं कि क्या ऐसा व्यक्ति क्रीमी लेयर से संबंधित है और उसे कोटा लाभ से वंचित किया जा सकता है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि 'क्रीमी लेयर' में "पिछड़े वर्गों के व्यक्ति शामिल होंगे, जिन्होंने आईएएस, आईपीएस और अखिल भारतीय सेवाओं जैसी उच्च सेवाओं में पदभार ग्रहण कर लिया था, जो सामाजिक उन्नति और आर्थिक स्थिति के उच्च स्तर पर पहुँच गए थे और इसलिये पिछड़े वर्ग के रूप में व्यावहारिक रूप से आरक्षण पाने के हकदार नहीं थे।"
    - पर्याप्त आय वाले लोग जो दूसरों को रोज़गार देने की स्थिति में थे, उन्हें भी एक उच्च सामाजिक स्थिति में रखा जाना चाहिये और इसलिये उन्हें पिछड़े वर्ग से बाहर माना जाना चाहिये।
    - पिछड़े वर्ग के व्यक्ति जिनके पास उच्च कृषि जोत थी या जो एक निर्धारित सीमा से अधिक संपत्ति से आय प्राप्त कर रहे थे, वे आरक्षण के लाभ के पात्र नहीं हैं।
- क्रीमी लेयर :
  - यह एक अवधारणा है जो उस सीमा को निर्धारित करती है जिसके भीतर ओबीसी आरक्षण लाभ लागू होता है।
  - क्रीमी लेयर का सिद्धांत समानता के मौलिक अधिकार पर आधारित था। जब तक इसे लागू नहीं किया जाता, वास्तविक रूप से योग्य व्यक्ति आरक्षण तक नहीं पहुँच पाएगा।
  - बहिष्करण का आधार केवल आर्थिक नहीं होना चाहिये जब तक कि आर्थिक उन्नति का स्तर इतना अधिक न हो कि इसका अर्थ सामाजिक उन्नति हो।
    - जबकि किसी व्यक्ति की आय को उसकी सामाजिक उन्नति के माप के रूप में लिया जा सकता है, निर्धारित की जाने वाली सीमा ऐसी नहीं होनी चाहिये कि एक हाथ से जो दिया जाता है उसे दूसरे हाथ से ले लिया जाए।
    - आय सीमा ऐसी होनी चाहिये जो सामाजिक उन्नति का अर्थ और संकेत दे।
- केंद्र सरकार द्वारा परिभाषित क्रीमी लेयर:
  - कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने कुछ रैंक/स्थिति/आय के लोगों की विभिन्न श्रेणियों को सूचीबद्ध किया है जिनके बच्चे OBC आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
    - आय: जो सरकार में नहीं हैं, उनके लिये मौजूदा सीमा 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष है।
    - आय सीमा हर तीन वर्ष में बढ़ाई जानी चाहिये।
    - इसे पिछली बार वर्ष 2017 में संशोधित किया गया था (अब तीन वर्ष से अधिक)।
    - माता-पिता की रैंक: सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिये सीमा उनके माता-पिता की रैंक पर आधारित होती है, न कि आय पर।

नोट :

- उदाहरण के लिये एक व्यक्ति को क्रीमी लेयर के अंतर्गत माना जाता है यदि उसके माता-पिता में से कोई एक संवैधानिक पद पर हो, यदि माता-पिता को सीधे ग्रुप-A में भर्ती किया गया है या यदि माता-पिता दोनों ग्रुप-B सेवाओं में हैं।
- यदि माता-पिता 40 वर्ष की आयु से पहले पदोन्नति के माध्यम से ग्रुप-A में प्रवेश करते हैं, तो उनके बच्चे क्रीमी लेयर में शामिल होंगे।
- सेना में कर्नल या उच्च पद के अधिकारी के बच्चे और नौसेना तथा वायु सेना में समान रैंक के अधिकारियों के बच्चे भी क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही अन्य कई मानदंड भी मौजूद हैं।

- OBC से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:
  - भारतीय संविधान के अनुसार, अनुच्छेद 15 (4), 15 (5) और 16 (4) राज्य सरकार को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) की सूची घोषित करने और पहचान करने की शक्ति प्रदान करते हैं। भारत में केंद्र और प्रत्येक राज्य द्वारा अलग-अलग OBC सूचियाँ तैयार की जाती हैं।
  - रोहिणी आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत अक्तूबर 2017 में किया गया था।
    - इसका गठन केंद्रीय OBC सूची में 5000 विषम जातियों को उप-वर्गीकृत करने के कार्य को पूरा करने के लिये किया गया था।
  - 127वाँ संविधान संशोधन विधेयक 2021, SEBC की पहचान करने के लिये राज्यों की शक्ति को पुनर्स्थापित करता है, जिन्हें आमतौर पर OBC कहा जाता है।
    - मई में मराठा आरक्षण के अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 102वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को बरकरार रखने के बाद इसमें संशोधन की आवश्यकता थी।
    - वर्ष 2018 के 102वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा दिया और राष्ट्रपति को किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के लिये SEBC की सूची को अधिसूचित करने का अधिकार दिया।
    - संशोधन विधेयक अनुच्छेद 342 A (खंड 1 और 2) में संशोधन करता है और राज्यों को अपनी राज्य सूची बनाए रखने के लिये विशेष रूप से अधिकृत करने वाला एक नया खंड 342 A (3) पेश करेगा।
    - अनुच्छेद 366 (26C) और 338B (9) में एक परिणामी संशोधन होगा।
    - इस प्रकार राज्य NCBC को संदर्भित किये बिना सीधे SEBC को सूचित करने में सक्षम होंगे।

'निजता का अधिकार' और 'भूल जाने का अधिकार'

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक अभिनेत्री द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें उसकी सहमति के बिना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड किये गए वीडियो को हटाने का अनुरोध किया गया था।

- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि महिला के निजता के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिये।
- वहीं दूसरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने अपने 'प्रकाशित करने के अधिकार' का तर्क दिया है।

प्रमुख बिंदु

- निर्णय: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 'निजता के अधिकार' में 'भूल जाने का अधिकार' और 'अकेले रहने का अधिकार' भी शामिल है।
- निजता के अधिकार के बारे में: 'पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ' (वर्ष 2017) मामले में निजता के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार घोषित किया गया था।
  - 'निजता का अधिकार' संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जीवन का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आंतरिक हिस्से के रूप में और संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक हिस्से के रूप में संरक्षित है।
- 'भूल जाने के अधिकार' के विषय में: यह एक व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अपनी व्यक्तिगत जानकारी को इंटरनेट, सर्च, डेटाबेस, वेबसाइटों या किसी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से हटाने का अधिकार देता है, जब संबंधित व्यक्तिगत जानकारी आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह जाती है।

- ‘गूगल स्पेन मामले’ में ‘यूरोपीय संघ न्यायालय’ (CJEU) द्वारा वर्ष 2014 में दिये गए निर्णय के बाद से ‘भूल जाने के अधिकार’ का महत्त्व काफी अधिक बढ़ गया है।
- भारतीय संदर्भ में ‘पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ’ (2017) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ‘भूल जाने का अधिकार’ निजता के अधिकार का एक हिस्सा है।
  - मूल तौर पर ‘भूल जाने का अधिकार’ अनुच्छेद-21 के तहत निजता के अधिकार से और अनुच्छेद-14 के तहत गरिमा के अधिकार से उत्पन्न हुआ है।

- ‘अकेले रहने के अधिकार’ के बारे में: इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई व्यक्ति समाज से हट रहा है। यह एक प्रकार की अपेक्षा है कि समाज व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्पों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि वह दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचाता।
- भूल जाने के अधिकार (RTBF) से संबंधित मुद्दे:
  - गोपनीयता बनाम सूचना: किसी दी गई स्थिति में RTBF का अस्तित्व अन्य परस्पर विरोधी अधिकारों जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार या अन्य प्रकाशन अधिकारों के साथ संतुलन पर निर्भर करता है।
    - उदाहरण के लिये हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी को डी-लिंक करना चाहता हो और जब लोग उससे संबंधित जानकारी एकत्र करने हेतु गूगल पर सर्च करें तो उनके लिये कुछ पत्रकारिता रिपोर्ट तक पहुँचना मुश्किल बना सकता है।
    - यह अनुच्छेद 21 से प्राप्त व्यक्ति के अकेले रहने के अधिकार के सीधे मुद्दों पर रिपोर्ट करने के लिये अनुच्छेद 19 में वर्णित मीडिया के अधिकारों के साथ विरोधाभास है।
  - निजी व्यक्तियों के खिलाफ प्रवर्तनीयता/प्रयोग: RTBF का उपयोग आमतौर पर एक निजी पार्टी (एक मीडिया या समाचार वेबसाइट) के खिलाफ किया जाएगा।
    - इससे यह सवाल उठता है कि क्या निजी व्यक्ति के खिलाफ मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सकता है, जो आमतौर पर राज्य के खिलाफ लागू होता है।
    - केवल अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 23 एक निजी पार्टी/एकल स्वामित्व वाली किसी कंपनी को व्यक्तिगत अधिनियम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं जिसे संविधान के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जाती है।
  - अस्पष्ट निर्णय: हाल के वर्षों में डेटा संरक्षण कानून के बिना RTBF को संहिताबद्ध करने के लिये विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अधिकार के कुछ असंगत निर्णय दिये गए हैं।
    - भारत में बार-बार न्यायालयों द्वारा RTBF के आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर दिया गया है, जबकि इससे जुड़े व्यापक संवैधानिक प्रश्नों को पूरी तरह से अनदेखा किया है।

गोपनीयता की रक्षा के लिये सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019:
  - व्यक्तिगत डेटा से संबंधित व्यक्तियों की गोपनीयता की सुरक्षा प्रदान करना और उक्त उद्देश्यों तथा किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा से संबंधित मामलों के लिये भारतीय डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करना।
  - इसे बीएन श्रीकृष्ण समिति (2018) की सिफारिशों पर तैयार किया गया।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:
  - कंप्यूटर सिस्टम से डेटा के संबंध में यह कुछ उल्लंघनों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और उसमें संग्रहीत डेटा के अनधिकृत उपयोग को रोकने के प्रावधान हैं।

आगे की राह

- संसद और सर्वोच्च न्यायालय को RTBF के विस्तृत विश्लेषण में शामिल होना चाहिये और निजता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के परस्पर विरोधी अधिकारों को संतुलित करने के लिये एक तंत्र विकसित करना चाहिये।
- इस डिजिटल युग में डेटा एक मूल्यवान संसाधन है जिसे अनियंत्रित नहीं छोड़ा जाना चाहिये। इस संदर्भ में भारत के लिये एक मज़बूत डेटा संरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने का समय आ गया है।
  - इसके लिये सरकार को व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 के अधिनियमन में तेज़ी लानी चाहिये।

फसल बीमा

चर्चा में क्यों?

सामान्य घरेलू बीमा कंपनियाँ उच्च दावों (High Claims) के कारण अपने नुकसान को कम करने के लिये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में अपने जोखिम को धीरे-धीरे कम कर रही हैं, जबकि केंद्र ने इस योजना को वैकल्पिक बना दिया है और इसमें दिये जाने वाले योगदान को भी कम कर दिया है।

- PMFBY और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) को वर्ष 2020 में नया रूप दिया गया।

प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के बारे में:
  - वर्ष 2016 में PMFBY को लॉन्च किया गया तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है।
    - राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) को परिवर्तित कर दिया गया।
  - उद्देश्य: फसल के खराब होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करना जिससे किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिले।
  - क्षेत्र/दायरा: वे सभी खाद्य और तिलहनी फसलें तथा वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें, जिनके लिये पिछली उपज के आँकड़े उपलब्ध हैं।
  - बीमा किस्त: इस योजना के तहत किसानों द्वारा दी जाने वाली निर्धारित बीमा किस्त/प्रीमियम- खरीफ की सभी फसलों के लिये 2% और सभी रबी फसलों के लिये 1.5% है। वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों के मामले में बीमा किस्त 5% है।
    - किसानों की देयता के बाद बची बीमा किस्त की लागत का वहन राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप बराबर साझा किया जाता है।
    - हालाँकि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत बीमा किस्त सब्सिडी का 90% हिस्सा वहन किया जाता है।
  - कार्यान्वयन: पैनल में शामिल सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा। कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) का चयन संबंधित राज्य सरकार द्वारा बोली के माध्यम से किया जाता है।
  - PMFBY 2.0: PMFBY को वर्ष 2020 के खरीफ सीज़न में नया रूप दिया गया था। इसकी प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
    - पूर्ण रूप से स्वैच्छिक: वर्ष 2020 के खरीफ सीज़न से यह सभी किसानों हेतु वैकल्पिक है।
    - इससे पहले अधिसूचित फसलों के लिये फसल ऋण/किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) खाते का लाभ उठाने वाले ऋणी किसानों के लिये यह योजना अनिवार्य थी।
    - केंद्रीय सब्सिडी की सीमा: कैबिनेट ने इस योजना के तहत प्रीमियम दरों को असिंचित क्षेत्रों/फसलों के लिये 30% और सिंचित क्षेत्रों/फसलों हेतु 25% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि इन प्रीमियम दरों के आधार पर ही केंद्र सरकार द्वारा 50% सब्सिडी का वहन किया जाता है।
    - राज्यों को अधिक नम्यता: सरकार ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को PMFBY को लागू करने की छूट दी है और उन्हें किसी भी संख्या में अतिरिक्त जोखिम कवर/सुविधाओं का चयन करने का विकल्प दिया है।
    - IEC गतिविधियों में निवेश: बीमा कंपनियों को सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियों पर एकत्रित कुल प्रीमियम का 0.5% खर्च करना होता है।
- पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना:
  - इस योजना को वर्ष 2006 में लॉन्च किया गया था तथा इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है।
  - उद्देश्य: वर्षा, तापमान, हवा, आर्द्रता आदि से संबंधित प्रतिकूल मौसम की स्थिति के परिणामस्वरूप प्रत्याशित फसल हानि के कारण वित्तीय नुकसान की संभावना के प्रति बीमित किसानों की कठिनाई को कम करना।
  - मानक: WBCIS मौसम के मापदंडों का उपयोग फसल की पैदावार के लिये "प्रॉक्सी" के रूप में करता है ताकि किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई की जा सके।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- स्थिरता : बीमा बाजारों हेतु काम करने के लिये आवश्यक है - कम जोखिम और उन लोगों के बीच जोखिम में न्यून सहसंबंध।
  - चूँकि कार्यक्रम का उद्देश्य सूखे और बाढ़ के जोखिम को कवर करना है, इसलिये दोनों धारणाएँ गलत होने की संभावना है।
  - ऐसा इसलिये है क्योंकि जब खराब मौसम प्रघात करता है, तो सभी क्षेत्रीय किसान प्रभावित होते हैं (उच्च सहसंबंध) और खराब मौसमी घटनाएँ उच्च होती हैं (5-7 साल में एक बार यानी 14% - 20% की हानि की संभावना होती है)।
  - PMFBY के प्रीमियम दरों में 1.5-2% बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि शेष सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। यह लंबी अवधि के लिये अनुकूल नहीं है और विशेष रूप से कम एमएसपी वाली फसलों के लिये जोखिम भरा है।
- स्थानीय प्राधिकारियों की अक्षमता : इस योजना में फसल के नुकसान के आकलन के मामलों में कमी आई है, क्योंकि कई मामलों में ज़िला या ब्लॉक स्तर के कृषि विभाग के अधिकारी ज़मीन स्तर पर इस तरह के नमूने का संचालन नहीं करते हैं और केवल कागज़ पर औपचारिकताओं को पूरा नहीं करते हैं।
  - राज्य सरकारें बीमा मुआवज़े हेतु समय पर धन जारी करने में नाकाम रही हैं। यह इस योजना के व्यापक उद्देश्य को नुकसानपहुँचाता है जो कृषक समुदाय को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- जागरूकता और शिकायत निवारण की कमी: किसानों में फसल बीमा योजनाओं के संदर्भ जागरूकता नहीं है। किसानों की शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिये एक सुलभ शिकायत निवारण प्रणाली और निगरानी तंत्र (केंद्र और राज्य सरकारों दोनों स्तर पर) की कमी है।
- पहचान संबंधी मुद्दे: वर्तमान में PMFBY योजना बड़े और छोटे किसानों के बीच अंतर नहीं करती है और इस प्रकार पहचान के मुद्दे को भी सामने लाती है। छोटे किसान सर्वाधिक कमज़ोर वर्ग हैं।
- दावा निपटान संबंधी मुद्दे : बीमा कंपनियों की भूमिका और शक्ति महत्त्वपूर्ण है। कई मामलों में यह स्थानीयकृत आपदा के कारण हुए घाटे की जाँच नहीं करता था और इसलिये दावों का भुगतान नहीं किया जाता था।

आगे की राह:

- जागरूकता बढ़ाना: जागरूकता पैदा करना योजना के सुचारू कार्यान्वयन की प्रमुख चुनौतियों में से एक है।
  - सरकार फसल बीमा योजनाओं के संदर्भ में किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार अभियान/जागरूकता कार्यक्रमों के संचालन हेतु सभी हितधारकों विशेषकर राज्यों और बीमा कंपनियों को सक्रिय रूप से शामिल करने की मांग कर रही है।
- व्यावहारिक परिवर्तन लाना: बीमा की लागत के संबंध में व्यावहारिक परिवर्तन लाने के लिये बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।
- छूट और सेवा वितरण को युक्तिसंगत बनाना: अनिवार्य आधार लिंकेज के साथ राज्य सरकारों द्वारा घोषित ऋण माफी योजनाओं को अधिक-से-अधिक कवरेज के साथ PMFBY को सक्षम करने के लिये युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिये।
- प्रौद्योगिकी की भूमिका: यदि स्थानीय मौसम पूर्वानुमान, सूखा जोखिम, रोग जोखिम, मिट्टी विश्लेषण डेटा जो अब प्रौद्योगिकी के साथ बहुत आसानी से उपलब्ध है, किसानों को उपलब्ध कराया जाता है, तो वे जोखिम से निपटने के लिये पहले से तैयार हो जाते हैं और बेहतर योजना बना सकते हैं, इस प्रकार उनके नुक्सान को कम किया जा सकता है।
  - यह डेटा स्थानीय स्तर पर आपदा विवादों को निपटाने में भी मदद कर सकता है, यह कार्य कभी-कभी मुश्किल हो सकता है।
  - प्रौद्योगिकी, बीमा कंपनियों को बेहतर तरीके से कार्य करने और प्रीमियम तथा निपटान कार्य को अधिक कुशलता से संभालने में सक्षम बना सकती है।
- बीड मॉडल: सरकार फसल बीमा योजना के 'बीड मॉडल' को लागू करने पर विचार कर सकती है। इस योजना के तहत बीमाकर्त्ता का संभावित नुकसान सीमित होता है।
  - बीमा फर्म को सकल प्रीमियम के 110 प्रतिशत से अधिक के दावों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। बीमाकर्त्ता को नुकसान (पूल राशि) से बचाने के लिये एकत्र किये गए प्रीमियम के 110 प्रतिशत से अधिक मुआवज़े की लागत राज्य सरकार को वहन करनी होगी।
  - हालाँकि यदि मुआवज़ा एकत्रित प्रीमियम से कम है, तो बीमा कंपनी इस राशि का 20% हैंडलिंग शुल्क के रूप में अपने पास रखेगी और शेष राशि की राज्य सरकार (प्रीमियम अधिशेष) को प्रतिपूर्ति करेगी।

जलियांवाला बाग हत्याकांड

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री, अमृतसर (पंजाब) में नवनिर्मित जलियांवाला बाग परिसर और संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - यह परिसर उन लोगों को समर्पित एक स्मारक है जो ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर (Brigadier General Reginald Edward Dyer) के आदेश पर 13 अप्रैल, 1919 को मारे गए थे।
  - इस त्रासदी जिसे अमृतसर के नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, ने अंग्रेज़ों के अमानवीय दृष्टिकोण को उजागर किया जब जनरल डायर के अधीन ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थी भीड़ पर गोलियाँ चला दीं।
- आयोजन को रोकना:
  - प्रथम विश्व युद्ध (1914-18) के दौरान भारत की ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी आपातकालीन शक्तियों की एक श्रृंखला बनाई जिसका उद्देश्य विध्वंसक गतिविधियों का मुकाबला करना था।
  - 1919 का अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, जिसे रॉलेट एक्ट (ब्लैक अधिनियम) के रूप में जाना जाता है और जिसे 10 मार्च, 1919 को पारित किया गया था, ने सरकार को बिना किसी मुकदमे के देशद्रोही गतिविधियों से जुड़े किसी भी व्यक्ति को कैद या कैद करने के लिये अधिकृत किया जिसके कारण राष्ट्रव्यापी अशांति उत्पन्न हुई।
  - 13 अप्रैल, 1919 को डॉ. सैफुद्दीन किचलू और डॉ. सत्यपाल की रिहाई का अनुरोध करने के लिये जलियांवाला बाग में कम-से-कम 10,000 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की भीड़ जमा हुई।
    - यहाँ पर हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रतीक दो प्रमुख नेताओं ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध का आयोजन किया था लेकिन दोनों को गिरफ्तार कर शहर से बाहर ले जाया गया।
  - ब्रिगेडियर-जनरल डायर को जब इस बैठक के बारे में जानकारी मिली तो उसने यहाँ अपने सैनिकों को तैनात कर दिया तथा लोगों की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। पार्क के एकमात्र निकास द्वार को सील कर दिया गया और अंधाधुंध गोलीबारी में सैकड़ों निर्दोष नागरिक मारे गए।
- जलियांवाला बाग घटना के बाद:
  - गोलीबारी के बाद पंजाब में मार्शल लॉ की घोषणा कर दी गई जिसमें सार्वजनिक स्टाल पर कोड़े लगाना और अन्य प्रकार से अपमानित करना शामिल था। गोलीबारी और उसके बाद की ब्रिटिश कार्रवाइयों की खबर पूरे उपमहाद्वीप में फैलते ही भारतीय नागरिकों में आक्रोश फैल गया।
  - इस घटना के विरोध में बांग्ला कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1915 में प्राप्त नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया।
  - महात्मा गांधी ने बोअर युद्ध (दक्षिण अफ्रीकी युद्ध 1899-1902) के दौरान किये गए अपने कार्य के लिये अंग्रेज़ों द्वारा दी गई केसर-ए-हिंद की उपाधि को त्याग दिया।
  - उस समय वायसराय की कार्यकारी परिषद में एकमात्र भारतीय प्रतिनिधि चेट्टूर शंकरन नायर (1857-1934) ने विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
    - उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे।
  - इस नरसंहार की जाँच के लिये 14 अक्तूबर, 1919 को एक जाँच समिति का गठन किया गया था। बाद में इसे अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर के नाम पर हंटर आयोग के रूप में जाना जाने लगा। इसमें भारतीय सदस्य भी शामिल थे।
    - 1920 में हंटर आयोग ने जनरल डायर द्वारा किये गए उसके कार्यों की निंदा की और उसे ब्रिगेड कमांडर के पद से त्यागपत्र देने का निर्देश दिया।

- भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस ने अपनी स्वयं की गैर-आधिकारिक समिति नियुक्त की और उसे जाँच करने के लिये कहा, इसमें शामिल थे- मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, अब्बास तैयबजी, एम.आर. जयकर और गांधीजी।
- गांधीजी ने जल्द ही अपना पहला बड़े पैमाने पर और निरंतर अहिंसक विरोध (सत्याग्रह) अभियान, असहयोग आंदोलन (1920–22) का आयोजन शुरू किया, जो 25 वर्ष बाद भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने पाँच वर्ष की अवधि में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ 'खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन'- ऑयल पाम (NMEO-OP) की घोषणा की।

- हालाँकि कुछ पर्यावरणविदों ने पाम ऑयल के बागानों को लगाने के विनाशकारी प्रभाव पर चिंता जताई है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - NMEO-OP एक नई केंद्र प्रायोजित योजना है। वर्ष 2025-26 तक पाम ऑयल के लिये अतिरिक्त 6.5 लाख हेक्टेयर का प्रस्ताव है।
  - इसमें 2025-26 तक पाम ऑयल की खेती के क्षेत्र को 10 लाख हेक्टेयर और 2029-30 तक 16.7 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना शामिल होगा।
  - पाम ऑयल किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और उन्हें मूल्य एवं व्यवहार्यता सूत्र के तहत पारिश्रमिक मिलेगा।
  - व्यवहार्यता सूत्र एक न्यूनतम समर्थन मूल्य है और सरकार इसे अब कच्चे पाम ऑयल (सीपीओ) मूल्य के 14.3% पर तय करेगी।
    - अंततः यह बढ़कर 15.3% हो जाएगा।
  - योजना का एक अन्य फोकस क्षेत्र इनपुट/हस्तक्षेपों के समर्थन में पर्याप्त वृद्धि करना है।
  - पुराने बागानों को उनके कायाकल्प के लिये विशेष सहायता दी जाएगी।
- विशेष ध्यान:
  - इस योजना का विशेष ध्यान भारत के उत्तर-पूर्वी (NE) राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इन क्षेत्रों की अनुकूल मौसमी स्थिति के कारण होगा।
  - इस उद्योग को पूर्वोत्तर और अंडमान क्षेत्रों में आकर्षित करने के लिये उच्च क्षमता की आनुपातिक वृद्धि के साथ 5 करोड़ रुपए प्रति घंटा (मिलियन टन प्रति हेक्टेयर) का प्रावधान किया जाएगा।
- उद्देश्य:
  - घरेलू खाद्य तेल की कीमतों का दोहन करना जो कि महँगे पाम ऑयल के आयात से तय होती हैं और खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनना।
  - वर्ष 2025-26 तक पाम ऑयल का घरेलू उत्पादन तीन गुना बढ़ाकर 11 लाख मीट्रिक टन करना।
- योजना का महत्त्व:
  - किसानों की आय में वृद्धि:
    - इससे आयात पर निर्भरता कम करने और किसानों को बाज़ार में नकदी संबंधी मदद करने से पाम ऑयल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है।
  - पैदावार में वृद्धि और आयात में कमी:
    - भारत विश्व में वनस्पति तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इसमें से पाम ऑयल का आयात उसके कुल वनस्पति तेल आयात का लगभग 55% है।

- यह इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल, ब्राज़ील और अर्जेंटीना से सोया तेल तथा मुख्य रूप से रूस व यूक्रेन से सूरजमुखी तेल का आयात करता है।
- भारत में 94.1% पाम ऑयल का उपयोग खाद्य उत्पादों में किया जाता है, विशेष रूप से खाना पकाने के लिये। यह पाम ऑयल को भारत की खाद्य तेल अर्थव्यवस्था हेतु अत्यंत महत्त्वपूर्ण बनाता है।

- चिंताएँ
  - जनजातीय समुदायों की भूमि पर प्रभाव:
    - ऑयल पॉम एक लंबी अवधि के साथ पानी की खपत वाली, मोनोकल्चर फसल है, अत: इसकी लंबी अवधि छोटे किसानों के लिये अनुपयुक्त होती है और ऑयल पॉम के लिये भूमि उत्पादकता तिलहन की तुलना में अधिक होती है, जो ऑयल पॉम की खेती के लिये अधिक भूमि प्रयोग करने पर एक सवाल उत्पन्न करती है।
    - दक्षिण-पूर्व एशिया में ऑयल पॉम/ताड़ के तेल के वृक्षारोपण ने वर्षावनों के विशाल भूभाग की जगह ले ली है।
    - यह जनजातीय/आदिवासियों को भूमि के सामुदायिक स्वामित्व से जुड़ी उनकी पहचान से अलग कर सकता है और "सामाजिक ताने-बाने को अस्त-व्यस्त कर सकता है"।
  - वन्यजीवों के लिये खतरा:
    - "जैव विविधता हॉटस्पॉट और पारिस्थितिक रूप से नाजुक" क्षेत्र इसके मुख्य फोकस क्षेत्र हैं, ऑयल पॉम के बागान लगाने से वन क्षेत्र में कमी होगी जिससे लुप्तप्राय वन्यजीवों (Endangered Wildlife) के आवास नष्ट होने का खतरा उत्पन्न होगा।
  - आक्रामक प्रजाति:
    - पाम/ताड़ एक आक्रामक प्रजाति है जो पूर्वोत्तर भारत का प्राकृतिक वन उत्पाद नहीं है और यदि इसे गैर-वन क्षेत्रों में भी उगाया जाता है तो जैव विविधता के साथ-साथ मिट्टी की स्थिति पर इसके प्रभाव का विश्लेषण किया जाना चाहिये।
    - आक्रामक प्रजातियाँ देशज प्रजातियाँ नहीं हैं जो देशज/स्थानिक जैव विविधता के लिये गंभीर खतरा बनकर एक नए पारिस्थितिकी तंत्र में फैलती हैं और उसे नुकसान पहुँचा सकती हैं। वे स्थानीय प्रजातियों और वन्यजीवों की वृद्धि में बाधा उत्पन्न करती हैं।
  - स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएँ:
    - पाम ऑयल के प्रति पेड़ को प्रतिदिन 300 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, साथ ही उन क्षेत्रों में उच्च कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता होती है जहाँ यह एक देशी फसल नहीं है, जिससे उपभोक्ता स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ भी पैदा होती हैं।
  - किसानों को उचित मूल्य की प्राप्ति नहीं:
    - पाम ऑयल की खेती में सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दा ताज़ेफलों के गुच्छों (fresh fruit Bunches- FFBs) का किसानों को उचित मूल्य न मिल पाना है।
    - पाम ऑयल के ताज़े फलों के गुच्छे (FFBs) अत्यधिक भंगुर/नाज़ुक होते हैं जिन्हें कटाई के चौबीस घंटे के भीतर संसाधित (Processed) करने की आवश्यकता होती है।

आगे की राह

- यदि इसी तरह की सब्सिडी और समर्थन उन तिलहनों को दिया जाता है जो भारत के लिये स्वदेशी हैं तथा शुष्क भूमि पर भी कृषि के लिये उपयुक्त हैं, तो पाम ऑयल पर निर्भरता के बिना भी आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकती है।
- यदि किसान पाम ऑयल की खेती करने के इच्छुक हैं और सरकार इसे प्रोत्साहित करती है तो कृषि भूमि पर पाम आयल के वृक्षों को उगाना एक समाधान होगा।
- अंत में, मिशन ऑयल पाम की सफलता कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क पर भी निर्भर करेगी।
  - वर्ष 2012 में यह सिफारिश की गई थी कि जब भी कच्चे पाम तेल का आयात मूल्य 800 अमेरिकी डॉलर प्रति टन से नीचे आता है, तो आयात शुल्क को बढ़ाने की आवश्यकता होगी।
- इस फसल से आंध्र प्रदेश में किसान समुदायों के जीवन में जो परिवर्तन आया है, वह अन्य संभावित राज्यों में भी इसका अनुकरण करने में मदद कर सकता है। एक मज़बूत और दीर्घकालिक नीति तंत्र इस फसल को पूरे भारत में आवश्यक रूप से प्रोत्साहन देगा।

निवास और अबाध संचरण का अधिकार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक पत्रकार के खिलाफ 'निर्वासन आदेश' को रद्द करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि 'भारत के किसी भी भाग में निवास करने' और 'भारतीय राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण' के मौलिक अधिकार को किसी 'सामान्य या सारहीन आधार' पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

- 'निर्वासन आदेश' कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में किसी व्यक्ति की आवाजाही को प्रतिबंधित करता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के मुताबिक, किसी इलाके में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और/या सार्वजनिक शांति के उल्लंघन को रोकने के लिये असाधारण मामलों में ही इस प्रकार की कठोर कार्रवाई की जानी चाहिये।

प्रमुख बिंदु

- 'भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण' का आधिकार
  - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(d) प्रत्येक नागरिक को देश के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार प्रदान करता है।
  - यह अधिकार केवल राज्य की कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करता है, न कि निजी व्यक्तियों से।
  - इसके अलावा यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिये उपलब्ध है, न कि विदेशी नागरिकों या कानूनी व्यक्तियों- जैसे कंपनियों या निगमों आदि के लिये।
  - 'अबाध संचरण' की स्वतंत्रता के दो आयाम हैं, आंतरिक (देश के अंदर जाने का अधिकार) और बाहरी (देश से बाहर जाने का अधिकार तथा देश में वापस आने का अधिकार)।
    - अनुच्छेद-19 केवल प्रथम आयाम की रक्षा करता है।
    - दूसरा आयाम अनुच्छेद-21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत विनियमित किया जाता है।
  - इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध केवल दो आधारों पर लगाया जा सकता है जिनका उल्लेख स्वयं संविधान के अनुच्छेद 19(5) में किया गया है, जिसमें आम जनता के हित और किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा करना शामिल है। उदाहरण के लिये:
    - सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर और सार्वजनिक नैतिकता के हित में वेश्यावृत्ति में संलग्न लोगों की आवाजाही की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है।
    - अनुसूचित जनजातियों की विशिष्ट संस्कृति, भाषा, परंपराओं और शिष्टाचार की रक्षा करने तथा उनके पारंपरिक व्यवसाय एवं संपत्तियों को शोषण से बचाने के लिये आदिवासी क्षेत्रों में बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है।
- भारत में किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता
  - संविधान के अनुच्छेद 19(1)(e) के अनुसार, भारत के प्रत्येक नागरिक को 'भारत में किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार है।'
  - इस प्रावधान का उद्देश्य देश भर के भीतर या किसी विशिष्ट हिस्से में आंतरिक बाधाओं को दूर करना है।
  - यह अधिकार अनुच्छेद 19 के खंड (5) में उल्लिखित उचित प्रतिबंधों के अधीन भी है।
  - 'भारत में किसी भी भाग में निवास करने' और 'भारतीय राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण' के मौलिक अधिकार प्राय: एक-दूसरे के पूरक हैं और इन्हें एक साथ देखा जाता है।

संविधान का अनुच्छेद 19

- अनुच्छेद 19 में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है।
- इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक को अपने विचारों, विश्वासों और उन्हें मौखिक, लेखन, मुद्रण, चित्र या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है।

- अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के छह अधिकारों की गारंटी देता है, जो इस प्रकार हैं:
  - वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।
  - शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार।
  - संगम या संघ बनाने का अधिकार।
  - अबाध संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार।
  - भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास का अधिकार।
  - व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार।
- वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 19(2))
  - इस तरह के प्रतिबंध देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के साथ-साथ द्वेषपूर्ण भाषा, मानहानि, न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में उपयोगी हो सकते हैं।
- अनुच्छेद 19 के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:
  - असहमति का अधिकार: शाहीन बाग विरोध के मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि विरोध करने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है और यह स्थान एवं समय के संबंध में प्राधिकरण के आदेशों के अधीन हो सकता है।
  - सत्य और अभद्र भाषण: मुक्त भाषण की सीमाओं और अभद्र भाषा के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि "ऐतिहासिक सत्य को किसी भी तरह से विभिन्न वर्गों या समुदायों के बीच घृणा या दुश्मनी को प्रकट या प्रोत्साहित किये बिना चित्रित किया जाना चाहिये।"
  - सूचना प्रसार के माध्यम के रूप में इंटरनेट: जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट बंद होने के मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट के उपयोग के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करने के विचार से परहेज किया, लेकिन फिर भी इंटरनेट को संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग बना दिया।
  - प्रेस की स्वतंत्रता: रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का मामला 1950, SC द्वारा तय किये जाने वाले शुरुआती मामलों में से एक था, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा घोषित किया गया था।
  - सूचना का अधिकार: भारत संघ बनाम वी. असन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स केस 2002 के लिये यह माना गया कि 'वाक् एवं अभिव्यक्ति' की स्वतंत्रता में न केवल सूचना को व्यक्त करने, प्रकाशित करने और प्रचारित करने का अधिकार है बल्कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी शामिल है।
  - राष्ट्रीय सीमाओं से परे अभिव्यक्ति का अधिकार: मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला 1978 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) भारतीय क्षेत्र तक ही सीमित था और यह भी माना गया कि वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं है।
  - मौन रहने का अधिकार: बिजो इमैनुएल बनाम केरल राज्य 1986 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बोलने का अधिकार या मौन रहने का अधिकार भी वाक् एवं अभिव्यक्ति के अधिकार में शामिल है।

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा यह घोषणा की गई है कि वह जल्द ही निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में देश में आठ रक्षा परीक्षण सुविधाओं की स्थापना हेतु अनुरोध प्रस्ताव (Requests For Proposal-RFPs) जारी करेगा।

- ये RFPs रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना (Defence Testing Infrastructure Scheme- DTIS) के तहत जारी किये जाएंगे।
- RFP एक व्यावसायिक दस्तावेज़ है जिसके तहत किसी परियोजना की घोषणा, उसका वर्णन करने के साथ ही इसे पूरा करने के लिये बोली/नीलामी हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि:

- मेक इन इंडिया के तहत भारत ने देश में रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता को कम करने हेतु विनिर्माण आधार के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है।
- इसके लिये उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारे (Defence Industrial Corridors- DICs) स्थापित करने की घोषणा की गई है।
- नवाचार तथा प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने और भारतीय उद्योग को एयरोस्पेस तथा रक्षा क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये संशोधित मेक- II प्रक्रियाएँ, रक्षा उत्कृष्टता के लिये नवाचार (iDEX) और रक्षा निवेशक सेल की स्थापना जैसी कई पहलें की गई हैं।
    - इस क्षेत्र में निवेश के अवसरों, प्रक्रियाओं और नियामक आवश्यकताओं से संबंधित प्रश्नों को संबोधित करने सहित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिये रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी।

DTIS के बारे में:

- यह योजना 8 मई, 2020 को शुरू की गई थी और इसकी अवधि पाँच वर्ष तक होगी।
- इसमें 6-8 ग्रीनफील्ड रक्षा परीक्षण अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना की परिकल्पना की गई है जो रक्षा और एयरोस्पेस से संबंधित उत्पादन के लिये आवश्यक हैं।
- इसमें निजी उद्योग के साथ साझेदारी में परीक्षण सुविधाएँ स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है।

उद्देश्य:

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSMEs) और स्टार्टअप की भागीदारी पर विशेष ध्यान देने के साथ ही स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना, देश में रक्षा परीक्षण बुनियादी ढाँचे के अंतराल को कम करना।
- आसान पहुँच प्रदान करना और घरेलू रक्षा उद्योग की परीक्षण आवश्यकताओं को पूरा करना।
- स्वदेशी रक्षा उत्पादन को सुगम बनाना, फलस्वरूप सैन्य उपकरणों के आयात को कम करना और देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना।

वित्त और सहयोग:

- इस योजना की पाँच वर्ष की अवधि में अत्याधुनिक परीक्षण और बुनियादी ढाँचे के निर्माण हेतु 400 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

- योजना के तहत परियोजनाओं को 'अनुदान-सहायता' के रूप में 75 प्रतिशत तक सरकारी वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा।
- परियोजना लागत का शेष 25 प्रतिशत स्पेशल प्रोपज़ल व्हीकल (SPVs) घटकों द्वारा वहन किया जाएगा, जिनमें भारतीय निजी संस्थाएँ और राज्य सरकारें शामिल होंगी।
  - केवल भारत में पंजीकृत निजी संस्थाएँ और राज्य सरकार की एजेंसियाँ ही योजना के लिये कार्यान्वयन एजेंसी का निर्माण करने की हकदार होंगी।
  - योजना के तहत SPVs को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत किया जाएगा।

वित्तीय समावेशन सूचकांक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पहले समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-Index) की शुरुआत की।

- मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में वार्षिक FI-सूचकांक 53.9 है, जबकि मार्च 2017 की समाप्ति के दौरान यह 43.4 था।

प्रमुख बिंदु

परिचय :

- वित्तीय समावेशन सूचकांक की अवधारणा एक व्यापक सूचकांक के रूप में की गई है जिसमें सरकार और क्षेत्रीय नियामकों के परामर्श से बैंकिंग, बीमा, निवेश, डाक तथा पेंशन क्षेत्र का विवरण शामिल है।
  - इसका वार्षिक प्रकाशन प्रत्येक वर्ष जुलाई में किया जाता है।
- FI-Index का निर्माण बिना किसी 'आधार वर्ष' (Base Year) के किया गया है और इस तरह यह वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) की दिशा में वर्षों से सभी हितधारकों के साझा प्रयासों को दर्शाता है।

लक्ष्य :

- देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिये एक समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक का निर्माण करना।

मापदंड :

- यह सूचकांक 0 और 100 के बीच की एकल संख्या में वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्राप्त करता है, जहाँ 0 पूर्ण वित्तीय अपवर्जन का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है।
- इसमें तीन व्यापक पैरामीटर (भार कोष्ठक में दर्शाए गए हैं) अर्थात् एक्सेस (35%), उपयोग (45%) और गुणवत्ता (20%) शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में विभिन्न आयाम शामिल हैं, जिनकी गणना कुछ संकेतकों के आधार पर की जाती है।
  - यह सूचकांक सेवाओं की पहुँच, उपलब्धता एवं उपयोग तथा सेवाओं की गुणवत्ता मापने में आसानी के लिये अनुक्रियाशील है, जिसमें सभी 97 संकेतक शामिल हैं।

वित्तीय समावेशन सूचकांक का महत्त्व:

- समावेशन का आकलन: यह सूचकांक वित्तीय समावेशन के स्तर के बारे में जानकारी प्रदान करता है और आंतरिक नीति निर्माण में उपयोग के लिये वित्तीय सेवाओं का आकलन प्रस्तुत करता है।
- विकास संकेतक: इसका उपयोग प्रत्यक्ष विकास संकेतकों में एक समग्र उपाय के रूप में किया जा सकता है।
- G20 संकेतकों को पूरा करता है: यह G20 वित्तीय समावेशन संकेतक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है।
  - G20 संकेतक राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर वित्तीय समावेशन एवं डिजिटल वित्तीय सेवाओं की स्थिति का आकलन करते हैं।
- शोधकर्त्ताओं के लिये महत्त्वपूर्ण: यह शोधकर्त्ताओं को वित्तीय समावेशन और अन्य व्यापक आर्थिक चरों के प्रभाव का अध्ययन करने की सुविधा प्रदान करता है।

संबंधित पहलें:

- प्रधानमंत्री जन धन योजना:
  - अगस्त 2014 में इस योजना की घोषणा की गई थी, जो वित्तीय समावेशन के लिये एक स्थिर साधन साबित हुई।
  - अब तक देश में लगभग 43 करोड़ गरीब लाभार्थियों के पास योजना के तहत एक मूल बैंक खाता है।
- डिजिटल पहचान (आधार):
  - इसने वित्तीय सेवाओं के वितरण में समावेश और नवाचार को उत्प्रेरित किया है।
- वित्तीय शिक्षा के लिये राष्ट्रीय केंद्र (NCFE):
  - भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्तीय रूप से जागरूक एवं सशक्त भारत के निर्माण हेतु वित्तीय शिक्षा के लिये राष्ट्रीय रणनीति: 2020-2025 (National Strategy for Financial Education: 2020-2025) जारी की है।
- वित्तीय साक्षरता केंद्र (CFL) परियोजना:
  - RBI द्वारा 2017 में CFL परियोजना को ब्लॉक स्तर पर वित्तीय साक्षरता के लिये एक अभिनव और भागीदारी दृष्टिकोण के रूप में संकल्पित किया गया है जिसमें चुनिंदा बैंक और गैर-सरकारी संगठन ((NGOs) शामिल हैं।
  - शुरुआत में पायलट आधार पर 100 ब्लॉकों में स्थापित इस परियोजना को अब मार्च 2024 तक चरणबद्ध तरीके से पूरे देश के हर ब्लॉक में बढ़ाया जा रहा है।

न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'ब्रिक्स' (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) समूह की बैठक के दौरान भारत ने प्रस्तावित किया कि उद्योग को बढ़ावा देने के साथ-साथ सामाजिक बुनियादी अवसंरचना को मज़बूत करने के लिये 'न्यू डेवलपमेंट बैंक' के दायरे का विस्तार किया जाए।

- सामाजिक बुनियादी अवसंरचना में स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसी सामाजिक सेवाओं का समर्थन करने वाली सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव शामिल है।
- भारत वर्ष 2021 के लिये ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कर रहा है।

प्रमुख बिंदु

'न्यू डेवलपमेंट बैंक' के विषय में

- यह वर्ष 2014 में ब्राज़ील के 'फोर्टालेज़ा' में आयोजित छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है।
- इसका गठन ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में नवाचार एवं अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से तीव्र विकास के लिये बुनियादी अवसंरचना एवं सतत् विकास प्रयासों का समर्थन करने हेतु किया गया था।
- इसका मुख्यालय शंघाई (चीन) में स्थित है।
- वर्ष 2018 में 'न्यू डेवलपमेंट बैंक' ने संयुक्त राष्ट्र के साथ सक्रिय और उपयोगी सहयोग के लिये एक मज़बूत आधार स्थापित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त किया था।
- उद्देश्य
  - सदस्य देशों के विकास को बढ़ावा देना।
  - आर्थिक विकास का समर्थन करना।
  - प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देना और रोज़गार सृजन की सुविधा प्रदान करना।
  - विकासशील देशों के बीच ज्ञान साझाकरण मंच का निर्माण करना।

- अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिये यह बैंक ऋण, गारंटी, इक्विटी भागीदारी और अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से सार्वजनिक या निजी परियोजनाओं का समर्थन करता है।

भारत में NDB द्वारा वित्तपोषित प्रमुख परियोजनाएँ:

- NDB द्वारा मुंबई मेट्रो रेल, दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ के लिये 'क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली और कुछ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं सहित भारत में कई प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का वित्तपोषण किया गया है।
- NDB द्वारा अब तक लगभग 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत के साथ 14 भारतीय परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है।
- वर्ष 2020 में भारत ने ग्रामीण रोज़गार और बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने हेतु NDB के साथ 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते की घोषणा की है।

उपलब्धियाँ:

- नवाचार:
  - कुछ क्षेत्रों में NDB के नवाचार कामयाब रहे हैं, जैसे उधार लेने वाले देशों को मज़बूत डॉलर से बचाने के लिये स्थानीय मुद्राओं में उधार देना, जो इसकी संस्थापक विशेषताओं में से एक था।
  - NDB का एक और नवाचार यह है कि बैंक अपने सदस्यों की नीतियों का सम्मान करते हुए उधारकर्त्ताओं द्वारा डिज़ाइन किये गए पर्यावरण और सामाजिक मानकों के अनुपालन हेतु मानकों को स्वीकार करता है।
- अन्य विकास बैंकों के साथ साझेदारी:
  - NDB द्वारा लैटिन अमेरिकी क्षेत्रीय विकास बैंक सीएएफ, चीन के नेतृत्व वाले महत्त्वपूर्ण संस्थान एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक और विश्व बैंक समूह जैसे महत्त्वपूर्ण विकास बैंकों के साथ साझेदारी स्थापित की गई है।
  - AA+ क्रेडिट रेटिंग:
  - NDB की क्रेडिट रेटिंग AA+ है, जो अधिकतम अर्थात् AAA से एक कम है अधिकतम क्रेडिट रेटिंग (AAA) अन्य विकास बैंकों जैसे- AIIB के पास है। यह इसके कई सदस्यों, विशेष रूप से ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के घरेलू स्तर पर कठिन आर्थिक स्थितियों का सामना करने के बावजूद है।
- विभिन्न बॉण्डों का प्रसार:
  - वर्ष 2016 में बैंक ने 'ग्रीनबॉण्ड' सहित कई बॉण्ड सफलतापूर्वक जारी किये तथा वर्तमान में सदस्य देशों में 42 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है जो कुल 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की हैं और AIIB's के लगभग 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पोर्टफोलियो से अधिक है।

मुद्दे :

- ऋणों का कम संवितरण :
  - हालाँकि बैंक ने 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के ऋण को मंज़ूरी दी है, लेकिन इसने अब तक 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम का वितरण किया है, जो कि न्यूनतम आँकड़े को प्रदर्शित करता है।
- राजनीतिक अस्थिरता :
  - चीन और भारत के बीच संबंधों में दरार आ गई, रूस के खिलाफ प्रतिबंधों ने रूसी कंपनियों को उधार देना मुश्किल बना दिया जिसके परिणामस्वरूप दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील दोनों में राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया।
  - एक अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था में विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाना जटिल कार्य साबित हुआ, जिसमें सदस्य देशों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं किया।
- स्थिरता का मुद्दा :
  - हालाँकि एनडीबी ने हाल ही में ब्राज़ील में जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन तथा भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के लिये ऋणों को मंज़ूरी दी है, लेकिन इसने कई परियोजनाओं को स्थायी के रूप में चिह्नित किया है, जो इसके द्वारा उपयोग किये जाने वाले मानदंडों की व्याख्या किये बिना पर्यावरण की दृष्टि से संदिग्ध हैं।

- इसकी स्थायी परियोजनाओं में से एक ब्राज़ील में ट्रांस-अमेज़ोनियन राजमार्ग है, जो एक अत्यधिक विवादास्पद सड़क है जिसे कई पर्यावरणविद दुनिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वर्षावन में वनों की कटाई को तीव्र गति प्रदान करने हेतु दोषी ठहराते हैं।

आगे की राह

- निकट भविष्य में इसके सदस्य देशों और अन्य कमज़ोर देशों के लिये स्वास्थ्य देखभाल क्षमताओं व राष्ट्रीय स्वास्थ्य तैयारियों पर ज़ोर दिया जाना चाहिये, जिसमें कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिये विशेष सहायता, आय और नौकरियों के मामले में सामाजिक तथा आर्थिक सुधार सहायता शामिल है।
- एक मध्यम अवधि के दृष्टिकोण से वायु प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिये मेगा-शहरों तथा घनी आबादी वाले समूहों में शहरी लचीलेपन को मज़बूत करने हेतु निवेश पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- अपने वर्तमान अवधारणा को ध्यान में रखते हुए ब्रिक्स (BRICS) और अन्य देशों के समग्र ऊर्जा मिश्रण में इनके प्रसार को बेहतर बनाने में मदद करने के लिये अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों (सौर, पवन व बायोमास) हेतु प्राथमिकता होनी चाहिये। इन सभी प्रयासों में बैंक लंबे समय वित्तीय स्थिरता हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिये तंत्र विकसित करने का प्रयास कर सकता है।

RoDTEP योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय' ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये 8,555 उत्पादों हेतु 'निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट' (RoDTEP) योजना के तहत कर रिफंड दरों की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

'निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट' (RoDTEP) योजना

- RoDTEP योजना निर्यातकों को ऐसे अंतर्निहित केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्क या करों को वापस कर देगी, जिन पर अब तक या तो छूट नहीं दी जा रही थी या उन्हें वापस नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण भारत के निर्यातकों को नुकसान हो रहा था।
- यह योजना उन करों या शुल्कों पर लागू नहीं होगी, जिन पर पहले ही छूट दी जा चुकी है या जिन्हें वापस किया जा चुका है।

लॉन्च

- इसे जनवरी 2021 में 'मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम' (MEIS) के प्रतिस्थापन के रूप में शुरू किया गया था, जो विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं थी।
  - MEIS योजना के तहत निर्यात के 'फ्रेट ऑन बोर्ड' (FOB) मूल्य पर 2% से 7% का अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जा रहा था।
  - विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुसार, एक देश को MEIS जैसी निर्यात सब्सिडी नहीं दी जा सकती है यदि उस देश की प्रति व्यक्ति आय 1000 अमेरिकी डॉलर से अधिक है और भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2017 में 1000 अमेरिकी डॉलर से अधिक थी। भारत बाद में 'विश्व व्यापार संगठन' में यह मामला हार गया और उसे भारतीय निर्यातकों की सहायता के लिये WTO के नियमों के अनुरूप एक नई योजना बनानी पड़ी।
- परिधान निर्यातकों के लिये 'राज्य और केंद्रीय लेवी तथा कर' (RoSCTL) योजना की छूट अलग से अधिसूचित की गई है।

दरें

- विभिन्न क्षेत्रों के लिये कर रिफंड दरें 0.5% से 4.3% तक हैं।
- यह छूट निर्यात के 'फ्रेट ऑन बोर्ड' मूल्य के प्रतिशत के रूप में दी जाएगी।

निर्गमन

- यह छूट एक 'हस्तांतरणीय शुल्क क्रेडिट/इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप' (ई-स्क्रिप) के रूप में जारी की जाएगी, जिसे 'केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड' (CBIC) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक लेज़र में रिकॉर्ड किया जाएगा।

महत्त्व:

- भारत की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाना:
  - विद्युत् शुल्क पर कर, परिवहन में ईंधन पर मूल्यवर्द्धित कर, कृषि क्षेत्र आदि जैसे करों की प्रतिपूर्ति भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धी बनाएगी।
  - अगले 5-10 वर्षों में भारत द्वारा प्रतिस्पर्द्धात्मकता, व्यापार प्रवाह और निर्यात संख्या को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की आशा है।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों की बराबरी:
  - भारतीय निर्यातक, निर्यात के लिये अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में सक्षम होंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर निर्भर होने के बजाय देश के भीतर निर्यातकों को सस्ते परीक्षण और प्रमाणन उपलब्ध कराया जाएगा।
  - इससे देश के लिये अर्थव्यवस्था और उद्यमों हेतु कार्यशील पूंजी में वृद्धि होगी।
- स्वचालित कर निर्धारण:
  - साथ ही इसके तहत निर्यातकों के लिये टैक्स असेसमेंट पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो जाएगा। व्यवसायों को एक स्वचालित धन वापसी-मार्ग के माध्यम से जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) के लिये उनके रिफंड तक पहुँच प्राप्त होगी।

मुद्दे:

- कम दर:
  - इस योजना ने कई निर्यातकों को निराश किया क्योंकि कम बजट आवंटन के साथ दरें MEIS दरों से काफी कम हैं।
  - इन दरों में बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग उत्पादों में स्टील जैसे कच्चे माल में अंतर्निहित करों को ध्यान में नहीं रखा गया है।
- बड़े क्षेत्रों का वंचन:
  - ऐसा प्रतीत होता है कि ये लाभ प्रमुख निर्यात जैसे- स्टील, फार्मा आदि और अग्रिम प्राधिकरण, निर्यात उन्मुख इकाई (EOU), विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), आदि के तहत किये गए निर्यात के लिये उपलब्ध नहीं है।
  - इसका भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और निर्यातकों के बीच नकारात्मक भावना पैदा होगी।

फ्रेट ऑन बोर्ड:

- इसे फ्री ऑन बोर्ड (FOB) भी कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल यह इंगित करने के लिये किया जाता है कि शिपिंग के दौरान किसी भी वस्तु के क्षतिग्रस्त या नष्ट होने पर कौन उत्तरदायी है।
  - "FOB ऑरिजिन" का अर्थ है कि खरीदार जोखिम में है और विक्रेता द्वारा उत्पाद को शिप किये जाने के बाद माल पर खरीददार का स्वामित्व होता है।
  - "FOB डेस्टिनेशन" का अर्थ है कि जब तक माल खरीदार तक नहीं पहुँचता तब तक किसी भी प्रकार के नुकसान का जोखिम विक्रेता पर बना रहता है।
- FOB की शर्तें खरीदार की माल सूची लागत (Inventory Cost) को प्रभावित करती हैं; शिप किये गए माल में देयता को जोड़े जाने से माल सूची लागत बढ़ जाती है तथा नोवल या शुद्ध आय कम हो जाती है।

सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम 2.0

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'भारतीय रिज़र्व बैंक' (RBI) ने घोषणा की है कि वह 'सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम' के दूसरे चरण (G-SAP 2.0) के तहत 25,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की खुले बाज़ार में खरीद करेगा।

- इससे पूर्व G-SAP 1.0 कार्यक्रम के तहत कुल 25,000 करोड़ रुपए की राशि की सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदी गई थीं।

प्रमुख बिंदु

सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (G-SAP):

- परिचय: सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (G-SAP) मूलत: एक व्यापक आकार का बिना शर्त 'संरचित ओपन मार्केट ऑपरेशन' (OMO) है।
  - भारतीय रिज़र्व बैंक ने G-SAP कार्यक्रम को एक 'विशिष्ट विशेषता' वाले 'ओपन मार्केट ऑपरेशन' के रूप में परिभाषित किया है।
  - यहाँ 'बिना शर्त' होने का अर्थ है कि रिज़र्व बैंक ने पहले ही प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि वह बाज़ार की भावना के बावजूद सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदेगा।
- उद्देश्य: अर्थव्यवस्था में तरलता के प्रबंधन के साथ-साथ 'यील्ड कर्व' का एक स्थिर और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना।
- महत्त्व: सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (G-SAP) से मुख्य तौर पर सरकार को लाभ होगा।
  - सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदकर रिज़र्व बैंक अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति करता है, जो बदले में यील्ड को कम रखता है और सरकार की उधार लागत को कम कर देता है।
  - जब तक दीर्घावधिक उधार लागत कम रहेगी, भारत सरकार को अपने व्यापक उधार कार्यक्रम (उदाहरण के लिये राष्ट्रीय बुनियादी ढाँचा पाइपलाइन परियोजना) के लिये अधिक खर्च नहीं करना पड़ेगा।
- मुद्दे: सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (G-SAP) के आलोचकों का कहना है कि इसके कारण रुपए पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
  - आलोचकों के मुताबिक, सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम की घोषणा से पहले ही रुपए का मूल्यह्रास (मुद्रा के मूल्य में गिरावट) हो चुका है।
  - इसलिये आलोचक इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि गिरते रुपए और कम उधार लागत/कम यील्ड के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है।
  - इसके अलावा यह तरलता मुद्रास्फीति को भी बढ़ावा देती है।

खुला बाज़ार परिचालन (OMO):

- खुला बाज़ार परिचालन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रयोग किये जाने वाला एक मात्रात्मक मौद्रिक उपकरण है, जिसका उपयोग RBI द्वारा वर्ष भर तरलता की संतुलित स्थिति को बनाए रखने और ब्याज़ दर तथा मुद्रास्फीति के स्तर पर इसके प्रभाव को सीमित करने के लिये किया जाता है।
- मुद्रा आपूर्ति शर्तों को समायोजित करने के लिये RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों (g-sec) की बिक्री या खरीद के माध्यम से OMO आयोजित किये जाते हैं।
- केंद्रीय बैंक संपूर्ण प्रणाली से तरलता को दूर करने के लिये सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है और पुन: प्रणाली में तरलता को समाविष्ट करने के लिये सरकारी प्रतिभूतियाँ वापस खरीदता है।
- ये परिचालन प्राय: दिन-प्रतिदिन के आधार पर इस तरह से आयोजित किये जाते हैं कि मुद्रास्फीति को संतुलित करते हुए बैंकों को उधार देना जारी रखने में मदद मिलती है।
- RBI वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से OMO का संचालन करता है और जनता के साथ प्रत्यक्ष लेन-देन नहीं करता है।
- RBI, प्रणाली में मुद्रा की मात्रा और कीमत को समायोजित करने के लिये अन्य मौद्रिक नीति उपकरणों जैसे- रेपो दर, नकद आरक्षित अनुपात तथा वैधानिक तरलता अनुपात के साथ OMO का उपयोग करता है।

सरकारी प्रतिभूति

- सरकारी प्रतिभूति (G-Sec) केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी एक व्यापार योग्य लिखत (Instrument) है।
- यह सरकार के ऋण दायित्व को स्वीकार करता है। ऐसी प्रतिभूतियाँ अल्पकालिक (आमतौर पर एक वर्ष से भी कम समय की परिपक्वता अवधि वाली इन प्रतिभूतियों को ट्रेज़री बिल कहा जाता है जिसे वर्तमान में तीन रूपों में जारी किया जाता है, अर्थात् 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन) या दीर्घकालिक (आमतौर पर एक वर्ष या उससे अधिक की मेच्योरिटी वाली इन प्रतिभूतियों को सरकारी बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ कहा जाता है) होती हैं।

- भारत में केंद्र सरकार ट्रेज़री बिल और बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ दोनों को जारी करती है, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण (SDL) कहा जाता है।
- सरकारी प्रतिभूतियों में व्यावहारिक रूप से डिफॉल्ट का कोई जोखिम नहीं होता है इसलिये इन्हें जोखिम मुक्त गिल्ट-धारित लिखत/उपकरण के रूप में भी जाना जाता है।
  - गिल्ट-धारित प्रतिभूतियाँ उच्च श्रेणी के निवेश बॉण्ड हैं जिन्हें सरकारों और बड़े निगमों द्वारा उधार लेने के साधन के रूप में पेश किया जाता है।

यील्ड कर्व

- बॉण्ड यील्ड वह रिटर्न है जो एक निवेशक को बॉण्ड पर मिलता है।
- प्रतिफल/यील्ड की गणना के लिये वार्षिक कूपन दर (बॉण्ड जारीकर्त्ता द्वारा करार/स्वीकृत किया गया ब्याज दर) को बॉण्ड के मौजूदा बाज़ार मूल्य से विभाजित किया जाता है।
- प्रतिफल/यील्ड में उतार-चढ़ाव ब्याज दरों के रुझान पर निर्भर करता है, इसके परिणामस्वरूप निवेशकों को पूंजीगत लाभ या हानि हो सकती है।
  - बाज़ार में बॉण्ड यील्ड बढ़ने से बॉण्ड की कीमत नीचे आ जाएगी।
  - बॉण्ड यील्ड में गिरावट से निवेशक को लाभ होगा क्योंकि बॉण्ड की कीमत बढ़ेगी, जिससे पूंजीगत लाभ होगा।
- यील्ड कर्व एक ऐसी रेखा है, जो समान क्रेडिट गुणवत्ता वाले, लेकिन अलग-अलग परिपक्वता तिथियों वाले बॉण्ड की ब्याज़ दर को दर्शाती है।
- 'यील्ड कर्व' का ढलान भविष्य की ब्याज़ दर में बदलाव और आर्थिक गतिविधि को आधार प्रदान करता है।

भारत का ऊन क्षेत्र

चर्चा में क्यों?

ऊन के आयात की बढ़ती मांग के बीच उत्तराखंड में गड़रियों को वर्ष के अंत तक ऑस्ट्रेलियाई मेरिनो भेड़ के साथ इस क्षेत्र में देशी भेड़ों के क्रॉसब्रीडिंग के माध्यम से मेमनों का एक समूह प्राप्त होगा।

- ऑस्ट्रेलियाई मेरिनो भेड़ को परिधानों के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले सबसे नरम और बेहतरीन ऊन के लिये जाना जाता है।
- इसके आयात में वृद्धि का प्रमुख कारण मुलायम परिधान और ऊन की गुणवत्ता एवं मात्रा थी।

प्रमुख बिंदु

परिचय:

- भारत ऊन का सातवाँ सबसे बड़ा उत्पादक है और यह कुल वैश्विक उत्पादन का लगभग 2 से 3% हिस्सा है।
- 64 मिलियन से अधिक भेड़ों के साथ भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भेड़ आबादी वाला देश है। भारत का वार्षिक ऊन उत्पादन 43-46 मिलियन किलोग्राम के बीच है।
- अपर्याप्त घरेलू उत्पादन के कारण\ भारत कच्चे ऊन के आयात पर निर्भर करता है, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड पर।
  - इस ऊन का उपयोग घरेलू बाज़ार के लिये कालीन, यार्न, कपड़े और वस्त्र जैसे उत्पादों को तैयार करने तथा विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में निर्यात हेतु किया जाता है।
- राजस्थान ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक है और अपने श्रेष्ठ कालीन ग्रेड चोकला व मगरा ऊन के लिये जाना जाता है।
- कालीन ग्रेड, परिधान ग्रेड की तुलना में अधिक मोटा होता है और भारत के कुल उत्पादन का 85% हिस्सा है।
- परिधान ग्रेड ऊन का उत्पादन 5% से कम होता है।

नोट :

महत्त्व:

- ऊनी कपड़ा उद्योग 2.7 मिलियन श्रमिकों (संगठित क्षेत्र में 1.2 मिलियन, भेड़ पालन और खेती में 1.2 मिलियन एवं कालीन क्षेत्र में 0.3 मिलियन बुनकर) को रोज़गार प्रदान करता है।

चुनौतियाँ:

- स्वदेशी ऊन के उपयोग में गिरावट:
  - वर्ष 2020 तक 10 वर्षों में देश की प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा ऊन की खपत में 50% की वृद्धि हुई, लेकिन बीकानेर (राजस्थान) में स्वदेशी ऊन का उपयोग कुल वर्तमान बिक्री का लगभग 10% तक गिर गया।
- चरागाहों में कमी:
  - वृक्षारोपण के साथ-साथ शहरीकरण में वृद्धि से देश भर में चरागाह कम हो रहे हैं।
    - राज्य के कृषि विभाग के आँकड़ों के अनुसार, राजस्थान में चराई भूमि वर्ष 2007-08 में 1.7 मिलियन हेक्टेयर से गिरकर वर्ष 2017-18 में 1.6 मिलियन हेक्टेयर रह गई।
- किसानों के रुझान में बदलाव:
  - किसानों का ध्यान ऊन से हटकर मांस की ओर अधिक हो गया है।
    - तेलंगाना सब्सिडी भेड़ वितरण योजना के माध्यम से मांस उत्पादक नस्ल नेल्लोर (Nellore) को बढ़ावा दे रहा है, जिससे राज्य के कुल भेड़ों की संख्या में इसकी हिस्सेदारी 51% तक हो गई है।
- अन्य:
  - पुराने और अपर्याप्त करघा प्रसंस्करण सुविधाएँ।
  - राज्य ऊन विपणन संगठनों की अप्रभावी भूमिका।
  - न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली का अभाव।
  - ऊन प्रौद्योगिकी के लिये कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं।

सरकार की पहल:

- ऊन क्षेत्र के समग्र विकास के लिये कपड़ा मंत्रालय ने एक एकीकृत कार्यक्रम यानी एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (Integrated Wool Development Programme- IWDP) तैयार किया है।

आगे की राह

- चूँकि देश में अधिकांश चरवाहे अपनी पसंद से भेड़ नहीं पालते हैं बल्कि वे अन्य विकल्पों की कमी के कारण या पारंपरिक प्रथा के कारण उन्हें पालते हैं। इसलिये इस क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने, चरागाह भूमि तक पहुँच में सुधार, ऊन के विपणन की सुविधा, लाभकारी कीमतों की पेशकश और समाज में निचले पायदान पर रहने वाले चरवाहों के लिये आपूर्ति शृंखला को उन्नत करके इस क्षेत्र को आकर्षक बनाने की आवश्यकता है।

उभरते सितारे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्रालय ने निर्यात-उन्मुख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) को ऋण और इक्विटी फंडिंग की सुविधा के लिये 'उभरते सितारे' वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) लॉन्च किया है।

- इस फंड से संभावित लाभ वाले उन भारतीय उद्यमों को चिह्नित करने की उम्मीद है, जो वर्तमान में खराब प्रदर्शन कर रहे हैं या विकास की अपनी छिपी क्षमता का दोहन करने में असमर्थ हैं।

वैकल्पिक निवेश कोष

- निवेश के पारंपरिक रूपों के विकल्प को वैकल्पिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- भारत में AIFs को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 के विनियम 2(1)(बी) में परिभाषित किया गया है।
- यह किसी ट्रस्ट या कंपनी या निकाय, कॉर्पोरेट या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) के तौर पर किसी भी निजी रूप से जमा किये गए निवेश फंड (चाहे भारतीय या विदेशी स्रोतों से) को संदर्भित करता है, जो वर्तमान में सेबी के किसी भी विनियमन द्वारा कवर नहीं किया गया है। इस प्रकार AIF की परिभाषा में वेंचर कैपिटल फंड, हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड, कमोडिटी फंड, डेट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आदि शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु:

संदर्भ:

- इस योजना के तहत चिह्नित एक ऐसी कंपनी को सहायता प्रदान की जाती है, जो भले ही वर्तमान में खराब प्रदर्शन कर रही हो या विकास हेतु अपनी छिपी क्षमता का दोहन करने में असमर्थ हो।
- यह योजना ऐसी चुनौतियों का निदान करती है और इक्विटी, ऋण तथा तकनीकी सहायता को कवर करते हुए संरचित समर्थन के माध्यम से सहायता प्रदान करती है। इसमें 250 करोड़ रुपए का ग्रीन-शू ऑप्शन भी होगा।
  - ग्रीन-शू विकल्प एक अति-आवंटन विकल्प है, यह एक ऐसा शब्द है जो आमतौर पर एक शेयर की पेशकश में विशेष व्यवस्था का वर्णन करने के लिये उपयोग किया जाता है, उदाहरण के लिये एक इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) जो अपनी पूंजी को जोखिम में डाले बिना, निवेश करने वाले बैंक को पेशकश के बाद शेयर की कीमत का समर्थन करने में सक्षम बनाएगा।
- फंड की स्थापना एक्ज़िम बैंक और सिडबी (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक) द्वारा संयुक्त रूप से की गई है, जो विनिर्माण एवं सेवा दोनों क्षेत्रों में निर्यात-उन्मुख इकाइयों में इक्विटी व इक्विटी जैसे उत्पादों के माध्यम से फंड में निवेश करेगा।

कंपनियों के चयन के लिये मानदंड:

- अद्वितीय मूल्य:
  - वैश्विक आवश्यकताओं से मेल खाने वाली प्रौद्योगिकी, उत्पादों या प्रक्रियाओं में उनके अद्वितीय मूल्य प्रस्ताव के आधार पर समर्थन के लिये कंपनियों का चयन किया जाएगा।
- वित्तीय सामर्थ्य:
  - स्वीकार्य वित्तीय और बाहरी अभिविन्यास वाली मौलिक रूप से मज़बूत कंपनियाँ; वैश्विक बाज़ारों में प्रवेश करने की क्षमता वाली छोटी और लगभग 500 करोड़ रुपए वार्षिक कारोबार के साथ मध्यम आकार की कंपनियाँ।
- व्यापार मॉडल:
  - एक अच्छा व्यवसाय मॉडल, जो मज़बूत प्रबंधन क्षमता वाली कंपनियों और उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

सहायता

- पात्र कंपनियों को इक्विटी/इक्विटी जैसे इंस्ट्रूमेंट, आधुनिकीकरण के लिये सावधि ऋण, प्रौद्योगिकी या क्षमता उन्नयन के माध्यम से वित्तीय तथा सलाहकार सेवाओं द्वारा समर्थन के साथ ही उत्पाद अनुकूलन, बाज़ार विकास गतिविधियों और व्यवहार्यता अध्ययन के लिये तकनीकी सहायता प्रदान की जा सकती है।

उद्देश्य:

- वित्त और व्यापक सहयोग के माध्यम से चुनिंदा क्षेत्रों में भारत की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाना।
- विभेदित प्रौद्योगिकी, उत्पादों या प्रक्रियाओं वाली कंपनियों की पहचान करना और उनका पोषण करना तथा उनके निर्यात व्यवसाय को बढ़ाना; निर्यात क्षमता वाली ऐसी इकाइयों की सहायता करना, जो वित्त के अभाव में अपने परिचालन को बढ़ाने में असमर्थ हैं।

- सफल कंपनियों के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान कर और उनका समाधान करना जो उनके निर्यात में बाधा डालती हैं।
- एक रणनीतिक और संरचित निर्यात बाज़ार विकास पहल के माध्यम से मौजूदा निर्यातकों को अपने उत्पादों की टोकरी को विस्तारित करने तथा नए बाज़ारों को लक्षित करने में सहायता करना।

MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये अन्य पहलें

- प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP):
  - यह नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना और देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिये एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है।
- पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिये निधि की योजना (SFURTI):
  - इसका उद्देश्य कारीगरों और पारंपरिक उद्योगों को समूहों में व्यवस्थित करना तथा उन्हें वर्तमान के बाज़ार परिदृश्य में प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
  - नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा हेतु एक योजना (ASPIRE):
    - यह योजना 'कृषि आधारित उद्योग में स्टार्टअप के लिये फंड ऑफ फंड्स', ग्रामीण आजीविका बिज़नेस इनक्यूबेटर (LBI), प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (TBI) के माध्यम से नवाचार और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देती है।
- MSME को वृद्धिशील ऋण प्रदान करने के लिये ब्याज सबवेंशन योजना:
  - यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें सभी कानूनी MSMEs को उनकी वैधता की अवधि के दौरान उनके बकाया, वर्तमान/वृद्धिशील सावधि ऋण/कार्यशील पूंजी पर 2% तक की राहत प्रदान की जाती है।
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिये क्रेडिट गारंटी योजना:
  - ऋण की आसान उपलब्धता की सुविधा के लिये शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत MSMEs को दिये गए संपार्श्विक मुक्त ऋण हेतु गारंटी कवर प्रदान किया जाता है।
- सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP):
  - इसका उद्देश्य MSEs की उत्पादकता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता के साथ-साथ क्षमता निर्माण को बढ़ाना है।
- क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम (CLCS-TUS):
  - इसका उद्देश्य संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिये 15% पूंजी सब्सिडी प्रदान करके सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को प्रौद्योगिकी उन्नयन की सुविधा प्रदान करना है।
- CHAMPIONS पोर्टल:
  - इसका उद्देश्य भारतीय MSMEs की शिकायतों को हल करके उन्हें प्रोत्साहन, समर्थन प्रदान कर राष्ट्रीय और वैश्विक चैंपियन के रूप में स्थापित होने में सहायता करना है।

शहरी सहकारी बैंकों के लिये चार स्तरीय संरचना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने शहरी सहकारी बैंकों (UCB) के लिये एक चार स्तरीय संरचना का सुझाव दिया है।

- केंद्र सरकार ने जून 2020 में सभी शहरी और बहु-राज्य सहकारी बैंकों को RBI की सीधी निगरानी में लाने के लिये एक अध्यादेश को मंज़ूरी दी थी।
- RBI ने जनवरी 2020 में UCB के लिये पर्यवेक्षी कार्रवाई ढाँचा (SAF) को संशोधित किया।

प्रमुख बिंदु

शहरी सहकारी बैंकों का वर्गीकरण:

- बैंकों की सहकारिता, पूंजी की उपलब्धता और अन्य कारकों के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों को नियामक उद्देश्यों के लिये चार स्तरों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
  - टियर 1: सभी यूनिट यूसीबी और वेतन पाने वाले यूसीबी (जमा आकार के बावजूद) तथा अन्य सभी यूसीबी जिनके पास 100 करोड़ रुपए तक जमा हैं।
  - टियर 2: 100 करोड़ रुपए से 1,000 करोड़ रुपए के बीच जमा राशि वाले यूसीबी।
  - टियर 3: 1,000 करोड़ रुपए से 10,000 करोड़ रुपए के बीच जमा राशि वाले यूसीबी।
  - टियर 4: 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की जमा राशि वाले यूसीबी।
- इनके लिये जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (Capital to Risk-Weighted Assets Ratio) हेतु न्यूनतम पूंजी 9% से 15% तक और टियर 4 शहरी सहकारी बैंकों के लिये बेसल III निर्धारित मानदंडों में भिन्न हो सकती है।

अम्ब्रेला संगठन:

- इस समिति ने सहकारी बैंकों की देखरेख के लिये एक अम्ब्रेला संगठन (Umbrella Organisation) स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है तथा सुझाव दिया है कि यदि ये सभी नियामक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो इन्हें और शाखाएँ खोलने की अनुमति दी जानी चाहिये।
- अम्ब्रेला संगठन आर्थिक रूप से मज़बूत होना चाहिये और एक पेशेवर बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अच्छी तरह से शासित होना चाहिये।

पुनर्निर्माण:

- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत आरबीआई अनिवार्य समामेलन या यूसीबी के पुनर्निर्माण की योजना तैयार कर सकता है, जैसे बैंकिंग कंपनियों का निर्माण करता है।

पर्यवेक्षी कार्रवाई ढाँचा (SAF):

- SAF को मौजूदा ट्रिपल संकेतकों के बजाय दोहरे संकेतक दृष्टिकोण का पालन करना चाहिये यानी इसे नेट नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स और CRAR के माध्यम से मापी गई संपत्ति की गुणवत्ता और पूंजी पर विचार करना चाहिये।
  - SAF का उद्देश्य किसी बैंक के वित्तीय तनाव के लिये समयबद्ध उपाय खोजना होना चाहिये।
- यदि कोई 'शहरी विकास बैंक' लंबे समय तक SAF के सख्त चरण में रहता है, तो इसका उसके संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसकी वित्तीय स्थिति और खराब हो सकती है।

सुधार की आवश्यकता:

- प्रतिबंधात्मक नीतियाँ:
  - 'पूंजी' सहित संरचनात्मक मुद्दों और वैधानिक ढाँचे में अंतराल के कारण नियामक सुगमता के वांछित स्तर की कमी के कारण सहकारी बैंकों के लिये नियामक नीतियाँ उनके व्यवसाय संचालन के संबंध में प्रतिबंधात्मक रही हैं, जो काफी हद तक उनके विकास को प्रभावित कर रहा है।
    - बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के अधिनियमन के साथ वैधानिक कमियों को काफी हद तक दूर किया गया है।
- वित्तीय समावेशन
  - वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में इस क्षेत्र के महत्त्व तथा इसके ग्राहक आधार की बड़ी संख्या को देखते हुए यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र के नियमन हेतु अपनाई गई रणनीतियों की व्यापक समीक्षा की जाए ताकि इसके लचीलेपन को बढ़ाया जा सके और इसे सतत् एवं स्थायी विकास के लिये एक सक्षम वातावरण प्रदान किया जा सके।

सहकारी बैंक

परिचय:

- सहकारी बैंक, जो वाणिज्यिक बैंकों से अलग हैं, सहकारी ऋण समितियों की अवधारणा से पैदा हुए थे, जहाँ एक समुदाय, समूह के सदस्य एक-दूसरे को अनुकूल शर्तों पर ऋण देने के लिये एक साथ थे।
- सहकारी बैंकों को उनके परिचालन क्षेत्र के आधार पर आमतौर पर शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों में वर्गीकृत किया गया है।
- वे संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम या बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत हैं।
- सहकारी बैंक निम्नलिखित द्वारा शासित होते हैं:
  - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
  - बैंकिंग कानून (सहकारी समितियाँ) अधिनियम, 1955

सहकारी बैंकों की विशेषताएँ:

- ग्राहक के स्वामित्व वाली संस्थाएँ: सहकारी बैंक के सदस्य बैंक के ग्राहक और मालिक दोनों होते हैं।
- डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल: इन बैंकों का स्वामित्व और नियंत्रण सदस्यों के पास होता है, जो लोकतांत्रिक तरीके से निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं। "एक व्यक्ति, एक वोट" के सहकारी सिद्धांत के अनुसार, सदस्यों के पास आमतौर पर समान मतदान अधिकार होते हैं।
- लाभ आवंटन: वार्षिक लाभ, लाभ या अधिशेष का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा आमतौर पर भंडार बनाने के लिये आवंटित किया जाता है और इस लाभ का एक हिस्सा सहकारी सदस्यों को भी कानूनी तथा वैधानिक सीमाओं के साथ वितरित किया जा सकता है।
- वित्तीय समावेशन: इन्होंने बैंक रहित ग्रामीण जनता के वित्तीय समावेशन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को सस्ता ऋण प्रदान करते हैं।

बेसल III मानदंड

- परिचय:
  - बेसल III मानक बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये मानक बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की एक शृंखला प्रस्तुत करते हैं जिसके द्वारा बैंकों के विनियमों में सुधार, जोखिम प्रबंधन और बैंकों का पर्यवेक्षण किया जाता है।
  - BCBS सदस्य समिति द्वारा स्थापित समय-सीमा के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र में मानकों को लागू करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।
- तीन स्तंभ: बेसल 3 मानक तीन स्तंभों पर आधारित हैं:
  - स्तंभ 1: वित्तीय और आर्थिक अस्थिरता से उत्पन्न होने वाले उतार-चढ़ाव को अवशोषित करने के लिये बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता में सुधार करना।
  - स्तंभ 2: बैंकिंग क्षेत्र की जोखिम प्रबंधन क्षमता और शासन में सुधार करना।
  - स्तंभ 3: बैंकों की पारदर्शिता और प्रकटीकरण को मज़बूत करना।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन' (NMP) की शुरुआत की है। NMP के अनुमान के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक चार साल की अवधि में केंद्र सरकार की मुख्य संपत्ति में 6 लाख करोड़ रुपए की कुल मुद्रीकरण क्षमता मौजूद है।

- यह योजना प्रधानमंत्री की रणनीतिक विनिवेश नीति के अनुरूप है, जिसके तहत सरकार केवल कुछ ही विशिष्ट क्षेत्रों में उपस्थिति बनाए रखेगी और शेष को निजी क्षेत्र के लिये खोल दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन

- इसका उद्देश्य ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में निजी क्षेत्र को शामिल करना और उन्हें राजस्व अधिकार हस्तांतरित करना है, हालाँकि इसके तहत परियोजनाओं के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा, साथ ही इसके माध्यम से उत्पन्न पूंजी का उपयोग देश भर में बुनियादी अवसंरचनाओं के निर्माण के लिये किया जाएगा।
- NMP का प्राथमिक कार्य मुद्रीकरण के लिये एक स्पष्ट ढाँचा प्रदान करना और संभावित निवेशकों के लिये मुद्रीकरण हेतु उपलब्ध संपत्ति की एक सूची तैयार करना है।
- केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत स्थायी बुनियादी अवसंरचना के वित्तपोषण हेतु मौजूदा सार्वजनिक बुनियादी अवसंरचना परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण को एक प्रमुख साधन के रूप में मान्यता दी गई थी।
- वर्तमान में इसके तहत केवल केंद्र सरकार के मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) की संपत्ति को ही शामिल किया गया है।
- सरकार ने स्पष्ट किया है कि ब्राउनफील्ड संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ हैं, जिन्हें सरकार द्वारा 'जोखिम रहित' माना गया है और इसलिये निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- सड़क, रेलवे और बिजली क्षेत्र की संपत्ति में मुद्रीकृत होने वाली संपत्ति के कुल अनुमानित मूल्य का 66% से अधिक शामिल होगा, इसके अलावा इसमें दूरसंचार, खनन, विमानन, बंदरगाह, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन, गोदाम और स्टेडियम भी शामिल हैं।
  - मूल्य के अनुसार वार्षिक चरणबद्धता के संदर्भ में चालू वित्त वर्ष में 0.88 लाख करोड़ रुपए के सांकेतिक मूल्य के साथ 15% परिसंपत्तियों को इसी वित्तीय वर्ष में मुद्रीकृत किया जाएगा।
- 'राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन' दिसंबर 2019 में घोषित 100 लाख करोड़ रुपए की 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' (NIP) के साथ-साथ क्रियान्वित की जाएगी।
  - मुद्रीकरण के माध्यम से जुटाई जाने वाली अनुमानित राशि 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' के तहत केंद्र के 43 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावित परिव्यय का लगभग 14% है।
  - 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं पर एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करेगी, जो रोज़गार पैदा करने, जीवनयापन में सुधार और सभी के लिये बुनियादी अवसंरचना तक समान पहुँच सुनिश्चित करने में मददगार होगी, जिससे विकास अधिक समावेशी हो सकेगा। इसमें मुख्यत: आर्थिक और सामाजिक बुनियादी अवसंरचना परियोजनाएँ शामिल हैं।
  - बुनियादी अवसंरचना विकास से संबंधित अन्य पहलों में 'राज्यों के पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता योजना' और 'औद्योगिक गलियारे' आदि शामिल हैं।

मुद्रीकरण (Monetisation):

- एक मुद्रीकरण लेन-देन में सरकार मूल रूप से अग्रिम धन, राजस्व हिस्सेदारी और परिसंपत्तियों में निवेश की प्रतिबद्धता के बदले में एक निर्दिष्ट लेन-देन अवधि के लिये निजी पार्टियों को राजस्व अधिकार हस्तांतरित करती है।
- उदाहरण के लिये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (Reits) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (Invits) सड़कों और बिजली क्षेत्रों में संपत्ति का मुद्रीकरण करने के लिये उपयोग की जाने वाली प्रमुख संरचनाएँ हैं।
  - ये स्टॉक एक्सचेंजों में भी सूचीबद्ध हैं, निवेशकों को द्वितीयक बाज़ारों के माध्यम से भी तरलता प्रदान करते हैं।
- जबकि ये एक संरचित वित्तपोषण वाहन हैं, सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के आधार पर अन्य मुद्रीकरण मॉडल में शामिल हैं:
  - ऑपरेट मेंटेन ट्रांसफर (OMT),
  - टोल ऑपरेट ट्रांसफर (TOT),
  - संचालन, रखरखाव और विकास (OMD)।

ग्रीनफील्ड बनाम ब्राउनफील्ड निवेश

- ग्रीनफील्ड:
  - यह एक विनिर्माण, कार्यालय या अन्य भौतिक कंपनी से संबंधित संरचना या संरचनाओं के समूह में उस क्षेत्र में निवेश को संदर्भित करता है जहाँ पहले कोई सुविधाएँ मौजूद नहीं हैं।
- ब्राउनफील्ड निवेश:
  - जिन परियोजनाओं को संशोधित या उन्नत किया जाता है उन्हें ब्राउनफील्ड परियोजना कहा जाता है।
  - एक नई उत्पादन गतिविधि शुरू करने के लिये मौजूदा उत्पादन सुविधाओं को खरीदने या पट्टे पर देने के लिये इस शब्द का उपयोग किया जाता है।

संबंधित चुनौतियाँ:

- विभिन्न संपत्तियों में पहचान योग्य राजस्व धाराओं का अभाव।
- एयर इंडिया और BPCL समेत सरकारी कंपनियों में निजीकरण की धीमी रफ्तार।
  - इसके अलावा ट्रेनों में हाल ही में शुरू की गई PPP पहल में कम-से-कम उत्साहजनक बोलियों से यह संकेत मिलता है कि निजी निवेशकों की रुचि को आकर्षित करना इतना आसान नहीं है।
- संपत्ति-विशिष्ट चुनौतियाँ:
  - गैस और पेट्रोलियम पाइपलाइन नेटवर्क में क्षमता उपयोग का निम्न स्तर।
  - विद्युत क्षेत्र की परिसंपत्तियों में विनियमित टैरिफ।
  - फोर लेन से नीचे के राष्ट्रीय राजमार्गों के लिये निवेशकों में कम दिलचस्पी।
  - उदाहरण के लिये कोंकण रेलवे में राज्य सरकारों सहित कई हितधारक हैं, जिनकी कंपनी में हिस्सेदारी है।

आगे की राह

- क्रियान्वयन ही सफलता की कुंजी है: सरकार ने NMP ढाँचे में बुनियादी ढाँचे के विकास के कारण कई चुनौतियों का समाधान करने की कोशिश की है, योजना का क्रियान्वयन इसकी सफलता के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- विवाद निवारण तंत्र: इसके अलावा एक कुशल विवाद समाधान तंत्र की आवश्यकता है।
- बहु-हितधारक दृष्टिकोण: बुनियादी ढाँचे की विस्तार योजना की सफलता अन्य हितधारकों संबंधी उनकी उचित भूमिका निभाने पर निर्भर करेगी।
  - इनमें राज्य सरकारें और उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम व निजी क्षेत्र शामिल हैं।
  - इस संदर्भ में पंद्रहवें वित्त आयोग ने केंद्र और राज्यों के वित्तीय उत्तरदायित्व कानून की फिर से जाँच करने के लिये एक उच्चाधिकार प्राप्त अंतर-सरकारी समूह की स्थापना की सिफारिश की है।

वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक (Global Manufacturing Risk Index) 2021 में भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व स्तर पर दूसरा सबसे अधिक मांग वाला विनिर्माण गंतव्य बन गया है।

- गत वर्ष जारी सूचकांक में अमेरिका दूसरे स्थान पर जबकि भारत तीसरे स्थान पर था।

नोट :

प्रमुख बिंदु

सूचकांक के विषय में:

- यह यूरोप, अमेरिका और एशिया-प्रशांत (APAC) के 47 देशों में वैश्विक विनिर्माण की दृष्टि से सबसे फायदेमंद स्थानों का आकलन करता है।
- रिपोर्ट में रैंकिंग का निर्धारण चार प्रमुख मापदंडों के आधार पर किया जाता है:
  - विनिर्माण को पुन: शुरू करने के मामले में देश की क्षमता,
  - कारोबारी माहौल (प्रतिभा/श्रम की उपलब्धता, बाज़ारों तक पहुँच),
  - संचालन लागत,
  - जोखिम (राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय)।
- यह सूचकांक अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड (Cushman & Wakefield) द्वारा जारी किया जाता है।
- वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, 2021 में चीन पहले स्थान पर बना हुआ है जबकि अमेरिका तीसरे स्थान पर पहुँच गया है।
- रैंकिंग में सुधार निर्माताओं द्वारा अमेरिका और APAC क्षेत्र के देशों सहित अन्य देशों की तुलना में भारत के प्रति एक पसंदीदा विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ती रुचि को दर्शाता है।

भारत की रैंकिंग में सुधार हेतु उत्तरदायी कारक:

- भारत पर बढ़ते फोकस का श्रेय भारत की परिचालन स्थितियों और लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता को दिया जा सकता है।
- भारत की जनसंख्या अति विशाल है, जिसका अर्थ है कि यहाँ नवीन क्षमताओं वाला एक युवा कार्यबल उपस्थित है जो देश के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने की क्षमता रखता है।
- फार्मा, रसायन और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में पहले से ही स्थापित आधार के कारण चीन से एशिया के अन्य हिस्सों में संयंत्र स्थानांतरण को भी रैंकिंग में सुधार के लिये उत्तरदायी माना जा सकता है।
  - इसके अलावा ये कारक अमेरिका-चीन व्यापार तनाव के केंद्र में भी बने हुए हैं।

भारत में विनिर्माण क्षेत्र में सुधार हेतु हाल की पहल:

- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP)
- मेक इन इंडिया
- स्किल इंडिया
- सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिये ऋण गारंटी योजना
- नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना (ASPIRE)
- प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
- औद्योगिक गलियारे

समर्थ उद्योग भारत 4.0 प्लेटफॉर्म

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट' (CMTI) बंगलूरू ने 'समर्थ उद्योग भारत 4.0 प्लेटफॉर्म' के तहत 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' मनाने के लिये 'समर्थ उद्योग केंद्रों से विशेषज्ञ वार्ता' हेतु एक वेबिनार का आयोजन किया।

- इसका उद्देश्य स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास और स्मार्ट विनिर्माण एवं उद्योग 4.0 के क्षेत्र में सहयोग के तरीकों पर समर्थ उद्योग केंद्रों के विशेषज्ञों से वार्ता करना था।

- CMTI भारी उद्योग मंत्रालय के तत्त्वावधान में एक अनुसंधान एवं विकास संगठन है, जो विनिर्माण क्षेत्र को 'प्रौद्योगिकी समाधान' प्रदान करने और देश में तकनीकी विकास में सहायता करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

प्रमुख बिंदु

समर्थ उद्योग भारत 4.0

- 'स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब' यानी समर्थ उद्योग भारत 4.0' भारी उद्योग विभाग की एक उद्योग 4.0 पहल है, जो भारतीय पूंजीगत उत्पाद क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि पर ज़ोर देती है।
    - प्रौद्योगिकी विकास एवं बुनियादी ढाँचे के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये वर्ष 2014 में 'भारतीय पूंजीगत उत्पाद क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि' योजना को अधिसूचित किया गया था।
- CMTI ने तीव्रता से बढ़ते भारतीय विनिर्माण उद्योग के लिये 'उद्योग 4.0' और 'स्मार्ट विनिर्माण प्रथाओं' को अपनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने तथा उनका समर्थन करने के लिये एक 'सामान्य इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र' (CEFC) के रूप में 'स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग डेमो एंड डेवलपमेंट सेल' (SMDDC) की स्थापना की है।

उद्योग 4.0

- यह चौथी औद्योगिक क्रांति को संदर्भित करता है, जो कि विनिर्माण क्षेत्र में साइबर-भौतिक परिवर्तनों से संबद्ध है।
- इसे प्राय: 'साइबर-भौतिक प्रणालियों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग तथा कॉग्निटिव कंप्यूटिंग और स्मार्ट फैक्ट्री बनाने सहित विनिर्माण प्रौद्योगिकियों में स्वचालन एवं डेटा विनिमय की वर्तमान प्रवृत्ति के लिये प्रयोग किया जाता है।

औद्योगिक क्रांति 4.0 के लाभ:

- इससे प्रक्रियाओं में उत्पादकता, दक्षता और गुणवत्ता में वृद्धि होगी, खतरनाक वातावरण (Dangerous Environments) में कार्य को कम करके श्रमिकों के लिये अधिक सुरक्षा, डेटा-आधारित उपकरणों के साथ निर्णय लेने में वृद्धि करेगा और अनुकूल उत्पादों को विकसित करके प्रतिस्पर्द्धा में सुधार करेगा।

चुनौतियाँ:

- तकनीकी कौशल में अंतर:
    - चूँकि कार्यबल के लिये महत्त्वपूर्ण सभी आवश्यकताएँ विकसित हो रही हैं इसलिये केवल सही कार्यबल के साथ ही व्यवसाय मॉडल नई तकनीक को सफलतापूर्वक लागू करने और संचालन को बनाए रखने में सक्षम होंगे।
- डेटा संवेदनशीलता:
    - प्रौद्योगिकी में वृद्धि ने डेटा और IP गोपनीयता, स्वामित्व तथा प्रबंधन पर बढ़ती चिंताओं को भी जन्म दिया है।
- नवाचार:
    - प्रोटोकॉल, घटकों, उत्पादों और प्रणालियों के बीच अलगाव की कमी भी एक चुनौती है क्योंकि इंटरऑपरेबिलिटी कंपनियों की नवाचार करने की क्षमता को बाधित करती है।
- सुरक्षा:
    - कारखानों में मौजूदा और उभरती कमज़ोरियों के संदर्भ में खतरे एक और गंभीर चिंता का विषय है।
    - भौतिक और डिजिटल सिस्टम जो स्मार्ट कारखानों का निर्माण करते हैं और रियल-टाइम इंटरऑपरेबिलिटी को संभव बनाते हैं।
- हैंडलिंग डेटा ग्रोथ:
    - जैसे-जैसे अधिक कंपनियाँ AI के उपयोग पर निर्भर होंगी, कंपनियों को अधिक डेटा का सामना करना पड़ेगा जो कि तेज़ गति से उत्पन्न हो रहा है और कई प्रारूपों में प्रस्तुत किया जा रहा है।

भारतीय परिदृश्य

भारत की वर्तमान क्षमता का अवलोकन:

- भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
- यह जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक है।
- जब कारों के निर्यात की बात आती है तो यह शीर्ष 15 में भी शामिल नहीं है।
- कुल मिलाकर भारत का विनिर्माण क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 17% है।
  - सेवा क्षेत्र 65% से अधिक का विनिर्माण करता है।

संबंधित पहल:

- 2018 में विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने भारत सरकार के सहयोग से कार्य करने के उद्देश्य से भारत में चौथी औद्योगिक क्रांति हेतु अपना केंद्र स्थापित किया।
- नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (NITI) आयोग उभरती प्रौद्योगिकियों के लिये नए नीति ढाँचे को विस्तृत करने हेतु WEF के साथ समन्वय स्थापित करने के लिये नामित नोडल एजेंसी है।
- भारत सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये पहले से ही सक्षम नीतिगत ढाँचा तैयार कर प्रोत्साहन प्रदान किया है।
- समर्थ उद्योग भारत 4.0 जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण, डेमो सेंटर आदि जैसे कदमों के माध्यम से 2025 तक भारतीय विनिर्माण इकाइयों के लिये तकनीकी समाधान विकसित करने के उद्देश्य से उद्योग 4.0 के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने हेतु भारत की पहल है।
- भारत की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (NMP) को प्रख्यापित किया गया है जिसका उद्देश्य सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाना है और यह उद्योग 4.0 के उद्देश्य को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है।
- अन्य :
  - मेक इन इंडिया, विनिर्माण समूहों की स्थापना, व्यापार सुगमता सूचकांक (Ease Of Doing Business) में सुधार, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं की घोषणा, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, कर सुधार, अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना, बड़ी बुनियादी ढाँचा विकास परियोजनाएँ, विद्युत क्षेत्र में सुधार तथा देश में पर्यावरण, सामाजिक और कॉर्पोरेट प्रशासन (ESG) को मज़बूत करना।
  - 5G परीक्षण और डिजिटल इंडिया जैसी पहल।

आगे की राह

- औद्योगिक क्रांति 4.0 के संदर्भ में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, एनालिटिक्स और IoT को अपनाने से भारत में औद्योगीकरण को एक नया अवसर मिलेगा।
- नीति कार्यान्वयन बाधाओं के अलावा एक बड़ी बाधा कुशल श्रमिकों की कमी या रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के कारण नौकरी छूटने का डर है। इसका सामना करने के लिये एक स्मार्ट रणनीति बनाकर इन क्षेत्रों में श्रमिकों और लाखों लोगों के कौशल को बढ़ावा देना तथा अधिक रोज़गार सृजित करना है।

ईज़ 4.0

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा की और EASE 4.0 या एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस रिफॉर्म एजेंडा (Enhanced Access and Service Excellence Reform Agenda-EASE) लॉन्च किया।

- EASE 4.0 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिये एक सामान्य सुधार एजेंडा है जिसका उद्देश्य स्वच्छ और स्मार्ट बैंकिंग को संस्थागत बनाना है।

प्रमुख बिंदु

ईज़ 4.0 के बारे में :

- EASE 4.0 ग्राहक-केंद्रित डिजिटल परिवर्तन के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए PSB को तकनीक-सक्षम, सरलीकृत और सहयोगी बैंकिंग के लिये प्रतिबद्ध करता है।
- इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख विषय प्रस्तावित किये गए:
  - 24x7 बैंकिंग : EASE 4.0 के तहत बैंकिंग सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु लचीली तकनीक के साथ नए युग के 24x7 बैंकिंग की थीम पेश की गई है।
  - उत्तर-पूर्वी राज्यों पर फोकस : बैंकों को भी उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिये विशेष स्कीम तैयार करने के लिये अनुरोध किया गया है।
  - बैड बैंक : प्रस्तावित बैड बैंक लाइसेंस प्राप्त करने के बहुत करीब है।
    - एक बैड बैंक वह है जिसे किसी अन्य वित्तीय संस्थान के बैड ऋणों और अन्य अनकदी (illiquid) होल्डिंग्स को खरीदने के लिये स्थापित किया जाता है।
  - बैंकिंग क्षेत्र के बाह्य क्षेत्रों से धन का सृजन: बदलते समय के साथ अब उद्योगों के पास बैंकिंग क्षेत्र के बाह्य क्षेत्रों से भी धन के सृजन का विकल्प है।
    - बैंक स्वयं विभिन्न माध्यमों से धन जुटा रहे हैं।
    - जहाँ ज़रूरत हो वहाँ क्रेडिट को लक्षित करने के लिये इन नए पहलुओं का अध्ययन करने की आवश्यकता है।
  - फिनटेक क्षेत्र का लाभ उठाना : फिनटेक (वित्तीय प्रौद्योगिकी), एक ऐसा क्षेत्र जो बैंकों को तकनीकी सहायता प्रदान कर सकता है और साथ ही बैंकिंग क्षेत्र की सहायता से लाभ उठा सकता है।
  - निर्यात प्रोत्साहन : 'एक जिला, एक निर्यात' एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिये बैंकों से राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया जाएगा।

EASE एजेंडा के संदर्भ में:

- इसे सरकार और PSB द्वारा संयुक्त रूप से जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था।
- इसे इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के माध्यम से कमीशन किया गया था और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा निर्मित किया गया था।
- EASE सुधार एजेंडा के तहत विभिन्न चरण:
  - EASE 1.0: EASE 1.0 रिपोर्ट ने पारदर्शी रूप से गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) के समाधान में PSB के प्रदर्शन में महत्त्वपूर्ण सुधार दिखाया।
  - EASE 2.0: EASE 2.0 को EASE 1.0 की नींव पर बनाया गया था और सुधार यात्रा को अपरिवर्तनीय बनाने, प्रक्रियाओं और प्रणालियों को मज़बूत करने तथा परिणामों को लागू करने के लिये छह विषयों में नए सुधार कार्य बिंदु प्रस्तुत किये गए। EASE 2.0 के छह विषय हैं:
    - ज़िम्मेदार बैंकिंग;
    - ग्राहक प्रतिक्रिया;
    - क्रेडिट ऑफ-टेक,
    - उद्यमी मित्र के रूप में पीएसबी (MSMEs के क्रेडिट प्रबंधन के लिये सिडबी पोर्टल);
    - वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण;
    - शासन और मानव संसाधन (HR)।

नोट :

- Ease 3.0: यह तकनीक का उपयोग करते हुए सभी ग्राहक अनुभवों में बैंकिंग को आसान बनाने का प्रयास करता है।
  - Dial-a-Loan और PSBloansin59minutes.com
  - फिनटेक और ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ साझेदारी,
  - Credit@Click,
  - टेक-सक्षम कृषि ऋण,
  - EASE बैंकिंग आउटलेट आदि।
- EASE रिफॉर्म्स एजेंडा के तहत प्रदर्शन:
  - EASE रिफॉर्म्स इंडेक्स: इंडेक्स 120+ ऑब्जेक्टिव मेट्रिक्स पर प्रत्येक PSB के प्रदर्शन को मापता है। इसका लक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करके परिवर्तन को जारी रखना है।
  - PSB ने अच्छा प्रदर्शन किया है और महामारी के दौरान विस्तारित सेवा के बावजूद त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) से बाहर आ गए हैं।
    - PCA एक ढाँचा है जिसके तहत कमज़ोर वित्तीय मैट्रिक्स वाले बैंकों को आरबीआई द्वारा निगरानी में रखा जाता है।
  - फरवरी 2020 में EASE 3.0 रिफॉर्म्स एजेंडा के लॉन्च होने के बाद से PSB ने चार तिमाहियों में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है।

गन्ने का मूल्य निर्धारण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी सीज़न 2021-22 के लिये गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) में बढ़ोतरी को मंज़ूरी दी है।

गन्ना (Sugarcane)

- तापमान : उष्ण और आर्द्र जलवायु के साथ 21-27 डिग्री सेल्सियस के बीच।
- वर्षा : लगभग 75-100 सेमी.।
- मिट्टी का प्रकार : गहरी समृद्ध दोमट मिट्टी।
- शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य : उत्तर प्रदेश> महाराष्ट्र> कर्नाटक> तमिलनाडु> बिहार।
- ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- इसे बलुई दोमट से लेकर चिकनी दोमट मिट्टी तक सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, क्योंकि इसके लिये अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है।
- इसमें बुवाई से लेकर कटाई तक शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है।
- यह चीनी, गुड़, खांडसारी और राब का मुख्य स्रोत है।
- चीनी उद्योग को समर्थन देने हेतु सरकार की दो पहलें हैं- चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता देने की योजना (SEFASU) और जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति गन्ना उत्पादन योजना।

प्रमुख बिंदु

- गन्ने का मूल्य निर्धारण : गन्ने की कीमतें निम्न द्वारा निर्धारित की जाती हैं:
  - केंद्र सरकार : उचित और लाभकारी मूल्य (FRP)
    - केंद्र सरकार उचित और लाभकारी मूल्यों की घोषणा करती है जो कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिश पर निर्धारित होते हैं तथा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCEA) द्वारा घोषित किये जाते हैं।
    - CCEA की अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करता है।
    - FRP गन्ना उद्योग के पुनर्गठन पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।

- राज्य सरकार : राज्य परामर्श मूल्य (SAP)
  - प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों की सरकारों द्वारा राज्य परामर्श मूल्य (SAP) की घोषणा की जाती है।
  - SAP आमतौर पर FRP से अधिक होता है।
- FRP और MSP के बीच तुलना:

	उचित और लाभकारी मूल्य (FRP)	**न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)**
परिभाषा	FRP वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर चीनी मिलों द्वारा किसानों से गन्ना खरीदा जाना है।	MSP किसी भी फसल के लिये "न्यूनतम मूल्य" है जिसे सरकार किसानों हेतु लाभकारी मानती है और इसलिये "समर्थन" के योग्य है। यह वह कीमत भी है जिस पर सरकारी एजेंसियाँ फसल विशेष की खरीद करती हैं तो भुगतान करती हैं।
अनुशंसा	कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) द्वारा अनुशंसित	कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) द्वारा अनुशंसित
अनिवार्य फसलें	अनिवार्य फसल गन्ना है।	अनिवार्य फसलों में खरीफ मौसम की 14 फसलें, 6 रबी फसलें और अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। • अनाज (7): धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी। • दालें (5): चना, अरहर/तूर, मूँग, उड़द और अन्य दालें। • तिलहन (8): मूँगफली, रेपसीड/सरसों, तोरिया, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल, कुसुम बीज और नाइजर बीज। • कच्चा कपास, कच्चा जूट, खोपरा, भूसी वाला नारियल
कारक	• गन्ने के उत्पादन की लागत; • वैकल्पिक फसलों से उत्पादकों की वापसी और कृषि वस्तुओं की कीमतों की सामान्य प्रवृत्ति; • उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धता; • वह मूल्य जिस पर गन्ने से उत्पादित चीनी को चीनी उत्पादकों द्वारा बेचा जाता है; • गन्ने से चीनी की प्राप्ति; • उप-उत्पादों की बिक्री से होने वाली प्राप्ति अर्थात् गुड़, खोई और उन पर आरोपित मूल्य; • गन्ने के उत्पादकों के लिये जोखिम और मुनाफे के कारण उचित मार्जिन	• वस्तु की आपूर्ति और मांग की स्थिति। • बाज़ार मूल्य रुझान (घरेलू और वैश्विक) तथा अन्य फसलों के साथ समानता। • उपभोक्ताओं पर प्रभाव (मुद्रास्फीति)। • पर्यावरण (मिट्टी और पानी का उपयोग)। • कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें।
कानूनी समर्थन	गन्ने का मूल्य निर्धारण आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए), 1955 के तहत जारी गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के वैधानिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है।	MSP अनिवार्य है, सांविधिक नहीं। वर्तमान में MSP या उनके कार्यान्वयन को अनिवार्य करने वाले किसी कानून के लिये कोई वैधानिक समर्थन नहीं है।

नोट:

कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। यह एक सलाहकार निकाय है जिसकी सिफारिशें सरकार के लिये बाध्यकारी नहीं हैं।

स्वेट इक्विटी' नियमः सेबी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड' ने 'सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 को लागू किया है। इन नियमों ने उन कर्मचारियों के दायरे को विस्तृत कर दिया है, जिन्हें स्टॉक (इक्विटी) विकल्प की पेशकश की जा सकती है।

- सेबी ने 'सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014', 'सेबी (इशू ऑफ स्वेट इक्विटी) विनियम, 2002' और 'सेबी (स्वेट इक्विटी विनियम) का विलय कर दिया है।
- 'भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड', सेबी अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसका मूल कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाज़ार को विनियमित करना है।

प्रमुख बिंदु

- स्वेट इक्विटी
  - परिचय
    - 'स्वेट इक्विटी' का आशय एक कंपनी के कर्मचारी या संस्थापक की ओर से कंपनी को दिये गए गैर-मौद्रिक योगदान से होता है। प्रायः वित्तीय संकट से प्रभावित स्टार्टअप और व्यवसायों के मालिक आमतौर पर अपनी कंपनियों के लिये फंड जुटाने हेतु 'स्वेट इक्विटी' का उपयोग करते हैं।
    - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (88) के अनुसार, 'स्वेट इक्विटी' शेयरों का अर्थ ऐसे इक्विटी शेयर से है, जो किसी कंपनी द्वारा अपने निदेशकों या कर्मचारियों को छूट पर जारी किये जाते हैं।
    - यह बौद्धिक संपदा अधिकारों या मूल्य वर्द्धन की प्रकृति में जानकारी प्रदान करने या अधिकार उपलब्ध कराने के लिये भी जारी किये जाएंगे।
  - अधिकतम सीमा:
    - एक सूचीबद्ध कंपनी द्वारा जारी किये जा सकने वाले स्वेट इक्विटी शेयरों की अधिकतम वार्षिक सीमा मौजूदा पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी के 15% निर्धारित की गई है, जो कि किसी भी समय कुल पेड-अप कैपिटल के 25% से अधिक नहीं हो सकती।
    - इसके अलावा 'इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म' (IGP) पर सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में वार्षिक सीमा 15% होगी, जबकि समग्र सीमा किसी भी समय पेड-अप कैपिटल के 50% से अधिक नहीं होगी। यह कंपनी के निगमन की तारीख से 10 साल के लिये लागू होगा।
    - वर्ष 2019 में सेबी ने ऐसे जारीकर्त्ताओं को सूचीबद्ध करने हेतु 'इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म' (जिसे पूर्व में 'इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म' के नाम से जाना जाता था) लॉन्च किया था, जो अपने उत्पाद या सेवाएँ प्रदान करने हेतु प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा, डेटा एनालिटिक्स, जैव प्रौद्योगिकी या नैनो-प्रौद्योगिकी का गहन उपयोग कर रहे हैं।
    - यह प्रस्ताव 'इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म' पर सूचीबद्ध होने वाली सभी नई स्टार्ट-अप कंपनियों को महत्त्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगा।
- शेयर आधारित कर्मचारी लाभ:
  - पात्रता
    - कंपनियों को अब उन कर्मचारियों को शेयर-आधारित कर्मचारी लाभ प्रदान करने की अनुमति होगी, जो विशेष रूप से उस कंपनी या उसके किसी समूह की किसी सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी के लिये काम कर रहे हैं।
    - यह उम्मीद की जा रही है कि इससे न केवल कंपनियों को कर्मचारियों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिये 'शेयर-आधारित कर्मचारी लाभों' का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलेगी, बल्कि कर्मचारी में ज़िम्मेदारी और स्वामित्व की भावना भी आएगी जो उन्हें कंपनी के विकास के लिये काम करने हेतु प्रेरित करेगी।

- लॉकिंग अवधि:
  - स्थायी अक्षमता या मृत्यु के मामलों में किसी कर्मचारी या उसके परिवार को तत्काल राहत प्रदान करने के लिये सभी शेयर लाभ योजनाओं हेतु न्यूनतम अवधि और लॉक-इन अवधि (न्यूनतम 1 वर्ष) की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों को तात्कालिक लाभ मिल सकेगा।

- प्रयोज्यता:
  - नए नियम केवल सूचीबद्ध कंपनियों पर लागू होंगे, क्योंकि ये सेबी द्वारा तैयार किये गए हैं, जो केवल सूचीबद्ध कंपनियों को नियंत्रित करते हैं।
    - सूचीबद्ध कंपनी का आशय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी से है, जिसमें शेयर व्यापार योग्य होते हैं, जबकि एक गैर-सूचीबद्ध कंपनी वह होती है, जो शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध नहीं होती है।
  - गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लिये किसी भी आवश्यक बदलाव को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत लागू किया जाता है।

ई-श्रम पोर्टल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने 'ई-श्रम पोर्टल' लॉन्च किया है।

प्रमुख बिंदु

- 'ई-श्रम' पोर्टल के विषय में:
  - उद्देश्य: देश भर में कुल 38 करोड़ असंगठित श्रमिकों जैसे- निर्माण मज़दूरों, प्रवासी कार्यबल, रेहड़ी-पटरी वालों और घरेलू कामगारों को पंजीकृत करना।
    - इसके तहत श्रमिकों को एक 'ई-श्रम कार्ड' जारी किया जाएगा, जिसमें 12 अंकों का एक विशिष्ट नंबर शामिल होगा।
    - यदि कोई कर्मचारी 'ई-श्रम' पोर्टल पर पंजीकृत है और दुर्घटना का शिकार होता है, तो मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए का पात्र होगा।
  - पृष्ठभूमि: ई-श्रम पोर्टल का गठन सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय के बाद किया गया है, जिसमें न्यायालय ने सरकार को जल्द-से-जल्द असंगठित श्रमिकों की पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया था, ताकि वे विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत दी जाने वाली कल्याणकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकें।
  - क्रियान्वयन: देश भर में असंगठित कामगारों के पंजीकरण का कारण संबंधित राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों द्वारा किया जाएगा।
- भारत में असंगठित क्षेत्र की स्थिति:
  - श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने असंगठित श्रम बल को चार समूहों के अंतर्गत वर्गीकृत किया है:
    - पेशा/व्यवसाय
    - इसके तहत छोटे एवं सीमांत किसान, भूमिहीन खेतिहर मज़दूर, बटाईदार, मछुआरे, पशुपालन और बीड़ी बनाने के कार्य में संलग्न लोग शामिल हैं।
    - रोज़गार की प्रकृति:
    - संलग्न खेतिहर मज़दूर, बंधुआ मज़दूर, प्रवासी श्रमिक, ठेका और आकस्मिक मज़दूर इस श्रेणी में शामिल हैं।
    - विशेष रूप से व्यथित श्रेणी
    - इस श्रेणी में ताड़ी टैपर, मैला ढोने वाले, सिर के भार के वाहक, पशु चालित वाहनों के चालक, लोडर और अनलोडर शमिल हैं।
    - सेवा श्रेणी
    - इसमें दाई, घरेलू कामगार, मछुआरे, महिलाएँ, नाई, सब्जी और फल विक्रेता, समाचार पत्र विक्रेता आदि शामिल हैं।
  - 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण' (PLFS 2018-19) के अनुसार, 90% श्रमिक यानी 465 मिलियन में से 419 मिलियन श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में संलग्न हैं।

- महामारी के दौरान रोज़गार की मौसमी प्रकृति और औपचारिक कर्मचारी-नियोक्ता संबंधों की कमी के कारण ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक श्रमिकों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है।

- असंगठित क्षेत्र का समर्थन करने के लिये पूर्व में की गई पहलें:
  - प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM)
  - श्रम सुधार
  - प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना (PMRPY)
  - PM स्वनिधि : स्ट्रीट वेंडर्स के लिये सूक्ष्म ऋण योजना
  - आत्मनिर्भर भारत अभियान
  - दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
  - PM गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)
  - वन नेशन वन राशन कार्ड
  - आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना
  - प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
  - भारत के अनौपचारिक श्रमिक वर्ग को विश्व बैंक की सहायता

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन' के महत्त्वपूर्ण घटक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'नीति आयोग' ने 'राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन' (NMP) की सफलता के लिये महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में 'इन्फ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट' (InvITs) और 'रियल एस्टेट इंवेस्टमेंट ट्रस्ट' (REITs) जैसे मुद्रीकरण उपकरणों को बढ़ाने हेतु नीति एवं नियामक परिवर्तन लाने की सिफारिश की है।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन
  - 'राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन' का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक चार वर्ष की अवधि में केंद्र सरकार की मुख्य संपत्ति के माध्यम से कुल 6 लाख करोड़ रुपए का मुद्रीकरण किया जा सकता है।
    - यह योजना प्रधानमंत्री की 'रणनीतिक विनिवेश नीति' के अनुरूप है, जिसके तहत सरकार केवल कुछ चिह्नित क्षेत्रों में उपस्थिति बनाए रखेगी और शेष को निजी क्षेत्रों के लिये खोल दिया जाएगा।
  - इसके तहत सरकार की योजना राजमार्गों, गैस पाइपलाइनों, रेलवे पटरियों और बिजली ट्रांसमिशन लाइनों जैसी सार्वजनिक संपत्तियों के मुद्रीकरण के लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट' (InvITs) एवं 'रियल एस्टेट इंवेस्टमेंट ट्रस्ट' (REITs) का उपयोग करना है।
- नीति आयोग की सिफारिशें
  - InvITs को 'दिवाला और दिवालियापन संहिता' (IBC) के तहत लाना: यद्यपि भारत में InvITs संरचनाओं का उपयोग वर्ष 2014 से किया जा रहा है, किंतु ऐसे ट्रस्टों को 'कानूनी व्यक्ति' नहीं माना जाता है।
    - इसलिये 'दिवाला और दिवालियापन संहिता' InvIT ऋणों पर लागू नहीं होती है। ऋणदाताओं के पास परियोजना परिसंपत्तियों के लिये कोई मौजूदा प्रक्रिया नहीं है।
    - हालाँकि 'वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002' (सरफेसी अधिनियम) तथा 'ऋणों की वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993' के तहत ऋणदाताओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है।
    - इस प्रकार IBC प्रावधानों को InvITs तक विस्तारित करने से ऋणदाताओं को एक तीव्र एवं अधिक प्रभावी ऋण पुनर्गठन और समाधान विकल्प तक पहुँचने में मदद मिलेगी।

- टैक्स ब्रेक: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54EC के तहत सुरक्षित निवेश हेतु InvITs में कर लाभ की अनुमति देने से यह कर-कुशल और उपयोगकर्त्ता अनुकूल तंत्र, खुदरा निवेशकों (व्यक्तिगत / गैर-पेशेवर निवेशकों) को आकर्षित करेगा।
    - हालाँकि इससे राजकोष के राजस्व में हानि के कारण लागत में वृद्धि होगी, लेकिन दीर्घकालिक लाभ लागत से अधिक हो सकता है क्योंकि पूंजीगत लाभ छूट के साथ निर्दिष्ट बॉन्ड में निवेश से अतीत में सफलता साबित हुई थी।
    - आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54EC, करदाताओं को कुछ सरकार समर्थित बुनियादी ढाँचा फर्मों द्वारा जारी बॉन्ड में निवेश के माध्यम से अचल संपत्तियों में लेन-देन से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की भरपाई करने की अनुमति देती है।
    - यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, विद्युत वित्त निगम और भारतीय रेलवे वित्त निगम द्वारा जारी बॉन्ड पर लागू होता है।

- इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) के बारे में:
    - ये ऐसे उपकरण हैं जो म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं।
    - इन्हें कई निवेशकों की छोटी रकम को उन परिसंपत्तियों में निवेश करने के लिये डिज़ाइन किया गया है जो एक अवधि में नकदी प्रवाह उत्पन्न करते हैं। इस नकदी प्रवाह का एक हिस्सा निवेशकों को लाभांश के रूप में वितरित किया जाएगा।
    - InvIT 'इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग' (IPO) में न्यूनतम निवेश राशि 10 लाख रुपए है, इसलिये यह उच्च आय वाले व्यक्तियों, संस्थागत और गैर-संस्थागत निवेशकों के लिये उपयुक्त है।
        - InvITs को स्टॉक की तरह ही IPO के माध्यम से एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध किया जाता है।
    - InvITs को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स) विनियम, 2014 द्वारा विनियमित किया जाता है।
    - InvITs की संरचना इस प्रकार की जाती है कि निवेशकों को पूर्वानुमेय नकदी प्रवाह (Predictable Cash Flows) के साथ बुनियादी ढाँचे की संपत्ति में निवेश करने का अवसर मिल सके, जबकि परिसंपत्ति के मालिक उन परिसंपत्तियों से भविष्य में होने वाले राजस्व नकदी प्रवाह को रोकने हेतु अग्रिम संसाधन जुटा सकते हैं, जिन्हें बदले में नई परिसंपत्तियों में लगाया जा सकता है या कर्ज़ के रूप में चुकाने हेतु इस्तेमाल किया जा सकता है।

- रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (ReITs) के बारे में:
    - ReITs, InvITs इस अंतर के साथ समानता रखते हैं कि ये प्रतिभूतियाँ अचल संपत्ति से जुड़ी हुई हैं।
    - ReITs की संरचना म्यूचुअल फंड के समान है। हालाँकि म्यूचुअल फंड में जहाँ अंतर्निहित परिसंपत्ति बॉण्ड, स्टॉक और सोना है, वहीँ ReITs में निवेशक भौतिक अचल संपत्ति में निवेश करते हैं।
    - एकत्र किये गए धन को आय-सृजन हेतु अचल संपत्ति में लगाया जाता है।
    - यह आय इकाई धारकों के बीच वितरित हो जाती है।
    - किराए और पट्टों से प्राप्त होने वाली नियमित आय के अलावा अचल संपत्ति की पूंजी वृद्धि से प्राप्त लाभ भी इकाई धारकों के लिये एक आय है।
    - ReITs के लिये न्यूनतम अंशदान सीमा 50,000 रुपए है।

आगे की राह

- बहु-हितधारक दृष्टिकोण: इन्फ्रास्ट्रक्चर नियामकों और सेबी को एक InvITs के सफल दिवाला समाधान (Insolvency Resolution) हेतु मिलकर काम करने की आवश्यकता होगी, जिसमें प्रायोजक, निवेश प्रबंधक और/या ट्रस्टी या एक बुनियादी ढाँचे की संपत्ति के हस्तांतरण में बदलाव शामिल हो सकता है।
- आयकर अधिनियम में संशोधन: औद्योगिक समूहों ने विशेष रूप से NMP संपत्ति रखने वाले पात्र InvITs में निवेश के लिये पूंजीगत लाभ कर राहत प्रदान करने हेतु आयकर कानून में एक अलग धारा का प्रस्ताव किया है, जो धारा 54ईसी का विस्तार करने से बेहतर होगी।
- समग्र सुधार: परिचालन के तौर-तरीकों को सुव्यवस्थित करना, निवेशकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और वाणिज्यिक दक्षता को सुविधाजनक बनाना 'मुद्रीकरण अभियान के 'कुशल एवं प्रभावी' परिणाम सुनिश्चित कर सकता है।

सौर ऊर्जा हेतु पर्याप्त निवेश सब्सिडी

चर्चा में क्यों?

हाल के वर्षों में भारत सरकार द्वारा पीएम कुसुम योजना, सूर्यमित्र कौशल विकास कार्यक्रम, स्पार्क कार्यक्रम (SPaRC Program) आदि जैसी कई सौर सिंचाई योजनाएँ शुरू की गई हैं।

- ये योजनाएँ पर्याप्त निवेश सब्सिडी (Substantial Investment Subsidies- SIP) प्रदान करती हैं तथा किसानों को भूजल और ऊर्जा के संरक्षण, उनकी आय बढ़ाने एवं अधिक कुशल तरीके से सिंचाई करने हेतु प्रोत्साहित करती हैं।
- SIPs कम कार्बन फुटप्रिंट, लगातार ऊर्जा की उपलब्धता, शून्य ईंधन लागत और कम परिचालन लागत आधारित है। हालाँकि इन योजनाओं से जुड़े कुछ मुद्दे भी हैं।

प्रमुख बिंदु

- पर्याप्त निवेश सब्सिडी के बारे में:
  - भारत सरकार पीएम कुसुम योजना के माध्यम से पर्याप्त निवेश सब्सिडी की पेशकश कर सौर सिंचाई पंपों को बढ़ावा दे रही है।
  - SIP का उद्देश्य किसानों को सोलर पंप और बिजली संयंत्रों की खरीद और उन्हें स्थापित करने हेतु सब्सिडी प्रदान करना है।
  - किसान सिंचाई की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये नए तरीकों से सौर ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होंगे तथा अतिरिक्त सौर ऊर्जा को विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) को पूर्व-निर्धारित टैरिफ पर बेचा जाएगा।
- आवश्यकता:
  - भारतीय कृषि क्षेत्र में भारी विद्युत सब्सिडी ने सिंचाई-ऊर्जा गठजोड़ (Irrigation-Energy Nexus) को विकसित किया है।
    - कृषि क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति सब्सिडी दरों पर की जाती है।
  - सिंचाई-ऊर्जा के मध्य यह साझेदारी मुख्य रूप से घटते भूजल और बिजली वितरण कंपनियों के बढ़ते कर्ज़ के बोझ के कारण उत्पन्न हुआ है।
    - SIP सिंचाई-ऊर्जा एवं ऊर्जा के मध्य उत्पन्न इस गठजोड़ को समाप्त करने और अन्य लाभ प्रदान करने में मदद कर सकता है।
- पर्याप्त निवेश सब्सिडी (SIP) में मिलने वाले लाभ:
  - पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण: SIPs जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन पर निर्भरता को कम करके भूजल अर्थव्यवस्था में शून्य-कार्बन फुटप्रिंट (Zero-Carbon Footprint) की ओर बढ़ने में मदद करेगा।
  - जल और विद्युत सुरक्षा प्रदान करना: पंजाब से तमिलनाडु तक फैले पश्चिम-दक्षिण गलियारे में गंगा-ब्रह्मपुत्र बेल्ट की तुलना में भूजल की उपलब्धता कम है।
    - इस कॉरिडोर में किसानों को भी लगातार बिजली कटौती, कम वोल्टेज संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और रात में ही स्थिर बिजली मिलती है।
    - पश्चिम-दक्षिण गलियारे को SIPs शुरू करने से काफी लाभ होगा क्योंकि इस क्षेत्र में कई सौर हॉटस्पॉट हैं और सूर्य प्रकाश भी अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है।
  - DiSCOMs के बोझ को कम करना: यह DISCOM के सब्सिडी बोझ को 30,000-35,000 रुपए प्रतिवर्ष प्रति SIP से राहत देने में भी मदद करेगा।
  - सौर ऊर्जा विकास हेतु अनुकूल स्थिति: सौर फोटोवोल्टिक [PV] सेल की गिरती कीमत के कारण अब SIP अधिक किफायती है।
    - डीज़ल की कीमतों में हालिया वृद्धि ने स्वाभाविक रूप से सिंचाई की लागत में वृद्धि की है।
    - इसलिये SIP शुरू करने से ग्रामीण विद्युत नेटवर्क बिछाने की आवश्यकता पर अंकुश लगाते हुए कृषि विकास को बढ़ावा मिल सकता है।
- संबंधित चुनौतियाँ:
  - भूजल का अत्यधिक दोहन: SIP का एकमात्र संभावित दोष भूजल के अत्यधिक दोहन का जोखिम हो सकता है क्योंकि कॉरिडोर में SIP की शुरुआत के बाद मांग आधारित सस्ती बिजली हमेशा उपलब्ध रहेगी।

- मध्यम और बड़े स्तर के किसानों के पक्ष में: सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये शुरू की गई योजनाओं में उन किसानों को प्राथमिकता दी जाती है जो पहले से ही पानी की बचत करने वाली सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं।
- उच्च प्रारंभिक लागत: सब्सिडी के बावजूद प्रारंभिक पूंजी निवेश अधिक रहता है, जिससे SIP की व्यवहार्यता पर सवाल उठते हैं।
  - इसके अलावा सौर पीवी सिस्टम के संचालन और रखरखाव के लिये प्रशिक्षित पेशेवरों और मशीनी घटकों की आवश्यकता होती है, जिनका ग्रामीण क्षेत्रों में मिलना मुश्किल हो सकता है।
- महँगा ग्रिड कनेक्शन: ग्रिड कनेक्शन से जुड़ी वित्तीय लागत बहुत अधिक हो सकती है।
  - 'सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरनमेंट' के अनुसार, बिजली ग्रिड में 100 किलोवाट का सौर ऊर्जा से चलने वाला सिस्टम स्थापित करने में लगभग 85 लाख रुपए का खर्च आता है।
  - इसके कारण सिंचाई-ऊर्जा संयोजन को हल करने के लिये SIP अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है।

आगे की राह:

- कुशल जल प्रबंधन प्रथाओं और SIP के लाभों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम किसानों के मौजूदा नेटवर्क के माध्यम से शुरू किये जाने चाहिये।
- छोटे और सीमांत किसानों के बीच संयुक्त देयता समूहों (JLG) को बढ़ावा देने के अलावा मौजूदा सौर सिंचाई योजनाओं में उनकी समावेशिता भी सुनिश्चित की जानी चाहिये।

लघु वित्त बैंक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को वर्ष 2019 के "ऑन-टैप" लघु वित्त बैंक लाइसेंसिंग दिशा-निर्देशों के अंतर्गत दो और संस्थाओं से आवेदन प्राप्त हुए हैं।

- RBI "ऑन-टैप" सुविधा के अंतर्गत पूरे वर्ष आवेदन स्वीकार करता है और बैंकों को लाइसेंस देता है।

प्रमुख बिंदु

- लघु वित्त बैंक के विषय में:
  - लघु वित्त बैंक वे वित्तीय संस्थान हैं जो देश के उन क्षेत्रों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं जहाँ बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं।
  - लघु वित्त बैंक, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत हैं।
  - इन्हें बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में अपने कम-से-कम 25% बैंकिंग आउटलेट खोलने की आवश्यकता होती है।
  - SFB को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (Adjusted Net Bank Credit) का 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (Priority Sector Lending- PSL) में देना आवश्यक है।
    - RBI ने बैंकों को अपने फंड का एक निश्चित हिस्सा कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक बुनियादी ढाँचे, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे अन्य क्षेत्रों को ऋण देने के लिये अनिवार्य किया है।
  - इसके ऋण पोर्टफोलियो के कम-से-कम 50% में 25 लाख रुपए तक के ऋण और अग्रिम शामिल होने चाहिये।
  - एकल और समूह देनदार के लिये अधिकतम ऋण आकार तथा निवेश सीमा जोखिम क्रमश: उसके पूंजीगत निधियों के 10% एवं 15% तक सीमित होगी। ये बड़े ऋण का विस्तार नहीं कर सकते।
  - यदि बैंक में प्रमोटरों की प्रारंभिक शेयरधारिता पेड-अप वोटिंग इक्विटी पूंजी (Paid-Up Voting Equity Capital) के 40% से अधिक है, तो इसे 5 वर्षों की अवधि के भीतर 40% तक लाया जाना चाहिये।
  - नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और 'वैधानिक तरलता अनुपात' (SLR) आवश्यकताओं के अधीन।
    - बैंकों के लिये अपनी जमा राशि का एक निश्चित अनुपात नकदी के रूप में रखना आवश्यक होता है, जिसे 'नकद आरक्षित अनुपात' कहा जाता है।

        - यह न्यूनतम अनुपात (जो कि नकद के रूप में रखी जाने वाली कुल जमा राशि का हिस्सा है) रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है।
        - 'नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज़' का वह हिस्सा, जिसे एक बैंक को सुरक्षित और तरल संपत्ति जैसे- सरकारी प्रतिभूतियाँ, नकदी एवं सोना आदि के रूप में बनाए रखना होता है, 'वैधानिक तरलता अनुपात' कहलाता है।
- SFBs की स्थापना हेतु पात्रता:
    - भारतीय निवासी व्यक्ति/पेशेवर, जिसे बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव हो।
    - भारतीय निवासियों के स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली कंपनियाँ और सोसायटी।
    - मौजूदा 'गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियाँ' (NBFCs), 'सूक्ष्म वित्त संस्थान' (MFIs), 'स्थानीय क्षेत्र बैंक (LABs) और भुगतान बैंक जो निवासियों के स्वामित्व एवं नियंत्रण में हैं।
- गतिविधियाँ
    - छोटी व्यावसायिक इकाइयों, छोटे एवं सीमांत किसानों, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों और असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं सहित असेवित वर्गों को जमा की स्वीकृति तथा उधार देने हेतु बुनियादी बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करना।
    - रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से अन्य गैर-जोखिमयुक्त साधारण वित्तीय सेवाओं जैसे- म्यूचुअल फंड इकाइयों, बीमा उत्पादों, पेंशन उत्पादों आदि का वितरण करना।
- नियम:
    - SFB निम्नलिखित प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं:
        - भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934,
        - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949,
        - विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999,
        - भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007,
        - क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005,
        - जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम, 1961,
        - अन्य प्रासंगिक कानून तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और अन्य नियामकों द्वारा समय-समय पर जारी किये गए निर्देश।
- 'ऑन-टैप' लाइसेंसिंग के लिये दिशा-निर्देश:
    - पूंजी की आवश्यकता: न्यूनतम पेड-अप वोटिंग इक्विटी पूंजी/निवल मूल्य की आवश्यकता 200 करोड़ रुपए होगी।
        - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (UCB) हेतु स्वेच्छा से SFB में स्थानांतरित होने के लिये निवल मूल्य की प्रारंभिक आवश्यकता 100 करोड़ रुपए होगी जिसे व्यवसाय शुरू होने की तारीख से 5 वर्षों के भीतर बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए करना होगा।
    - SFB बैंकों को अनुसूचित बैंक का दर्जा: SFB बैंकों को परिचालन शुरू होने के तुरंत बाद अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया जाएगा।
    - भुगतान बैंक का SFB में रूपांतरण: भुगतान बैंक 5 वर्ष के संचालन के बाद SFB में रूपांतरण के लिये आवेदन कर सकते हैं, यदि वे अन्यथा इन दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र हैं।

अनुसूचित बैंक

- अनुसूचित बैंक वे बैंक हैं जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।
- अनुसूचित बैंक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिये बैंक की चुकता पूंजी और जुटाई गई धनराशि कम-से-कम 5 लाख रुपए होनी चाहिये।
- अनुसूचित बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कम ब्याज वाले ऋण और समाशोधन गृहों में सदस्यता के लिये उत्तरदायी हैं।
- राष्ट्रीयकृत, अंतर्राष्ट्रीय, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक अनुसूचित बैंकों के अंतर्गत आते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

इब्सा फोरम

चर्चा के क्यों ?

हाल ही में भारत द्वारा भारत-ब्राज़ील-दक्षिण अफ्रीका (India-Brazil-South Africa- IBSA) के पर्यटन मंत्रियों की वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया।

- भारत वर्तमान में IBSA का अध्यक्ष है।

प्रमुख बिंदु

IBSA के बारे में:

- IBSA, दक्षिण-दक्षिण सहयोग और विनिमय (South-South Cooperation and Exchange) को बढ़ावा देने हेतु भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के मध्य एक त्रिपक्षीय विकासात्मक पहल है।
- दक्षिण-दक्षिण सहयोग (SSC) का विचार कोई नया नहीं है बल्कि इस फोरम के उद्भव की पहल बांडुंग सम्मेलन 1955, गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961, जी77 समूह, अंकटाड, ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन-1978 और वर्ष 2009 की नैरोबी घोषणा में देखी जा सकती है।

गठन:

- इस समूह को औपचारिक रूप और IBSA संवाद मंच/फोरम का नाम उस दौरान दिया गया जब तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने 6 जून, 2003 को ब्रासीलिया (ब्राज़ील) में मुलाकात की और ब्रासीलिया घोषणा जारी की गई।

मुख्यालय:

- IBSA का कोई मुख्यालय या स्थायी कार्यकारी सचिवालय नहीं है।
- उच्चतम स्तर पर इसे राज्य और सरकार के प्रमुखों के शिखर सम्मेलन में के रुप में देखा जाता है।
  - अब तक IBSA के पाँच शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। 5वाँ IBSA शिखर सम्मेलन वर्ष 2011 में प्रिटोरिया (दक्षिण अफ्रीका) में आयोजित किया गया था। छठे IBSA शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भारत द्वारा की जानी है।

संयुक्त नौसेना अभ्यास:

- IBSAMAR (इब्सा समुद्री अभ्यास), IBSA त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।
- IBSAMAR के अब तक छह संस्करण आयोजित किये जा चुके हैं, नवीनतम अक्तूबर 2018 में दक्षिण अफ्रीका के तट पर आयोजित किया गया था।

IBSA फंड/कोष:

- वर्ष 2004 में इस कोष की स्थापना की गई। IBSA कोष (भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका गरीबी एवं भूख उन्मूलन सुविधा) एक अनूठा कोष है जिसके माध्यम से सदस्य विकासशील देशों में इब्सा वित्तपोषण के साथ विकास परियोजनाओं को निष्पादित किया जाता है।
- इस कोष का प्रबंधन संयुक्त राष्ट्र (UN) ऑफिस फॉर साउथ-साउथ कोऑपरेशन (UNOSSC) द्वारा किया जाता है। प्रत्येक IBSA सदस्य देश को इस कोष में प्रतिवर्ष 1 मिलियन डालर का योगदान करना आवश्यक है।
- उद्देश्य:
  - दक्षिणी देशों में गरीबी एवं भूख का उन्मूलन करना।
  - वैश्विक दक्षिण देशों में प्रतिकृति एवं स्केलेबल परियोजनाओं के निष्पादन की सुविधा के माध्यम से गरीबी एवं भूख के खिलाफ लड़ाई में सर्वोत्तम प्रथाओं का विकास करना।

- दक्षिण-दक्षिण सहयोग एजेंडा का नेतृत्व करना।
- विकास के लिये नई साझेदारियों का निर्माण करना।

IBSA फैलोशिप कार्यक्रम:

- यह विश्व स्तर पर सतत् विकास के समन्वय और समर्थन के लिये एक बहुपक्षीय संस्थागत ढाँचे; मैक्रो-अर्थव्यवस्था, व्यापार व विकास के क्षेत्र में सहयोग एवं सूचना के आदान-प्रदान हेतु संयुक्त अनुसंधान तथा किसी अन्य क्षेत्र जो IBSA ढाँचे के भीतर महत्त्वपूर्ण हो सकता है, पर ध्यान केंद्रित करता है।

अब तक का प्रदर्शन

- ब्रिक्स के उदय के मद्देनज़र इसकी प्रासंगिकता:
  - ब्रिक्स (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) जैसे समान समूहों के उद्भव के मद्देनज़र समूह को अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिये एक मौलिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
  - IBSA अब तक अपना छठा शिखर सम्मेलन आयोजित करने हेतु भी असमर्थ था।
- मानव विकास परियोजनाओं का निष्पादन:
  - बीते कुछ वर्षों में इसने 39 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है और कुल 26 परियोजनाओं को लागू करने के लिये 'वैश्विक दक्षिण' (Global South) के 19 देशों के साथ साझेदारी की है।
  - इन परियोजनाओं को गिनी बिसाऊ, सिएरा लियोन, केप वर्डे, बुरुंडी, कंबोडिया, हैती, फिलिस्तीन, वियतनाम और अन्य देशों में वित्तपोषित किया गया है।
  - IBSA फंड को विभिन्न क्षेत्रों में इसके बेहतर कार्य के लिये मान्यता दी गई है और इसे 'संयुक्त राष्ट्र साउथ-साउथ पार्टनरशिप अवार्ड 2006', 'यूएन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अवार्ड 2010 और वर्ष 2012 में 'साउथ-साउथ एंड ट्राएंगुलर कोऑपरेशन चैंपियंस अवार्ड' से सम्मानित किया गया है।

अवसर:

- ब्रिक्स के उदय में:
  - पहले (MERCOSUR -SACU-India) त्रिपक्षीय PTA (अधिमान्य व्यापार समझौता) और अंततः एक मुक्त व्यापार क्षेत्र (FTA) सुनिश्चित करने की दिशा में सामूहिक रूप से काम करना, समूह की प्रासंगिकता सुनिश्चित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। (ब्राज़ील के लिये मर्कोसुर और दक्षिण अफ्रीका हेतु SACU)।
    - सदर्न कॉमन मार्केट (इसके स्पेनिश आद्याक्षर के लिये MERCOSUR) एक क्षेत्रीय एकीकरण प्रक्रिया है, जिसे शुरू में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे और उरुग्वे द्वारा स्थापित किया गया था तथा बाद में वेनेजुएला और बोलीविया इसमें शामिल हो गए।
    - दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (SACU) में बोत्सवाना, लेसोथो, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और स्वाज़ीलैंड शामिल हैं। SACU सचिवालय नामीबिया में स्थित है। SACU की स्थापना 1910 में हुई थी, जिससे यह दुनिया का सबसे पुराना सीमा शुल्क संघ बन गया।
  - समूह को ब्रिक्स और जी-20 जैसे अन्य समूहों में एक संयुक्त लॉबी के रूप में एक साथ काम करना चाहिये, जिसके वे सदस्य हैं।
- बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार:
  - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी), आईएमएफ आदि जैसे सुधार संस्थान विकासशील देशों के बीच आर्थिक विकास के सिद्धांत के संबंध में आम सहमति बनाने के लिये कुछ आवश्यक शर्त रखते हैं।
    - भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका की यूएनएससी के स्थायी सदस्य बनने की प्रबल आकांक्षाएँ हैं।

आगे की राह:

- फोरम भविष्य के वैश्विक संस्थागत सुधारों हेतु एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है, यह सामूहिक रूप से एक नियम-आधारित और पारदर्शी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त प्रणाली स्थापित करने का प्रयास करता है।

- विकास में सहयोग हेतु एक नया साझेदारी आधारित मॉडल पेश करके इस मंच ने वैश्विक दक्षिण के विकास के एजेंडे को तेज़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।
- 'जन केंद्रित' दृष्टिकोण वह है जो दक्षिण-दक्षिण सहयोग को अन्य साझेदारी मॉडल से अलग करता है और इसके उन्नयन को निर्धारित करता है। विशेष रूप से जन-केंद्रित सामाजिक नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था के पुनर्गठन और वैश्विक शासन सुधार संस्थानों के विकास में तेज़ी लाने में मदद मिलेगी।

कॉन्ग्रेशनल गोल्ड मेडल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अहिंसा के मार्गों के माध्यम से महात्मा गांधी को उनके योगदान के लिये मरणोपरांत कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से सम्मानित करने हेतु अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव फिर से पेश किया गया है।

- यदि पुरस्कार दिया जाता है, तो महात्मा गांधी कांग्रेशनल गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे, कांग्रेशनल गोल्ड मेडल अमेरिका में सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।

प्रमुख बिंदु

पुरस्कार के बारे में :

- अमेरिकी कॉन्ग्रेस (विधायिका) ने विशिष्ट उपलब्धियों और योगदान के लिये राष्ट्रीय प्रशंसा की अपनी सर्वोच्च अभिव्यक्ति के रूप में स्वर्ण पदकों को कमीशन किया है।
- पदक के पहले प्राप्तकर्त्ता अमेरिकी क्रांति (1775-83), 1812 के युद्ध और मैक्सिकन युद्ध (1846-48) के प्रतिभागी थे।
- कुछ अन्य क्षेत्रों में अग्रदूतों के बीच अभिनेताओं, लेखकों, मनोरंजनकर्त्ताओं, संगीतकारों, खोजकर्त्ताओं, एथलीटों, मानवतावादियों और विदेशी प्राप्तकर्त्ताओं को शामिल करने के लिये इसका दायरा बढ़ाया गया था।
- यह 1980 की अमेरिकी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टीम, रॉबर्ट एफ कैनेडी, नेल्सन मंडेला और जॉर्ज वाशिंगटन सहित कई अन्य लोगों को प्रदान किया गया है।
- हाल ही में यूएस कैपिटल पुलिस को 6 जनवरी, 2021 को हुए हमले एवं घेराबंदी से यूएस कैपिटल की रक्षा करने वालों को पदक प्रदान किया गया था।

अहिंसा:

- अहिंसा का सिद्धांत- इसे अहिंसक प्रतिरोध के रूप में भी जाना जाता है, यह सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन करने के लिये शारीरिक हिंसा के उपयोग को अस्वीकार करता है।
    - महात्मा गांधी के अहिंसक तकनीक का सार यह है कि यह विरोधों को समाप्त करने का प्रयास करती है, लेकिन विरोधियों को नहीं।
- अहिंसक क्रिया एक ऐसी तकनीक है इसके द्वारा जो लोग निष्क्रियता और अधीनता को अस्वीकार करते हैं और संघर्ष को आवश्यक मानते हैं, वे बिना हिंसा के अपने संघर्ष छेड़ सकते हैं।
    - अहिंसा की तीन मुख्य श्रेणियाँ हैं:
        - विरोध और अनुनय, जिसमें मार्च और जागरण शामिल है।
        - असहयोग।
        - अहिंसक हस्तक्षेप, जैसे नाकाबंदी और व्यवसाय।
- अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्तूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है।

अहिंसा की गांधीवादी रणनीति:

- गांधीजी ने बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के 'अहिंसा' के धार्मिक सिद्धांत को अपनाया तथा इसे सामूहिक कार्रवाई के लिये एक अहिंसक उपकरण में बदल दिया।

- गांधीजी ने इसे 'सत्याग्रह' कहा, जिसका अर्थ है 'सत्य का बल'।
  - इस सिद्धांत के मुताबिक, किसी भी अहिंसक संघर्ष का उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी को परिवर्तित करना और उसके मन तथा उसके दिल पर जीत हासिल करना होता है।
- उन्होंने इस सिद्धांत का उपयोग न केवल औपनिवेशिक शासन बल्कि नस्लीय भेदभाव और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिये भी किया।
- दक्षिण अफ्रीका में (1893-1915) उन्होंने जन आंदोलन की इस नई पद्धति यानी 'सत्याग्रह' के साथ नस्लवादी शासन का सफलतापूर्वक मुकाबला किया।
- भारत में महात्मा गांधी का पहला 'सत्याग्रह आंदोलन' वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में था।
- वर्ष 1919 में उन्होंने प्रस्तावित 'रॉलेट एक्ट' (1919) के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया।
- असहयोग आंदोलन (1920-22) के दौरान गांधीजी और उनके अहिंसा के नए तरीकों को लेकर लोगों में काफी उत्साह था तथा इस दौरान सभी राजनीतिक दलों एवं धर्मों के भारतीय लोग आंदोलन में शामिल हुए थे।
- इसके अन्य उदाहरणों में- नमक सत्याग्रह (1930) और भारत छोड़ो आंदोलन (1942) शामिल हैं।
- मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, आंग सान सू की जैसे विश्व के कई प्रसिद्ध लोगों ने बापू द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण किया है और अपने-अपने समाज में समृद्धि लाए हैं।

काबुल' पर तालिबान का नियंत्रण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्ज़ा कर लिया, जिससे अमेरिका और 'नाटो' (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) द्वारा प्रशिक्षित अफगान बलों पर प्रश्न उठ रहे हैं।

- तालिबान ने घोषणा की है कि किसी के साथ भी हिंसा नहीं की जाएगी और वह शांतिपूर्ण ट्रांज़िशन प्रक्रिया का सम्मान करेगा, साथ ही भविष्य में ऐसी इस्लामी व्यवस्था के लिये काम किया जाएगा, जो सभी को स्वीकार्य हो।

तालिबान

- तालिबान (पश्तो भाषा में 'छात्र') 1990 के दशक की शुरुआत में अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी के बाद उत्तरी पाकिस्तान में उभरा एक आतंकवादी संगठन है।
- वर्तमान में यह अफगानिस्तान में सक्रिय एक इस्लामी कट्टरपंथी राजनीतिक और सैन्य संगठन है। यह काफी समय से अफगान राजनीति में एक महत्त्वपूर्ण स्थिति में था।
- तालिबान बीते लगभग 20 वर्षों से काबुल में अमेरिकी समर्थित सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। वह अफगानिस्तान में इस्लाम के सख्त रूप को फिर से लागू करना चाहता है।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि

- आतंकवादी हमले
  - 11 सितंबर, 2001 को अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों में लगभग 3,000 लोग मारे गए थे।
  - इस हमले के लगभग एक महीने बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान (ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम) के खिलाफ हवाई हमले शुरू कर दिये।
- अफगानिस्तान में ट्रांज़िशनल सरकार
  - हमलों के बाद नाटो गठबंधन सैनिकों ने अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। कुछ ही समय में अमेरिका ने तालिबान शासन को उखाड़ फेंका और अफगानिस्तान में एक ट्रांज़िशनल सरकार की स्थापना की।

नोट :

  - अमेरिका बहुत पहले इस निष्कर्ष पर पहुँच गया था कि यह युद्ध अजेय है और शांति वार्ता ही इसे खत्म करने का एकमात्र उपाय है।
- शांति वार्ता
  - 'मुरी' वार्ता
    - वर्ष 2015 में अमेरिका ने तालिबान और अफगान सरकार के बीच पहली बैठक में एक प्रतिनिधि भेजा था, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान द्वारा वर्ष 2015 में 'मुरी' में की गई थी।
    - हालाँकि 'मुरी' वार्ता से कुछ प्रगति हासिल नहीं की जा सकी थी।
  - दोहा वार्ता
    - वर्ष 2020 में दोहा वार्ता की शुरुआत से पूर्व तालिबान ने स्पष्ट किया कि वे केवल अमेरिका के साथ प्रत्यक्ष वार्ता करेंगे, न कि काबुल सरकार के साथ।
    - इसके पश्चात् हुए एक समझौते में अमेरिकी प्रशासन ने वादा किया कि वह 1 मई, 2021 तक अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लेगा।
    - कुछ समय बाद इस समयसीमा को बढ़ाकर 11 सितंबर, 2021 कर दिया गया है।
    - इस समझौते के कारण तालिबान को एक जीत का संकेत मिला और साथ ही अफगान सैनिकों का मनोबल भी काफी प्रभावित हुआ।
    - समझौते के तहत तालिबान ने हिंसा को कम करने, अंतर-अफगान शांति वार्ता में शामिल होने और विदेशी आतंकवादी समूहों के साथ सभी संबंधों को समाप्त करने का वादा किया।
- अमेरिका की वापसी
  - अमेरिका ने दावा किया कि उसने जुलाई 2021 तक अपने 90% सैनिकों को वापस बुला लिया था और तालिबान इस समय तक अफगानिस्तान के 85% से अधिक क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले चुका था।

वर्तमान परिदृश्य:

- तालिबान ने काबुल पर कब्ज़ा कर लिया है और पूर्व राष्ट्रपति सहित कई मंत्री देश छोड़कर भाग गए हैं।
  - 20 वर्ष पहले 9/11 के हमलों के मद्देनज़र उनके निष्कासन के बाद यह पहली बार है कि तालिबान लड़ाके शहर में प्रवेश कर चुके हैं, तालिबान ने पहली बार वर्ष 1996 में राजधानी पर कब्ज़ा कर लिया था।
- कब्ज़ा किये जाने वाले शहरों में पूर्व में स्थित जलालाबाद है और कई शहर निशाने पर हैं।

आत्मसमर्पण का कारण:

- अमेरिका की 'अशर्त निकासी':
  - अमेरिका ने बिना किसी बातचीत के राजनीतिक समाधान की प्रतीक्षा किये बिना अपने सैनिकों को बिना शर्त वापस बुलाने का निर्णय लिया।
- अफगान का मनोवैज्ञानिक इनकार:
  - अफगानिस्तान का मनोवैज्ञानिक तौर पर यह इनकार करना कि अमेरिका वास्तव में उन्हें छोड़ देगा, सैन्य रणनीति की कमी, खराब आपूर्ति और रसद, अनिश्चित और कम मानवयुक्त पद, अवैतनिक पद और विश्वासघात, परित्याग और मनोबल में कमी, सभी ने समर्पण में भूमिका निभाई।
  - अफगान की अमेरिका पर हवाई सहायता, हथियार प्रणाली, खुफिया आदि के लिये तकनीकी निर्भरता थी।
- तैयारी का अभाव:
  - अफगान सेना तैयार नहीं थी और तालिबान के आक्रमण से चकित रह गई।
- अफगान बलों के प्रशिक्षण की कमी:
  - अफगान राष्ट्रीय सेना वास्तव में कभी भी प्रशिक्षित नहीं थी और ऊबड़-खाबड़ इलाकों के लिये पर्याप्त गतिशीलता, तोपखाने, कवच, इंजीनियरिंग, रसद, खुफिया, हवाई समर्थन आदि के साथ क्षेत्र की रक्षा करने में सक्षम राष्ट्रीय सेना की सामान्य विशेषताओं से सुसज्जित नहीं थी।

नोट :

वर्तमान स्थिति में अमेरिका की भूमिका:

- आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में निवेश:
    - अमेरिका का अधिकांश समय शहरी आतंकवादी हमलों के लक्ष्यों को पुनर्प्राप्त करने के लिये विशेष बल इकाइयों को तैयार करने में चला गया, जिस पर उन्होंने खुद के लिये सराहनीय कार्य किया लेकिन आक्रामक अभियान नहीं।
    - संक्षेप में उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध हेतु पर्याप्त निवेश किया, लेकिन अफगानिस्तान की रक्षा के लिये नहीं, हालाँकि वह तालिबान के पोषण में पाकिस्तानी भूमिका में दोनों के बीच संबंध से पूरी तरह अवगत था।
- कोई सामरिक महत्त्व नहीं:
    - सोवियत हस्तक्षेप की समाप्ति और सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका ने वास्तव में कभी भी अफगानिस्तान के सामरिक महत्त्व को नहीं माना।
- आर्थिक क्षेत्र को एकीकृत करने का कोई प्रयास नहीं:
    - अफगानिस्तान में अपने सभी 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश और अफगानिस्तान की खनिज संपदा के बारे में अमेरिका ने कभी भी अफगान अर्थव्यवस्था में निवेश नहीं किया या इसे अपने प्रभाव के आर्थिक क्षेत्र (भारत सहित) में एकीकृत करने का प्रयास नहीं किया, जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसके हस्तक्षेप के बाद हुआ था।

भारत के लिये निहितार्थ:

- भारतीयों की सुरक्षा:
    - पहली चिंता अफगानिस्तान में स्थित भारतीय राजनयिकों, कर्मियों और नागरिकों की है।
- सामरिक चिंता:
    - तालिबान के नियंत्रण का मतलब पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों के लिये देश के परिणामों को प्रभावित करने हेतु एक बड़ा कारक साबित होगा, जो पिछले 20 वर्षों में अपनी सद्भावना बनाए रखने में भारतीय विकास और बुनियादी ढाँचा कार्यों हेतु बहुत छोटी-सी भूमिका का निर्वहन करता है।
- कट्टरपंथ का खतरा:
    - भारत के पड़ोस में बढ़ता कट्टरपंथ और अखिल इस्लामी आतंकवादी समूहों से क्षेत्र को खतरा है।

आगे की राह

- भारत के लिये पहला विकल्प काबुल में केवल लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का समर्थन करने तथा राजनीतिक और मानवीय सहायता प्रदान करने के अपने सिद्धांत पर टिके रहना है।
- साथ ही भारत अमेरिका-तालिबान वार्ता से सीख ले सकता है जहाँ दो विरोधी पक्ष अफगानिस्तान के भविष्य पर बातचीत हेतु संधि-वार्ता मंच पर एकजुट हुए थे।
    - भारत के लिये अफगानिस्तान की सफलता में उसकी स्थायी रुचि और अपने लोगों के लिये पारंपरिक गर्मजोशी को देखते हुए उस छलांग को थोड़ा आसान बनाना चाहिये। इस प्रकार भारत एक विशेष दूत की नियुक्ति पर विचार कर सकता है तथा तालिबान के साथ ट्रैक II कूटनीति शुरू कर सकता है।
- भारत को आपातकालीन वीज़ा और खतरे में पड़े भारतीयों को वहाँ से निकालने के लिये सुविधा प्रदान करनी चाहिये।

तालिबान को प्रतिबंधों की सूची से हटाना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र (UN) के अधिकारियों ने दावा किया कि तालिबान के शीर्ष नेतृत्त्व ने अब तक प्रतिबंधों से हटाने के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों से कोई अनुरोध नहीं किया है।

- उन्होंने उन रिपोर्टों का भी खंडन किया जिसमें कहा गया था कि सितंबर 2021 में होने वाली तालिबान प्रतिबंध समिति की अगली बैठक जिसे संकल्प 1988 समिति के रूप में भी जाना जाता है, में सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला बरादार जैसे नामित आतंकवादियों पर प्रतिबंध हटा दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

संकल्प 1988 समिति की बैठक:

- संयुक्त राष्ट्र (UNPR) में भारत, स्थायी प्रतिनिधि के रूप में दिसंबर 2021 तक है और यह बैठकों की तारीख तय करने तथा तालिबानी नेताओं पर प्रतिबंध हटाने के अनुरोधों की जाँच करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (UNAMA), जो सितंबर 2021 में समाप्त हो रहा है, के जनादेश के नवीनीकरण पर चर्चा करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण बैठक होने की उम्मीद है।
- "शांति और सुलह के प्रयासों" में भाग लेने के लिये 14 तालिबान सदस्यों को दी जाने वाली विशेष यात्रा छूट का विस्तार करने के बारे में भी निर्णय लिये जाने की संभावना है।
- बैठक में इस बात पर भी चर्चा हो सकती है कि क्या अन्य तालिबान नेताओं को छूट में शामिल किया जाए, उन्हें यात्रा करने और कुछ फंड तक पहुँचने की अनुमति दी जाए, जो इस समय फ्रीज की स्थिति में हैं।

बैठक का महत्त्व:

- यह पहली बार है जब काबुल पर तालिबान के कब्ज़े और अमेरिकी सैनिकों के पीछे हटने की समय-सीमा के बाद समितियों की बैठक होगी।
- UNSC के सदस्यों, विशेष रूप से P-5 - यूएस, रूस, चीन, फ्राँस और यूके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों से यह संकेत मिलेगा कि वे अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाले भविष्य के शासन के लिये किस तरह का दृष्टिकोण रखना चाहते हैं।
- इस बार काबुल पर तालिबान के नियंत्रण और उसके द्वारा देश के झंडे तथा नाम को बदलने (इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान) पर ज़ोर दिये जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र को 'इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान' द्वारा नियुक्त राजदूत गुलाम इसाकजई की मान्यता जारी रखने का फैसला भी करना होगा।
- वर्ष 1996 में पिछली बार जब तालिबान ने काबुल में सत्ता संभाली थी तब संयुक्त राष्ट्र ने इसके शासन को मान्यता देने से मना कर दिया था और पिछली रब्बानी सरकार द्वारा नामित राजदूत की ही मान्यता जारी रखी थी।

चुनौतियाँ:

- UNAMA के लिये एक नए जनादेश के साथ तालिबान के प्रभुत्व वाले शासन की ज़मीनी हकीकत को स्वीकार करना चुनौती होगी।
- यदि संयुक्त राष्ट्र नए शासन को स्वीकार करता है, जो वर्तमान में असंभव प्रतीत होता है, तो यह तालिबान को अपने स्वयं के सदस्यों को हटाने का प्रस्ताव देने का जनादेश देगा क्योंकि अफगानिस्तान यूएनपीआर प्रतिबंध सूची का "केंद्रबिंदु" है।
- इस तरह का प्रस्ताव अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा दिये गए उसके बयान के विरुद्ध भी होगा जिसमें दृढ़ता से कहा गया था कि सदस्य "इस्लामिक अमीरात की बहाली का समर्थन नहीं करते हैं"।

भारत के लिये प्रतिबंधों का महत्त्व:

- सिराजुद्दीन हक्कानी से संबंधित रिपोर्ट भारत के लिये महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि वह और उसके पिता जलालुद्दीन हक्कानी द्वारा स्थापित हक्कानी समूह 2008 और 2009 में काबुल में भारतीय दूतावास में हुए बम विस्फोटों के लिये वांछित है।
- नवंबर 2012 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष के रूप में यह सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कि हक्कानी समूह को एक आतंकवादी इकाई के रूप में नामित किया जाए।
- भारत ने यह सुनिश्चित करने के लिये कई देशों के साथ काम किया था कि इस समूह को संयुक्त राष्ट्र की संकल्प 1988 समिति/तालिबान प्रतिबंध समिति की सूची के साथ-साथ अमेरिका में प्रतिबंधित किया जाए। इसी के परिणामस्वरूप एक ही समय में इसे विदेशी आतंकवादी संगठन नामित किया गया था।

- तालिबान प्रमुख हैबतुल्लाह अखुंदजादा के डिप्टी सिराजुद्दीन हक्कानी का अब अफगानिस्तान की अगली सरकार में काफी प्रभाव होने की संभावना है।
- उसके भाई अनस हक्कानी, जिसे 2014 में समूह के आतंकी हमलों के वित्तपोषण के लिये गिरफ्तार किया गया था और 2019 में बगराम जेल से बंधक स्वैप के हिस्से के रूप में रिहा किया गया था, अब काबुल में सरकार गठन वार्ता में मुख्य वार्ताकारों में से एक है।

संकल्प 1988 समिति/तालिबान प्रतिबंध समिति

पृष्ठभूमि:

- संकल्प 1267 (1999) के अनुसार, वर्ष 1999 में UNSC समिति की स्थापना की गई थी, जिसने तालिबान पर एक सीमित हवाई प्रतिबंध लगाने और संपत्ति को फ्रीज करने का कार्य किया। समय के साथ ये उपाय एक लक्षित तरीके से संपत्ति को फ्रीज करने, यात्रा पर प्रतिबंध लगाने और नामित व्यक्तियों तथा संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने के साधन बन गए।
- जून 2011 में संकल्प 1988 (2011) को अपनाने के बाद समिति दो भागों में विभाजित हो गई।
  - संकल्प 1267 समिति को अब अल-कायदा प्रतिबंध समिति के रूप में जाना जाता था, जिसे अल-कायदा से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के निर्देश दिये गए।
  - तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिये संकल्प 1988 (2011) के अनुसार एक अलग समिति की स्थापना की गई थी।

समिति के विषय में:

- समिति में सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य शामिल हैं और यह सर्वसम्मति से निर्णय लेती है। 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये समिति का वर्तमान अध्यक्ष भारत है।
- समिति के कार्य ISIL (दाएश), अल-कायदा व तालिबान और संबंधित व्यक्तियों तथा संस्थाओं संबंधी संकल्प 1526 (2004) व 2253 (2015) के अनुसार, विश्लेषणात्मक समर्थन एवं प्रतिबंध निगरानी टीम (Analytical Support and Sanctions Monitoring Team) द्वारा समर्थित हैं।

समिति को निर्दिष्ट कार्य:

- प्रतिबंध उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
- प्रासंगिक प्रस्तावों में निहित लिस्टिंग मानदंडों को पूरा करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को नामित करना।
- प्रतिबंध से संबंधित मापदंडों में छूट के लिये अधिसूचनाओं और अनुरोधों पर विचार करना तथा उन पर निर्णय लेना।
- 1988 की प्रतिबंध सूची से किसी नाम को हटाने के अनुरोधों पर विचार करना और उन पर निर्णय लेना।
- 1988 की प्रतिबंध सूची की प्रविष्टियों की आवधिक और विशिष्ट समीक्षा करना।
- निगरानी टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जाँच करना।
- प्रतिबंध लगाने संबंधी मापदंडों के कार्यान्वयन पर सुरक्षा परिषद को समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

अफगानिस्तान से सुरक्षा संबंधी खतरा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन की बहाली के बाद रूस और जर्मनी की सरकार के प्रमुखों के साथ संपर्क स्थापित किया। अफगानिस्तान में स्थिरता इस क्षेत्र की शांति और सुरक्षा से जुड़ी है और भारत इसका कोई अपवाद नहीं है।

- अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत और चीन के बीच मतभेदों तथा तालिबान को सुविधा प्रदान करने में पाकिस्तान की भूमिका के बावजूद रूस ने UNSC, SCO एवं BRICS जैसे अन्य मंचों पर द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय रूप से भारत के साथ काम करने में रुचि दिखाई है।

प्रमुख बिंदु

अफगानिस्तान में तालिबान शासन की वापसी:

- वर्ष 2020 में अमेरिका ने तालिबान के साथ (कतर की राजधानी दोहा में) एक समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिसमें अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों की पूर्ण वापसी की परिकल्पना की गई थी।
- हालाँकि उस समझौते में प्रमुख दोष यह था कि इसमें अफगान सरकार को बाहर कर दिया गया था।
    - इसके अलावा वे तालिबान लोकतांत्रिक सरकार को वैध शासक के रूप में नहीं देखते हैं और वे संविधान के शासन या लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं।
- इसलिये अमेरिकी सैनिकों की वापसी के तुरंत बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में राजधानी काबुल सहित प्रमुख शहरों पर कब्ज़ा कर लिया।
- इसने सीमा पार आतंकवाद, मानवीय संकट और नई भू-राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में विभिन्न चिंताओं को उठाया है।

अफगानिस्तान से निष्कासित आतंकवादी भारत के लिये खतरा:

- सीमा पार आतंकवाद: भारत सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे से चिंतित है, जो अब तालिबान शासन के वापस आने के बाद बढ़ सकता है।
    - लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूह, जो तालिबान के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं और जिन्हें पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है, क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिये खतरा हैं।
- धार्मिक कट्टरवाद: सभी कट्टरपंथी समूहों की तरह तालिबान को अपनी धार्मिक विचारधारा को राज्य के हितों की अनिवार्यता के साथ संतुलित करने में परेशानी होगी।
- नए क्षेत्रीय भू-राजनीतिक विकास: चीन-पाकिस्तान-तालिबान के बीच नई क्षेत्रीय भू-राजनीतिक धुरी का निर्माण हो सकता है, जो भारत के हितों के खिलाफ हो सकता है।
- आर्थिक नुकसान: तालिबान के वापस आने से अफगानिस्तान में भारत का निवेश खतरे में पड़ जाएगा। यह अफगानिस्तान के माध्यम से मध्य एशिया के लिये कनेक्टिविटी परियोजनाओं को भी बाधित करेगा।
    - उदाहरण के लिये चाबहार पोर्ट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC), TAPI पाइपलाइन।

अफगानिस्तान के साथ संबंधों में भारत की राजनयिक भागीदारी:

- हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने ब्रिक्स देशों (ब्राज़ील-रूस-भारत-चीन-दक्षिण अफ्रीका) के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSAs) की बैठक की अध्यक्षता की।
    - इस बैठक में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन द्वारा विचार हेतु ब्रिक्स काउंटर टेररिज़्म एक्शन प्लान को अपनाने हेतु सिफारिश की गई।
    - कार्ययोजना का उद्देश्य निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग के मौजूदा तंत्र को और अधिक मज़बूती प्रदान करना है:
        - आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटना।
        - आतंकवादियों द्वारा इंटरनेट के दुरुपयोग पर अंकुश।
        - आतंकवादियों की यात्रा पर अंकुश।
        - सीमा नियंत्रण।
        - क्षमता निर्माण।
        - क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 31वें विशेष सत्र में भारत द्वारा अफगानिस्तान में गंभीर मानवाधिकार चिंताओं और स्थिति पर विभिन्न चिंताओं को उठाया गया।

आगे की राह:

- तालिबान के साथ बातचीत: तालिबान से बात करके भारत निरंतर विकास सहायता के बदले विद्रोहियों से अपनी सुरक्षा गारंटी की माँग कर सकता है।
    - भारत, तालिबान को पाकिस्तान से अपनी स्वायत्तता की संभावना तलाशने हेतु भी राजी कर सकता है।

- वैश्विक आतंकवाद से लड़ना: वैश्विक समुदाय को आतंकवाद की वैश्विक चिंता के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है।
    - इस संदर्भ में अब 'अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक कन्वेंशन' (1996 में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तावित) को अपनाने का समय आ गया है।
- क्षेत्रीय सहयोग: तालिबान के पुनरुत्थान के साथ अफगानिस्तान से एक राजनीतिक समझौते में भारत और तीन प्रमुख क्षेत्रीय देशों जिनमें चीन, रूस और ईरान शामिल हैं, के हित आपस में जुड़े हुए हैं।
    - इसलिये इस मोर्चे पर समान विचारधारा वाले देशों से सहयोग की ज़रूरत है।

भारत-नीदरलैंड संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और नीदरलैंड द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा नवाचार में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की गई है।

प्रमुख बिंदु

बैठक के मुख्य बिंदु:

- संपन्न बैठक में भारत का ज़ोर इस बात पर रहा कि स्वास्थ्य, कृषि और जल ये तीनों क्षेत्र, दोनों देशों के मध्य घनिष्ठ पारस्परिक सहयोग के आधार हैं।
- नीदरलैंड की तरफ से ग्रीन हाइड्रोजन और महासागर विज्ञान के क्षेत्र में मिलकर कार्य करने का प्रस्ताव रखा गया।
- दोनों देशों द्वारा स्मार्ट एनर्जी ग्रिड, बिग डेटा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के संबंध में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास का समर्थन करने पर सहमति व्यक्त की गई।
- भारत ने नीदरलैंड को अंतरिक्ष क्षेत्र में जानकारी साझा करने हेतु आमंत्रित किया, विशेष रूप से हाल के दिनों में भारत द्वारा शुरू किये गए पथ-प्रदर्शक सुधारों के मद्देनज़र, निजी क्षेत्र को उपग्रह प्रक्षेपण और अंतरिक्ष आधारित गतिविधियों में एक समान अवसर प्रदान करने की अनुमति दी गई है।
- दोनों देशों द्वारा भविष्य में सौर ऊर्जा, गैस आधारित प्रतिष्ठानों, साइबर सुरक्षा, डेटा विज्ञान, शहरी जल प्रणाली और उभरते अन्य क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की गई जिससे भारत में लोगों के लिये रोज़गार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।
- जलवायु परिवर्तन संपूर्ण विश्व के लिये चिंता का प्रमुख कारण है, इस पर भी प्रकाश डाला गया।

नोट

- भारत सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात हेतु एक वैश्विक हब बनाने के लिये राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की।
- इसके अलावा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में गहरे समुद्र में संसाधनों का पता लगाने और समुद्री संसाधनों के सतत् उपयोग हेतु गहरे समुद्र की प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के उद्देश्य से डीप ओशन मिशन शुरू किया है।

भारत-नीदरलैंड संबंध:

- आर्थिक और व्यापारिक: वित्त वर्ष 2021 में नीदरलैंड भारत में विदेशी निवेश का छठा सबसे बड़ा निवेशक देश है।
    - नीदरलैंड यूरोपीय संघ का भारत का 5वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी वाला देश है। यह भारत के अग्रणी निवेशक देशों में से एक है।
- ऐतिहासिक संबंध: भारत-डच संबंध 400 वर्षों से भी अधिक पुराने हैं, भारत में पहली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लगभग 17वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी।
    - वर्ष 1947 में दोनों देशों के मध्य आधिकारिक संबंध स्थापित हुए और तभी से दोनों के संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण हैं।
    - दोनों देश लोकतंत्र, बहुलवाद और कानून के शासन के समान आदर्शों को भी साझा करते हैं।

नोट :

- सांस्कृतिक संबंध: वर्तमान में नीदरलैंड यूरोपीय मुख्य भूमि में भारतीय समुदाय का निवास स्थल है।
  - अक्तूबर 2011 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) सांस्कृतिक केंद्र "गांधी केंद्र" हेग में स्थापित किया गया था।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग: नीदरलैंड्स ऑर्गनाइज़ेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च (Netherlands Organization for Scientific Research- NWO) भारत सरकार के विभिन्न विभागों के साथ सहयोग करता है।
  - उदाहरणत: "स्वस्थ पुन: उपयोग के लिये शहरी सीवेज धाराओं का स्थानीय उपचार (LOTUS-HR)" शीर्षक से एक परियोजना चल रही है।
  - LOTUS-HR परियोजना भारत के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और डच (Dutch) NWO-TTW द्वारा वित्तपोषित विश्वविद्यालयों और कंपनियों का एक भारत-नीदरलैंड संयुक्त सहयोग है।
- जल प्रबंधन में सहयोग:
  - डच इंडो वाटर एलायंस लीडरशिप इनिशिएटिव (Dutch Indo Water Alliance Leadership Initiative- DIWALI) नामक एक मंच विकसित किया गया है जिसमें शामिल होकर भारत और नीदरलैंड पानी की समस्या संबंधी चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं।
- कृषि में सहयोग: कृषि भारत के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिये नीदरलैंड द्वारा पहचाने गए प्रमुख क्षेत्रों में से एक है।
  - कृषि पर 5वीं संयुक्त कृषि कार्य समूह (Joint Agriculture Working Group- JAWG) की बैठक वर्ष 2018 में नई दिल्ली में हुई थी।
  - JAWG के तहत एक कार्ययोजना पर हस्ताक्षर किये गए, जिसमें बागवानी, पशुपालन और डेयरी, मत्स्य पालन तथा खाद्य प्रसंस्करण में उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence- CoE) स्थापित करने में सहयोग की परिकल्पना की गई है।
  - इसके साथ ही कोल्ड चेन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन आदि के क्षेत्र में कौशल विकास और क्षमता निर्माण भी शामिल है।
- स्वास्थ्य सहयोग:
  - संचारी रोगों और रोगाणुरोधी प्रतिरोध से जुड़ी उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों में अधिक अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिये जनवरी 2014 में स्वास्थ्य देखभाल एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए थे।

ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट : मालदीव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक भारतीय कंपनी, Afcons ने मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजना हेतु अनुबंध पर हस्ताक्षर किये हैं जो कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (GMCP) है।

- यह परियोजना भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय परामर्श का परिणाम है तथा सितंबर 2019 में भारत के विदेश मंत्री की माले यात्रा के बाद से चर्चा में रही है।

प्रमुख बिंदु

- ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट:
  - इसमें 6.74 किमी. लंबा पुल एवं माले और आसपास के द्वीपों विलिंगिली (Villingili), गुल्हीफाहू (Gulhifalhu) तथा थिलाफूसी (Thilafushi) के बीच सेतु लिंक शामिल होगा। यह अक्षय ऊर्जा का उपयोग करेगा।
    - इस परियोजना को भारत से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट (LOC) द्वारा वित्तपोषित किया गया है।
  - यह न केवल मालदीव में भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, बल्कि समग्र रूप से मालदीव में सबसे बड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजना है।
- महत्त्व :
  - इसे मालदीव के लिये आर्थिक जीवन रेखा के रूप में माना जाता है तथा मालदीव की आधी आबादी चार द्वीपों के बीच कनेक्टिविटी को एक व्यापक वृद्धि प्रदान करेगा।

- यह मालदीव के परिवहन और आर्थिक क्षेत्र की गतिविधियों को गति प्रदान करेगा।

- भारत-मालदीव-चीन:
  - GMCP परियोजना, चीनी सहायता से निर्मित सिनामाले पुल से बड़ी होगी जो माले को हुलहुमले और हुलहुले से जोड़ता है तथा यह 2018 में पूरा हुआ था।
  - साथ ही अगस्त 2020 में मालदीव को भारतीय सहायता की सराहना की गई और चीन द्वारा मालदीव को दिये गए पिछले महँगे वाणिज्यिक ऋणों के साथ तुलना की गई, जिसे चीन की "कर्ज़-जाल कूटनीति" कहा जा रहा है।
    - चीन द्वारा कर्ज़दार देश से आर्थिक या राजनीतिक रियायतें पाने के इरादे से जान-बूझकर किसी दूसरे देश को अत्यधिक कर्ज़ दिया जाता है।
  - भारत-मालदीव संबंधों को तब झटका लगा जब मालदीव ने वर्ष 2017 में चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) किया।
    - हालाँकि मालदीव में भारत समर्थक नई सरकार के चुनाव से रिश्तों में सुधार आया है और मालदीव भी चीन के साथ FTA से बाहर निकलने पर विचार कर रहा है।
  - वर्तमान में इस क्षेत्र में भारतीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत 34 द्वीपों पर पानी एवं सीवरेज परियोजनाएँ, अतिरिक्त द्वीप के लिये सुधार परियोजनाएँ, गुल्हीफाहू (Gulhifalhu) पर एक बंदरगाह, हनीमाधू (Hanimaadhoo) में हवाई अड्डे का पुनर्विकास और हुलहुमले (Hulhumale) में एक अस्पताल तथा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण शामिल है।
    - भारत ने दिसंबर 2018 में मालदीव के लिये 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट की भी घोषणा की थी।
- हालिया विकास:
  - सुरक्षा सहयोग: इससे पहले अगस्त 2021 में श्रीलंका, भारत द्वारा आयोजित एक उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक में श्रीलंका और मालदीव सुरक्षा सहयोग के "चार स्तंभों" पर काम करने के लिये सहमत हुए हैं।
  - UNGA अध्यक्ष: जून 2021 में भारत ने 2021-22 के लिये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में मालदीव के विदेश मंत्री के चुनाव का स्वागत किया।
  - समझौता ज्ञापन: नवंबर 2020 में भारत और मालदीव ने उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं एवं खेल और युवा मामलों में सहयोग से संबंधित चार समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किये।
  - राहत पैकेज: अगस्त 2020 में भारत ने मालदीव को कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने में मदद करने हेतु हवाई, समुद्र, अंतर-द्वीप और दूरसंचार सहित पाँच-आयामी पैकेज के लिये स्वयं को प्रतिबद्ध किया था।
  - द्विपक्षीय एयर बबल: मालदीव पहला दक्षिण एशियाई देश है जिसके साथ भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था को शुरू किया है।
  - द्विपक्षीय यात्राएँ: सितंबर 2018 से भारत और मालदीव के मध्य कई द्विपक्षीय यात्राएँ हुई हैं।
    - भारतीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सोलिह के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिये मालदीव गए।
    - दिसंबर 2018 में मालदीव के राष्ट्रपति द्वारा भारत का दौरा किया गया।
    - मालदीव के गृह मंत्री ने फरवरी 2020 में भारतीय गृह मंत्री से मुलाकात की।
- मालदीव और भारत, दोनों ही 'दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ' (SAARC) एवं 'दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग' (SASEC) के सदस्य हैं।

आगे की राह

- समझौते की शर्तों के मुताबिक, वर्ष 2023 तक इस पुल के निर्णय का कार्य पूरा हो जाएगा। हालाँकि यह समझौता केवल इस लिहाज़ से महत्त्वपूर्ण नहीं है कि इसमें भारत और मालदीव दोनों एक साझेदार के रूप में शामिल हैं, बल्कि यह दोनों देशों के संबंधों की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है।
- भारत के लिये मालदीव सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्त्वपूर्ण है और इस समझौते के माध्यम से दोनों देशों के मध्य मौजूद तनावों को कम करने में मदद मिल सकती है।

नोट :

- भारत सरकार की 'नेबरहुड फर्स्ट' पॉलिसी के अनुसार, भारत स्थिर, समृद्ध और शांतिपूर्ण मालदीव के लिये एक प्रतिबद्ध विकास भागीदार है।
- कोविड-19 महामारी और पिछले ऋणों के कारण मालदीव के समक्ष मौजूद आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए यह परियोजना और पिछले कुछ पैकेज निश्चित रूप से दोनों देशों के बीच संबंधों को मज़बूत करेंगे।
- यह मालदीव के संबंध में चीन पर भारत को रणनीतिक बढ़त भी प्रदान करेगा।

मालाबार अभ्यास 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'क्वाड' समूह में शामिल देशों (भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया) की नौसेनाओं ने 'मालाबार अभ्यास' के 25वें संस्करण में हिस्सा लिया, जो प्रशांत महासागर में 'गुआम तट' पर शुरू किया गया।

- 'गुआम' उत्तरी प्रशांत महासागर में एक अमेरिकी द्वीप क्षेत्र है, जो पश्चिम में मैनलैंड अमेरिका की तुलना में पूर्व में चीन के काफी करीब है, जो इसे भारत-प्रशांत अभियानों के लिये एक आदर्श अमेरिकी सैन्य रणनीतिक पोस्ट बनाता है।

प्रमुख बिंदु

- मालाबार अभ्यास:
  - यह एक बहुपक्षीय वॉर-गेम नौसैनिक अभ्यास है, जिसे वर्ष 1992 में शुरू किया गया था। यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था।
    - इस अभ्यास के दो और संस्करण वर्ष 1995 और वर्ष 1996 में आयोजित किये गए, जिसके बाद भारत के परमाणु परीक्षणों की पृष्ठभूमि में वर्ष 2002 तक इसे रोक दिया गया।
  - वर्ष 2002 के बाद से यह अभ्यास प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है।
    - जापान और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार वर्ष 2007 में भाग लिया था और वर्ष 2014 के बाद से भारत, अमेरिका और जापान प्रतिवर्ष इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं।
  - भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को सीमित करने हेतु भारत के अनुरोध पर वर्ष 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी मालाबार अभ्यास में शामिल हुआ।
    - बीते एक दशक में यह पहली बार था, जब 'मालाबार 2020' में सभी चार क्वाड सदस्यों की भागीदारी देखी गई।
  - इसका उद्देश्य स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी भारत-प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करना तथा नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिये प्रतिबद्धता जाहिर करना है।
- मालाबार 2021:
  - पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में क्वाड के ढाँचे के भीतर यह पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास है और जाहिर तौर पर इसका उद्देश्य चीन को एक सख्त संदेश देना है। इसकी मेज़बानी अमेरिका कर रहा है।
- महत्त्व
  - रणनीतिक साझेदारी में बढ़ोतरी:
    - इस तरह के जटिल अभ्यासों ने संयुक्त समुद्री सुरक्षा अभियानों को शुरू करने में चार नौसेनाओं के बीच तालमेल व आपसी समझ को और बढ़ाया है तथा यह उनकी रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करने हेतु महत्त्वपूर्ण है।
  - सतत् इंडो-पैसिफिक गठबंधन:
    - एक सतत् इंडो-पैसिफिक गठबंधन की दिशा में एक बड़ा कदम है ताकि आर्थिक और सैन्य रूप से शक्तिशाली चीन द्वारा उत्पन्न बड़े पैमाने पर रणनीतिक असंतुलन को संबोधित किया जा सके।
    - कई प्रमुख उदार लोकतंत्रों के बीच एक आम सहमति है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, उदार समाज और नियम-आधारित शासन के लिये खतरा है।

- समुद्र के माध्यम से शांति:
  - यह कोई संयोग नहीं है कि 2000 के दशक के मध्य में जैसे-जैसे भारत-अमेरिका संबंधों में सुधार हुआ, चीन का व्यवहार बेहतर होता गया।
  - भारत केवल आर्थिक मज़बूती और साझेदारी, जैसे कि मालाबार अभ्यास, से ही चीन के साथ अपने विकल्पों का विस्तार कर सकता है।
  - पहाड़ों में शांति का मार्ग समुद्र के माध्यम से कोजा जा सकता है।
- क्वाड देशों के साथ अन्य अभ्यास:
  - भारत-जापान: जिमेक्स (नौसेना अभ्यास), शिन्यू मैत्री (वायु सेना अभ्यास) और धर्म गार्जियन (सैन्य अभ्यास)।
  - भारत-अमेरिका: युद्ध अभ्यास (सेना), वज्र प्रहार (सैन्य), स्पिटिंग कोबरा, संगम, लाल झंडा, कोप इंडिया।
  - भारत-ऑस्ट्रेलिया: AUSINDEX (समुद्री), ऑस्ट्रेलिया हिंद (AUSTRA HIND), पिच ब्लैक।
  - पैसेज सैन्य अभ्यास (PASSEX)।

क्वाड

- यह भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान चार देशों का गठबंधन है जिसे वर्ष 2007 में स्थापित किया गया था।
  - क्वाड की अवधारणा औपचारिक रूप से सबसे पहले वर्ष 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंज़ो आबे द्वारा प्रस्तुत की गई थी।
- इसे प्राय: "एशियाई" या "मिनी" उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के रूप में भी संबोधित किया जाता है, और इसे भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन के सैन्य एवं आर्थिक दबदबे के प्रतिसंतुलन के रूप में देखा जाता है।
- क्वाड, जिसे पहले चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के रूप में जाना जाता था, अब यह इंगित करने के लिये चतुर्भुज ढाँचे के रूप में जाना जाता है कि यह एक संकीर्ण सुरक्षा वार्ता से आगे निकल गया है।

पर्यावरण और कृषि मंत्रिस्तरीय बैठक : ब्रिक्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ब्रिक्स (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) पर्यावरण और कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी।

- ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ जोड़ता है, जो दुनिया की 41% आबादी की प्रतिनिधित्व करता है, यह दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 24% और विश्व व्यापार में 16% से अधिक का योगदान देता है।
- भारत 2021 के लिये ब्रिक्स समूह का अध्यक्ष है।

प्रमुख बिंदु

- ब्रिक्स के पर्यावरण मंत्रियों की 7वीं बैठक, 2021:
  - केंद्रित क्षेत्र :
    - वायु प्रदूषण, चक्रीय अर्थव्यवस्था, समुद्री प्लास्टिक कूड़ा और एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद जैसे प्रदूषण का मुकाबला, वानिकी, वनाग्नि की रोकथाम और शमन तथा जैव विविधता का संरक्षण आदि।
    - साथ ही अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान देने के लिये सहयोग हेतु सहमति बनी।
    - चूँकि ऊर्जा और द्वितीयक कच्चे माल की प्राप्ति के साथ-साथ कचरे का कुशल प्रबंधन, संसाधन संरक्षण, स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र तथा लोगों के जीवन की गुणवत्ता के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - पर्यावरण पर नई दिल्ली के वक्तव्य को अपनाया गया:
    - इसका उद्देश्य ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच पर्यावरण में निरंतरता, समेकन और सहमति के लिये सहयोग की भावना को आगे बढ़ाना है, विशेष रूप से इस वर्ष के अंत में COP15 जैव विविधता बैठक तथा COP26 (जलवायु परिवर्तन) से पूर्व लक्ष्य को हासिल करना है।

- ब्रिक्स संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था संवाद :
  - भारत ने यह पहल अपशिष्ट प्रबंधन, संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था पर ज्ञान और बेहतर प्रयासों के आदान-प्रदान की सुविधा के लिये शुरू की है।
  - इसमें देशों में विभिन्न क्षेत्रों पर भी संवाद शामिल होंगे जैसे- निर्माण, कृषि, सौर, जैव ईंधन, पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, भोजन, पानी और वस्त्र।
- भारत का रुख:
  - जलवायु परिवर्तन 2021 रिपोर्ट (IPCC) अनुमान्य : वैश्विक पर्यावरण और जलवायु चुनौतियों के खिलाफ ठोस सामूहिक वैश्विक कार्रवाई करने के लिये आईपीसीसी अंतिम संकेत हो सकता है।
  - कार्यों को समानता, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और परिस्थितियों, तथा "समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमताएँ (CBDR-RC)" के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिये।
  - CBDR–RC जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के अंतर्गत एक सिद्धांत है जो जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में अलग-अलग देशों की भिन्न-भिन्न क्षमताओं और विभिन्न उत्तरदायित्वों को स्वीकार करता है।

- ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक:
  - थीम:
    - खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिये कृषि जैव विविधता को मज़बूत करने हेतु ब्रिक्स साझेदारी।
  - ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच:
    - यह ब्रिक्स सदस्य राज्यों के बीच कृषि अनुसंधान और नवाचारों के क्षेत्र में सहयोग को मज़बूत करने हेतु भारत में स्थापित किया गया है।
    - इसे भारत ने विकसित किया है।
    - विज्ञान आधारित कृषि के लिये यह एक वैश्विक मंच के रूप में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग के माध्यम से सतत् कृषि विकास को बढ़ावा देकर वैश्विक भूख, कुपोषण, गरीबी और असमानता के मुद्दों को संबोधित करने में मदद करेगा।
  - कृषि सहयोग हेतु 2021-24 की कार्ययोजना:
    - यह खाद्य सुरक्षा, किसानों के कल्याण, कृषि जैव विविधता के संरक्षण, खाद्य और कृषि उत्पादन प्रणालियों में लचीलापन, डिजिटल कृषि समाधानों को बढ़ावा देने आदि विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - भारत का पक्ष:
    - कृषि-जैव विविधता के संरक्षण में भारत के प्रयास:
    - विभिन्न संबंधित ब्यूरो में पौधों, जानवरों, मछलियों, कीड़ों और कृषि की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सूक्ष्मजीवों के लिये राष्ट्रीय जीन बैंकों की स्थापना और रखरखाव।
    - दलहन, तिलहन, बागवानी फसलों, राष्ट्रीय बाँस मिशन और हाल ही में शुरू किये गए राष्ट्रीय पाम ऑयल मिशन जैसे देशव्यापी कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी कृषि-खाद्य प्रणालियों के विविधीकरण को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना।
    - इन कार्यक्रमों का उद्देश्य खेत और थाली दोनों में विविधीकरण प्रदान करने के साथ-साथ किसानों की आय में वृद्धि करना है।

अफगानिस्तान में चीन के हित

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद चीन, तालिबान के साथ राजनयिक चैनल विकसित करने वाले पहले राष्ट्रों में से एक के रूप में उभरा है। यह जुड़ाव अफगानिस्तान में चीन के आर्थिक और सुरक्षा हित से जुड़ा हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- अफगानिस्तान में चीन के आर्थिक हित:
  - लिथियम के भंडार: अफगानिस्तान में संभवत: दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार मौजूद है।

- लिथियम, व्यापक क्षमता वाली लिथियम-आयन बैटरी का प्रमुख घटक है जिसका व्यापक रूप से उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग में किया जाता है।
- चीन, दुनिया भर में लिथियम-आयन बैटरी का उत्पादक है और वह खनन अधिकारों एवं स्वामित्व व्यवस्था के बदले बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान के अप्रयुक्त लिथियम भंडार को विकसित करने के लिये तालिबान के साथ दीर्घकालिक अनुबंध की मांग कर सकता है।

- खनिज भंडार: अफगानिस्तान में 3 ट्रिलियन डॉलर तक का अनुमानित खनिज भंडार मौजूद है।
  - अफगानिस्तान सोना, तेल, बॉक्साइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्त्वों, क्रोमियम, ताँबा, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, कोयला, लौह अयस्क, सीसा, जस्ता, रत्न, सल्फर, ट्रैवर्टीन, जिप्सम और संगमरमर जैसे कई संसाधनों से समृद्ध है।
- चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव: चीन की रणनीतिक बेल्ट-एंड-रोड इनिशिएटिव (Belt-and-Road Initiative) को और अधिक पहुँच मिल सकती है यदि वह पेशावर-टू-काबुल मोटरवे (Peshawar-to-Kabul Motorway) के साथ पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक पहल का विस्तार करने में सफल होता है।
  - यह चीनी सामानों के लिये मध्य-पूर्व के बाज़ारों में तेज़ी से और सुविधाजनक पहुँच के लिये एक बहुत छोटा भूमि मार्ग तैयार करेगा।

- अफगानिस्तान में चीन के सुरक्षा हित के विषय में:
  - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) के अनुसार, पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट (ETIM) की जड़ें अफगानिस्तान में थीं क्योंकि इसे 2000 के दशक में तालिबान तथा अल कायदा से समर्थन मिला था।
    - ETIM शिनजियांग के स्थान पर पूर्वी तुर्केस्तान नामक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना के उद्देश्य से पश्चिमी चीन में स्थापित एक उइगर इस्लामी चरमपंथी संगठन है।
    - इस प्रकार ETIM चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के लिये सीधा खतरा है।
    - चीन चिंतित है कि अफगानिस्तान उइगर चरमपंथी समूह के लिये एक संभावित आश्रय स्थल बन सकता है, जो उइगरों के व्यापक दमन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकता है।
- भारत पर चीन-तालिबान की भागीदारी का प्रभाव:
  - चीन-तालिबान जुड़ाव के साथ चीन-पाकिस्तान-तालिबान के बीच एक नई क्षेत्रीय भू-राजनीतिक धुरी का निर्माण हो सकता है, जो भारत के हितों के खिलाफ होगा।
  - अफगानिस्तान में चीन का प्रभाव अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया के लिये कनेक्टिविटी परियोजनाओं को भी बाधित करेगा। उदाहरण के लिये चाबहार पोर्ट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC), TAPI पाइपलाइन।

आगे की राह:

- तालिबान के साथ भारत का जुड़ाव: तालिबान से वार्ता कर भारत निरंतर विकास सहायता के बदले में विद्रोहियों से सुरक्षा गारंटी मांग सकता है।
  - भारत तालिबान को पाकिस्तान से अपनी स्वायत्तता की संभावना तलाशने के लिये भी राजी कर सकता है।
- वैश्विक आतंकवाद से लड़ना: वैश्विक समुदाय को आतंकवाद की वैश्विक चिंता के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है।
  - इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (1996 में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तावित) को अपनाने का समय आ गया है।

विदेशी जहाज़ों हेतु चीन के नए समुद्री नियम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन ने नए समुद्री नियमों को अधिसूचित किया है, जिसमें जहाज़ों को चीनी जल क्षेत्र (प्रादेशिक जल क्षेत्र) में प्रवेश करने पर सामानों के विवरण की जानकारी देनी होगी, जो 1 सितंबर, 2021 से प्रभावी होगा।

- चीन अपने नक्शे पर तथाकथित "नाइन डैश लाइन" (Nine Dash Line) के तहत दक्षिण चीन सागर के अधिकांश जल पर दावा करता है, जो फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया सहित कई अन्य देशों द्वारा विवादित है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय :
  - सबमर्सिबल, परमाणु जहाज़ों, रेडियोधर्मी सामग्री ले जाने वाले जहाज़ों और थोक तेल, रसायन, तरलीकृत गैस एवं अन्य ज़हरीले तथा हानिकारक पदार्थों को ले जाने वाले जहाज़ों के संचालक, जो चीन की समुद्री यातायात सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं, को चीनी क्षेत्रीय जल में प्रवेश करने पर सामानों के विवरण की जानकारी देनी होगी।
    - चीन लगभग 1.3 मिलियन वर्ग मील दक्षिण चीन सागर पर अपने संप्रभु क्षेत्र के रूप में दावा करता है। वह क्षेत्र में कृत्रिम द्वीपों पर सैन्य ठिकाने बना रहा है।
  - इसे समुद्री पहचान क्षमता को बढ़ावा देने के लिये सख्त नियमों को लागू करके समुद्र मंक चीन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु किये गए प्रयासों के संकेत के रूप में देखा जाता है।
  - चीन की दृष्टि से इस क्षेत्र में अमेरिका की घुसपैठ मुखर प्रकृति की है जो इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा विध्वंसक हो सकता है।
- आशय :
  - नेविगेशन और व्यापार पर प्रभाव :
    - भारतीय वाणिज्यिक जहाज़ों के साथ-साथ भारतीय नौसेना के जहाज़ नियमित रूप से दक्षिण चीन सागर की जलधारा को पार करते हैं, जिसके माध्यम से प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग गुज़रते हैं।
    - इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता भारत के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण है। भारत दक्षिण चीन सागर के तटवर्ती राज्यों के साथ तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग सहित विभिन्न गतिविधियाँ करता है।
    - 5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का व्यापार दक्षिण चीन सागर के माध्यम से होता है और भारत का 55% व्यापार इस जल क्षेत्र और मलक्का जलडमरूमध्य के माध्यम से होता है।
  - अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ विसंगति :
    - इसे संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (United Nations Convention on the Law of the Sea-UNCLOS) के साथ असंगत होने के रूप में देखा जाता है, जिसमें कहा गया है कि सभी देशों के जहाज़ों को किसी भी "प्रादेशिक जल " के माध्यम से गैर-दुर्भावना के साथ पार करने का अधिकार देता है"।
  - क्षेत्रीय अशांति :
    - अगर चीन नए नियमों को विवादित दक्षिण चीन सागर और ताइवान जलडमरूमध्य में सख्ती से लागू करता है तो इससे तनाव बढ़ने की आशंका है। इस क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगी देश नौवहन की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए नौसैनिक अभियान चलाकर चीन के दावों को चुनौती दे सकते हैं।
- नाइन डैश लाइन:
  - यह चीन के दक्षिणी हैनान द्वीप के सैकड़ों किलोमीटर दक्षिण और पूर्व में विस्तृत है, जो सामरिक रूप से पेरासल और स्प्रैटली द्वीप शृंखलाओं को कवर करती है।
    - इसे अधिकांश देशों द्वारा UNCLOS के साथ असंगत माना जाता है, किसी राष्ट्र के तट से 12 समुद्री मील के भीतर के क्षेत्र को उस राष्ट्र का क्षेत्र माना जाता है, इसमें वह राष्ट्र अपने कानून बना सकता है और जिस साधन का जैसे चाहे प्रयोग कर सकता है।
  - लगभग 2000 वर्ष पूर्व इन दोनों द्वीप शृंखलाओं पर चीन का अधिकार माना जाता था।
  - हेग स्थित मध्यस्थता के स्थायी न्यायालय (Permanent Court of Arbitration) ने वर्ष 2016 में एक निर्णय जारी किया जिसमें चीन के दावों को अंतर्राष्ट्रीय कानून में आधार की कमी के रूप में खारिज कर दिया। चीन ने तब इस फैसले को खारिज कर दिया था।

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो विश्व के सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार एवं ज़िम्मेदारियों का निर्धारण करता है तथा समुद्री साधनों के प्रयोग के लिये नियमों की स्थापना करता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस कानून को वर्ष 1982 में अपनाया था लेकिन यह नवंबर 1994 में प्रभाव में आया।
- कन्वेंशन बेसलाइन से 12 समुद्री मील की दूरी को प्रादेशिक समुद्र सीमा के रूप में और 200 समुद्री मील की दूरी को विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र सीमा के रूप में परिभाषित करता है।
- भारत वर्ष 1982 में UNCLOS का हस्ताक्षरकर्त्ता बना।

दक्षिण चीन सागर

- दक्षिण चीन सागर दक्षिण-पूर्व एशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर की एक शाखा है।
- यह चीन के दक्षिण में, वियतनाम के पूर्व और दक्षिण में, फिलीपींस के पश्चिम में और बोर्नियो द्वीप के उत्तर में है।
- सीमावर्ती राज्य और क्षेत्र (उत्तर से दक्षिणावर्त): चीनी जनवादी गणराज्य, चीन गणराज्य (ताइवान), फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम।
- यह ताइवान जलडमरूमध्य से पूर्वी चीन सागर और लुज़ोन जलडमरूमध्य द्वारा फिलीपीन सागर से जुड़ा हुआ है।
- इसमें कई शोल, रीफ, एटोल और द्वीप शामिल हैं। पैरासेल द्वीप समूह, स्प्रैटली द्वीप समूह और स्कारबोरो शोल सबसे महत्त्वपूर्ण हैं।

मलक्का जलडमरूमध्य

- यह एक जलमार्ग है जो अंडमान सागर (हिंद महासागर) और दक्षिण चीन सागर (प्रशांत महासागर) को जोड़ता है।
- यह पश्चिम में सुमात्रा के इंडोनेशियाई द्वीप और प्रायद्वीपीय (पश्चिम) मलेशिया व पूर्व में चरम दक्षिणी थाईलैंड के बीच संचालित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 25,000 वर्ग मील है।
- जलडमरूमध्य का नाम मेलाका (पहले मलक्का) के व्यापारिक बंदरगाह से लिया गया है जो मलय तट पर 16वीं और 17वीं शताब्दी में महत्त्वपूर्ण था।

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

फ्यूज़न इग्निशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी' (जो कैलिफोर्निया, यूएस में नेशनल इग्निशन फैसिलिटी का संचालन करती है) के शोधकर्त्ताओं ने पहली बार "फ्यूज़न इग्निशन" का प्रदर्शन किया है।

- इस सफलता ने दुनिया को नाभिकीय संलयन के माध्यम से असीमित स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन के सपने के लगभग करीब ला दिया है।

प्रमुख बिंदु

प्रयोग के बारे में:

- उन्होंने फ्यूल पैलेट्स पर ऊष्मा उत्सर्जन के लिये लेज़र ऊर्जा प्रवाहित की और सूर्य के केंद्र के समान परिस्थितियों में उन पर दबाव डाला।
  - इसने संलयन प्रतिक्रियाओं को उत्तेजित किया।
- इन प्रतिक्रियाओं से अल्फा कण (हीलियम) नामक धनात्मक आवेशित कण निकलते हैं, जो बदले में आसपास के प्लाज़्मा को गर्म करते हैं।
- गर्म प्लाज़्मा ने अल्फा कण भी उत्सर्जित किये और एक आत्मनिर्भर प्रतिक्रिया हुई जिसे 'इग्निशन' कहा जाता है।
- 'इग्निशन' परमाणु संलयन प्रतिक्रिया से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है और यह भविष्य के लिये स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने में मदद कर सकता है।

प्रयोग का महत्त्व: सूर्य के केंद्र में स्थितियों से संबंधित अध्ययन की अनुमति देगा:

- प्लाज़्मा पदार्थ की वह अवस्था है जो पहले कभी प्रयोगशाला में नहीं बनी।
- पदार्थ की क्वांटम अवस्थाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना।
- बिग बैंग की शुरुआत के करीब की स्थितियाँ।

नाभिकीय संलयन:

- परमाणु संलयन को कई छोटे नाभिकों के एक बड़े नाभिक में संयोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके बाद बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है।
- संलयन वह प्रक्रिया है जो सूर्य को शक्ति प्रदान करती है और एक असीम, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत प्रदान कर सकती है।
  - सूरज में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न अत्यधिक दबाव संलयन की स्थिति पैदा करता है।
- संलयन अभिक्रियाएँ प्लाज़्मा नामक पदार्थ की अवस्था में होती हैं। प्लाज़्मा एक गर्म, आवेशित गैस है जो सकारात्मक आयनों और मुक्त गति वाले इलेक्ट्रॉनों से बनी होती है जिसमें ठोस, तरल एवं गैसों से अलग अद्वितीय गुण होते हैं।
  - उच्च तापमान पर इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक से अलग हो जाते हैं और प्लाज़्मा या पदार्थ की आयनित अवस्था बन जाते हैं। प्लाज़्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था के रूप में भी जाना जाता है।

नाभिकीय संलयन के लाभ:

- प्रचुर मात्रा में ऊर्जा: नियंत्रित तरीके से परमाणुओं को एक साथ मिलाने से कोयले, तेल या गैस के जलने जैसी रासायनिक प्रतिक्रिया की तुलना में लगभग चार मिलियन गुना अधिक ऊर्जा और परमाणु विखंडन प्रतिक्रियाओं (समान द्रव्यमान पर) की तुलना में चार गुना अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है।

- संलयन की क्रिया में शहरों और उद्योगों को बिजली प्रदान करने हेतु आवश्यक बेसलोड ऊर्जा (Baseload Energy) प्रदान करने की क्षमता है।

- स्थिरता: संलयन आधारित ईंधन व्यापक रूप से उपलब्ध हैं और लगभग अखंडनीय हैं। ड्यूटेरियम को सभी प्रकार के जल से डिस्टिल्ड किया जा सकता है, जबकि फ्यूज़न प्रतिक्रिया के दौरान ट्रिटियम का उत्पादन किया जाएगा क्योंकि न्यूट्रॉन लिथियम के साथ फ्यूज़न करते हैं।
- CO_2 का उत्सर्जन नहीं: संलयन की क्रिया से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीनहाउस गैसों जैसे हानिकारक विषाक्त पदार्थों का उत्सर्जन नहीं होता है। इसका प्रमुख सह- उत्पाद हीलियम है जो कि एक अक्रिय और गैर-विषाक्त गैस है।
- लंबे समय तक रहने वाला रेडियोधर्मी कचरे से बचाव: परमाणु संलयन रिएक्टर कोई उच्च गतिविधि, लंबे समय तक रहने वाले परमाणु अपशिष्ट का उत्पादन नहीं करते हैं।
- प्रसार का सीमित जोखिम: फ्यूज़न में यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न नहीं होते हैं (रेडियोधर्मी ट्रिटियम न तो विखंडनीय है और न ही विखंडनीय सामग्री है)।
- मेल्टडाउन का कोई खतरा नहीं: संलयन के लिये आवश्यक सटीक स्थितियों तक पहुँचना और उन्हें बनाए रखना काफी मुश्किल है तथा यदि संलयन की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी होती है, तो प्लाज़्मा सेकंड के भीतर ठंडा हो जाता है और प्रतिक्रिया बंद हो जाती है।

अन्य संबंधित पहलें:

- इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर (ITER) असेंबली: इसका उद्देश्य ऊर्जा के व्यापक और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में 'नाभिकीय संलयन' की व्यवहार्यता को साबित करने के लिये दुनिया के सबसे बड़े टोकामक का निर्माण करना है। ITER के सदस्यों में चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
- चीन का कृत्रिम सूर्य: चीन द्वारा डिज़ाइन किया गया 'प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक' (EAST) उपकरण सूर्य द्वारा किये गए परमाणु संलयन प्रक्रिया के समान प्रक्रिया का संचालन करता है।

परमाणु संलयन बनाम परमाणु विखंडन

	परमाणु विखंडन	परमाणु संलयन
परिभाषा	विखंडन का आशय एक बड़े परमाणु का दो या दो से अधिक छोटे परमाणुओं में विभाजन से है।	नाभिकीय संलयन का आशय दो हल्के परमाणुओं के संयोजन से एक भारी परमाणु नाभिक के निर्माण की प्रकिया से है।
घटना	विखंडन प्रकिया सामान्य रूप से प्रकृति में घटित नहीं होती है।	प्राय: सूर्य जैसे तारों में संलयन प्रक्रिया घटित होती है।
ऊर्जा आवश्यकता	विखंडन प्रकिया में दो परमाणुओं को विभाजित करने में बहुत कम ऊर्जा लगती है।	दो या दो से अधिक प्रोटॉन को एक साथ लाने के लिये अत्यधिक उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
प्राप्त ऊर्जा	विखंडन द्वारा जारी ऊर्जा रासायनिक प्रतिक्रियाओं में जारी ऊर्जा की तुलना में एक लाख गुना अधिक होती है, हालाँकि यह परमाणु संलयन द्वारा जारी ऊर्जा से कम होती है।	संलयन से प्राप्त ऊर्जा विखंडन से निकलने वाली ऊर्जा से तीन से चार गुना अधिक होती है।
ऊर्जा उत्पादन	विखंडन प्रकिया का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है।	यह ऊर्जा उत्पादन के लिये एक प्रायोगिक तकनीक है।

नोट :

नई एचआईवी वैक्सीन के लिये मानव परीक्षण

चर्चा में क्यों ?

मैसाचुसेट्स स्थित अमेरिकी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी मॉडर्ना, एचआईवी (ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस) के लिये mRNA वैक्सीन (mRNA-1644) हेतु मानव परीक्षण शुरू करेगी।

- कोविड-19 के साथ mRNA वैक्सीन की सफलता के बाद एचआईवी के लिये एमआरएनए वैक्सीन का यह पहला परीक्षण है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) के अनुसार, वर्ष 2020 तक लगभग 37.7 मिलियन लोग एचआईवी पॉज़िटिव थे।

प्रमुख बिंदु

mRNA वैक्सीन बनाम पारंपरिक टीके:

- टीके रोग पैदा करने वाले कारकों जैसे- वायरस या बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित प्रोटीन को पहचानने और प्रतिक्रिया करने के लिये शरीर को प्रशिक्षित करने का काम करते हैं।
- पारंपरिक टीके रोग पैदा करने वाले कारक या उसके द्वारा पैदा होने वाले प्रोटीन की छोटी या निष्क्रिय खुराक से बने होते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रतिक्रिया देने के लिये उत्तेजित करने हेतु शरीर में डाले जाते हैं।
- mRNA टीके शरीर को कुछ वायरल प्रोटीनों (Viral Protein) का उत्पादन करने के लिये प्रेरित करते हैं।
  - ये mRNA या मैसेंजर आरएनए का उपयोग करके काम करते हैं, जो अणु हैं और डीएनए निर्देशों को क्रियाशील बनाते हैं। एक सेल के अंदर mRNA का उपयोग प्रोटीन बनाने के लिये नमूना के रूप में किया जाता है।

एचआईवी के लिये mRNA वैक्सीन:

- इस वैक्सीन को शरीर की कोशिकाओं को एचआईवी वायरस के स्पाइक प्रोटीन का उत्पादन करने के लिये प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करके कोविड-19 वैक्सीन के समान काम करने की उम्मीद है।
- बी कोशिकाओं (B Cell) को उत्तेजित करने का बड़ा उद्देश्य व्यापक रूप से बेअसर करने वाले एंटीबॉडी (bnAbs) को उत्पन्न करना है जो विशेष रक्त प्रोटीन होते हैं और एचआईवी के सतही प्रोटीन से जुड़ते हैं तथा इन्हें निष्क्रिय कर देते हैं।
  - बी कोशिकाएँ एंटीबॉडी नामक वाई-आकार के प्रोटीन बनाकर बैक्टीरिया और वायरस से लड़ती हैं, जो प्रत्येक रोगजनक के लिये विशिष्ट होते हैं और हमलावर कोशिका को रोकने में सक्षम होते हैं तथा इसे अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा विनाश के लिये चिह्नित करते हैं।
- पिछले दशक में एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों से नए bnAbs की पहचान करने में प्रगति हुई है जिन्हें एचआईवी के बाहरी आवरण में विशिष्ट जगहों को लक्षित करने के लिये देखा गया था।
- लैब-आधारित विश्लेषण और जानवरों पर परीक्षणों ने इस समझ में सुधार किया है कि इन जगहों के ज्ञान का उपयोग इम्युनोजेन्स बनाने के लिये कैसे किया जा सकता है।
  - इम्युनोजेन ऐसे अणु को संदर्भित करता है जो जीव की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम होता है, जबकि एंटीजन उस अणु को संदर्भित करता है जो उस प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के उत्पाद के लिये बाध्य करने में सक्षम होता है।
  - अत: एक प्रतिरक्षी (Antigen) अनिवार्य रूप से एक प्रतिजन (Immunogen) है, लेकिन एक प्रतिजन आवश्यक रूप से एक प्रतिरक्षी नहीं हो सकता है।

अपेक्षित लाभ:

- आरएनए-आधारित टीकाकरण को एक महत्त्वपूर्ण विकल्प माना जाता है, क्योंकि उनमें एक जीवित वायरस का उपयोग शामिल नहीं होता है और इसे अपेक्षाकृत आसानी से विकसित किया जा सकता है तथा इसे प्रयोग करना भी काफी आसान व सुरक्षित होता है।

नोट :

चुनौतियाँ

- पहुँच संबंधी मुद्दे
  - 'मॉडर्ना' और 'फाइज़र' के टीकों के अनुभव से पता चलता है कि जिन क्षेत्रों में उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है, वहाँ उनकी उपलब्धता सबसे बड़ी चुनौती है।
    - एचआईवी से संक्रमित दो-तिहाई से अधिक लोग अफ्रीका में मौजूद हैं। एचआईवी महामारी को नियंत्रित करने में किसी भी सफलता के लिये यह आवश्यक है कि वहाँ संचरण की दरों में भारी कटौती की जाए।
- तापमान के प्रति संवेदनशील
  - mRNA टीके भंडारण के दौरान तापमान के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं और इस प्रकार की सुविधाएँ विकसित करना विकासशील देशों के लिये एक चुनौती है।
- एचआईवी का उत्परिवर्तन:
  - एचआईवी कई रूपों में उत्परिवर्तित हो गया है, ऐसे में mRNA दृष्टिकोण की सफलता के निश्चित प्रमाण प्राप्त करने में कई वर्ष लग सकते हैं।

ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV)

- एचआईवी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में CD-4, जो कि एक प्रकार का व्हाइट ब्लड सेल (T-Cells) होता है, पर हमला करता है।
  - टी-कोशिकाएँ वे कोशिकाएँ होती हैं जो कोशिकाओं में विसंगतियों और संक्रमण का पता लगाने के लिये शरीर में घूमती रहती हैं।
- शरीर में प्रवेश करने के बाद एचआईवी वायरस की संख्या में तीव्रता से वृद्धि होती है और यह CD-4 कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है, इस प्रकार यह मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाता है। एक बार जब यह वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है तो इसे कभी नहीं हटाया जा सकता है।
- एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति की CD-4 की संख्या में काफी कमी आ जाती है। एक स्वस्थ शरीर में CD-4 की संख्या 500-1600 के बीच होती है, लेकिन एक संक्रमित शरीर में यह संख्या 200 तक कम हो सकती है।
- कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण एक व्यक्ति में संक्रमण और कैंसर की संभावना अधिक रहती है। इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति के लिये मामूली चोट या बीमारी से भी उबरना मुश्किल हो जाता है।
- समुचित उपचार से एचआईवी के गंभीर प्रभाव को रोका जा सकता है।
- संबंधित पहलें: 'एचआईवी एवं एड्स रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, 2017', 'प्रोजेक्ट सनराइज़', '90-90-90', 'द रेड रिबन', 'ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया' (GFATM)।

नैनो रोबोट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वैज्ञानिकों के एक समूह ने नैनो आकार के रोबोट का उपयोग करके रूट कैनाल उपचार (दंत प्रक्रियाओं) से संबंधित मुद्दों से निपटने का एक तरीका खोजा है।

- रूट कैनाल उपचार को संक्रमित रूट कैनाल से बैक्टीरिया को खत्म करने, दाँतों में पुन: संक्रमण को रोकने और प्राकृतिक दाँत को बचाने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

शोध के संबंध में:

- रूट कैनाल उपचार में दाँत का कुछ भाग छूट जाता है, इससे कुछ बैक्टीरिया रह जाते हैं जो दंत नलिकाओं के भीतर गहरे में स्थित होते हैं।
- शोध में वैज्ञानिक ने नैनो आकार के रोबोट का उपयोग करके इससे निपटने का एक तरीका खोजा है जो नलिकाओं के माध्यम से उपचार करेगा और बैक्टीरिया को लक्षित करेगा।

नोट :

- इस पद्धति के तहत सर्पिल आकार के सिलिका नैनो बॉट्स, जिसमें थोड़ा सा लोहा लगा होता है, को दाँत की केंद्रीय कैनाल में अंत:क्षिप्त किया जाता है और फिर एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जाता है। यह नैनो रोबोट को स्थानांतरित करने का एक साधन है।
- एक बार बैक्टीरियल कॉलोनी में पहुँच जाने के बाद नैनो रोबोट विभिन्न जीवाणुरोधी रणनीतियों को तैनात कर सकता है, जिनमें से एक स्थानीयकृत हीटिंग है।

नैनो रोबोट:

- नैनो रोबोटिक्स नैनो स्केल पर मशीन या रोबोट बनाने की तकनीक का वर्णन करती है।
    - 'नैनोबॉट' इंजीनियर नैनो मशीनों को संदर्भित करने के लिये एक अनौपचारिक शब्द है।
- नैनोबॉट्स ऐसे रोबोट हैं जो बहुत ही विशिष्ट कार्य करते हैं और ~50–100 NM तक चौड़े होते हैं।
- दवा वितरण के लिये उनका बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है।
    - आमतौर पर रोग प्रभावित क्षेत्र में पहुँचने से पहले दवाएँ पूरे शरीर में काम करती हैं।
    - नैनोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके दवा को एक सटीक स्थान पर लक्षित किया जा सकता है जो दवा को अधिक प्रभावी बना देगा और संभावित दुष्प्रभावों की संभावना को कम करेगा।

स्वास्थ्य देखभाल में नैनो तकनीक का उपयोग:

- दिल के दौरे के लिये नैनोटेक डिटेक्टर।
- नेत्र शल्य चिकित्सा, कीमोथेरेपी आदि के लिये नैनोकैरियर्स।
- रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिये मधुमेह पैड।
- नैनोस्पंज एक लाल रक्त कोशिका झिल्ली के साथ लेपित बहुलक नैनोकण हैं और इसे विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करने तथा उन्हें रक्त प्रवाह से निकालने के लिये उपयोग किया जा सकता है।
- नैनोफ्लेयर्स का उपयोग रक्तप्रवाह में कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने के लिये किया जाता है।
- डीएनए अनुक्रमण को अधिक कुशल बनाने के लिये नैनोपोर्स का उपयोग किया जाता है।

नैनो प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिये सरकारी पहलें:

- नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन (NSTM):
    - NSTM वर्ष 2007 में शुरू किया गया एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य नैनो प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है।
    - इसके उद्देश्यों में अनुसंधान को बढ़ावा देना, अनुसंधान का समर्थन करने के लिये बुनियादी ढाँचे का विकास, नैनो प्रौद्योगिकी का विकास, मानव संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं।
- नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल (NSTI):
    - यह वर्ष 2001 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया था।
    - इसका उद्देश्य दवाओं, दवा वितरण, जीन लक्ष्यीकरण और डीएनए चिप्स सहित नैनो सामग्री संबंधी बुनियादी ढाँचे के विकास, अनुसंधान एवं अनुप्रयोग कार्यक्रमों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है।

चिकनगुनिया वैक्सीन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट (IVI) ने घोषणा की है कि भारत बायोटेक के चिकनगुनिया वैक्सीन उम्मीदवार (BBV87) ने दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण में प्रवेश किया है। वर्तमान में कोई वाणिज्यिक चिकनगुनिया टीका नहीं है।

प्रमुख बिंदु:

- वैक्सीन के संदर्भ में:
  - BBV87 एक निष्क्रिय वायरस वैक्सीन है, जो Covaxin के समान है।
    - निष्क्रिय टीकों में वायरस होते हैं जिनकी आनुवंशिक सामग्री ऊष्मा, रसायनों या विकिरण से नष्ट हो गई हो, इसलिये वे कोशिकाओं को संक्रमित नहीं कर सकते हैं और उन्हें दोहरा नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकते हैं।
    - निष्क्रिय विषाणु प्रौद्योगिकी में एक सुरक्षा प्रोफाइल है जो संभावित रूप से इस टीके को विशेष आबादी, जैसे कि प्रतिरक्षा-समझौता और गर्भवती महिलाओं के लिये सुलभ बनाता है।
  - भारत बायोटेक के चिकनगुनिया वैक्सीन उम्मीदवार को इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट (IVI) के साथ साझेदारी में विकसित किया गया था।
  - चिकनगुनिया वैक्सीन का विकास संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की एक पहल है, जो ग्लोबल चिकनगुनिया वैक्सीन क्लिनिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम (GCCDP) के हिस्से के रूप में है।
  - इसे भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के Ind-CEPI मिशन के महामारी की तैयारी में नवाचारों हेतु गठबंधन (CEPI) के द्वारा वित्तपोषित किया गया था।
- चिकनगुनिया:
  - परिचय:
    - चिकनगुनिया एक मच्छर जनित वायरल बीमारी है जिसके पहचान पहली बार वर्ष 1952 में दक्षिणी तंजानिया में इसके संक्रमण के दौरान की गई थी।
    - यह नाम स्थानीय किमाकोंडे भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ है "विकृत हो जाना" तथा इस बीमारी के कारण होने वाले जोड़ों के तीव्र दर्द से पीड़ित रोगियों की अवस्था का वर्णन करना।
  - संचरण:
    - यह संक्रमित मच्छर के काटने से लोगों में फैलता है।
    - यह सबसे अधिक बार एडीज़ एजिप्टी और एडीज़ एल्बोपिक्टस मच्छरों द्वारा लोगों में फैलता है। ये वही मच्छर हैं जो डेंगू वायरस फैलाते हैं।
    - संक्रमित इंसानों या जानवरों को काटने से मच्छरों में संक्रमण फैलता है।
    - मौसम की स्थिति भी उनके प्रजनन और अस्तित्व को प्रभावित करती है।
  - लक्षण:
    - इसके लक्षणों में गंभीर जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द, मतली, थकान और चकत्ते शामिल हैं।
  - इलाज:
    - वर्तमान में चिकनगुनिया के इलाज के लिये कोई टीका या एंटीवायरल दवाएँ उपलब्ध नहीं हैं और उपचार केवल संक्रमण से जुड़े लक्षणों पर केंद्रित है।
  - मामलों में वृद्धि का कारण: शहरी, उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में वेक्टर जनित रोग की घटनाओं में वृद्धि हुई है, इसका कारण है:
    - अव्यवस्थित शहरीकरण।
    - पानी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कमी के कारण मच्छरों के प्रजनन स्थलों का प्रसार।
    - विशिष्ट एंटीवायरल दवा या टीके का अभाव।
- चिकनगुनिया को नियंत्रित करने के लिये सरकार की पहल:
  - राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP) मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, जापानी इंसेफेलाइटिस (JE), डेंगू तथा चिकनगुनिया जैसे वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिये एक व्यापक कार्यक्रम है।
    - यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्यान्वित है।

तीन सुपरमैसिव ब्लैकहोल का विलय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने बताया कि भारतीय वैज्ञानिकों ने 'ट्रिपल एक्टिव गेलेक्टिक न्यूक्लियस' बनाने के लिये कई आकाशगंगाओं से तीन सुपरमैसिव ब्लैकहोल के विलय की खोज की है।

- अतीत में कई 'एक्टिव गेलेक्टिक न्यूक्लियस' (AGN) जोड़े का पता लगाया गया है, लेकिन ट्रिपल AGN अत्यंत दुर्लभ हैं और एक्स-रे शोधों का उपयोग करने से पहले केवल इनकी कुछ मात्रा का ही पता लगा था।

प्रमुख बिंदु

- वर्तमान विलय:
  - वैज्ञानिक दो विशाल अवरुद्ध सर्पिल आकाशगंगाओं- NGC7733 और NGC7734 में AGN का अध्ययन कर रहे थे, जब उन्होंने बाद के केंद्र से असामान्य उत्सर्जन एवं उसके भीतर एक बड़े चमकीले समूह में हलचल का पता लगाया, जिसमें NGC7733 की तुलना में एक अलग वेग था।
    - चूँकि तीसरी आकाशगंगा एक अलग आकाशगंगा थी, इसलिये वैज्ञानिकों ने इसका नाम NGC7733N रखा।
  - विलय हुए तीनों ब्लैकहोल 'टूकेन' तारामंडल में आकाशगंगाओं का हिस्सा थे।
    - 'टूकेन' तारामंडल: यह आकाश के दक्षिणी गोलार्द्ध में स्थित है। यह अगस्त और अक्तूबर के बीच 15 डिग्री के दक्षिण अक्षांश पर दिखाई देता है। यह 30 डिग्री के उत्तर में भी क्षितिज से पूरी तरह नीचे है। यह एक छोटा तारामंडल है, जिसका क्षेत्रफल 295 वर्ग डिग्री है। यह आकाश में 88 नक्षत्रों में 48वें स्थान पर है।
  - निकटतम गेलेक्टिक पड़ोसी की तुलना में वे काफी दूर हैं- एंड्रोमेडा आकाशगंगा 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है।
- एक्टिव गेलेक्टिक न्यूक्लियस
  - आकाशगंगाओं के केंद्रों पर सुपरमैसिव ब्लैकहोल हैं, जो आकार में कई मिलियन सौर द्रव्यमान के हैं और इन्हें AGN के रूप में जाना जाता है।
  - अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में एक विशाल ब्लैकहोल होता है जिसके चारों ओर एक विशाल द्रव्यमान के रूप में जमा गैस, धूल और तारकीय मलबा होता है। AGN तब बनता है जब इन पदार्थों को गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा ब्लैक होल की ओर खींच लेती है और वह प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है।
    - चूँकि वे पदार्थ वृद्धि करते हैं, उनके चारों ओर अक्सर एक चमक होती है जिसे प्रकाश स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके देखा जा सकता है।
- आकाशगंगाओं का टकराव:
  - यदि दो आकाशगंगाएँ टकराती हैं तो उनका ब्लैकहोल भी गतिज ऊर्जा को आसपास की गैस में स्थानांतरित करके पास आ जाएगा।
  - ब्लैकहोल के बीच की दूरी समय के साथ घटती जाती है जब तक कि दूरी एक पारसेक (3.26 प्रकाश-वर्ष) के आसपास न हो जाए।
  - दो ब्लैकहोल तब और भी करीब आने तथा विलय करने के लिये कोई और गतिज ऊर्जा खोने में असमर्थ होते हैं। इसे अंतिम पारसेक समस्या के रूप में जाना जाता है।
- खोज का महत्त्व:
  - तीसरे ब्लैकहोल की उपस्थिति अंतिम पारसेक समस्या को हल कर सकती है। दो आकाशगंगाएँ तब करीब आ सकती हैं जब कोई अन्य ब्लैकहोल या कोई तारा गुज़रता है और इनके संयुक्त कोणीय गति को दूर ले जाता है।
  - इस खोज से पता चलता है कि हमारे ब्रह्मांड में विशेष रूप से आकाशगंगा समूहों में बहुसंख्यक ब्लैकहोल [AGN] अत्यधिक सामान्य हो सकते हैं। इसलिये ब्लैकहोल के विकास को समूहों में इस तरह के विलय से प्रेरित किया जा सकता है।

ब्लैकहोल

- ब्लैकहोल्स अंतरिक्ष में उपस्थित ऐसे छिद्र हैं जहाँ गुरुत्व बल इतना अधिक होता है कि यहाँ से प्रकाश का पारगमन नहीं होता।

- इस अवधारणा को वर्ष 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्रमाणित किया गया था लेकिन ब्लैकहोल शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिकी भौतिकविद् जॉन व्हीलर ने वर्ष 1960 के दशक के मध्य में किया था।
- आमतौर पर ब्लैकहोल की दो श्रेणियाँ होती हैं:
  - पहली श्रेणी- ऐसे ब्लैकहोल जिनका द्रव्यमान, सौर द्रव्यमान (एक सौर द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है) से दस सौर द्रव्यमान के बीच होता है। बड़े पैमाने पर तारों की समाप्ति से इनका निर्माण होता है।
  - अन्य श्रेणी सुपरमैसिव ब्लैकहोल की है। ये जिस सौरमंडल में पृथ्वी है उसके सूर्य से भी अरबों गुना बड़े होते हैं।
- ईवेंट होरिज़न टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2019 में ब्लैकहोल की पहली छवि (अधिक सटीक रूप से) जारी की।
- गुरुत्वाकर्षण तरंगें (Gravitational Waves) का निर्माण तब होता है जब दो ब्लैकहोल एक-दूसरे की परिक्रमा करते हैं और आपस में विलय करते हैं।

दृष्टि The Vision

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

राष्ट्रीय जीन बैंक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (NBPGR) में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत-अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया।

- जीन बैंक एक प्रकार का बायो रिपोजिटरी है जो आनुवंशिक सामग्री को संरक्षित करता है (बीज पौधों, ऊतक संवर्द्धन आदि का संग्रह)।
    - एक जीन आनुवंशिकता की बुनियादी भौतिक और कार्यात्मक इकाई है। जीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA) से बने होते हैं।

राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (NBPGR)

- यह भारत में पादप आनुवंशिक संसाधनों के प्रबंधन के लिये एक नोडल संगठन है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के नियंत्रण में कार्य करता है।
- यह अपने राष्ट्रीय जीन बैंक (NGB) में दीर्घकालिक संरक्षण (-20 डिग्री सेल्सियस पर) के लिये बीज जर्मप्लाज़्म का संरक्षण कर रहा है।
- यह स्वदेशी और विदेशी पौधों के आनुवंशिक संसाधनों के अन्वेषण और संग्रह की योजना, आयोजन, संचालन और समन्वय करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 10 क्षेत्रीय स्टेशन हैं।

प्रमुख बिंदु

- नेशनल जीन बैंक की स्थापना वर्ष 1996 में पादप आनुवंशिक संसाधनों (पीजीआर) के बीजों को भावी पीढ़ियों के लिये संरक्षित करने हेतु की गई थी और इसमें बीजों के रूप में लगभग एक मिलियन जर्मप्लाज़्म को संरक्षित करने की क्षमता है।
    - जर्मप्लाज़्म जीवित ऊतक है जिससे नए पौधे उगाए जा सकते हैं।
- NBPGR देश में दिल्ली मुख्यालय और 10 क्षेत्रीय स्टेशनों के माध्यम से इन-सीटू और एक्स-सीटू जर्मप्लाज़्म संरक्षण की आवश्यकता को पूरा कर रहा है।
    - इन-सीटू और एक्स सीटू संरक्षण क्रमशः अपने प्राकृतिक आवास के भीतर या बाहर प्रजातियों की विविधता के रखरखाव पर केंद्रित है।

महत्त्व:

- वर्तमान में यह 4.52 लाख परिग्रहणों की रक्षा कर रहा है, जिनमें से 2.7 लाख भारतीय जनन द्रव्य हैं और शेष अन्य देशों से आयात किये गए हैं।
    - परिग्रहण एक एकल, एकत्रित किस्म या जंगली पौधे की किस्म, भूमि या एक पौधे की किस्म है जिसका उत्पादन चयनात्मक प्रजनन द्वारा किया गया है, जिसे आमतौर पर एक कल्टीवेटर के रूप में जाना जाता है।

कार्य-प्रणाली:

- लंबी अवधि तथा मध्यम अवधि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 'राष्ट्रीय जीन बैंक' में मुख्यतः चार प्रकार की सुविधाएँ शामिल हैं- बीज जीन बैंक (-18 डिग्री सेल्सियस), क्रायो जीन बैंक (-170 डिग्री सेल्सियस से -196 डिग्री सेल्सियस), इन विट्रो जीन बैंक (25 डिग्री सेल्सियस) और फील्ड जीन बैंक।
- यह विभिन्न फसल समूहों जैसे- अनाज, बाजरा, औषधीय और सुगंधित पौधों तथा नशीले पदार्थों आदि का भंडारण करता है।

अन्य सुविधाएँ

- नॉर्वे में 'स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट' में दुनिया का सबसे बड़ा बीज संग्रह मौजूद है।
- भारत का 'सीड वॉल्ट' हिमालय में 'चांग ला' (लद्दाख) में स्थित है।
- 'राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो' (NBAGR- करनाल, हरियाणा) में स्थापित 'राष्ट्रीय पशु जीन बैंक' का उद्देश्य स्वदेशी पशुधन जैव विविधता का संरक्षण करना है।
    - NBAGR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) संस्थानों में से एक है।

पादप आनुवंशिक संसाधन

- वे खाद्य सुरक्षा के जैविक आधार हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति की आजीविका का समर्थन करते हैं।
- इन्हें पौधों की आनुवंशिक सामग्री के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिये एक संसाधन के रूप में मूल्यवान है।
- इनमें पौधों की वे सभी सामग्रियाँ शामिल हैं, जिनसे पौधे उगाए जा सकते हैं, जैसे कि बीज, फल, पराग और अन्य अंग एवं ऊतक।
- खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। ये तकरीबन 10,000 वर्ष पूर्व शुरू होने वाली कृषि पद्धति के विकास की नींव रहे हैं।

सुंदरबन में प्लास्टिक से संबंधित समस्या

चर्चा के क्यों ?

सुंदरबन में चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री के अनियंत्रित प्रवाह के परिणामस्वरूप प्लास्टिक जमा होने के कारण एक नया संकट उत्पन्न हो गया है।

- प्लास्टिक से उत्पन्न खतरा सुंदरबन के लिये एक बहुत गंभीर समस्या है क्योंकि इस क्षेत्र में लगातार उष्णकटिबंधीय तूफान आ रहे हैं जो इस क्षेत्र के विनाश का कारण बन सकते हैं।

प्रमुख बिंदु:

प्लास्टिक प्रदूषण:

- प्लास्टिक प्रदूषण पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे के जमा होने के कारण होता है।
- इसे प्राथमिक प्लास्टिक (Primary Plastics) जैसे- सिगरेट बट्स और बॉटल कैप्स या फिर सेकेंडरी प्लास्टिक (Secondary Plastics), जो प्राथमिक प्लास्टिक के क्षरण के परिणामस्वरूप होता है, के रुप में वर्गीकृत किया जाता है।

सुंदरबन में प्लास्टिक जमा होने का कारण:

- चक्रवात:
    - इस क्षेत्र में लगातार चक्रवात आ रहे हैं, जिनके बाद राहत और निवासियों के पुनर्वास की आवश्यकता होती है।
        - भूगोल में किसी स्थान का उभार/उच्चावच उसकी उच्चतम और निम्नतम ऊँचाई के बीच का अंतर होता है।
    - सुंदरबन में चक्रवात अम्फान (मई 2020) के बाद वितरित राहत सामग्री की वजह से इक्कठा हुआ प्लास्टिक कचरा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र को नुकसान पहुँचा सकता है।
        - इससे पहले इस क्षेत्र में चक्रवात फानी (मई 2019) और बुलबुल (नवंबर 2019) आए थे।
- पर्यटन:
    - इस क्षेत्र में हाल में आए चक्रवातों के अलावा पर्यटकों ने भी प्लास्टिक कचरा फैलाने में योगदान दिया है क्योंकि वे अपने पीछे प्लास्टिक कचरे का ढेर छोड़ जाते हैं जो पूरे जंगल में बिखरा हुआ है।

नोट :

चिंताएँ:

- विषाक्तता में बढ़ोतरी:
  - खारे जल में प्लास्टिक की मौजूदगी से जल की विषाक्तता में बढ़ोतरी हो जाती है जो पानी में सुपोषण (Eutrophication) की क्रिया को बढ़ा सकता है।
    - यूट्रोफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल क्षेत्र या उसके किसी हिस्से में खनिजों और पोषक तत्त्वों की मात्रा में वृद्धि होती है।
    - इससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती है।
  - चूँकि सुंदरबन क्षेत्र समुद्र से लगा हुआ है, इसलिये क्षेत्र में प्लास्टिक के बढ़ने से प्लास्टिक कचरा समुद्र में प्रवेश कर सकता है।
- खाद्य प्रणाली के लिये खतरा:
  - पानी में प्लास्टिक के टूटने से माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा में वृद्धि होगी, जिसके बाद खाद्य श्रृंखला में इसके प्रवेश का खतरा है।
- आजीविका पर प्रभाव:
  - सुंदरबन काफी हद तक मत्स्य पालन और जलीय कृषि पर निर्भर है तथा पारिस्थितिकी तंत्र में कोई भी नाज़ुक बदलाव न केवल पारिस्थितिकी के लिये बल्कि आजीविका के विनाश का भी कारण बन सकता है।

कुछ संबंधित पहलें:

- वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक भारत को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने हेतु देश भर में एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिये एक बहु-मंत्रालयी योजना तैयार की थी।
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, उत्पादों से उत्पन्न कचरे को इकट्ठा करने की ज़िम्मेदारी उन उत्पादों के उत्पादकों और ब्रांड मालिकों को सौंपी गई है।

सुंदरबन का महत्त्व

- सुंदरबन पारिस्थितिकी क्षेत्र गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना (GBM) बेसिन के ज्वारीय सक्रिय निचले डेल्टा मैदान में स्थित है।
- यह सबसे बड़े मैंग्रोव वन और विश्व में एकमात्र मैंग्रोव बाघ निवास स्थान की मेज़बानी करता है।
  - मैंग्रोव वन कई पारिस्थितिकी कार्य करते हैं जैसे कि बहुमूल्य लकड़ी हेतु पेड़ों का उत्पादन, आवास की व्यवस्था, फिनफिश एवं शेलफिश के लिये भोजन और प्रजनन स्थल (Spawning Ground), पक्षियों व अन्य महत्त्वपूर्ण जीवों हेतु आवास का प्रावधान, नई भूमि के निर्माण के लिये सुरक्षित तटरेखाओं तथा तलछट की अभिवृद्धि।
- बांग्लादेश और भारत के कुछ हिस्सों में फैले, वनाच्छादित क्षेत्रों के भीतर संरक्षित क्षेत्रों (PA) को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा दोनों देशों में विश्व धरोहर स्थलों के रूप में नामित किया गया है।
- दोनों देशों में 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैले प्राकृतिक क्षेत्र भी रामसर साइट या अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि हैं।
- दोनों देशों में वन क्षेत्र को साफ कर अब वहाँ सामूहिक रूप से 7.5 मिलियन से अधिक लोगों के आवास हैं।
- यह क्षेत्र जीवों की विस्तृत श्रृंखला के लिये जाना जाता है, जिसमें 260 पक्षी प्रजातियाँ शामिल हैं और यह कई दुर्लभ एवं विश्व स्तर पर खतरे में पड़ी वन्यजीव प्रजातियों जैसे- एस्टुअरीन क्रोकोडाइल, रॉयल बंगाल टाइगर, वाटर मॉनिटर छिपकली, गंगा डॉल्फिन और ओलिव रिडले कछुओं का निवास स्थान है।

आगे की राह

- सरकार को सुंदरबन बायोस्फीयर रिज़र्व और सुंदरबन टाइगर रिज़र्व के प्रवेश द्वारों की मज़बूत सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिये।
- गैर-सरकारी संगठनों (NGO) और स्थानीय लोगों को प्लास्टिक अपशिष्ट को इकट्ठा करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये तथा उसका पुनर्नवीनीकरण भी किया जाना चाहिये।
- साथ ही सुंदरबन से प्लास्टिक हटाने के लिये सरकार को सफाई अभियान चलाना चाहिये।

भारत में समुद्र तटीय कटाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च (NCCR) ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें कहा गया है कि भारत के समुद्र तट का एक-तिहाई हिस्सा 28 वर्षों में समुद्री क्षरण/कटाव से प्रभावित हुआ है।

- वर्ष 1990 से वर्ष 2018 के बीच भारत के समुद्र तट के 32% हिस्से में समुद्र का कटाव हुआ तथा 27% का विस्तार हुआ।

प्रमुख बिंदु

रिपोर्ट के परिणाम :

- भारत की तटरेखा :
    - देश की तटरेखा 6,631.53 किमी. लंबी है जो पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरी हुई है।
        - 2,135.65 किमी. तक कटाव के अलग-अलग रूप विद्यमान थे तथा इस अवधि के दौरान 1,760.06 किमी. का विस्तार हुआ।
        - लगभग 2,700 किमी. समुद्र तट रेखा स्थायी रूप से मौजूद है।
    - भारत की लंबी तटरेखा कांडला, मुंबई, न्हावा शेवा, मैंगलोर, कोचीन, चेन्नई, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम और पारादीप जैसे कई प्रमुख बंदरगाहों से युक्त है।
- तटीय कटाव :
    - इस अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल के समुद्र तट के 60% हिस्से का कटाव हुआ, इसके बाद पुदुचेरी (56%), केरल और तमिलनाडु में क्रमशः 41% और 41% का क्षरण हुआ।
    - पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में अधिक कटाव :
        - पूर्वी तट पर बहुत अधिक वर्षा होती है, जो वर्ष के अधिकांश समय समुद्र को अस्थिर रखती है। दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून से सितंबर) के अतिरिक्त अक्तूबर से दिसंबर के पूर्वोत्तर मानसून का प्रभाव पूर्वी तट पर भी होता है और तटीय आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में वर्षा का कारण बनता है।
        - पश्चिमी तट (काफी हद तक स्थिर रहा) की तुलना में पिछले तीन दशकों में बंगाल की खाड़ी से लगातार चक्रवाती गतिविधियों के कारण पूर्वी तट में अधिक कटाव हुआ है।
- भूमि अभिवृद्धि
    - पूर्वी तट पर ओडिशा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ तटीय मृदा क्षरण में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है।
    - उसके बाद आंध्र प्रदेश का तट है, जिसमें 48% का विस्तार हुआ; कर्नाटक (26%) आदि।

समुद्रतटीय क्षरण/अपरदनः

- अर्थ: तटीय अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें मज़बूत लहरों की क्रियाओं द्वारा तटीय क्षेत्र में आई बाढ़ अपने साथ चट्टानों, मिट्टी और/या रेत को नीचे (समुद्र में) की ओर ले जाती है जिसके कारण स्थानीय समुद्र का जल स्तर बढ़ता है।
- अपरदन और अभिवृद्धि: क्षरण और अभिवृद्धि एक-दूसरे के पूरक हैं। रेत और तलछट एक तरफ से बहकर कहीं और तट पर जाकर जमा हो जाते हैं।
    - मृदा अपरदन के कारण भूमि और मानव आवासों का ह्रास होता है क्योंकि समुद्र का पानी समुद्र तट के साथ मृदा क्षेत्र को भी अपने साथ बहा कर ले जाता है।
    - दूसरी ओर, मृदा अभिवृद्धि से भूमि क्षेत्र में वृद्धि होती है।
    - हालाँकि यदि डेल्टा, मुहाना और खाड़ी में अभिवृद्धि होती है, तो मिट्टी इन क्षेत्रों में समुद्री जल के प्रवाह को रोक देगी जो जलीय वनस्पतियों और जीवों की कई प्रजातियों के प्रजनन स्थल हैं।

- प्रभाव: मनोरंजक गतिविधियाँ (सूर्य स्नान, पिकनिक, तैराकी, सर्फिंग, मछली पकड़ना, नौका विहार, गोताखोरी आदि) प्रभावित हो सकती हैं यदि मौजूदा समुद्र तटों की चौड़ाई कम हो जाए या वे पूरी तरह से गायब हो जाएँ। साथ ही तटीय समुदायों की आजीविका पर भी असर पड़ सकता है।
- उपाय: मैंग्रोव, कोरल रीफ और लैगून समुद्री तूफानों और कटाव के खिलाफ सबसे अच्छे बचाव साधन माने जाते हैं, क्योंकि वे समुद्री तूफानों की अधिकांश ऊर्जा को विक्षेपित और अवशोषित कर लेते हैं, इसलिये तट सुरक्षा के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के लिये इन प्राकृतिक आवासों को बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है।

तटीय कटाव की स्थिति पैदा करने वाले कारक:

- प्राकृतिक घटनाएँ:
  - तरंग ऊर्जा को तटीय क्षरण का प्राथमिक कारण माना जाता है।
  - जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप महाद्वीपीय हिमनदों और बर्फ की चादरों के पिघलने के कारण चक्रवात, समुद्री जल का थर्मल विस्तार, तूफान, सुनामी जैसे प्राकृतिक खतरे क्षरण को तेज़ करते हैं।
- तटीय बहाव:
  - तटवर्ती रेत के बहाव को भी तटीय कटाव के प्रमुख कारणों में से एक माना जा सकता है।
    - तटीय बहाव का अर्थ है प्रचलित हवाओं के कारण उत्पन्न लहरों द्वारा समुद्र या झील के किनारे से लगी तलछट की प्राकृतिक गति।
- मानवजनित गतिविधियाँ:
  - रेत खनन और प्रवाल खनन ने तटीय क्षरण में योगदान दिया है जिससे तलछट में कमी देखी गई है।
  - नदी के मुहाने से तलछट के प्रवाह को कम करने वाली नदियों और बंदरगाहों के जलग्रहण क्षेत्र में बनाए गए मछली पकड़ने के बंदरगाहों तथा बाँधों ने तटीय क्षरण को बढ़ावा दिया है।
- भारी वर्षा:
  - भारी वर्षा मिट्टी की संतृप्ति को बढ़ा सकती है, जिसके कारण मिट्टी की पकड़ में कमी आती है और भूस्खलन की संभावना में वृद्धि होती है।

तटीय प्रबंधन के लिये भारतीय पहलें:

- राष्ट्रीय सतत् तटीय प्रबंधन केंद्र:
  - इसका उद्देश्य पारंपरिक तटीय और द्वीप समुदायों के लिये लाभ सुनिश्चित करने हेतु भारत में तटीय और समुद्री क्षेत्रों के एकीकृत एवं सतत् प्रबंधन को बढ़ावा देना है।
- एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना:
  - यह स्थिरता प्राप्त करने हेतु भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं सहित तटीय क्षेत्र के सभी पहलुओं के संबंध में एक एकीकृत दृष्टिकोण का उपयोग कर तटीय प्रबंधन संबंधी एक प्रक्रिया है।
- तटीय विनियमन क्षेत्र:
  - भारत के तटीय क्षेत्रों में गतिविधियों को विनियमित करने के लिये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) संबंधी अधिसूचना वर्ष 1991 में जारी की गई थी।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में पारदर्शिता का अभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरनमेंट (Centre for Science and Environment- CSE) की एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में लोगों के साथ जानकारी साझा करने में अधिकांश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (State Pollution Control Board-SPCB) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों (Pollution Control Committees- PCCs) में पारदर्शिता का अभाव बना हुआ है।

- CSE नई दिल्ली में स्थित एक जनहित अनुसंधान और सलाहकार गैर-सरकारी संगठन (NGO) है।

प्रमुख बिंदु

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- रिपोर्ट का शीर्षक पारदर्शिता सूचकांक: सार्वजनिक प्रकटीकरण पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की रेटिंग (Transparency Index: Rating of pollution control boards on public disclosure) है।
- रिपोर्ट में देश भर से 29 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और छह प्रदूषण नियंत्रण समितियों के डेटा प्रस्तुतिकरण प्रदर्शन का आकलन किया है। इनमें से केवल 17 बोर्डों और समितियों ने ही 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त किये ।
- वायु अधिनियम 1981 और जल अधिनियम 1974 के तहत प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियाँ वायु और जल प्रदूषण से संबंधित जानकारी एकत्र करने, प्रसारित करने तथा इसकी रोकथाम, नियंत्रण या उपशमन से भी संबंधित हैं।
  - कानून बोर्डों को सार्वजनिक डोमेन में डेटा साझा करने के लिये भी कहता है।
  - हालाँकि व्यवहार में ऐसा बहुत कम ही किया जाता है।
- ओडिशा और तेलंगाना के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पारदर्शिता सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले रहे और उन्होंने पारदर्शिता में 67% स्कोर प्राप्त किये।
- प्रदूषण से संबंधित महत्त्वपूर्ण जानकारी, डेटा और की गई कार्रवाइयों का विवरण सार्वजनिक डोमेन में डालना महत्त्वपूर्ण है। यह नीति निर्माताओं को प्रदूषण प्रबंधन के अगले स्तर पर चर्चा करने में मदद कर सकता है।
  - यह इन बोर्डों और समितियों की दक्षता के बारे में लोगों को आश्वस्त भी कर सकता है।

SPCBs से संबंधित अन्य मुद्दे:

- अधिक ज़िम्मेदारियाँ, सीमित संस्थागत क्षमता: पिछले दो दशकों में SPCBs के काम के दायरे और पैमाने में विस्तार देखा गया है, लेकिन बजट एवं कार्यबल में किसी प्रकार की कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।
  - पारिश्रमिक बहुत कम होने के कारण बोर्ड के लिये प्रतिभावान व्यक्तियों को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है।
- तकनीकी विशेषज्ञों की कमी: इसके अलावा तकनीकी विशेषज्ञों और अन्य कर्मचारियों की भारी कमी ने केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियामकों को केवल सलाहकार निकाय बना दिया है, जिससे वे वायु गुणवत्ता मानकों को लागू करने में असमर्थ हैं।
- शीर्ष प्रशासकों के पास कोई डोमेन विशेषज्ञता नहीं है: SPCBs में नेतृत्व आमतौर पर सिविल सेवकों द्वारा ही किया जाता है, जिनके पास प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को समझने के लिये विज्ञान या पर्यावरण अध्ययन में कोई विशेषज्ञता नहीं होती है।
  - उदाहरण के लिये CPCB के संचालन में सरकारी प्रतिनिधियों का वर्चस्व होता है और इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जो इनकी 'निगरानी के रूप में कार्य करने के स्वरूप में एक विवादास्पद स्थित उत्पन्न करता है'।
- प्रेरणा और जवाबदेही में कमी: राज्य बोर्ड के अधिकारियों का अक्सर अपनी भूमिका और ज़िम्मेदारी के बारे में कम उत्सुकता होती है।
  - साथ ही मानकों को तैयार करने की प्रक्रिया समावेशी नहीं थी और राज्य के अधिकारियों को बस इन्हें लागू करने के लिये कहा गया था।
- खराब बहु-क्षेत्रीय समन्वय: विभिन्न राज्य और केंद्रीय विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण अन्य विभाग एसपीसीबी के निर्देशों को लागू नहीं करते हैं।
- निगरानी में कम विशेषज्ञता: रियल टाइम निगरानी की क्षमता के प्रत्येक वर्ष बढ़ने, डेटा संग्रह में अंतराल और खराब अंशांकन के कारण गलत रीडिंग बनी रहती है।

भारत में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड:

- यह बोर्ड एक वैधानिक संगठन है जिसका गठन जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया था।

- इसे वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ और कार्य भी सौंपे गए।
- यह बोर्ड पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी उपलब्ध कराता है।
- इस बोर्ड के प्रमुख कार्य हैं:
  - जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नालों तथा कुओं की सफाई को बढ़ावा देना।
  - वायु की गुणवत्ता में सुधार करना और देश में वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना या कम करना।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड:

- ये बोर्ड CPCB के पूरक और सांविधिक होते हैं जो संबंधित राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर पर्यावरण कानूनों और नियमों को लागू करने के लिये अधिकृत होते हैं।

प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ:

- ये समितियाँ SPCB के समान कार्य करती हैं। दोनों में अंतर यह है कि PCC केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित हैं।

आगे की राह

- समान मानक: वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और वेबसाइटों पर जानकारी साझा करने के लिये एक समान प्रारूप होना चाहिये।
  - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को एसपीसीबी/पीसीसी के लिये एक वेबसाइट प्रारूप और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने हेतु दिशा-निर्देश जारी करना चाहिये।
- विशिष्ट भर्ती: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में विभिन्न सदस्यों की भर्ती के लिये स्पष्ट योग्यता निर्धारित करने की आवश्यकता है।
  - पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना एक मानदंड हो सकता है।
- संस्थागत क्षमता को मज़बूत करना: उन नियामक निकाय को जो इनके कार्यान्वयन को सक्षम करते हैं, आवश्यक तकनीकी और वित्तीय संसाधनों के साथ मज़बूत करना चाहिये।

भारत ने किगाली संशोधन की पुष्टि करने का निर्णय लिया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने जलवायु-हानिकारक रेफ्रिजरेंट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC) को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन के अनुसमर्थन को मंज़ूरी दी है।

- यह संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसे दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों और एचएफसी के उपभोक्ताओं द्वारा लिये गए निर्णयों के समकक्ष है। 122 देशों ने जुलाई 2021 के अंत तक किगाली संशोधन की पुष्टि की थी।

प्रमुख बिंदु

परिचय:

- संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत अपने एचएफसी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और उन्हें जलवायु-अनुकूल विकल्पों के साथ बदलने के लिये अलग-अलग समय सारिणी के साथ अलग-अलग देशों के समूहों में हैं।
- भारत को वर्ष 2047 तक अपने एचएफसी उपयोग को 80% तक कम करना है, जबकि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका को क्रमशः वर्ष 2045 एवं वर्ष 2034 तक समान लक्ष्य प्राप्त करना है।
- भारत वर्ष 2032 से चार चरणों- वर्ष 2032 में 10%, वर्ष 2037 में 20%, वर्ष 2042 में 30% और वर्ष 2047 में 80% के साथ इस लक्ष्य को पूरा करेगा।
- मौजूदा कानून ढाँचे में संशोधन, किगाली संशोधन के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत के उचित नियंत्रण की अनुमति देने वाले ओज़ोन क्षरण पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम वर्ष 2024 के तहत किये जाएंगे।

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 1989 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक जलवायु समझौता नहीं है। इसका उद्देश्य क्लोरोफ्लोरो कार्बन (सीएफसी) जैसे ओज़ोन क्षरण पदार्थों से पृथ्वी की रक्षा करना है, जिनका उपयोग पहले एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेंट उद्योग में किया जाता था।
  - CFCs के व्यापक उपयोग के कारण वायुमंडल की ओज़ोन परत में छेद हो गया था, जिससे कुछ हानिकारक विकिरण पृथ्वी तक पहुँच गए। इन विकिरणों को संभावित स्वास्थ्य खतरा माना जाता था।
- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने CFCs को हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) में परिवर्तित कर दिया जो ओज़ोन परत को नष्ट नहीं करते हैं।
- लेकिन बाद में उन्हें ग्लोबल वार्मिंग पैदा करने में बेहद शक्तिशाली पाया गया। इस प्रकार आवास वित्त कंपनियों ने एक समस्या का तो समाधान किया, लेकिन वह दूसरी में प्रमुख रूप से योगदान दे रही थी।
- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के मूल प्रावधानों के तहत इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता था, जो केवल ओडीएस को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिये था।
- किगाली संशोधन ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को एचएफसी को अनिवार्य करने में सक्षम बनाया।
  - अक्तूबर 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में 197 देशों ने किगाली, रवांडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत एचएफसी कटौती को चरणबद्ध करने के लिये एक संशोधन को अपनाया।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन:

- किगाली संशोधन का उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) के उत्पादन और खपत में कटौती कर उसे चरणबद्ध तरीके से कम करना है।
- इसका लक्ष्य वर्ष 2047 तक HFCs खपत में 80% से अधिक की कमी करना है।
- ओज़ोन परत के क्षरण पर इसके शून्य प्रभाव को देखते हुए HFCs का उपयोग वर्तमान में एयर कंडीशनिंग, प्रशीतन और फोम इन्सुलेशन में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (एचसीएफसी) व क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रतिस्थापन के रूप में किया जाता है, हालाँकि ये शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें हैं।
- संशोधन के तहत:
  - विकसित देश वर्ष 2019 से HFCs की खपत कम करेंगे।
  - अधिकांश विकासशील देश वर्ष 2024 में खपत को स्थिर कर देंगे।
  - भारत सहित कुछ विकासशील देश अद्वितीय परिस्थितियों के साथ वर्ष 2028 में खपत को स्थिर कर देंगे।
- यह योजना कुछ देशों को जलवायु-अनुकूल विकल्पों के संक्रमण में मदद करने हेतु वित्तपोषण भी प्रदान करती है।
- किगाली संशोधन के साथ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ और भी अधिक शक्तिशाली साधन बन गया है।

महत्त्व:

- पूर्व-औद्योगिक काल से वैश्विक तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि को रोकने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु यह महत्त्वपूर्ण उपकरण है।
  - जैसा कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) की हालिया रिपोर्ट में बताया गया है, पृथ्वी का औसत तापमान पहले ही लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है।
- सामूहिक कार्रवाई से ग्रीनहाउस गैसों के बराबर यानी 105 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कम होने की उम्मीद है, जो वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान वृद्धि को 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कम करने में मदद कर सकता है, जबकि इसके बावजूद ओज़ोन परत के क्षरण को रोकने हेतु किये जाने वाले उपायों को जारी रखना होगा।
- चूँकि HFCs ओजज़ोन-क्षयकारी नहीं थे और वे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत नियंत्रित पदार्थों में शामिल नहीं थे बल्कि वे समस्याग्रस्त ग्रीनहाउस गैसों का हिस्सा थे जिनके उत्सर्जन को जलवायु परिवर्तन उपकरणों जैसे- वर्ष 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल और वर्ष 2015 के पेरिस समझौते के माध्यम से कम करने की माँग की गई थी।
  - लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन के साधनों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी और सफल समझौता रहा है। इसके परिणामस्वरूप पहले ही 98.6% ओज़ोन-क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा चुका है। शेष 1.4% बचे हुए HCFCs पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया जारी है।

नोट :

भारत के लिये महत्त्व:

- भारत जून 1992 में ओज़ोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक पक्ष देश बन गया और तब से भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में होने वाले संशोधनों को अपनी मंज़ूरी दी है। भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अनुसूची के अनुसार सभी ओज़ोन क्षयकारी पदार्थों को हटाने के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
- भारत वर्ष 2019 में कूलिंग एक्शन प्लान लॉन्च करने वाला विश्व का प्रथम देश है। इस व्यापक योजना का उद्देश्य कूलिंग डिमांड को कम करना, रेफ्रिजरेंट ट्रांज़िशन को सक्षम करना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना और 20 वर्ष की समयावधि के साथ बेहतर प्रौद्योगिकी विकल्प उपलब्ध कराना है।
  - किगाली संशोधन पर हस्ताक्षर बाज़ारों का HFCs से क्लीनर गैसों की ओर तेज़ी से झुकाव का एक संकेत है।
- यह घरेलू विनिर्माण और रोज़गार सृजन लक्ष्यों को बढ़ावा देगा।
- यह इस बात की पुष्टि करता है कि भारत ग्लोबल वार्मिंग को रोकने हेतु जलवायु अनुकूल रेफ्रिजरेंट हेतु बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा करने के लिये तैयार है, जो घरेलू नवाचार को बढ़ावा देगा और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करेगा।
- यह निर्णय भारत के लिये अपने जलवायु परिवर्तन शमन लक्ष्यों और शीतलन प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। भारत पेरिस समझौते के तहत अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाले देशों के समूह में शामिल है।

लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र पर जलवायु की स्थिति 2020: WMO

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन (Climate Change) तथा चरम मौसमी प्रभावों पर एक रिपोर्ट जारी की है।

- इस क्षेत्र के लिये वर्ष 2020 हीटवेव, सूखा, वनाग्नि, चक्रवात और खाद्य असुरक्षा का वर्ष था।
- जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (Intergovernmental Panel on Climate Change) ने अपनी छठी मूल्यांकन रिपोर्ट में भारतीय उपमहाद्वीप पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर प्रकाश डाला था।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन

विश्व मौसम विज्ञान संगठन के विषय में:

- यह 192 देशों और क्षेत्रों की सदस्यता वाला एक अंतर-सरकारी संगठन है। भारत इसका सदस्य है।
- इसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन (International Meteorological Organization) से हुई थी, जिसे वर्ष 1873 में वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सम्मेलन के बाद स्थापित किया गया था।

स्थापना:

- WMO कन्वेंशन के अनुसमर्थन से 23 मार्च, 1950 को स्थापित यह संगठन मौसम विज्ञान (मौसम और जलवायु), जल विज्ञान तथा संबंधित भूभौतिकीय विज्ञान के लिये संयुक्त राष्ट्र (United Nation) की विशेष एजेंसी बन गया।

मुख्यालय:

- जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड।

WMO द्वारा जारी रिपोर्ट:

- वैश्विक जलवायु की स्थिति
- ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन

प्रमुख बिंदु

तापमान में वृद्धि:

- वर्ष 2020 मध्य अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र के लिये तीसरा सबसे गर्म वर्ष और दक्षिण अमेरिका के लिये दूसरा सबसे गर्म वर्ष था।
- उष्णकटिबंधीय उत्तरी अटलांटिक महासागर में समुद्र की सतह का तापमान पूरे वर्ष सामान्य से काफी अधिक गर्म रहा।
- वर्ष के अधिकांश समय इस क्षेत्र में गंभीर गर्मी की लहरें हावी रहीं, तापमान लगातार कई दिनों तक 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा।

तीव्र वर्षा:

- तीव्र वर्षा के परिणामस्वरूप वर्ष 2020 के अंत तक मध्य और दक्षिण अमेरिका के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में भूस्खलन, बाढ़ एवं अचानक बाढ़ की घटनाएँ घटित हुईं।

वनाग्नि और चक्रवात:

- पिछले चार वर्षों में मवेशियों के चरागाह के लिये जंगल की कटाई और वनाग्नि के कारण वनों की गिरावट में वृद्धि हुई है।
  - अमेज़न नदी बेसिन (यह दक्षिण अमेरिका के नौ देशों में फैला हुआ है और वैश्विक कार्बन के 10% का भंडारण करता है) में वनों की कटाई से पहले ही जलवायु को संतुलित करने की क्षमता में गिरावट आई है।
- अटलांटिक बेसिन में वर्ष 2020 में 30 चक्रवातों (एक वर्ष में अब तक के सबसे अधिक) को दर्ज किया गया।

प्रभाव:

- चरम मौसम की घटनाओं ने पूरे मध्य अमेरिका में 8 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित किया, जो कि पहले से ही आर्थिक संकट, कोविड-19 प्रतिबंधों, संघर्ष और खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे थे।

सुझाव:

- जोखिम-विशिष्ट निगरानी प्रणाली जैसे FAO की कृषि तनाव सूचकांक प्रणाली (ASIS)) सरकारों को कृषि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिये प्रारंभिक चेतावनी अलर्ट जारी करने की अनुमति देने हेतु एक उपयोगी उपकरण का उदाहरण है।
- प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (EWS) और आकस्मिक योजना विकसित करना।
  - इस क्षेत्र में विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली अविकसित थी।
- मैंग्रोव का रोपण अधिकांश वनों की तुलना में तीन-चार गुना अधिक कार्बन को अलग करने में मदद कर सकता है।
  - इस क्षेत्र में 2001 और 2018 के बीच मैंग्रोव वृक्षारोपण के तहत क्षेत्र में 20% की गिरावट आई है।
- जोखिम प्रबंधन और अनुकूलन का समर्थन करने के लिये EWS व मौसम परिचालन, जलवायु तथा जल विज्ञान सेवाओं को मज़बूत करने हेतु अधिक राजनीतिक प्रतिबद्धता और वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

लैटिन अमेरिका और कैरिबियन (LAC) क्षेत्र

परिचय:

- लैटिन अमेरिका को आमतौर पर मेक्सिको, मध्य अमेरिका और कैरिबियन द्वीपों के अलावा दक्षिण अमेरिका का पूरा महाद्वीप को मिलाकर समझा जाता है।
- इसमें 33 देश शामिल हैं।

भौगोलिक स्थान:

- अमेज़न नदी, कैरेबियन सागर, मेक्सिको की खाड़ी, प्रशांत महासागर, पनामा नहर, एंडीज़ पर्वत, सिएरा माद्रे पर्वत और अटाकामा रेगिस्तान।

प्रमुख आर्थिक ब्लॉक:

- मर्कोसुर: दक्षिणी साझा अर्थव्यवस्था में दक्षिणी लैटिन अमेरिका के पाँच देश शामिल हैं: अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे, उरुग्वे और वेनेज़ुएला।

- कैरिकॉम: कैरिबियन समुदाय में 19 द्वीप समूह शामिल हैं: एंटीगुआ और बारबुडा, बहामास, बारबाडोस, बेलीज, डोमिनिका, ग्रेनाडा, गुयाना, हैती, जमैका, मोंटसेराट, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, सूरीनाम एवं त्रिनिदाद व टोबैगो।
- CAN: एंडियन समुदाय में चार देश शामिल हैं: बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू।
- SICA: सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम में सात देश शामिल हैं: बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा।

भारत में भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज़ जिसका नाम मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस है, से पता चलता है कि हाल के वर्षों में भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण में काफी वृद्धि हुई है।

- यह एटलस 2018-19 की समयावधि के दौरान अपरदित भूमि का राज्यवार क्षेत्रीय आकलन दर्शाता है। इसके अतिरिक्त यह 2003-04 से लेकर 2018-19 तक यानी 15 वर्षों की अवधि के दौरान हुए परिवर्तन का विश्लेषण भी प्रदान करता है।
- इससे पूर्व, प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र (UN) "मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर उच्च स्तरीय वार्ता" में मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस का संबोधन किया।

प्रमुख बिंदु

परिचय :

- भूमि क्षरण :
  - भूमि क्षरण कई कारणों से होता है, जिसमें चरम मौसम की स्थिति, विशेष रूप से सूखा आदि शामिल हैं। यह मानवीय गतिविधियों के कारण भी होता है जो मृदा और भूमि की गुणवत्ता में कमी लाता है तथा उन्हें प्रदूषित करता है।
- मरुस्थलीकरण :
  - शुष्क भूमि क्षेत्रों (शुष्क, अर्द्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों) के अंदर होने वाले भूमि क्षरण को 'मरुस्थलीकरण' कहा जाता है।
  - मरुस्थलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक या मानव निर्मित कारकों के कारण शुष्क भूमि (शुष्क और अर्द्ध शुष्क भूमि) की जैविक उत्पादकता कम हो जाती है लेकिन इसका मतलब मौजूदा रेगिस्तानों का विस्तार नहीं है।

स्थिति:

- भूमि क्षरण:
  - भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 328.72 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में से लगभग 97.85 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र (29.7%) में 2018-19 के दौरान भूमि क्षरण हुआ है।
  - 2003-05 में 94.53 मिलियन हेक्टेयर (कुल भौगोलिक क्षेत्र का 28.76%) क्षेत्र में भूमि क्षरण हुआ। 2011-13 में यह क्षरण बढ़कर 96.40 मिलियन हेक्टेयर (कुल भौगोलिक क्षेत्र का 29.32%) हो गई है।
- मरुस्थलीकरण:
  - 2018-19 में लगभग 83.69 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र मरुस्थलीकरण से प्रभावित है । इस समयावधि में 2003-2005 में 81.48 मिलियन हेक्टेयर और 2011-13 में 82.64 मिलियन हेक्टेयर की तुलना में अत्यधिक मरुस्थलीकरण हुआ।
- राज्यवार डेटा:
  - देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में मरुस्थलीकरण/भूमि क्षरण से प्रभावित होने वाला लगभग 23.79% क्षेत्र राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना का था।
  - भारत ने 2011-13 और 2018-19 के बीच 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 28 में मरुस्थलीकरण के स्तर में वृद्धि देखी, जैसा कि एटलस में आँकड़ों द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

कारण:

- मृदा आवरण का नुकसान:
  - वर्षा और सतही अपवाह के कारण मिट्टी के आवरण को होने वाला नुकसान मरुस्थलीकरण के सबसे बड़े कारणों में से एक है। यह देश में 11.01% मरुस्थलीकरण के लिये उत्तरदायी है।
  - निर्वनीकरण के कारण मिट्टी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यह क्षरण का कारण बनता है। जैसे-जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, संसाधनों की मांग भी बढ़ती जा रही है।
- वनस्पति क्षरण:
  - वनस्पति क्षरण को 'वनस्पति आवरण के घनत्व, संरचना, प्रजातियों की संरचना या उत्पादकता में अस्थायी या स्थायी कमी' के रूप में परिभाषित किया जाता है।
  - यह देश में 9.15% मरुस्थलीकरण के लिये उत्तरदायी है।
- जल क्षरण:
  - यह 'बैडलैंड' स्थलाकृति को जन्म देता है, जो स्वयं मरुस्थलीकरण का प्रारंभिक चरण है।
    - 'बैडलैंड' एक प्रकार का सूखा क्षेत्र होता है, जहाँ सेडिमेंट्री चट्टानों और क्ले-युक्त मिट्टी का व्यापक पैमाने पर क्षरण होता है।
  - वर्ष 2011-13 में यह देश में 10.98% मरुस्थलीकरण के लिये उत्तरदायी था।
- हवा का कटाव:
  - हवा के कारण आने वाली रेत मिट्टी की उर्वरता को कम कर देती है, जिससे भूमि मरुस्थलीकरण के प्रति अतिसंवेदनशील हो जाती है।
  - यह भारत में 5.46% मरुस्थलीकरण के लिये उत्तरदायी है।
- जलवायु परिवर्तन:
  - यह तापमान, वर्षा, सौर विकिरण और हवाओं में स्थानिक व अस्थायी पैटर्न के परिवर्तन के माध्यम से मरुस्थलीकरण को बढ़ा सकता है।

प्रभाव:

- आर्थिक प्रभाव:
  - भूमि क्षरण से कृषि उत्पादकता को खतरा है। यह मिट्टी के स्वास्थ्य को हानि पहुँचाता है, इस प्रकार ग्रामीण लोगों की आजीविका को प्रभावित करता है।
- जलवायु परिवर्तन:
  - यह जलवायु परिवर्तन की घटनाओं को बढ़ा रहा है, जो बदले में और भी अधिक गिरावट का कारण बन रहा है।
    - उदाहरण के लिये अपघटित भूमि कार्बन-डाइऑक्साइड (CO_2), ग्रीनहाउस गैस (GHG) को अवशोषित करने की अपनी क्षमता खो देती है जो ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि का सबसे बड़ा कारक है।
- जल संकट
  - भूमि क्षरण के परिणामस्वरूप सतही और भूजल संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में गिरावट आई है।
  - पानी के दबाव और सूखे की तीव्रता की चपेट में आने वाली शुष्क भूमि की आबादी वर्ष 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग की सबसे आदर्श परिस्थितियों में 178 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है।
- स्वदेशी लोगों के अधिकार:
  - असुरक्षित भूमि की समस्या लोगों और समुदायों की जलवायु परिवर्तन से लड़ने की क्षमता को प्रभावित करती है, जो कि भूमि क्षरण से और अधिक खतरे में है।

मरुस्थलीकरण/भूमि क्षरण को रोकने के लिये भारत द्वारा किये गए उपाय:

- एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम:
  - इसका उद्देश्य ग्रामीण रोज़गार के सृजन के साथ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, संरक्षण और विकास कर पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करना है। अब इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है जिसे नीति आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- मरुस्थल विकास कार्यक्रम:
  - इसे वर्ष 1995 में सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और पहचाने गए रेगिस्तानी क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन आधार को फिर से जीवंत करने हेतु शुरू किया गया था।
  - इसे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के गर्म रेगिस्तानी इलाकों और जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों के लिये शुरू किया गया था।
- संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन:
  - भारत वर्ष 1994 में इसका हस्ताक्षरकर्त्ता बना और वर्ष 1996 में इसकी पुष्टि की। भारत वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को पुन: उपजाऊ बनाने के लिये काम कर रहा है।
  - भारत भूमि क्षरण तटस्थता (LDN- सतत् विकास लक्ष्य 15.3) पर अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को प्राप्त करने के लिये कड़ी मेहनत कर रहा है।
    - LDN एक ऐसी स्थिति है जहाँ पारिस्थितिक तंत्र में कार्यों और सेवाओं का समर्थन करने तथा खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिये आवश्यक भूमि संसाधनों की मात्रा एवं गुणवत्ता स्थिर रहती है या निर्दिष्ट अस्थायी व स्थानिक पैमाने और पारिस्थितिक तंत्र (Ecosystem) के भीतर बढ़ जाती है।
- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम:
  - इसे वर्ष 2000 मे निम्नीकृत वन भूमि के वनीकरण के लिये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया था।
- मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम:
  - इसे वर्ष 2001 में बढ़ते मरुस्थलीकरण के मुद्दों को संबोधित करने और उचित कार्रवाई करने के लिये तैयार किया गया था।
- हरित भारत के लिये राष्ट्रीय मिशन:
  - इसे वर्ष 2014 में 10 वर्ष की समय-सीमा के साथ भारत के घटते वन आवरण की रक्षा, पुनर्स्थापना और वनों को बढ़ाने के उद्देश्य से अनुमोदित किया गया था।

ग्रीष्म लहर की घटनाओं में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

हाल के एक अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2019 में अत्यधिक गर्मी के कारण 3,56,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और भविष्य में यह संख्या बढ़ने की संभावना है।

- हाल की ग्रीष्म लहर (Heat Wave) की घटनाओं में हुई बढ़ोतरी ने विश्व को बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग (Global Warming) और इससे होने वाले जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के प्रति सतर्क किया है।

प्रमुख बिंदु

ग्रीष्म लहर:

- ग्रीष्म लहर हवा के तापमान की एक स्थिति है जो मानव शरीर के लिये नुकसानदायक होती है।

- भारत में ग्रीष्म लहर सामान्यत: मार्च-जून के बीच चलती है परंतु कभी-कभी जुलाई तक भी चला करती है।।
  - ग्रीष्म लहर असामान्य रूप से उच्च तापमान की वह स्थिति है, जिसमें तापमान सामान्य से अधिक रहता है और यह मुख्यत: देश के उत्तर-पश्चिमी भागों को प्रभावित करती है।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान को ग्रीष्म लहर के मानक के रूप में निर्धारित किया है। जहाँ सामान्य तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है वहाँ 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर सामान्य तथा 7 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान बढ़ने पर गंभीर ग्रीष्म लहर की घटनाएँ होती हैं।

ग्रीष्म लहर का प्रभाव:

- हीट स्ट्रोक: बहुत अधिक तापमान या आर्द्र स्थितियाँ हीट स्ट्रोक का जोखिम पैदा करती हैं।
  - वृद्ध लोग और पुरानी बीमारी जैसे- हृदय रोग, श्वसन रोग तथा मधुमेह वाले लोग हीट स्ट्रोक के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, क्योंकि शरीर की गर्मी को नियंत्रित करने की क्षमता उम्र के साथ कम हो जाती है।
- स्वास्थ्य देखभाल की लागत में वृद्धि: अत्यधिक गर्मी के प्रभाव अस्पताल में भर्ती होने, कार्डियो-रेसपिरेटरी (Cardio-respiratory) एवं अन्य बीमारियों से होने वाली मौतों में वृद्धि, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, प्रतिकूल गर्भावस्था तथा जन्म आदि जैसे परिणामों से भी जुड़े हैं।
- श्रमिकों की उत्पादकता में कमी: अत्यधिक गर्मी श्रमिक उत्पादकता को कम करती है, विशेष रूप से उन 1 अरब से अधिक श्रमिकों की जो नियमित रूप से उच्च गर्मी के संपर्क में आते रहते हैं। ये कर्मचारी अक्सर गर्मी के तनाव के कारण कम काम करते हैं।
- वनाग्नि का खतरा: हीट डोम (Heat Dome) वनाग्नि के लिये ईंधन का काम करते हैं, जो प्रत्येक वर्ष अमेरिका जैसे देशों में काफी अधिक भूमि क्षेत्र को नष्ट कर देता है।
- बादल निर्माण में बाधा: यह स्थिति बादलों के निर्माण में बाधा उत्पन्न करती है, जिससे सूर्य विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुँच जाता है।
- वनस्पतियों पर प्रभाव: गर्मी के कारण फसलों को भी नुकसान हो सकता है, वनस्पति सूख सकती है और इसके परिणामस्वरूप सूखा पड़ सकता है।
- ऊर्जा मांग में वृद्धि: हीट वेव्स के कारण ऊर्जा की मांग में भी वृद्धि होगी, विशेष रूप से बिजली की खपत जिससे इसकी मूल्य दरों में वृद्धि होगी।
- बिजली से संबंधित मुद्दे: हीट वेव्स प्राय: उच्च मृत्यु दर वाली आपदाएँ होती हैं।
  - इस आपदा से बचना प्राय: विद्युत ग्रिड के लचीलेपन पर निर्भर करता है, जो बिजली के अधिक उपयोग होने के कारण विफल हो सकते हैं।
  - नतीजतन, बुनियादी अवसंरचना की विफलता और स्वास्थ्य प्रभावों का दोहरा जोखिम उत्पन्न हो सकता है।

सिफारिशें:

- शीतलन उपाय:
  - प्रभावी एवं पर्यावरणीय रूप से सतत् शीतलन उपाय गर्मी के सबसे खराब स्वास्थ्य प्रभावों से बचा सकते हैं।
  - इसमें शहरों में हरियाली को बढ़ावा देना, इमारतों में गर्मी को प्रतिबिंबित करने वाली दीवारों की कोटिंग्स और बिजली के पंखे एवं अन्य व्यापक रूप से उपलब्ध व्यक्तिगत शीतलन तकनीक शामिल हैं।
- जलवायु परिवर्तन शमन:
  - कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिये जलवायु परिवर्तन शमन एवं पृथ्वी को और अधिक गर्म होने से रोकने में भी काफी मदद मिल सकती है।
- प्रभावी रोकथाम उपाय:
  - समयबद्ध एवं प्रभावी रोकथाम तथा प्रतिक्रिया उपायों की पहचान करना, विशेष रूप से अल्प-संसाधनों की स्थिति में ये उपाय समस्या को कम करने हेतु महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं।

संबंधित पहलें

- वैश्विक
  - जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से निपटने वाले वैश्विक मंच जैसे- 'विश्व स्वास्थ्य संगठन', 'विश्व आर्थिक मंच', 'फर्स्ट ग्लोबल फोरम ऑन हीट एंड हेल्थ' और 'ग्लोबल फोरम फॉर एन्वायरनमेंट' आदि भी अत्यधिक गर्मी की स्थिति में जलवायु एवं मौसम की जानकारी हेतु स्वास्थ्य जोखिमों पर अनुसंधान में निवेश करके 'हीट वेव' पर ध्यान केंद्रित करते हैं, साथ ही 'हीट वेव' से बचने के लिये साझेदारी एवं क्षमता निर्माण तथा संचार और आउटरीच पर सलाह भी प्रदान करते हैं।
- भारत
  - 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (NDMA) ने 'लू' की स्थिति से निपटने के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
    - हालाँकि भारत 'आपदा प्रबंधन अधिनियम' (2005) के तहत हीटवेव को एक आपदा के रूप में मान्यता नहीं देता है।

आगे की राह

- पेरिस समझौते के अनुरूप इस अध्ययन में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का आह्वान किया गया है, ताकि भविष्य में गर्मी से होने वाली मौतों को रोका जा सके। अत्यधिक गर्मी के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों में कमी लाना एक तत्काल प्राथमिकता है और इसमें गर्मी से संबंधित मौतों को रोकने के लिये बुनियादी अवसंरचना, शहरी पर्यावरण और व्यक्तिगत व्यवहार में तत्काल परिवर्तन जैसे उपाय शामिल होने चाहिये।

समुद्री मूँगों में प्रतिरक्षित कोशिकाएँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक नए अध्ययन ने पहली बार पहचान की है कि समुद्री मूँगों और एनीमोन (Anemone) की कुछ किस्मों में विशेष प्रतिरक्षित कोशिकाएँ (Immune Cell- फागोसाइटिक कोशिकाएँ) मौजूद होती हैं।

- यह इस बात को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा कि कैसे प्रवाल निर्माता मूँगा और अन्य प्रवाल जंतु बैक्टीरिया एवं वायरस जैसे विदेशी आक्रमणकारियों से खुद को बचाते हैं।

फागोसाइटोसिस

- यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ जीवित कोशिकाएँ जिन्हें फागोसाइट (Phagocyte) कहा जाता है, अन्य कोशिकाओं या कणों को निगलती हैं।
- फागोसाइट एक मुक्त जीवित एकल कोशिका वाला जीव हो सकता है, जैसे कि अमीबा।
- पशु जीवन के कुछ रूपों जैसे- अमीबा, स्पंज आदि के लिये फागोसाइटोसिस भोजन का एक साधन है।
- बड़े जानवरों में फागोसाइटोसिस मुख्य रूप से एंटीजन द्वारा संक्रमण और शरीर पर आक्रमण के खिलाफ एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया है।

समुद्री एनीमोन

- इन्हें कभी-कभी 'समुद्री फूल' भी कहा जाता है, ये वास्तव में सुंदर जानवर हैं जो मूँगा और जेलिफिश के करीबी वंशज हैं तथा एक्टिनियारिया क्रम के समुद्री शिकारी जानवर हैं।
- ये सभी महासागरों के ज्वारीय क्षेत्र से 10,000 मीटर से अधिक की गहराई तक पाए जाते हैं।

प्रमुख बिंदु

प्रवाल:

- प्रवाल आनुवंशिक रूप से समान जीवों से बने होते हैं जिन्हें 'पॉलीप्स' कहा जाता है। इन पॉलीप्स में सूक्ष्म शैवाल होते हैं जिन्हें ज़ूजैन्थेले (Zooxanthellae) कहा जाता है जो उनके ऊतकों के भीतर रहते हैं।
  - प्रवाल और शैवाल में परस्पर संबंध होता है।

नोट :

- प्रवाल, ज़ूजैन्थेले को प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक यौगिक प्रदान करता है। बदले में ज़ूजैन्थेले कार्बोहाइड्रेट की तरह प्रकाश संश्लेषण के जैविक उत्पादों की प्रवाल को आपूर्ति करता है, जो उनके कैल्शियम कार्बोनेट कंकाल के संश्लेषण हेतु प्रवाल पॉलीप्स द्वारा उपयोग किया जाता है।
- यह प्रवाल को आवश्यक पोषक तत्त्वों को प्रदान करने के अलावा इसे अद्वितीय और सुंदर रंग प्रदान करता है।

- उन्हें "समुद्र का वर्षावन" भी कहा जाता है।
- प्रवाल दो प्रकार के होते हैं:
  - कठोर, उथले पानी के प्रवाल।
  - 'सॉफ्ट' प्रवाल और गहरे पानी के प्रवाल जो गहरे ठंडे पानी में रहते हैं।

प्रवालों से लाभ:

- आवास:
  - प्रवाल 1 मिलियन से अधिक विविध जलीय प्रजातियों का घर है, जिनमें हज़ारों मछलियों की प्रजातियाँ शामिल हैं।
- आय:
  - प्रवाल भित्ति और संबंधित पारिस्थितिकी प्रणालियों का वैश्विक अनुमानित मूल्य 2.7 ट्रिलियन डॉलर प्रतिवर्ष है, यह सभी वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र सेवा मूल्यों का 2.2% है, इसमें पर्यटन और भोजन शामिल हैं।
- तटीय सुरक्षा:
  - प्रवाल भित्ति तरंगों से ऊर्जा को अवशोषित करके तटरेखा क्षरण को कम करते हैं। वे तटीय आवास, कृषि भूमि और समुद्र तटों की रक्षा कर सकते हैं।
- चिकित्सा:
  - ये भित्तियाँ उन प्रजातियों का घर है, जिनमें दुनिया की कुछ सबसे प्रचलित और खतरनाक बीमारियों के इलाज की क्षमता है।

खतरा:

- अत्यधिक मत्स्ययन और मछली पकड़ने का गलत तरीका:
  - अत्यधिक मत्स्ययन प्रवाल के पारिस्थितिक संतुलन और जैव विविधता को प्रभावित कर सकता है।
  - डायनामाइट, साइनाइड, बॉटम ट्रॉलिंग और मूरो अमी (लाठी से भित्ति पर वार करना) के साथ मछली पकड़ना पूरी भित्ति को नुकसान पहुँचा सकता है।
- मनोरंजक गतिविधियाँ:
  - अनियमित मनोरंजक गतिविधियाँ और पर्यटन, जिस पर उद्योग निर्भर करते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं।
- तटीय विकास:
  - उष्णकटिबंधीय देशों में तटीय क्षेत्रों में विकास दर सबसे तेज़ है। हवाई अड्डे और इमारतों को अक्सर समुद्री भूमि पर बनाया जाता है।
- प्रदूषण:
  - शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज, कृषि रसायन एवं तेल प्रदूषण प्रवाल भित्तियों को ज़हरीला बना रहे हैं।
- जलवायु परिवर्तन:
  - प्रवाल विरंजन: जब तापमान, प्रकाश या पोषण में किसी भी परिवर्तन के कारण प्रवालों पर तनाव बढ़ता है तो वे अपने ऊतकों में निवास करने वाले सहजीवी शैवाल ज़ूजैन्थेले को निष्कासित कर देते हैं जिस कारण प्रवाल सफेद रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। इस घटना को कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन कहते हैं।
  - महासागरीय अम्लीकरण: महासागरों की बढ़ती अम्लता प्रवाल भित्तियों के कंकाल निर्माण में कठिनाई उत्पन्न करती है जिससे यह प्रवाल भित्तियों के निर्माण हेतु खतरा है।

प्रवालों के संरक्षण हेतु की गई पहलें:

- वैश्विक पहल:
  - अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल
  - ग्लोबल कोरल रीफ मॉनीटरिंग नेटवर्क (GCRMN)
  - ग्लोबल कोरल रीफ अलायंस (GCRA)
  - ग्लोबल कोरल रीफ आर एंड डी एक्सेलेरेटर प्लेटफॉर्म
- भारतीय पहल:
  - भारत ने तटीय क्षेत्र अध्ययन (Coastal Zone Studies) के अंतर्गत प्रवाल भित्तियों पर अध्ययन को शामिल किया है।
  - भारत में ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI), गुजरात के वन विभाग की मदद से "बायोरॉक" या खनिज अभिवृद्धि तकनीक का उपयोग करके प्रवाल भित्तियों को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया का प्रयास कर रहा है।
  - देश में प्रवाल भित्तियों की सुरक्षा और रखरखाव के लिये राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम (National Coastal Mission Programme) चलाया जा रहा है।

भारत में मूँगे के प्रमुख स्थान

- प्रवाल भित्तियाँ कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप द्वीप समूह तथा मालवन के क्षेत्रों में मौजूद हैं।

दिल्ली में 'स्मॉग टॉवर'

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कनॉट प्लेस में देश के पहले 'स्मॉग टॉवर' का उद्घाटन किया है।

- इसका उद्घाटन राष्ट्रीय राजधानी में किसानों द्वारा फसल अपशिष्ट (पराली) को जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण से निपटने हेतु किया गया है।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने 'केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' (CPCB) और दिल्ली सरकार को वायु प्रदूषण से निपटने के लिये स्मॉग टॉवर स्थापित करने हेतु योजना बनाने का निर्देश दिया था।
- इसके पश्चात आईआईटी-बॉम्बे ने CPCB के समक्ष टॉवरों के लिये एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।
- जनवरी 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अप्रैल तक दो टॉवर लगाए जाएँ।
- कनॉट प्लेस (CP) में स्मॉग टॉवर इस पायलट परियोजना के तहत स्थापित पहला टॉवर है। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार सीपीसीबी के सहयोग से दूसरा टॉवर स्थापित किया जा रहा है।

स्मॉग टॉवर

- स्मॉग टॉवर का आशय व्यापक पैमाने पर एयर प्यूरीफायर के रूप में काम करने के लिये डिज़ाइन की गई संरचनाओं से है।
- इसमें प्राय: एयर फिल्टर की कई परतें मौजूद होती हैं, जो प्रदूषित हवा को साफ करते हैं।
- चीन में दुनिया का सबसे बड़ा स्मॉग टॉवर मौजूद है।

स्मॉग टॉवर की कार्यप्रणाली

- यह एक 'डाउनड्राफ्ट एयर क्लीनिंग सिस्टम' का उपयोग करता है, जहाँ प्रदूषित हवा को तकरीबन 24 मीटर की ऊँचाई से प्राप्त किया जाता है और फिल्टर की गई हवा को टॉवर के नीचे, ज़मीन से लगभग 10 मीटर की ऊँचाई पर छोड़ा जाता है।

- यह चीन में उपयोग की जाने वाली प्रणाली से अलग है, जहाँ 60 मीटर का स्मॉग टॉवर एक 'अपड्राफ्ट' सिस्टम का उपयोग करता है, जिसमें हवा को ज़मीन के पास से प्राप्त किया जाता है और हीटिंग तथा संवहन द्वारा ऊपर की ओर बढ़ाया जाता है। फिल्टर की गई हवा टॉवर के शीर्ष पर छोड़ी जाती है।

निर्माण:

- इस टॉवर को टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (TPL) ने आईआईटी-बॉम्बे और आईआईटी- दिल्ली के तकनीकी सहयोग से बनाया है, जो इसके डेटा का विश्लेषण करेगा।
- इस परियोजना का प्रबंधन सलाहकार राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति (NBCC) इंडिया लिमिटेड है।
- दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति इस परियोजना की प्रभारी थी।

आवश्यकता:

- CPCB की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2009 से दिल्ली में PM10 की सांद्रता में 258% से 335% की वृद्धि देखी गई है।
- लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में सबसे प्रमुख प्रदूषक PM2.5 है।
  - PM2.5 का अर्थ है सूक्ष्म कण जो शरीर में प्रवेश करते हैं और फेफड़ों तथा श्वसन मार्ग में सूजन को बढ़ावा देते हैं, जिससे कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली सहित हृदय एवं श्वसन संबंधी समस्याओं का खतरा होता है।
- एक स्विस समूह की रिपोर्ट (जिसने शहरों को उनकी वायु गुणवत्ता के आधार पर अल्ट्राफाइन पार्टिकुलेट मैटर के स्तर के आधार पर मापा) के अनुसार, दिल्ली लगातार तीसरी बार वर्ष 2020 में विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर था।

चुनौतियाँ:

- यह एक छोटे से क्षेत्र में वायु प्रदूषण से तत्काल राहत प्रदान कर सकता है, लेकिन यह महँगा त्वरित समाधान उपाय हैं।
- इससे 1 किमी. तक की हवा की गुणवत्ता पर असर हो सकता है।
  - हालाँकि दो वर्ष के अध्ययन में आईआईटी-बॉम्बे और आईआईटी-दिल्ली द्वारा वास्तविक प्रभाव का आकलन किया जाएगा, जो यह भी निर्धारित करेगा कि विभिन्न मौसम की स्थितियों में टॉवर कैसे काम करता है तथा हवा के प्रवाह के साथ PM2.5 का स्तर कैसे बदलता है।

दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिये उठाए गए अन्य कदम:

- टर्बो हैप्पी सीडर (Turbo Happy Seeder-THS) ट्रैक्टर के साथ लगाई जाने वाली एक प्रकार की मशीन होती है जो फसल के अवशेषों को उनकी जड़ समेत उखाड़ फेंकती है।
- BS-VI वाहनों की शुरुआत इलेक्ट्रिक वाहनों (EV), ऑड-ईवन को एक आपातकालीन उपाय के रूप में वाहनों के प्रदूषण को कम करने के लिये पूर्वी और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु प्रेरित करती है।
- ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का कार्यान्वयन। यह हवा की गुणवत्ता में गिरावट के रूप में चरणों में शुरू होने वाले प्रतिबंधों का एक समूह है, जो अक्तूबर-नवंबर की अवधि के लिये विशिष्ट है।
- कम उत्सर्जन वाले पटाखों (ग्रीन क्रैकर्स) का प्रयोग।
- CPCB के तत्त्वावधान में सार्वजनिक सूचना के लिये राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) का विकास।

आगे की राह

- चूँकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो इसकी दक्षता को साबित करता है, सरकारों को इसके बजाय मूल कारणों को संबोधित करना चाहिये और वायु प्रदूषण से निपटने व उत्सर्जन को कम करने के लिये अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिये।
- यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि अन्य शहर किसी दावे का पालन करने और इन महँगे, अप्रभावी टावरों को स्थापित करने का निर्णय लेते हैं।

नोट :

परिवहन क्षेत्र के डिकार्बोनाइज़ेशन के लिये फोरम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नीति आयोग (NITI Aayog) और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (World Resources Institute-WRI), द्वारा संयुक्त रूप से भारत में 'फोरम फॉर डिकार्बोनाइज़िग ट्रांसपोर्ट' (Forum for Decarbonizing Transport) को लॉन्च किया गया था।

- WRI इंडिया विधिक रूप से इंडिया रिसोर्स ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत एक स्वतंत्र चैरिटी है जो पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ और सामाजिक रूप से न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देने के लिये वस्तुनिष्ठ जानकारी और व्यावहारिक प्रस्ताव प्रदान करता है।
- नीति आयोग सरकार के लिये एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। इसने योजना आयोग का स्थान लिया।

प्रमुख बिंदु

परिचय :

- यह मंच राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)- एशिया के लिये परिवहन पहल (NDC-TIA) परियोजना का एक हिस्सा है, जो प्रभावी नीतियों की एक सुसंगत रणनीति विकसित करने और क्षेत्र में कार्बन मुक्त परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये एक बहु-हितधारक मंच के गठन पर केंद्रित है।
  - NDC-TIA सात संगठनों का एक संयुक्त कार्यक्रम है जो चीन, भारत और वियतनाम को अपने-अपने देशों में परिवहन को कार्बन मुक्त करने के लिये एक व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में संलग्न करेगा। यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल (IKI) का हिस्सा है।
  - IK जर्मनी के जलवायु वित्तपोषण और जैव विविधता कन्वेंशन के फ्रेमवर्क में वित्तपोषण प्रतिबद्धताओं का एक प्रमुख तत्त्व है।
- भारत में परिवहन क्षेत्र को स्वच्छ बनाने के लिये यह विविध विचारों को साथ लाने और एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने हेतु माध्यम के रूप में कार्य करेगा।

उद्देश्य :

- इस परियोजना का उद्देश्य एशिया में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (परिवहन क्षेत्र) के चरम स्तर (दो डिग्री से नीचे के लक्ष्य के अनुरूप) को नीचे लाना है जिसके परिणामस्वरूप ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की वजह से संकुलन और वायु प्रदूषण जैसी समस्याएँ होती हैं।

अपेक्षित लाभ :

- यह व्यापार के एक अभिनव मॉडल के विकास में मदद करेगा जिससे लक्षित परिणाम प्राप्त होंगे और भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र का समग्र विकास होगा।
- यह फोरम समान नीतियों के विकास के लिये संवाद शुरू करने और परिवहन क्षेत्र में उत्सर्जन को कम कर विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने में मदद हेतु भी एक मंच प्रदान करेगा।

आवश्यकता:

- भारत में एक विशाल और विविध परिवहन क्षेत्र है, जो कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) का उत्सर्जन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है।
- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA), 2020 और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 2018 के डेटा से पता चलता है कि परिवहन क्षेत्र में शामिल सड़क परिवहन, कॉर्बन डाइऑक्साइड के कुल उत्सर्जन में 90% से अधिक का योगदान देता है।
- बढ़ते शहरीकरण के साथ वाहनों का आकार यानी वाहनों की बिक्री की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। अनुमान है कि 2030 तक वाहनों की कुल संख्या दोगुनी हो जाएगी।
- इसलिये 2050 के लिये निर्धारित पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु भारत में परिवहन क्षेत्र को एक डिकार्बोनाइज़ेशन पथ की ओर अग्रसर होना आवश्यक है।

संबंधित पहलें:

- फेम योजना
  - यह 'नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन' प्लान का एक हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य सब्सिडी प्रदान करके इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना है।
  - हाल ही में केंद्र सरकार ने इको-फ्रेंडली वाहनों को बढ़ावा देने के मद्देनज़र 'फेम-II' (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) योजना के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर सब्सिडी को 50% बढ़ाने का फैसला किया है।
- PLI योजना के तहत प्रोत्साहन:
  - यह योजना पिछले वर्ष विभिन्न उद्योगों के लिये शुरू की गई थी, जिसमें पाँच वर्ष की अवधि में ऑटोमोबाइल और ऑटो-कंपोनेंट उद्योग के लिये 57,00 करोड़ रुपए से अधिक का परिव्यय शामिल था।
  - इसके तहत 'एडवांस सेल केमिस्ट्री बैटरी स्टोरेज' निर्माण के लिये लगभग 18,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए हैं।
  - इन प्रोत्साहनों का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के स्वदेशी विकास को प्रोत्साहित करना है, ताकि उनकी अग्रिम लागत को कम किया जा सके।
- नवीकरणीय मोटर वाहन उद्योग:
  - भारत वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और आपूर्ति केंद्र बनने के उद्देश्य से एक घरेलू नवीकरणीय मोटर वाहन उद्योग के निर्माण में लगा हुआ है।
    - बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन और ईंधन-सेल वाहन प्रौद्योगिकियाँ वर्ष 2050 तक देश में जीवाश्म से चलने वाले वाहनों को पीछे छोड़ने के लिये पूरी तरह तैयार हैं।

आगे की राह

- भारत के पास अपने शहरी परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने का एक महत्त्वपूर्ण अवसर है। मोटर वाहनों के विद्युतीकरण के साथ-साथ पैदल, साइकिल और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देकर देश के लिये सही रणनीति अपनाई जानी चाहिये।
- देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों का लाभ उठाने और उन्हें कारगर बनाने हेतु विभिन्न हितधारकों के लिये एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की आवश्यकता है।
- इन हितधारकों के बीच एक समन्वित प्रयास निवेश को सक्षम बनाने, प्रोत्साहित करने और उद्योग का उचित संचालन सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स: 'यूनिसेफ'

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'यूनिसेफ' ने 'फ्राइडे फॉर फ्यूचर' के सहयोग से 'द क्लाइमेट क्राइसिस इज़ ए चाइल्ड राइट्स क्राइसिस: इंट्रोड्यूसिंग द चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स' नाम से एक रिपोर्ट लॉन्च की है।

- यह बच्चे के दृष्टिकोण से किया गया जलवायु जोखिम का पहला व्यापक विश्लेषण है।
- इससे पूर्व 'नोट्रे डेम ग्लोबल एडाप्टेशन इनिशिएटिव' (ND-GAIN) इंडेक्स पर आधारित एक विश्लेषण ने दुनिया भर के बच्चों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को स्पष्ट किया था।

  विभिन्न देशों पर जलवायु जोखिम का स्तर

प्रमुख बिंदु

- चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स
  - यह आवश्यक सेवाओं तक बच्चों की पहुँच के आधार पर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय घटनाओं, जैसे कि चक्रवात और हीटवेव आदि के प्रति बच्चों की भेद्यता के आधार पर विभिन्न देशों को रैंक प्रदान करता है।

नोट :

- पाकिस्तान (14वाँ), बांग्लादेश (15वाँ), अफगानिस्तान (25वाँ) और भारत (26वाँ) उन दक्षिण एशियाई देशों में शामिल हैं, जहाँ बच्चों पर जलवायु संकट के प्रभाव का जोखिम सबसे अधिक है।

- भारतीय परिदृश्य
  - भारत उन चार दक्षिण एशियाई देशों में शामिल है, जहाँ बच्चों को जलवायु परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में खतरों का सामना करना पड़ता है।
  - अनुमान है कि आगामी वर्षों में 600 मिलियन से अधिक भारतीयों को 'पानी की गंभीर कमी' का सामना करना पड़ेगा, जबकि साथ ही वैश्विक तापमान में 2 सेल्सियस से ऊपर की वृद्धि के बाद भारत के अधिकांश शहरी क्षेत्रों में 'फ्लैश फ्लडिंग' की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
    - ज्ञात हो कि वर्ष 2020 में दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 21 शहर भारत में थे।
- वैश्विक परिदृश्य:
  - अधिकतम सुभेद्यता वाले देश:
    - मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, नाइजीरिया, गिनी और गिनी-बिसाऊ में रहने वाले युवाओं को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सबसे अधिक खतरा है।
    - इन देशों में बच्चों को पानी और स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा जैसी अपर्याप्त आवश्यक सेवाओं के कारण उच्च जोखिम के साथ कई जलवायु और पर्यावरणीय समस्याओं के जोखिम के घातक संयोजन का सामना करना पड़ता है।
  - जलवायु और पर्यावरणीय खतरों का प्रभाव :
    - दुनिया भर में लगभग हर बच्चे को कम-से-कम एक जलवायु और पर्यावरणीय खतरे जिनमें तटीय बाढ़, नदी की बाढ़, चक्रवात, वेक्टर जनित रोग, सीसा प्रदूषण, हीटवेव और पानी की कमी शामिल हैं, से खतरा है।
    - दुनिया भर में 850 मिलियन बच्चों में से अनुमानित 3 में से 1 बच्चा ऐसे क्षेत्र में रहता है जहाँ उपर्युक्त में से कम-से-कम चार जलवायु और पर्यावरणीय खतरे व्याप्त होते हैं।
    - दुनिया भर में 330 मिलियन बच्चों में से 7 में से 1 बच्चा कम-से-कम उपर्युक्त पाँच बड़े जलवायु खतरों से प्रभावित क्षेत्र में रहता है।
  - असमान प्रभाव:
    - जहाँ ग्रीनहाउस गैसों (GHG) का उत्सर्जन होता है, और जहाँ बच्चे सबसे महत्त्वपूर्ण जलवायु-संचालित प्रभावों को सहन कर रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों के मध्य एक प्रकार के अलगाव की स्थिति है।
    - सबसे कम ज़िम्मेदार देशों के बच्चों के इससे सबसे ज़्यादा पीड़ित होने की आशंका है।
    - जलवायु परिवर्तन में अत्यधिक असमानता विद्यमान है, जबकि कोई भी बच्चा बढ़ते वैश्विक तापमान के लिये ज़िम्मेदार नहीं है, फिर भी वे सबसे अधिक प्रभावित होंगे।
  - बच्चों के लिये अधिक संदिग्ध स्थिति:
    - वयस्कों की तुलना में बच्चों को अपने शरीर के वज़न के अनुसार प्रति यूनिट अधिक भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, वे चरम मौसम की घटनाओं से बचने में कम सक्षम होते हैं और अन्य कारकों के बीच ज़हरीले रसायनों, तापमान परिवर्तन तथा बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
  - जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में राष्ट्र सक्षम नहीं:
    - वर्ष 2030 तक पेरिस समझौते के तहत निर्धारित कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य में शामिल 184 देश ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिये नहीं हैं।
    - आशंका है कि कुछ देश अपने वादों को पूरा नहीं करेंगे और विश्व के कुछ सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक देश अपने उत्सर्जन में वृद्धि जारी रखेंगे।
- सिफारिशें:
  - निवेश बढ़ाना :
    - बच्चों के लिये प्रमुख सेवाओं में जलवायु अनुकूलन और लचीलेपन में निवेश बढ़ाना।

- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना :
  - देशों को वर्ष 2030 तक अपने उत्सर्जन में कम-से-कम 45% (2010 के स्तर की तुलना में) की कटौती करनी होगी ताकि तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो।
- जलवायु संबंधी शिक्षा प्रदान करना :
  - बच्चों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और उनके अनुकूलन हेतु तैयारी के लिये महत्त्वपूर्ण जलवायु शिक्षा और हरित कौशल प्रदान करना।
- निर्णयों में युवा लोगों को शामिल करना :
  - सभी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं एवं निर्णयों में युवा लोगों को शामिल किया जाना चाहिये, जिसमें COP 26 (पार्टियों का सम्मेलन- एक जलवायु सम्मेलन) शामिल है जिसे नवंबर 2021 में ग्लासगो, यूके में आयोजित किया जाएगा।
- महामारी से बचाव हेतु समावेशी विधियाँ अपनाना :
  - कोविड -19 महामारी से उबरने के लिये हरित, निम्न-कार्बन और समावेशी विधियाँ सुनिश्चित की जानी चाहिये, ताकि आने वाली पीढ़ियों को जलवायु संकट का समाधान करने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता से समझौता न करना पड़े।

आगे की राह

- लक्ष्य को पूरा करना :
  - जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों से बचने के लिये कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक शुद्ध मानव जनित उत्सर्जन को वर्ष 2030 तक लगभग आधा करने का लक्ष्य रखा गया है और वर्ष 2050 तक इसके "शुद्ध शून्य" तक पहुँचने की संभावना है।
- सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को बढ़ाना:
  - बच्चों और उनके परिवारों पर जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों का समाधान करने के लिये अनुकूली और शॉक-रिस्पॉन्सिव सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम्स- जैसे गर्भवती माताओं और बच्चों के लिये अनुदान को बढ़ाना।
- बाल अधिकारों के प्रति संयुक्त दृष्टिकोण:
  - प्रत्येक बच्चे को गरीबी से सुरक्षित रखने के लिये अधिक देशों को बाल अधिकारों पर कन्वेंशन में अपनी प्रतिबद्धता की दिशा में काम करने की आवश्यकता है, उदाहरण के लिये बच्चों की बेहतरी में सुधार और लचीलेपन द्वारा सार्वभौमिक बाल लाभ प्रदान किया जाना।

सांभर झील का संकुचन: राजस्थान

चर्चा में क्यों?

हाल के एक अध्ययन के अनुसार, राजस्थान में सांभर साल्ट लेक मिट्टी और पानी की गुणवत्ता में गिरावट तथा प्रवासी पक्षियों की आबादी में गिरावट के साथ लगातार संकुचित हो रही है।

प्रमुख बिंदु

- अवस्थिति:
  - पूर्व-मध्य राजस्थान में जयपुर से 80 किमी. दक्षिण-पश्चिम में यह देश का सबसे बड़ा अंतर्देशीय लवणीय जल निकाय है।
  - अरावली श्रृंखला के अवसादी भाग का प्रतिनिधित्व करता है।
- क्यों है प्रसिद्ध?
  - यह नमक के उत्पादन के लिये देश में सबसे बड़ी नमक निर्माण इकाइयों में से एक है।
  - हर साल हज़ारों प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं।
- रामसर स्थल:
  - यह वर्ष 1990 में घोषित रामसर कन्वेंशन के तहत 'अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व' की एक आर्द्रभूमि है।

- नदियाँ:
    - समोद, खारी, मंथा, खंडेला, मेधा और रूपनगढ़ नामक छह नदियों से पानी प्राप्त करता है।
- जलग्रहण क्षेत्र में वनस्पति:
    - यहाँ अधिकतर ज़ीरोफाइटिक प्रकार (ज़ीरोफाइट शुष्क परिस्थितियों में वृद्धि के अनुकूलित वृक्ष) की वनस्पति पाई जाती है।
- जीव-जंतु:
    - यहाँ आमतौर पर राजहंस, पेलिकन और जलपक्षी देखे जाते हैं।
- अन्य निकट स्थान:
    - शाकंभरी देवी मंदिर, सांभर वन्यजीव अभयारण्य।
- मुख्य चिंताएँ:
    - क्षेत्रफल को नुकसान
        - सांभर झील का लगभग 30% क्षेत्र खनन और अन्य गतिविधियों के कारण समाप्त हो गया था, जिसमें अवैध नमक हेतु अतिक्रमण भी शामिल था।
    - स्थानीय लोगों की आजीविका:
        - क्षेत्र में हुए इस नुकसान ने स्थानीय लोगों की आजीविका को भी खतरे में डाल दिया है जो हमेशा झील और इसकी पारिस्थितिकी के साथ सद्भाव से रहते हैं।
        - अरावली की पहाड़ियों के क्षेत्रफल में 0.1% की कमी आई है (1971 की तुलना में)। क्योंकि पहाड़ी एक प्राकृतिक बाधा रही है जो नमक को अन्य उपजाऊ क्षेत्रों में फैलने से रोकती है।
        - अगर यह प्राकृतिक दीवार ऐसे ही गिरती रही तो यहाँ के लोगों को पलायन करने पर मज़बूर कर देगी।
    - प्रवासी पक्षियों के संबंध में:
        - आर्द्रभूमि के क्षेत्रफल में कमी आई है, जबकि वनस्पति के आवरण में वृद्धि हुई है, जिससे झील में लाल शैवाल की मात्रा में कमी हो गई है जो प्रवासी पक्षियों के भोजन का मुख्य स्रोत है।
        - वर्ष 2019 में एवियन बोटुलिज़्म के संक्रमण के कारण झील में प्रतिवर्ष प्रवास करने वाली लगभग 10 प्रजातियों के 20,000 से अधिक पक्षियों की मृत्यु हो जाती है।
- समस्या के समाधान हेतु कदम:
    - नए पर्यटक स्थल:
        - राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में सांभर साल्ट लेक में नए पर्यटन स्थलों की पहचान करने का निर्णय लिया है।
        - सांभर झील केंद्र की स्वदेश दर्शन योजना में रेगिस्तानी सर्किट का हिस्सा है।
        - नमक संग्रहालय, कार पार्क, साइकिल ट्रैक और उद्यान सहित झील के आसपास के नए स्थलों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
    - नमक ट्रेन:
        - एक 'नमक ट्रेन' (Salt Train) जो भंडार से नमक को उठाकर पास की रिफाइनरी तक पहुँचाती है, को फिर से शुरू किया जाएगा।
    - क्षेत्र को संरक्षित करना:
        - अनाधिकृत बोरवेल और क्षेत्र में बिछाई गई पाइपलाइनों के खिलाफ कार्रवाई कर झील में अवैध नमक उत्पादन को रोका जाएगा, साथ ही पुलिस की मदद से ज़मीन पर से अतिक्रमण हटाया जाएगा।
    - प्रवासी पक्षियों के लिये:
        - वर्ष 2020 में राजस्थान सरकार ने झील के आस-पास के क्षेत्र को प्रवासी पक्षियों के लिये अस्थायी आश्रय स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला किया है।

नोट :

आगे की राह

- कई एजेंसियों के विशेषज्ञों को शामिल कर एक सांभर झील विकास प्राधिकरण का गठन किया जाए। साथ ही तीन ज़िलों- जयपुर, अजमेर और नागौर के प्रशासन के मध्य उचित समन्वय सुनिश्चित किया जाए।

पोल्ट्री किसानों के लिये नए दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी पोल्ट्री (Poultry) किसानों के लिये नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, भारत में छोटे और सीमांत पोल्ट्री किसानों को अब पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु अपने बड़े समकक्षों के समान उपाय करने होंगे।

- अब तक भारत में छोटे पोल्ट्री फार्म पर्यावरण कानूनों से मुक्त थे।
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal) ने वर्ष 2020 में कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को पोल्ट्री फार्मों को हरित श्रेणी में रखने और हवा, पानी तथा पर्यावरण संरक्षण कानूनों से मुक्त रखने के दिशा-निर्देशों पर फिर से विचार करना चाहिये।

भारत में पोल्ट्री पक्षियों की स्थिति

- 20वीं पशुधन गणना के अनुसार, भारत में 851.8 मिलियन पोल्ट्री पक्षी हैं।
  - इसमें से लगभग 30% छोटे और सीमांत किसानों के पास हैं।
- मुर्गी, टर्की, बत्तख, गीज़ आदि को मुर्गी फार्मों में मांस और अंडे के लिये पाला जाता है।
- तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम और केरल में सबसे अधिक पोल्ट्री संख्या है।

प्रमुख बिंदु

- प्रमुख प्रावधान:
  - पोल्ट्री किसान की नई परिभाषा:
    - छोटे किसान: 5,000-25,000 पक्षी।
    - मध्यम किसान: 25,000 से अधिक और 1,00,000 से कम पक्षी।
    - बड़े किसान: 1,00,000 से अधिक पक्षी।
  - सहमति प्रमाण पत्र आवश्यक:
    - मध्यम आकार के पोल्ट्री फार्म की स्थापना और संचालन के लिये।
    - इसे जल अधिनियम, 1974 और वायु अधिनियम, 1981 के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (State Pollution Control Board) या समिति से अनुमति लेनी होगी।
    - यह अनुमति 15 वर्ष के लिये वैध होगी।
  - क्रियान्वयन एजेंसी:
    - पशुपालन विभाग राज्य और ज़िला स्तर पर दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिये ज़िम्मेदार होगा।
  - प्रदूषण कम करना:
    - पक्षियों से होने वाले गैसीय प्रदूषण को कम करने के लिये पोल्ट्री फार्म में हवादार कमरा होना चाहिये।
    - साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि कुक्कुट का मल बहते पानी या किसी अन्य कीटनाशक के साथ न मिल जाए।
    - एक फार्म को आवासीय क्षेत्र से 500 मीटर तथा नदियों, झीलों, नहरों और पेयजल स्रोतों से 100 मीटर, राष्ट्रीय राजमार्गों से 100 मीटर एवं गाँव के फुटपाथों व ग्रामीण सड़कों से 10-15 मीटर की दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिये।

- आवश्यकता:
  - पोल्ट्री उत्पादन विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषकों से जुड़ा है, जिसमें ऑक्सीजन-डिमांडिंग पदार्थ, अमोनिया, ठोस पदार्थ शामिल हैं, इसके अलावा यह मक्खियों, कृंतकों, कुत्तों और अन्य कीटों को आकर्षित करता है जो स्थानीय स्तर पर अशांति पैदा करते हैं और बीमारियाँ पैदा करते हैं।
    - खाद, कूड़े और अपशिष्ट जल आदि का खराब प्रबंधन आसपास रहने वाले लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
  - इसके अलावा पोल्ट्री उत्पादन ग्रीनहाउस गैसों, अम्लीकरण और यूट्रोफिकेशन के लिये भी उत्तरदायी है।
  - वर्ष 2020 में 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' ने कहा था कि सतत् विकास जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है और राज्य के अधिकारियों का दायित्व है कि वे सतत् विकास अवधारणा के अनुसार पर्यावरण की रक्षा करें।
- पोल्ट्री संबंधी पहलें
  - पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड (PVCF):
    - 'पशुपालन और डेयरी विभाग' द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन के 'उद्यमिता विकास और रोज़गार सृजन' (EDEG) के तहत इसे लागू किया जा रहा है।
    - इसके कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार PVCF के लिये ऋण लेने वाले लाभार्थियों को 'राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक' (नाबार्ड) के माध्यम से सब्सिडी प्रदान कर रही है।
  - राष्ट्रीय पशुधन मिशन:
    - 'राष्ट्रीय पशुधन मिशन' के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत 'ग्रामीण बैकयार्ड पोल्ट्री विकास' (RBPD) और 'नवोन्मेषी पोल्ट्री उत्पादकता परियोजना' (IPPP) के कार्यान्वयन के लिये राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  - पशु रोग नियंत्रण के लिये राज्यों को सहायता (ASCAD) योजना
    - ASCAD योजना 'पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण' (LH&DC) के तहत आर्थिक रूप से महत्त्वपूर्ण पोल्ट्री रोगों जैसे- रानीखेत रोग, संक्रामक बर्सल रोग, फाउल पॉक्स आदि के टीकाकरण को कवर करती है, जिसमें एवियन इन्फ्लूएंज़ा (Avian Influenza) जैसी आकस्मिक और विदेशी बीमारियों का नियंत्रण और रोकथाम करना शामिल है।

हिमालयी क्षेत्र में जलविद्युत परियोजनाएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा है कि ऊपरी गंगा क्षेत्र में किसी भी नई जलविद्युत परियोजना की अनुमति नहीं दी जाएगी और लोगों को स्वीकृत पर्यावरण नियमों का पालन करना होगा ताकि वर्ष के दौरान हर समय नदी मंइ न्यूनतम प्रवाह निर्धारित कर इसके स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सके।

प्रमुख बिंदु

- संदर्भ:
  - उत्तराखंड में सात परियोजनाओं को मुख्य रूप से इस आधार पर निर्माण पूरा करने की अनुमति दी गई है क्योंकि उनका 50% से अधिक कार्य पूर्ण है।
  - ये सात परियोजनाएँ इस प्रकार हैं:
    - टिहरी चरण 2: भागीरथी नदी पर 1000 मेगावाट
    - तपोवन विष्णुगढ़ : धौलीगंगा नदी पर 520 मेगावाट
    - विष्णुगढ़ पीपलकोटी : अलकनंदा नदी पर 444 मेगावाट
    - सिंगोली भटवारी : मंदाकिनी नदी पर 99 मेगावाट
    - फटा भुयांग: मंदाकिनी नदी पर 76 मेगावाट

- मध्यमहेश्वर : मध्यमहेश्वर गंगा पर 15 मेगावाट
- कालीगंगा 2: कालीगंगा नदी पर 6 मेगावाट

- मुद्दे:
  - कार्यकर्त्ताओं ने इस बात पर चिंता जताई है कि दो परियोजनाओं- सिंगोली भटवारी और फटा भुयांग, जो विशेष रूप से केदारनाथ त्रासदी (2013) से जुड़ी थीं, को अनुमति दी गई है।
  - फरवरी 2021 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त विष्णुगढ़ परियोजना को भी प्रगति की अनुमति दी गई है, जबकि लापरवाही के कारण 200 से अधिक लोगों की मौत हुई क्योंकि वहाँ आपदा चेतावनी प्रणाली नहीं थी।
  - जलविद्युत परियोजनाएँ, बाँध और निर्माण गतिविधियाँ नाजुक हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर रही हैं, जिससे वे आपदाओं के प्रति संवेदनशील हो रहे हैं।
- हिमालय में जलविद्युत परियोजनाओं की चुनौतियाँ:
  - स्थिरता में कमी:
    - ग्लेशियरों के अपने स्थान से खिसकने तथा पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से पर्वतीय ढलानों की स्थिरता में कमी आने और ग्लेशियर झीलों की संख्या एवं उनके क्षेत्रफल में वृद्धि होने का अनुमान है।
    - पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से वातावरण में शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस मीथेन उत्पन्न होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग को और अधिक बढ़ा देती है।
  - जलवायु परिवर्तन:
    - जलवायु परिवर्तन ने मौसम के अनिश्चित पैटर्न को बढ़ा दिया है जैसे बर्फबारी और वर्षा में वृद्धि।
    - बर्फ का थर्मल प्रोफाइल बढ़ रहा है, जिसका अर्थ है कि बर्फ का तापमान जो -6 से -20 डिग्री सेल्सियस तक होता था, अब यह घटकर -2 डिग्री सेल्सियस हो गया है, जिससे इस तापमान पर यह पिघलने के लियेअतिसंवेदनशील हो जाता है।
  - आपदाओं की बारंबारता में बढ़ोतरी:
    - बादलों के फटने की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है तथा तीव्र वर्षा और हिमस्खलन के साथ इस क्षेत्र के निवासियों के जीवन और आजीविका के नुकसान का जोखिम बढ़ गया है।
  - की गई पहल:
    - नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन ईकोसिस्टम (National Mission on Sustaining Himalayan Ecosystem- NMSHE) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan on Climate Change- NAPCC) के तहत आठ मिशनों में से एक है। इसका उद्देश्य हिमालय के ग्लेशियरों, पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण को बनाए रखने तथा उनकी सुरक्षा के उपायों को सुनिश्चित करना है।

आगे की राह

- यह अनुशंसा की जाती है कि हिमालयी क्षेत्र में 2,200 मीटर की ऊँचाई से अधिक पर जलविद्युत विकास नहीं होना चाहिये।
- जनसंख्या वृद्धि और आवश्यक औद्योगिक एवं बुनियादी ढाँचे के विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार को जलविद्युत के विकास के लिये गंभीरता से विचार करना चाहिये ताकि अधिक पारिस्थितिकी तरीके से अर्थव्यवस्था का सतत् विकास सुनिश्चित किया जा सके।

सीसा युक्त पेट्रोल पर रोक: यूएनईपी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme-UNEP) ने घोषणा की है कि वैश्विक स्तर पर सीसा युक्त पेट्रोल का उपयोग समाप्त कर दिया गया है।

पेट्रोल/गैसोलीन

- गैसोलीन, जिसे गैस या पेट्रोल भी कहा जाता है, पेट्रोलियम से प्राप्त वाष्पशील, ज्वलनशील तरल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, इसका उपयोग आंतरिक-दहन इंजन के लिये ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग तेल और वसा के लिये विलायक के रूप में भी किया जाता है।
- गैसोलीन मूल रूप से पेट्रोलियम उद्योग का एक उप-उत्पाद (केरोसिन प्रमुख उत्पाद) है जो अपनी उच्च दहन ऊर्जा और कार्बोरेटर में हवा के साथ आसानी से मिश्रित होने की क्षमता के कारण पसंदीदा ऑटोमोबाइल ईंधन बन गया।

सीसायुक्त बनाम सीसामुक्त पेट्रोल

- सीसायुक्त और सीसामुक्त अर्थात् लेड और अनलेडेड ईंधन के बीच मुख्य अंतर एडिटिव टेट्राएथिल लेड (Additive Tetraethyl Lead) का है।
  - सीसा युक्त पेट्रोल के दहन से हवा में सीसा मुक्त होता है।
  - सीसा एक भारी प्रदूषक है जो न केवल पर्यावरण को बल्कि इसके संपर्क में आने वाले लोगों को भी नुकसान पहुँचाता है।

प्रमुख बिंदु

- सीसा युक्त पेट्रोल के उन्मूलन के बारे में:
  - यह निर्णय एक मील का पत्थर है जो समय से पहले होने वाली 1.2 मिलियन से अधिक मौतों को रोकने में मददगार साबित होगा तथा इससे वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को सालाना 2.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की बचत होगी। यह वैश्विक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिये भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है।
  - UNEP ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन के भयावह प्रभावों को दूर करने के लिये जीवाश्म ईंधन के उपयोग को सामान्य रूप से अभी भी काफी कम किया जाना चाहिये।
- सीसायुक्त पेट्रोल का युग:
  - 1970 के दशक तक वैश्विक स्तर पर बेचे जाने वाले लगभग सभी पेट्रोल/गैसोलीन में सीसा होता था।
  - वर्ष 2002 में जब UNEP ने सीसायुक्त पेट्रोल के खिलाफ पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल्स एंड व्हीकल्स (PCFV) नाम से अपना अभियान शुरू किया, तो अमेरिका, चीन और भारत सहित कई प्रमुख आर्थिक शक्तियों ने पहले ही सीसायुक्त ईंधन का उपयोग बंद कर दिया लेकिन निम्न-आय वाले देशों में स्थिति भयावह बनी रही।
    - समय से पहले होने वाली मौतों, खराब स्वास्थ्य तथा मिट्टी और वायु प्रदूषण से जुड़े अध्ययनों के बावजूद वैश्विक स्तर पर 100 से अधिक देश अभी भी सीसायुक्त पेट्रोल का उपयोग कर रहे हैं। वर्ष 1924 की शुरुआत में पहली बार इसे लेकर चिंता ज़ाहिर की गई।
    - जुलाई 2021 में अल्ज़ीरिया ने सीसायुक्त पेट्रोल के प्रयोग को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जो सीसायुक्त पेट्रोल का उपयोग करने वाला अंतिम देश था।
- उन्मूलन की आवश्यकता:
  - प्रदूषण:
    - परिवहन क्षेत्र, ऊर्जा से संबंधित वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लगभग एक-चौथाई के लिये ज़िम्मेदार है और वर्ष 2050 तक इसके एक-तिहाई तक बढ़ने की आशंका है।
    - साथ ही आने वाले दशकों में 1.2 अरब नए वाहन सड़कों पर होंगे।
    - इसमें यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान से मध्यम एवं निम्न आय वाले देशों में निर्यात किये गए लाखों खराब गुणवत्ता वाले वाहन शामिल हैं।
  - ग्लोबल वार्मिंग:
    - हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के 'इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज' (आईपीसीसी) द्वारा क्लाइमेट चेंज, 2021 नामक एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि पृथ्वी के औसत तापमान में पूर्व-औद्योगिक समय की तुलना में वर्ष 2030 के आसपास 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी।
    - अनुमान से एक दशक पहले इस वृद्धि ने जीवाश्म ईंधन के उपयोग के बारे में खतरे की घंटी बजा दी है।

- स्वास्थ्य:
  - सीसायुक्त पेट्रोल हृदय रोग, स्ट्रोक और कैंसर का कारण बनता है। यह मानव मस्तिष्क के विकास को भी प्रभावित करता है, खासकर बच्चों को नुकसान पहुँचा रहा है।
- महत्त्व:
  - सीसायुक्त पेट्रोल की समाप्ति से अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण (SDG3), स्वच्छ जल (SDG6), स्वच्छ ऊर्जा (SDG7), सतत् शहरों (SDG11), जलवायु एक्शन (SDG13) सहित कई सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) की प्राप्ति की उम्मीद है।
  - यह पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने का अवसर भी प्रदान करता है, विशेष रूप से शहरी वातावरण में, जो कि विशेष रूप से ज़हरीले प्रदूषकों से प्रभावित हैं।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

परिचय

- 05 जून, 1972 को स्थापित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है।
- कार्य: इसका प्राथमिक कार्य वैश्विक पर्यावरण एजेंडा को निर्धारित करना, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत् विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिये एक आधिकारिक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना है।
- प्रमुख रिपोर्ट्स: उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, इन्वेस्ट इनटू हेल्थी प्लैनेट रिपोर्ट।
- प्रमुख अभियान: 'बीट पॉल्यूशन', 'UN75', विश्व पर्यावरण दिवस, वाइल्ड फॉर लाइफ।
- मुख्यालय: नैरोबी (केन्या)।
- समझौता प्रशासित/प्रदान किये गए सचिवीय कार्य:
  - जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD)।
  - वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)।
  - प्रवासी वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण के लिये सम्मेलन (CMS)।
  - खतरनाक अपशिष्टों और उनके निपटान की सीमापारीय गतिविधियों के नियंत्रण पर बेसल कन्वेंशन।
  - स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन।
  - पारे पर मिनामाता अभिसमय।
  - ओज़ोन परत के संरक्षण के लिये वियना कन्वेंशन।

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

जल-मौसम संबंधी आपदाओं की व्यापकता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और चक्रवात जैसी जल-मौसम संबंधी आपदाओं के कारण देश (पश्चिम बंगाल सूची में सबसे ऊपर है) में लगभग 6,800 लोगों की जान चली गई।

प्रमुख बिंदु

जल-मौसम संबंधी आपदाएँ:

- प्राकृतिक विपत्ति गंभीर प्राकृतिक घटनाएँ होती हैं, जिन्हें सामान्य तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: जल-मौसम विज्ञान और भूवैज्ञानिक खतरे।
- उष्णकटिबंधीय चक्रवात, भारी वर्षा, तेज आँधी, बाढ़ और सूखा जल-मौसम संबंधी खतरे हैं, जबकि भूकंप तथा ज्वालामुखी विस्फोट को भूवैज्ञानिक खतरों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
- भूस्खलन और हिमस्खलन भूवैज्ञानिक तथा जल-मौसम संबंधी कारकों के संयोजन के कारण होते हैं।

भारत की संवेदनशीलता:

- प्राकृतिक आपदाओं के प्रति देश की उच्च संवेदनशीलता का मूल कारण इसकी अनूठी भौगोलिक और भूवैज्ञानिक स्थितियाँ हैं।
- जहाँ तक आपदा की संवेदनशीलता का संबंध है, देश के चार विशिष्ट क्षेत्रों अर्थात् हिमालयी क्षेत्र, जलोढ़ मैदान, प्रायद्वीप के पहाड़ी भाग और तटीय क्षेत्र की अपनी विशिष्ट समस्याएँ हैं।
- जहाँ एक ओर हिमालय क्षेत्र भूकंप और भूस्खलन जैसी आपदाओं से ग्रस्त है, वहीं मैदानी क्षेत्र लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है।
- देश का रेगिस्तानी हिस्सा सूखे और अकाल से प्रभावित है, जबकि तटीय क्षेत्र चक्रवात तथा तूफान के लिये अतिसंवेदनशील है।
- विभिन्न मानव प्रेरित गतिविधियाँ जैसे- बढ़ती जनसांख्यिकीय दबाव, बिगड़ती पर्यावरणीय स्थिति, वनों की कटाई, अवैज्ञानिक विकास, दोषपूर्ण कृषि पद्धतियाँ और चराई, अनियोजित शहरीकरण, नदी चैनलों पर बड़े बाँधों का निर्माण आदि देश में आपदाओं की आवृत्ति में वृद्धि के लिये ज़िम्मेदार हैं।

आपदा का प्रभाव:

- शारीरिक और मनोवैज्ञानिक:
  - आपदा व्यक्तियों को शारीरिक तौर पर (जीवन की हानि, चोट, स्वास्थ्य, विकलांगता आदि) और मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करती है।
  - आपदा के परिणामस्वरूप लोगों का विस्थापन होता है तथा विस्थापित आबादी को अक्सर नई बस्तियों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इस प्रक्रिया में गरीब और अधिक गरीब हो जाते हैं।
- प्राकृतिक पर्यावरण में बदलाव:
  - आपदा प्राकृतिक पर्यावरण को बदल सकती है, जो कई पौधों और जानवरों के आवास का नुकसान तथा पारिस्थितिक तनाव उत्पन्न कर सकती है जिसके परिणामस्वरूप जैव विविधता का नुकसान हो सकता है।

आपदा प्रबंधन:

- भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण: इसकी स्थापना वर्ष 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत की गई थी।

नोट :

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना: वर्ष 2016 में जारी यह आपदा प्रबंधन के लिये देश में तैयार की गई पहली राष्ट्रीय योजना है।
- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण: संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह राज्य में आपदा प्रबंधन के लिये नीतियों और योजनाओं को निर्धारित करता है।
- ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण: इस अधिनियम की धारा 25 में राज्य के प्रत्येक ज़िले के लिये ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (District Disaster Management Authority) के गठन का प्रावधान है।
- अन्य उपायों में राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया रिज़र्व, आपदा मित्र योजना आदि शामिल हैं।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण में चुनौतियाँ :

- निगरानी गतिविधि का खराब कार्यान्वयन :
  - प्रत्येक निगरानी गतिविधि हेतु कार्यान्वयन का अपर्याप्त स्तर है। उदाहरण- आपदा जोखिम प्रबंधन योजनाएँ या जोखिम संवेदनशील बिल्डिंग कोड मौजूद हैं लेकिन सरकारी क्षमता या जन-जागरूकता की कमी के कारण उन्हें लागू नहीं किया जाता है।
- स्थानीय क्षमताओं की कमी:
  - स्थानीय स्तर पर कमज़ोर क्षमता आपदा तैयारी योजनाओं के कार्यान्वयन को बाधित करती है।
- जलवायु परिवर्तन:
- आपदा जोखिम प्रबंधन योजनाओं में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण का अभाव।
- प्रतिबद्धताओं में अंतर:
  - अन्य प्रतिस्पर्द्धी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं जैसे- गरीबी में कमी, सामाजिक कल्याण, शिक्षा आदि के कारण राजनीतिक तथा आर्थिक प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने में भिन्नता की स्थिति है, जिस पर अधिक ध्यान देने के साथ ही धन की आवश्यकता होती है।
- समन्वय की कमी:
  - हितधारकों के बीच खराब समन्वय के कारण जोखिम मूल्यांकन, निगरानी, पूर्व चेतावनी, आपदा प्रतिक्रिया तथा अन्य आपदा संबंधी गतिविधियों के संबंध में अपर्याप्त पहुँच है।
- अपर्याप्त निवेश:
  - आपदा प्रतिरोधी रणनीतियों के निर्माण में अपर्याप्त निवेश, निवेश के हिस्से में निजी क्षेत्र का सबसे कम योगदान है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये पहल:

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये सेंदाई फ्रेमवर्क 2015-2030
  - वर्तमान ढाँचा प्राकृतिक या मानव निर्मित खतरों के साथ-साथ पर्यावरणीय, तकनीकी एवं जैविक खतरों तथा जोखिमों के सभी प्रासंगिक क्षेत्रों पर लागू होता है।
  - इसको ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन (Hyogo Framework for Action) 2005-2015 के उत्तराधिकारी समझौते के रूप में माना जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR):
  - UNDRR (पूर्व में UNISDR) आपदा जोखिम में कमी के लिये संयुक्त राष्ट्र का केंद्रबिंदु है।
  - यह 2015-2030 के लिये आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सेंदाई फ्रेमवर्क को लागू करने हेतु एक निर्दिष्ट राष्ट्रीय केंद्रबिंदु है, जो कार्यान्वयन, निगरानी और साझाकरण के कार्यों में देशों का समर्थन करता है और मौजूदा जोखिम को कम करने तथा नए जोखिम को रोकने में काम करता है।
- आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे के लिये गठबंधन (CDRI):
  - भारत के नेतृत्व में वर्ष 2019 में स्थापित इस गठबंधन का उद्देश्य सतत् विकास के समर्थन में जलवायु और आपदा जोखिमों के लिये नए और मौजूदा बुनियादी ढाँचे से संबंधित प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ावा देना है।

आगे की राह

- हालाँकि आपदा प्रबंधन अधिनियम ने निस्संदेह आपदाओं से निपटने की दिशा में सरकारी कार्यों की योजना में एक बड़ा अंतर को समाप्त कर दिया है, केवल कागज़ पर विस्तृत योजनाएँ तैयार करने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है जब तक कि उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित नहीं किया जाता है।
- नागरिक समाज, निजी उद्यम और गैर-सरकारी संगठन (NGO) एक सुरक्षित भारत के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

पूर्वोत्तर में भू-पर्यटन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण' (GSI) ने भू-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पूर्वोत्तर में कुछ भूवैज्ञानिक स्थलों की पहचान की है।

- देश में स्वीकृत 32 भू-पर्यटन या भू-विरासत स्थलों में पूर्वोत्तर के 12 स्थानों को शामिल किया गया है।

प्रमुख बिंदु

भू-विरासत स्थल:

- भू-विरासत का तात्पर्य ऐसी भूवैज्ञानिक मुखाकृतियों या स्थानों से है, जो स्वाभाविक रूप से या सांस्कृतिक रूप से महत्त्वपूर्ण हैं और पृथ्वी के विकास या पृथ्वी विज्ञान के इतिहास के लिये अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं अथवा इनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिये किया जा सकता है।
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) वह मूल निकाय है, जो देश में भू-विरासत स्थलों/राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारकों की पहचान और संरक्षण की दिशा में प्रयास कर रहा है।
- इनमें शामिल कुल स्थल: छत्तीसगढ़ में समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क; हिमाचल प्रदेश में शिवालिक कशेरुकी जीवाश्म पार्क; राजस्थान में स्ट्रोमेटोलाइट पार्क; कर्नाटक में पिलो लावा, आंध्र प्रदेश में एपार्चियन अनकंफॉरमेटी और तिरुमाला पहाड़ियाँ, महाराष्ट्र में लोनार झील आदि।

भू-पर्यटन

- भू-पर्यटन को एक ऐसे पर्यटन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो किसी स्थान के भौगोलिक चरित्र जैसे- इसका पर्यावरण, संस्कृति, सौंदर्यशास्त्र, विरासत और इसके निवासियों की भलाई आदि को बढ़ावा देने में मदद करता है।
- यह सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था में सुधार करेगा और स्थानीय संस्कृति एवं परंपरा के प्रति सम्मान पैदा करेगा।
- भारत विविध भौतिक विशेषताओं, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और घटनापूर्ण प्राचीन इतिहास वाला देश है तथा यह उपमहाद्वीप युगों से विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की छाप प्रदर्शित करता रहा है और दिलचस्प भूवैज्ञानिक विशेषताओं का भंडार है।

पूर्वोत्तर में भू-विरासत स्थल:

- माजुली (असम):
  - यह ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित विश्व के बड़े द्वीपों में से एक नदी "द्वीप"।
  - 15वीं-16वीं शताब्दी के संत-सुधारक श्रीमंत शंकरदेव और उनके शिष्यों द्वारा स्थापित कई 'सत्रों' या वैष्णव मठों के कारण यह द्वीप असम में अध्यात्म का केंद्र भी है।
- संगेस्तर त्सो (अरुणाचल प्रदेश):
  - इसे माधुरी झील के नाम से जाना जाता है।
  - यह तिब्बत की सीमा के नज़दीक है और वर्ष 1950 में एक बड़े भूकंप के कारण इसका गठन हुआ।
- लोकटक झील (मणिपुर):
  - यह पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
  - इस झील के मुख्य आकर्षण 'फुमडीस' या तैरते हुए बायोमास और 'फुमसंग' या उन पर मछुआरों की झोपड़ियाँ हैं।

- केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, पृथ्वी पर एकमात्र तैरता हुआ वन्यजीव निवास स्थान है, जो झील के दक्षिण-पश्चिमी भाग पर स्थित है और संगाई या भौंह-मृग, नृत्य करने वाले हिरण का अंतिम प्राकृतिक आवास है।
- अन्य:
  - मावमलुह केव, मौबलेई या गॉड्स रॉक, थेरियाघाट (मेघालय); उमानंद (असम), चबीमुरा, उनाकोटी (त्रिपुरा); संगीतसर त्सो (अरुणाचल प्रदेश); रीक तलंग (मिज़ोरम); नगा हिल ओफियोलाइट (नगालैंड); स्ट्रोमेटोलाइट पार्क (सिक्किम)।

संबंधित वैश्विक अवधारणा:

- यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क्स:
  - ये एकल, एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र हैं जहाँ अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्त्व के स्थलों और परिदृश्यों को सुरक्षा, शिक्षा और सतत् विकास की समग्र अवधारणा के साथ प्रबंधित किया जाता है।
  - जबकि 44 देशों में फैले 169 यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क हैं, भारत के पास अभी तक अपना एक भी नहीं है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

- इसकी स्थापना वर्ष 1851 में मुख्य रूप से रेलवे के लिये कोयला भंडार की खोज के लिये की गई थी। वर्तमान में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) खान मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय है।
- GSI के मुख्य कार्य राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक सूचना और खनिज संसाधन मूल्यांकन के निर्माण व अद्यतन से संबंधित हैं।
- इसका मुख्यालय कोलकाता में है।

भूकंपीय वेधशालाएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने घोषणा की है कि भारत में वर्ष 2021 के अंत तक 35 और भूकंप वेधशालाएँ तैयार हो जाएंगी तथा वर्ष 2026 तक 100 भूकंप वेधशालाओं को शामिल करने का लक्ष्य है।

- यह घोषणा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जियोमैग्नेटिज़्म एंड एरोनॉमी (International Association of Geomagnetism and Aeronomy- IAGA)- इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सीस्मोलॉजी एंड फिजिक्स ऑफ द अर्थ इंटीरियर (International Association of Seismology and Physics of the Earth Interior- IASPEI) की संयुक्त वैज्ञानिक सभा के उद्घाटन समारोह में की गई।

प्रमुख बिंदु:

भूकंप वेधशालाओं के बारे में:

- राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत) देश में भूकंप गतिविधि की निगरानी के लिये भारत सरकार की नोडल एजेंसी है।
- वर्तमान में भारत में केवल 115 भूकंप वेधशालाएँ हैं।
  - भूकंप वेधशाला का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू भूकंप के समय की सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम होना है।

भूकंप वेधशालाओं की आवश्यकता:

- भूकंप की घटना मानव शक्ति से परे एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसलिये बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है।
- इसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप को भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात और सुनामी के मामले मंर विश्व के सबसे अधिक आपदा संभावित क्षेत्रों में से एक माना जाता है।

IAGA और IASPEI के संदर्भ में:

- IAGA पृथ्वी के चुंबकत्व और वायु विज्ञान, सौरमंडल के अन्य निकायों तथा अंतर्ग्रहीय माध्यम एवं इन निकायों के साथ पारस्परिक विचार-विमर्श हेतु अनुसंधान में शामिल होने के लिये वैज्ञानिकों का स्वागत करता है।
- IASPEI भूकंप और अन्य भूकंपीय स्रोतों, भूकंपीय तरंगों के प्रसार तथा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, गुणों एवं प्रक्रियाओं के अध्ययन को बढ़ावा देता है।
- यह इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स (IUGG) के तहत अर्द्ध-स्वायत्त संघ है।
    - IUGG वर्ष 1919 में स्थापित एक गैर-सरकारी, वैज्ञानिक संगठन है।
    - इसका सचिवालय जर्मनी के पॉट्सडैम में है।
    - IUGG अंतरिक्ष में पृथ्वी (भौतिक, रासायनिक और गणितीय) और इसके पर्यावरण के वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार तथा समन्वय के लिये समर्पित है। इन अध्ययनों में शामिल हैं:
        - पृथ्वी का आकार।
        - गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र।
        - पृथ्वी की आंतरिक संरचना, संयोजन और विवर्तनिकी।
        - भूकंप और लोचदार तरंग प्रसार।
        - मैग्मा, ज्वालामुखी और चट्टान निर्माण की उत्पत्ति।
        - बर्फ और बर्फ सहित जल विज्ञान चक्र।
        - महासागरों के सभी पहलू, वायुमंडल, आयनोस्फीयर, मैग्नेटोस्फीयर और सौर-स्थलीय संबंध।
        - चंद्रमा और अन्य ग्रहों से संबंधित समरूप समस्याएँ।
- IAGA और IASPEI की संयुक्त वैज्ञानिक सभा समाज को विज्ञान का प्रतिपादन करने से संबंधित मुद्दों पर कार्य करने के लिये वैश्विक समुदाय के अधिक-से-अधिक शोधकर्त्ताओं और चिकित्सकों को बोर्ड में शामिल करने हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगी।

भारत में भूकंप:

- भूकंप में प्राय: पृथ्वी की सतह और उस पर मौजूद संरचनाओं में कंपन शामिल होता है।
- 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' के अनुसार, यह गतिमान लिथोस्फेरिक या क्रस्टल प्लेटों के बीच संचरित दबाव के मुक्त होने के कारण होता है।
- पृथ्वी की क्रस्ट 7 बड़ी प्लेटों में विभाजित है, जो 50 मील तक मोटी हैं।
- ये बड़ी प्लेटें धीरे-धीरे और स्थिर रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग तथा कई छोटी प्लेटों के बीच गति करती हैं। भूकंप मूल रूप से टेक्टोनिक होते हैं यानी ज़मीन में कंपन के लिये मुख्य रूप से गतिमान प्लेटें उत्तरदायी होती हैं।
- भारत में अधिकांश भूकंप हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में देखे जाते हैं।
    - हालाँकि शहरीकरण, व्यापक अवैज्ञानिक निर्माण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों में भी भूकंपों की संख्या में वृद्धि हुई है।
- भूकंपीय ज़ोनिंग मैपिंग के अनुसार, भूकंप क्षेत्रों को भूकंप की तीव्रता के आकलन के आधार पर विभाजित किया जाता है।
    - इस लिहाज से भारत को 4 ज़ोन में बाँटा गया है: ज़ोन 2, ज़ोन 3, ज़ोन 4 और ज़ोन 5।
    - इसमें ज़ोन 2 सबसे 'कम खतरनाक' है, वहीं ज़ोन 5 सबसे अधिक 'खतरनाक' है।
    - भारत का लगभग 59% भूमि क्षेत्र मध्यम से गंभीर भूकंपीय खतरे की चेतावनी के अधीन है, जिसका अर्थ है कि भारत 7 और उससे अधिक तीव्रता के भूकंपों के लिये प्रवण है।
- भारतीय उपमहाद्वीप में आए कुछ प्रमुख भूकंप: शिलांग (1897), बिहार-नेपाल (1934), असम (1950), भुज (2001), कश्मीर (2005), सिक्किम (2011) और मणिपुर (2016)।

मिल्की सी फिनोमिना

चर्चा में क्यों ?

चमकीले दूधिया समुद्रों/मिल्की सी (Milky Seas) को खोजने के लिये वैज्ञानिक नई उपग्रह प्रौद्योगिकी डे/नाइट बैंड का उपयोग कर रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

- मिल्की सी के बारे में:
  - इसे मारेल (Mareel) भी कहा जाता है, यह समुद्री बायोलुमिनसेंस (Bioluminescence) का एक दुर्लभ रूप है जहाँ रात के समय समुद्री सतह एक व्यापक, समान और स्थिर सफेद चमक उत्पन्न करती है।
    - बायोलुमिनसेंस एक जीवित जीव (Living Organism) के भीतर एक रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न प्रकाश है।
  - दुनिया भर में प्रतिवर्ष लगभग दो या तीन मिल्की सी/दूधिया समुद्र देखे जाते हैं, ज़्यादातर की उत्पत्ति उत्तर-पश्चिमी हिंद महासागर के जल में इंडोनेशिया के तट से दूर होती हैं।
  - कभी-कभी यह स्थिति समुद्री सतह पर 1,00,000 किमी2 से अधिक के क्षेत्र में कई दिनों से लेकर हफ्तों तक बनी रहती हैं तथा प्रचलित महासागरीय धाराओं के मध्य में ये शांत रूप से बहते हैं। ये समुद्री सतह के तापमान और समुद्री बायोमास की संकीर्ण श्रेणियों के साथ सीधी रेखा में जल के द्रव्यमान को अलग करते हैं।
- कारण:
  - मैक्रोस्केल पर व्यक्त होने वाले चमकदार बैक्टीरिया (Luminous Bacteria) और माइक्रोएल्गे (Microalgae) के मध्य एक सैप्रोफाइटिक संबंध (Saprophytic Relationship) उत्पन्न होता है।
    - जल की सतह पर एक विब्रियो हार्वेई (Vibrio Harveyi) नामक चमकदार बैक्टीरिया का शैवाल के साथ कॉलोनाइजिंग स्ट्रेन पाया गया है।
  - हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD):
    - IOD अपने सकारात्मक चरण के दौरान हिंद महासागर के पश्चिमी हिस्से में गर्म पूलिंग पानी के साथ उष्ण/नम परिस्थितियों और पूर्वी हिस्से में तेज़ पूर्वी हवाओं के साथ ठंडी/शुष्क स्थितियों से मेल खाता है।
    - ये हवाएँ ठंडे, पोषक तत्त्वों से पूर्ण तटीय जल को ऊपर उठाती हैं जो धाराओं के साथ खुले समुद्र की और बहती हैं, जिससे एक व्यापक क्षेत्र में शैवाल खिलने (Algal Blooms) की घटना होती है तथा यह संभावित रूप से दूधिया समुद्री की उत्पत्ति हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं।
- उद्देश्य:
  - चमकदार बैक्टीरिया कोलोनी में चमकीले कणों को उत्पन्न करते हैं। इस चमक का उद्देश्य उन मछलियों को आकर्षित करना हो सकता जो इन्हें अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।
  - ये बैक्टीरिया मछलियों के पेट में पनपते हैं, इसलिये जब उनकी आबादी उनके मुख्य भोजन की आपूर्ति से अधिक हो जाती है, तो मछली का पेट इनके पनपने का एक दूसरा बढ़िया विकल्प बन जाता है।
- खोज:
  - सूचना का स्रोत: 'मिल्की सी' की मौजूदगी से संबंधित सूचना मुख्य रूप से प्रमुख शिपिंग लेन में केंद्रित अंतरिक्ष उपग्रहों के माध्यम से दर्ज की गई है।
    - वर्ष 1995 में लो-लाइट उपग्रह माप ने सोमालिया तट से दूर एक 'मिल्की सी' का पहला अवलोकन प्रदान किया था।
  - संबंधित उपकरण
    - ऑपरेशनल लाइनस्कैन सिस्टम (OLS): यह अमेरिका के सैन्य मौसम उपग्रहों की 'रक्षा मौसम विज्ञान उपग्रह कार्यक्रम' (DMSP) श्रृंखला का हिस्सा है।

- यह उपकरण काफी कमज़ोर प्रकाश स्रोतों का पता लगाने में भी सक्षम है।
- डे/नाइट बैंड (DNB): यह अमेरिका के 'नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन' के 'विज़िबल इन्फ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट' (VIIRS) के हिस्से के रूप में योजनाबद्ध है।

◆ सीमाएँ: विशिष्ट तौर पर 'मिल्की सी' का पता लगाने के दृष्टिकोण से इन उपकरणों की कई सीमाएँ हैं, क्योंकि इन्हें उसके लिये डिज़ाइन नहीं किया गया है।

- 'ऑपरेशनल लाइनस्कैन सिस्टम' अशांत-पानी से जुड़ी अधिक सामान्य बायोल्यूमिनेशन घटनाओं का पता नहीं लगा सकता है, क्योंकि ऐसी घटनाएँ काफी छोटे स्तर पर होती हैं।
- डे/नाइट बैंड (DNB) की स्पेक्ट्रल प्रतिक्रिया 'मेसोस्फेरिक एयरग्लो' उत्सर्जन के प्रति भी संवेदनशील होती है, जो बादलों से परावर्तित प्रकाश और अंतरिक्ष में प्रत्यक्ष उत्थान उत्सर्जन दोनों के रूप में होता है।
- 'वायुमंडलीय गुरुत्वाकर्षण तरंगें' प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करती हैं और 'मिल्की सी' से अपेक्षित स्थानिक पैमानों के समान चमक के पैटर्न बनाती हैं।

सामाजिक न्याय

संवाद (SAMVAD) कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संवाद कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया है। दूसरा चरण, कार्यक्रम के एक वर्ष पूरा होने पर शुरू किया गया था।

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन बच्चों के लिये मानसिक स्वास्थ्य तक पहुँच बनाना है जो बच्चे तस्करी के शिकार या अनाथ हैं।
- इससे पहले सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए सभी बच्चों के लिये एक विशेष "पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रन" योजना की घोषणा की थी।

प्रमुख बिंदु

- संवाद (SAMVAD)- कमज़ोर परिस्थितियों में बच्चों के लिये समर्थन, सहायता और मानसिक स्वास्थ्य उपायों और संकट (SAMVAD) कार्यक्रम है।
- वित्तपोषण: इस पहल का वित्तपोषण महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है।
- कार्यान्वयन निकाय: इसका नेतृत्व राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS) द्वारा किया जाता है।
  - NIMHANS मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान शिक्षा का शीर्ष केंद्र है। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्वायत्त रूप से संचालित है।
  - हाल ही में गृह मंत्रालय के अनुरोध पर NIMHANS ने कैदियों और जेल कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के प्रबंधन पर दिशा-निर्देशों का एक सेट जारी किया।
- उद्देश्य:
  - यह एक राष्ट्रीय पहल और एकीकृत संसाधन है जो कठिन परिस्थितियों में बच्चों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक देखभाल का कार्य करता है।
  - इसमें बचपन के आघात, कानून के उल्लंघन में बच्चों के लिये हस्तक्षेप, बच्चे और किशोर मनोरोग में फोरेंसिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर एक विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शामिल है।
  - गोद लेने के संदर्भ में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य सहायता, सुरक्षा तथा देखभाल।
  - यह पहल बाल संरक्षण कार्यकर्त्ताओं, टेली-परामर्शदाताओं, शिक्षकों, कानूनी पेशेवरों सहित करीब 1 लाख हितधारकों को प्रशिक्षित कर संकटग्रस्त बच्चों के लिये मुकाबला तंत्र प्रदान कर रही है।
- स्थानीय निकायों के साथ एकीकरण: संवाद पंचायती राज प्रणाली के साथ बाल संरक्षण और मानसिक स्वास्थ्य को एकीकृत करने तथा जागरूकता पैदा करने व ज़मीनी स्तर पर सेवा वितरण में सुधार के लिये देश भर के आकांक्षी ज़िलों में काम शुरू करने हेतु तैयार है।

मानसिक स्वास्थ्य

परिचय

- मानसिक स्वास्थ्य का आशय कल्याण की ऐसी स्थिति से है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी क्षमताओं का एहसास करता है, जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, उत्पादक रूप से काम कर सकता है और अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम है।
- शारीरिक स्वास्थ्य की तरह ही मानसिक स्वास्थ्य भी जीवन के प्रत्येक चरण में- बचपन और किशोरावस्था से लेकर वयस्कता तक महत्त्वपूर्ण है।

भारतीय परिदृश्य

- द लैंसेट साइकियाट्री द्वारा फरवरी 2020 में प्रकशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2017 तक भारत में 197.3 मिलियन लोग मानसिक विकारों से ग्रस्त थे।
- शीर्ष मानसिक रोगों में अवसादग्रस्तता विकार (45.7 मिलियन) और चिंता एवं तनाव संबंधी विकार (44.9 मिलियन) शामिल थे।
- भारत में कुल बीमारियों में मानसिक विकारों की हिस्सेदारी 'विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष' (Disability Adjusted Life Years- DALY) के आधार पर वर्ष 1990 में 2.5 प्रतिशत थी तथा वर्ष 2017 में यह बढ़कर 4.7 प्रतिशत हो गई।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP): मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानसिक विकारों के भारी बोझ और योग्य पेशेवरों की कमी को दूर करने के लिये सरकार द्वारा वर्ष 1982 से 'राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम' (NMHP) को क्रियान्वित किया जा रहा है।
  - वर्ष 2003 में दो योजनाओं को शामिल करने के लिये इस कार्यक्रम की रणनीति को पुन: निर्धारित किया गया था। ये योजनाएँ थीं- राज्य मानसिक अस्पतालों का आधुनिकीकरण और मेडिकल कॉलेजों/सामान्य अस्पतालों के मनोरोग विंग का उन्नयन।
- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017: यह मानसिक विकास से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति को सरकार द्वारा संचालित या वित्तपोषित सेवाओं से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और उपचार तक पहुँच की गारंटी देता है।
  - इस अधिनियम ने IPC की धारा 309 के उपयोग के दायरे को काफी कम कर दिया है और आत्महत्या करने के प्रयास को केवल एक अपवाद के रूप में दंडनीय बना दिया है।
  - मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (MHCA) 2017 'विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन' (जिसे भारत ने वर्ष 2007 में अनुमोदित किया) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वर्ष 2018 में लागू हुआ था।

अन्य पहलें

- किरण: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चिंता, तनाव, अवसाद, आत्महत्या का विचार और अन्य मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं का सामना कर रहे लोगों को सहायता प्रदान करने के लिये 24/7 टोल-फ्री हेल्पलाइन शुरू की है।
- मनोदर्पण पहल: यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य कोविड-19 के दौरान छात्रों, परिवार के सदस्यों और शिक्षकों को उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिये मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है।

भारत का जल संकट और महिलाएँ

चर्चा में क्यों?

बदलते मौसम परिस्थितियों और बार-बार सूखे की वजह से भारत जल संकट से जूझ रहा है और इस संकट की सबसे ज़्यादा शिकार महिलाएँ होती हैं।

- भारत में पानी की कमी की स्थिति और खराब होने की आशंका है क्योंकि वर्ष 2050 तक कुल जनसंख्या के 1.6 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है।

प्रमुख बिंदु:

जल संकट:

- हालाँकि भारत में दुनिया की आबादी का 16% हिस्सा है, लेकिन भारत के पास दुनिया के फ्रेशवाटर संसाधनों का केवल 4% हिस्सा ही है।
- हाल के दिनों में भारत में जल संकट की समस्या बहुत गंभीर है, जिसने पूरे भारत में लाखों लोगों को प्रभावित किया है।
- हाल के केंद्रीय भूजल बोर्ड के आँकड़ों (2017 से) के अनुसार, भारत के 700 में से 256 ज़िलों में भूजल स्तर के 'गंभीर' या 'अत्यधिक दोहन' की सूचना है।

- भारत के तीन-चौथाई ग्रामीण परिवारों की पाइप के पीने योग्य पानी तक पहुँच नहीं है और उन्हें असुरक्षित स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है।
- भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूजल दोहन करने वाला देश बन गया है, जो कुल जल का 25% हिस्सा है। हमारे लगभग 70% जल स्रोत दूषित हैं और हमारी प्रमुख नदियाँ प्रदूषण के कारण सूख रही हैं।

जल संकट का कारण:

- जनसंख्या वृद्धि:
  - जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति पानी की अपर्याप्तता।
  - भारत में उपयोग करने योग्य पानी की कुल मात्रा 700 से 1,200 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) के बीच होने का अनुमान लगाया गया है।
    - एक देश को जल-तनावग्रस्त माना जाता है यदि उसके पास प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल की मात्रा 1,700 क्यूबिक मीटर से कम है।
- खराब पानी की गुणवत्ता:
  - भारत में अधिकांश नदियों का पानी पीने के लायक नहीं है और कई हिस्सों में तो नहाने लायक भी नहीं है।
  - पानी की खराब गुणवत्ता शहरी जल उपचार सुविधाओं में अपर्याप्त और विलंबित निवेश का परिणाम है।
  - इसके अलावा औद्योगिक अपशिष्ट मानकों को लागू नहीं किया जाता है क्योंकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के पास अपर्याप्त तकनीक और मानव संसाधन हैं।
- घटती भूजल आपूर्ति:
  - किसानों द्वारा अधिक दोहन के कारण भूजल आपूर्ति घट रही है।
  - कुछ क्षेत्रों में कम बारिश के कारण भी भूजल कम हो रहा है।
- टिकाऊ खपत:
  - कुएँ, तालाब और टैंक सूखने की स्थिति में हैं क्योंकि भूजल संसाधनों पर अति-निर्भरता और निरंतर खपत के कारण उन पर दबाव बढ़ रहा है।
  - पानी का असमान वितरण, प्रदूषण के कारण स्थानीय जल निकायों का दूषित होना / कमी और उचित जल उपचार सुविधा न होना आदि स्थितियाँ भारत में जल संकट को बढ़ा रही है।

महिलाओं पर प्रभाव:

- महिलाओं की संवेदनशीलता:
  - जल संकट महिलाओं को उच्च जोखिम के कारण संवेदनशील बनाता है। भारत में पानी लाना सदियों से महिलाओं का काम माना जाता रहा है।
  - विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ निकटतम स्रोत से पानी लेने के लिये मीलों पैदल चलकर आती हैं।
- स्वच्छता तक कम पहुँच:
  - महिलाओं का हाशिये पर होना तथा उनके लिये विशिष्ट शौचालय की कमी के कारण स्थिति और भी गंभीर हो जाती है।
  - इस संपूर्ण व्यवस्था के कारण उन्हें जल वाहक बनने के लिये मज़बूर किया जा रहा है, जिसके कारण उनके पास अपने लिये बहुत कम समय होता है। यह महिलाओं के लिये स्वच्छता, बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तक पहुँच को और कम करता है।
- वाटर-वाइफ
  - महिलाओं द्वारा समग्र जल प्रबंधन के चलते महाराष्ट्र के एक सूखाग्रस्त गाँव में विवाह की एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया है। इसमें पानी इकट्ठा करने के लिये एक से अधिक जीवनसाथी का होना शामिल है। व्यवस्था को 'वाटर-वाइफ' कहा जाता है।
    - यह निस्संदेह प्रतिगामी सोच का एक उदाहरण है, जहाँ महिलाओं को पानी के पाइप या टैंकरों के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

संबंधित सरकारी पहलें:

- जल क्रांति अभियान।
- राष्ट्रीय जल मिशन।
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम।
- नीति आयोग का समग्र जल प्रबंधन सूचकांक।
- जल जीवन मिशन।
- जल शक्ति अभियान।
- अटल भू-जल योजना।

आगे की राह

- लैंगिक समानता प्राप्त करने और दुनिया की आधी आबादी की क्षमता को अनलॉक करने में पानी, स्वच्छता और स्वच्छता आवश्यकताओं को संबोधित किया जाना एक महत्त्वपूर्ण चालक है। जल संकट महिलाओं का मुद्दा है और नारीवादियों को इस विषय पर बात करने की ज़रूरत है।
- नदी के पानी को दूषित होने से बचाने के लिये बाढ़ के जल स्तर को नदी के जल स्तर से काफी ऊपर रखने की आवश्यकता है।
- जैविक खाद्य वनों या फलों के ऐसे वृक्षों को लगाकर बाढ़ के मैदानों को सुरक्षित किया जा सकता है जो अधिक पानी की मांग या उपभोग नहीं करते हैं।
- जल प्रबंधन में निगमों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) प्रयासों का उपयोग करने के लिये नवाचार और जल संरक्षण तथा जल पुनर्भरण की दिशा में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिये।

पोलियो

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने वाइल्ड पोलियो वायरस के खिलाफ एक निवारक उपाय के रूप में अफगानिस्तान से लौटने वाले लोगों का मुफ्त में टीकाकरण करने का निर्णय लिया है।

- अफगानिस्तान और पाकिस्तान दुनिया के केवल दो ऐसे देश हैं, जहाँ पोलियो अभी भी स्थानिक है।

प्रमुख बिंदु

पोलियो

- पोलियो अपंगता का कारक और एक संभावित घातक वायरल संक्रामक रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है।
- प्रतिरक्षात्मक रूप से मुख्यत: तीन अलग-अलग पोलियो वायरस उपभेद हैं:
  - वाइल्ड पोलियो वायरस 1 (WPV1)
  - वाइल्ड पोलियो वायरस 2 (WPV2)
  - वाइल्ड पोलियो वायरस 3 (WPV3)
- लक्षणात्मक रूप से तीनों उपभेद समान होते हैं और पक्षाघात तथा मृत्यु का कारण बन सकते हैं। हालाँकि इनमें आनुवंशिक और वायरोलॉजिकल अंतर पाया जाता है, जो इन तीन उपभेदों के अलग-अलग वायरस बनाते हैं, जिन्हें प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से समाप्त किया जाना आवश्यक होता है।

प्रसार

- यह वायरस मुख्य रूप से 'मलाशय-मुख मार्ग' (Faecal-Oral Route) के माध्यम से या दूषित पानी या भोजन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रेषित होता है।

- यह मुख्यत: 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। आंत में वायरस की संख्या में बढ़ोतरी होती, जहाँ से यह तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण कर सकता है और पक्षाघात का कारण बन सकता है।

लक्षण:

- पोलियो से पीड़ित अधिकांश लोग बीमार महसूस नहीं करते हैं। कुछ लोगों में केवल मामूली लक्षण पाए जाते हैं, जैसे- बुखार, थकान, जी मिचलाना, सिरदर्द, हाथ-पैर में दर्द आदि।
- दुर्लभ मामलों में पोलियो संक्रमण के कारण मांसपेशियों के कार्य का स्थायी नुकसान (पक्षाघात) होता है।
- यदि साँस लेने के लिये उपयोग की जाने वाली मांसपेशियाँ लकवाग्रस्त हो जाएं या मस्तिष्क में कोई संक्रमण हो जाए तो पोलियो घातक हो सकता है।

रोकथाम और इलाज:

- इसका कोई इलाज नहीं है लेकिन टीकाकरण से इसे रोका जा सकता है।

टीकाकरण:

- ओरल पोलियो वैक्सीन (OPV): यह संस्थागत प्रसव के दौरान जन्म के समय ही दी जाती है, उसके बाद प्राथमिक तीन खुराक 6, 10 और 14 सप्ताह में और एक बूस्टर खुराक 16-24 महीने की उम्र में दी जाती है।
- इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन (IPV): इसे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) के तहत DPT (डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस) की तीसरी खुराक के साथ एक अतिरिक्त खुराक के रूप में दिया जाता है।

हाल के प्रकोप:

- वर्ष 2019 में पोलियो का प्रकोप फिलीपींस, मलेशिया, घाना, म्याँमार, चीन, कैमरून, इंडोनेशिया और ईरान में दर्ज किया गया था, जो ज़्यादातर वैक्सीन-व्युत्पन्न थे, जिसमें वायरस का एक दुर्लभ स्ट्रेन आनुवंशिक रूप से वैक्सीन में स्ट्रेन से उत्परिवर्तित होता था।
    - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, यदि वायरस को उत्सर्जित किया जाता है और कम-से-कम 12 महीनों के लिये एक अप्रतिरक्षित या कम-प्रतिरक्षित आबादी में प्रसारित होने दिया जाता है तो यह यह संक्रमण का कारण बन सकता है।

भारत और पोलियो:

- तीन वर्ष के दौरान शून्य मामलों के बाद भारत को वर्ष 2014 में WHO द्वारा पोलियो-मुक्त प्रमाणन प्राप्त हुआ।
    - यह उपलब्धि उस सफल पल्स पोलियो अभियान से प्रेरित है जिसमें सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई थी।
    - देश में वाइल्ड पोलियो वायरस के कारण अंतिम मामला 13 जनवरी, 2011 को पता चला था।

पोलियो उन्मूलन उपाय

वैश्विक:

- वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल:
    - इसे वर्ष 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल (GPEI) के तहत राष्ट्रीय सरकारों और WHO द्वारा शुरू किया गया था। वर्तमान में विश्व की 80% आबादी पोलियो मुक्त क्षेत्रों में रह रही है।
        - पोलियो टीकाकरण गतिविधियों के दौरान विटामिन ए के व्यवस्थित प्रबंधन के माध्यम से अनुमानित 1.5 मिलियन नवजातों की मौतों को रोका गया है।
- विश्व पोलियो दिवस:
    - यह प्रत्येक वर्ष 24 अक्तूबर को मनाया जाता है ताकि देशों को बीमारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में सतर्क रहने का आह्वान किया जा सके।

नोट :

भारत:

- पल्स पोलियो कार्यक्रम:
  - इसे ओरल पोलियो वैक्सीन के अंतर्गत शत्-प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0:
  - यह पल्स पोलियो कार्यक्रम (वर्ष 2019-20) के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान था।
- सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम:
  - इसे वर्ष 1985 में 'प्रतिरक्षण के विस्तारित कार्यक्रम' (Expanded Programme of Immunization) में संशोधन के साथ शुरू किया गया था।
  - इस कार्यक्रम के उद्देश्यों में टीकाकरण कवरेज में तेज़ी से वृद्धि, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, स्वास्थ्य सुविधा स्तर पर एक विश्वसनीय कोल्ड चेन सिस्टम की स्थापना, वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना आदि शामिल हैं।

दत्तक ग्रहण (प्रथम संशोधन) विनियमन, 2021

चर्चा में क्यों ?

बच्चों को कानूनी तौर पर गोद लेने संबंधी नियमों के एक नए प्रावधान के अनुसार, विदेशों में भारतीय राजनयिक मिशन अब उन गोद लिये गए बच्चों की सुरक्षा के प्रभारी होंगे, जिनके माता-पिता गोद लेने के दो साल के भीतर बच्चे के साथ विदेश चले गए हैं।

- अब तक भारतीय मिशनों की भूमिका अंतर-देशीय गोद लेने की प्रकिया में केवल अनिवासी भारतीयों (NRIs), भारत के प्रवासी नागरिकों या विदेशी माता-पिता तक ही सीमित थी।

प्रमुख बिंदु

दत्तक ग्रहण (प्रथम संशोधन) विनियमन, 2021

- यह दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 में संशोधन करता है।
- इस संशोधन को 'किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015' की संबंधित धाराओं के अनुसार अधिसूचित किया गया है।
  - हाल ही में 'पारित किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021' बच्चों के संरक्षण और गोद लेने के प्रावधानों को मज़बूत एवं सुव्यवस्थित करने का प्रयास करता है।
  - यह प्रावधान करता है कि अदालत के बजाय ज़िला मजिस्ट्रेट (अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट सहित) ऐसे गोद लेने के आदेश जारी करेगा।
- इसे 'केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण' (CARA) द्वारा बनाया गया है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है।
  - 'केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण' (CARA), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है। यह भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिये नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है और देश में गोद लेने की प्रकिया की निगरानी और विनियमन के लिये उत्तरदायी है।

आवश्यकता

- हाल ही में कुछ मामले ऐसे देखने को मिले हैं जिसमें भारत में माता-पिता द्वारा भारतीय बच्चों को गोद लिया गया और जो बाद में विदेश चले गए, इसलिये वे भारतीय अधिकारियों के दायरे से बाहर हो गए और वे विदेशों में भारतीय मिशनों के दायरे में नहीं आते थे।
  - ऐसे बच्चे काफी संवेदनशील हो जाते हैं क्योंकि इन बच्चों का शोषण और दुर्व्यवहार आसानी से हो सकता है।

नोट :

भारतीय मिशनों का वर्तमान उत्तरदायित्व:

- भारतीय राजनयिक मिशन (Indian Diplomatic Mission) वर्तमान में गोद लिये गए बच्चे की प्रगति रिपोर्ट पहले वर्ष में त्रैमासिक आधार पर और दूसरे वर्ष में छह-मासिक आधार पर दूसरे देश में बच्चे के आगमन की तारीख से भेजते हैं।
- अनिवासी भारतीय या भारत के प्रवासी नागरिकों या विदेशी माता-पिता द्वारा गोद लिये गए भारतीय मूल के बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये मिशनों को दूसरे देशों में केंद्रीय प्राधिकरण या अन्य अधिकारियों से संपर्क करने की भी उम्मीद है।
- गोद लेने में व्यवधान के मामले में विदेशी मिशन जल्द-से-जल्द एक रिपोर्ट भेजेंगे और आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे तथा यदि आवश्यक हो तो बच्चे के प्रत्यावर्तन की सुविधा प्रदान करेंगे।

दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के अंतर्गत बच्चे को गोद लेने के लिये पात्र व्यक्ति:

- भावी दत्तक माता-पिता (Prospective Adoptive Parent) को "शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर तथा आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिये एवं जीवन को खतरे में डालने वाली चिकित्सा स्थिति नहीं होनी चाहिये।"
- एक व्यक्ति अपनी वैवाहिक स्थिति की परवाह किये बिना बच्चे को गोद ले सकता है और चाहे उसका जैविक बेटा या बेटी हो या नहीं।
- एक अकेली महिला किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकती है लेकिन एकल पुरुष लड़की को गोद लेने के लिये पात्र नहीं होगा। विवाहित जोड़े के मामले में दोनों पति-पत्नी को गोद लेने के लिये अपनी सहमति देनी चाहिये।
- गोद लेने के मामले में दंपत्ति को कोई बच्चा तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उनका कम-से-कम दो वर्ष का स्थिर वैवाहिक संबंध न हो।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को रखने और सौतेले माता-पिता द्वारा गोद लेने के मामले के सिवाय गोद लेने के लिये तीन या अधिक बच्चों वाले दंपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

तीव्र शहरीकरण और स्लम क्षेत्रों की दुर्दशा

चर्चा में क्यों?

भारत में तीव्रता से बढ़ता शहरीकरण एक अपरिहार्य चुनौती बन गया है। सेवा क्षेत्र के विकास के साथ शहरों पर जनसंख्या का दबाव और अधिक बढ़ता जा रहा है।

- दिल्ली दुनिया का छठा सबसे बड़ा महानगर है, इसके बावजूद यहाँ एक-तिहाई आवास स्लम क्षेत्र का हिस्सा हैं, जिनके पास कोई बुनियादी संसाधन भी उपलब्ध नहीं हैं।

स्लम क्षेत्र

- स्लम क्षेत्र का आशय सार्वजनिक भूमि पर अवैध शहरी बस्तियों से है और आमतौर पर यह एक निश्चित अवधि के दौरान निरंतर एवं अनियमित तरीके से विकसित होता है। स्लम क्षेत्रों को शहरीकरण का एक अभिन्न अंग माना जाता है और शहरी क्षेत्र में समग्र सामाजिक-आर्थिक नीतियों एवं योजनाओं की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है।
- 'स्लम क्षेत्र' को प्राय: 'अराजक रूप से अधिग्रहीत, अव्यवस्थित रूप से विकसित और आमतौर पर उपेक्षित क्षेत्र के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जहाँ काफी अधिक आबादी निवास करती है।
- 'स्लम क्षेत्र' के अस्तित्व और तीव्र विकास को एक सामान्य शहरी घटना के रूप में देखा जाता है, जो कि दुनिया भर में प्रचलित है।

प्रमुख बिंदु

शहरीकरण

- शहरीकरण का आशय ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के पलायन, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अनुपात में कमी और इस परिवर्तन को अपनाने हेतु समाज के तरीकों से है।
- शहरों को प्राय: तीव्र शहरीकरण के प्रतिकूल परिणामों जैसे- अत्यधिक जनसंख्या, आवास और बुनियादी सुविधाओं की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, बेरोज़गारी तथा सामाजिक अशांति आदि का सामना करना पड़ता है।

- विकसित शहर के निर्माण के इस मॉडल में अनियोजित विकास भी शामिल होता है, जो अमीर और गरीब समुदाय के बीच व्याप्त द्वंद्व को मज़बूत करता है।
- इसके अलावा कोविड-19 महामारी ने शहरों में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले शहरी गरीबों या झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिये परेशानी को और गंभीर कर दिया है।

स्लम क्षेत्रों की स्थिति

- भारत में 13.7 मिलियन स्लम घरों में कुल 65.49 मिलियन लोग निवास करते हैं। लगभग 65% भारतीय शहरों के आसपास झुग्गियाँ और स्लम क्षेत्र मौजूद हैं, जहाँ लोग काफी घनी बस्तियों में रहते हैं।
  - 'नेशनल सर्विस स्कीम राउंड' (जुलाई 2012-दिसंबर 2012) के एक सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2012 तक दिल्ली में लगभग 6,343 स्लम बस्तियाँ थीं, जिनमें दस लाख से अधिक घर थे, जहाँ दिल्ली की कुल आबादी का 52% हिस्सा निवास करता था।

स्लम निवासियों पर कोविड-19 का प्रभाव

- वित्तीय असुरक्षा
  - भारत की लगभग 81 प्रतिशत आबादी अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करती है। संपूर्ण कोविड लॉकडाउन के अचानक लागू होने से झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों की आजीविका काफी बुरी तरह प्रभावित हुई है।
  - पूर्व लॉकडाउन के बाद दिल्ली में भारी संख्या में 'रिवर्स माइग्रेशन' देखा गया, जब हज़ारों प्रवासी कामगार अपने गृहनगर वापस चले गए। इस दौरान लगभग 70% स्लम निवासी बेरोज़गार हो गए; 10% की मज़दूरी में कटौती हुई और 8% पर इसके अन्य प्रभाव देखे गए।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सामाजिक क्षेत्र योजना कवरेज:
  - यद्यपि ग्रामीण निवासियों का एक बड़ा वर्ग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से उपलब्ध खाद्यान्न के कारण महामारी से प्रेरित आर्थिक व्यवधान का सामना करने में सक्षम था, किंतु शहरी गरीबों तक ऐसे राशन की पहुँच न्यूनतम थी।
  - सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर भी ग्रामीण गरीबों के बीच शहरी गरीबों की तुलना में बेहतर कवरेज था।
  - शहरी क्षेत्रों में परिवारों के एक बड़े हिस्से के पास राशन कार्ड नहीं है।
- मौजूदा असमानताएँ:
  - कोविड-19 महामारी ने झुग्गियों और स्लम क्षेत्रों की चुनौतियों को और अधिक गंभीर रूप से उजागर किया है। इन क्षेत्रों में हाथ धोना और शारीरिक दूरी जैसे नियमों का पालन करना असंभव था।
  - दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लगभग 21.8% परिवार सार्वजनिक नल जैसे साझा जल स्रोतों पर निर्भर हैं।
- पोषण और भूख:
  - पोषण की गुणवत्ता और मात्रा में गिरावट शहरी निवासियों के मामले में अधिक देखी गई और अधिकांश लोगों को भोजन खरीदने तक के लिये पैसे उधार लेने पड़ रहे थे।
  - कुल मिलाकर भूख और खाद्य असुरक्षा का स्तर काफी उच्च बना रहा, जहाँ स्थिति में सुधार की उम्मीद काफी कम थी और रोज़गार के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ खाद्य सहायता प्रदान करने संबंधी उपायों की भी कमी थी।

स्लम विकास की उपेक्षा से उत्पन्न मुद्दे:

- रोगों के प्रति संवेदनशील:
  - स्लम क्षेत्रों में रहने वाले लोग टाइफाइड और हैजा जैसी जलजनित बीमारियों के साथ-साथ कैंसर व एचआईवी/एड्स जैसी अधिक घातक बीमारियों के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं।
- सामाजिक कुरीतियों के शिकार:
  - ऐसी बस्तियों में रहने वाली महिलाओं और बच्चों को वेश्यावृत्ति, भीख मांगने और बाल तस्करी जैसी सामाजिक बुराइयों का सामना करना पड़ता है।
    - इसके अलावा ऐसी बस्तियों में रहने वाले पुरुषों को भी इन सामाजिक बुराइयों का सामना करना पड़ता है।

- अपराध की घटनाएँ:
  - स्लम क्षेत्रों को आमतौर पर ऐसे स्थान के रूप में देखा जाता है, जहाँ अपराध काफी अधिक होते हैं। यह स्लम क्षेत्रों में शिक्षा, कानून व्यवस्था और सरकारी सेवाओं के प्रति आधिकारिक उपेक्षा के कारण है।
- गरीबी
  - एक विकासशील देश में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले अधिकांश लोग अनौपचारिक क्षेत्र से अपना जीवन यापन करते हैं जो न तो उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है और न ही बेहतर जीवन के लिये पर्याप्त आय उपलब्ध कराता है, जिससे वे गरीबी के दुष्चक्र में फँस जाते हैं।

झुग्गीवासियों/शहरी गरीबों के लिये सरकार की पहल:

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना।
- आत्मनिर्भर भारत अभियान।
- पीएम- आवास योजना- शहरी।

सिफारिशें:

- कल्याण और राहत योजनाओं की दक्षता में तेज़ी लाना।
- मलिन बस्तियों में मुफ्त टीके, खाद्य सुरक्षा और पर्याप्त आश्रय सुनिश्चित करना।
- मलिन बस्तियों में स्वच्छता और परिवहन सुविधाओं में सुधार।
- क्लीनिक और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना।
- गैर-लाभकारी संस्थाओं और स्थानीय सहायता निकायों की सहायता करना, जिनकी इन हाशिये के समुदायों तक बेहतर पहुँच है।

आगे की राह

- लाभ अभीष्ट लाभार्थियों के एक छोटे से हिस्से तक ही पहुँच पाते हैं। अधिकांश राहत कोष और लाभ झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों तक नहीं पहुँचते हैं, इसका मुख्य कारण यह है कि इन बस्तियों को सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी जाती है।
- भारत में उचित सामाजिक सुरक्षा उपायों का अभाव देखा गया है और इसका वायरस से लड़ने की हमारी क्षमता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार शहरी नियोजन और प्रभावी शासन के लिये नए दृष्टिकोण समय की आवश्यकता है।
- टिकाऊ, मज़बूत और समावेशी बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिये आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिये। शहरी गरीबों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने के लिये हमें 'ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण' को अपनाने की आवश्यकता है।

न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में शिशुओं के लिये न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन (Pneumococcal Conjugate Vaccine- PCV) टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है।

- इससे पहले दिसंबर 2020 में भारत की पहली विकसित स्वदेशी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन 'न्यूमोसिल' को लॉन्च किया गया था।

प्रमुख बिंदु

न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के बारे में:

- यह न्यूमोकोकल रोग से सुरक्षा प्रदान करती है जो बच्चों और वयस्कों दोनों को न्यूमोकोकल रोग से बचा सकती है।
- यह वैक्सीन न्यूमोकोकी कुल (Pneumococci Family) के कई जीवाणुओं के मिश्रण से तैयार की गई है, जिन्हें निमोनिया का कारण माना जाता है, इसलिये वैक्सीन के नाम में 'कॉन्जुगेट' शामिल है।
  - कॉन्जुगेट वैक्सीन को दो अलग-अलग घटकों का उपयोग करके बनाया जाता है।

न्यूमोकोकल रोग:

- न्यूमोकोकल रोग के बारे में:
  - स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या न्यूमोकोकस नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण को न्यूमोकोकल रोग के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर लोगों के नाक और गले में न्यूमोकोकस जीवाणु पाए जाते हैं, जबकि जीवाणु के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं।
  - हालाँकि कभी-कभी बैक्टीरिया/जीवाणु बढ़कर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाते हैं और तब लोग बीमार हो जाते हैं।
- प्रभाव:
  - ये बैक्टीरिया कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकते हैं, जिनमें निमोनिया भी शामिल है, जो फेफड़ों का संक्रमण है। न्यूमोकोकल बैक्टीरिया निमोनिया के सबसे सामान्य कारणों में से एक है।
  - निमोनिया के अलावा न्यूमोकोकल बैक्टीरिया निम्नलिखित संक्रमण का कारण होता है जिनमें शामिल हैं:
    - कान के संक्रमण।
    - साइनस संक्रमण।
    - मेनिनजाइटिस (मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढंकने वाले ऊतक का संक्रमण)।
    - बैक्टेरिमिया (रक्त का संक्रमण)।
  - डॉक्टर इन संक्रमणों में से कुछ को "आक्रामक" या इनवेसिव (Invasive) मानते हैं। इनवेसिव रोग (Invasive Disease) का अर्थ है कि रोगाणु शरीर के उन हिस्सों पर आक्रमण करते हैं जो सामान्य रूप से कीटाणुओं से मुक्त होते हैं।
- सुभेद्य जनसंख्या:
  - न्यूमोकोकल रोग किसी को भी हो सकता है लेकिन 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, कुछ चिकित्सीय स्थितियों वाले लोग, 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वयस्क और सिगरेट पीने वाले लोगों में इसका सबसे अधिक खतरा होता है।

आवश्यकता:

- निमोनिया शिशु और बाल मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की कुल मौतों में से 15% मौतें निमोनिया के कारण होती हैं।
- यह अनुमान लगाया गया था कि इस बीमारी ने लगभग 16 लाख बच्चों को प्रभावित किया और वर्ष 2015 में देश भर में लगभग 68,700 बच्चों की मौत हुई।
  - भारत सरकार सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) के तहत इसे उपलब्ध कराकर वंचितों के लिये समान पहुँच सुनिश्चित कर रही है।
- सतत् विकास लक्ष्य 3 में नवजात शिशुओं और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की रोकी जा सकने वाली मौतों को समाप्त करने का आह्वान किया गया है। यह निर्दिष्ट करता है कि सभी देशों को वर्ष 2030 तक नवजात मृत्यु दर को कम-से-कम 12 मृत्यु प्रति 1,000 जीवित जन्म और पाँच वर्ष से कम आयु के कम-से-कम 25 मृत्यु प्रति 1,000 जीवित जन्मों तक कम करने का लक्ष्य रखना चाहिये।
  - नवजात मृत्यु दर को जीवन के पहले 28 दिनों के भीतर मृत्यु के रूप में परिभाषित किया गया है।

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम

- इसे वर्ष 1985 में बच्चों और गर्भवती महिलाओं में बारह वैक्सीन-रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ मृत्यु दर और रुग्णता को रोकने के लिये शुरू किया गया था।
- UIP के तहत हेमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा टाइप बी संक्रमण (Haemophilus Influenzae Type B Infections), खसरा, रूबेला, जापानी एनसेफेलाइटिस (Japanese Encephalitis- JE) और रोटावायरस दस्त (Rotavirus Diarrhoea) के कारण होने वाली बारह वैक्सीन-रोकथाम योग्य बीमारियों जैसे- तपेदिक, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया और मेनिनजाइटिस के खिलाफ नि: शुल्क टीकाकरण प्रदान किया जाता है।
- यह विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। कई वर्षों से चालू होने के बावजूद UIP 1 वर्ष से कम आयु के केवल 65% बच्चों का पूर्ण टीकाकरण करने में सक्षम है।

'की इंडिकेटर फॉर एशिया एंड द पैसिफिक 2021' रिपोर्ट: ADB

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एशियाई विकास बैंक (ADB) ने 'की इंडिकेटर फॉर एशिया एंड द पैसिफिक 2021' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

- यह रिपोर्ट दर्शाती है कि इस क्षेत्र ने पिछले दो दशकों में कई विकास लक्ष्यों के संबंध में पर्याप्त प्रगति हासिल की है।
- यह ADB के 49 क्षेत्रीय सदस्यों के लिये व्यापक आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक और पर्यावरणीय आँकड़े प्रस्तुत करती है।

एशियाई विकास बैंक

परिचय

- यह वर्ष 1966 में स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसमें 68 सदस्य हैं। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है।
  - कुल सदस्यों में से 49 सदस्य देश एशिया-प्रशांत क्षेत्र से हैं, जबकि 19 सदस्य अन्य क्षेत्रों से हैं।
- 31 दिसंबर, 2019 तक ADB के पाँच सबसे बड़े शेयरधारकों में जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका (प्रत्येक कुल शेयरों के 15.6% के साथ), पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (6.4%), भारत (6.3%) और ऑस्ट्रेलिया (5.8%) शामिल हैं।

उद्देश्य

- एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।

मुख्यालय

- मनीला, फिलीपींस

प्रमुख बिंदु

- गरीबी
  - महामारी ने वर्ष 2020 में विकासशील एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 75-80 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी में धकेल दिया है।
  - लगभग 203 मिलियन लोग- विकासशील एशिया की जनसंख्या का 5.2%, वर्ष 2017 तक अत्यधिक गरीबी में रह रहे थे।
    - यदि कोविड-19 महामारी नहीं होती तो यह संख्या वर्ष 2020 में घटकर 2.6% रह जाती।
- वैश्विक जीडीपी में योगदान:
  - एशिया-प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था हाल के वर्षों में मज़बूत गति से आगे बढ़ी है और इसने वर्ष 2019 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 35% तक का योगदान दिया है।
  - किंतु कोविड-19 महामारी से प्रेरित निम्न घरेलू निवेश और धीमी वैश्विक व्यापार एवं आर्थिक गतिविधियों ने इस गति को चुनौती देना शुरू कर दिया।
- घरेलू आय
  - व्यापार में संलग्न परिवारों की एक बड़ी संख्या महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुई थी।
    - कृषि में संलग्न या मज़दूरी और वेतन पर निर्भर परिवारों में केवल आधे से अधिक ने आय में वृद्धि, कोई परिवर्तन नहीं या 26% तक की कमी की सूचना दी हे।
- बेरोज़गारी
  - दुनिया भर में महामारी के कारण वर्ष 2020 में बेरोज़गारी दर में कम-से-कम 20% की वृद्धि हुई है, साथ ही एशिया-प्रशांत क्षेत्र में काम के घंटे में अनुमानित 8% का नुकसान हुआ है।
  - जैसे-जैसे व्यवसाय बाधित हुए कई श्रमिकों ने अपनी नौकरी खो दी, जिससे उच्च बेरोज़गारी दर में और अधिक बढ़ोतरी हुई है।
- श्रम बल भागीदारी:
  - वर्ष 2019 से 2020 तक महिलाओं के बीच श्रम बल भागीदारी दर में औसतन 1.4% की गिरावट आई, जबकि पुरुषों के बीच श्रम बल भागीदारी दर में 0.8% की गिरावट आई।

नोट :

- एशिया-प्रशांत का 71 प्रतिशत कार्यबल अब गैर-कृषि रोज़गार में है। वर्ष 2000-2019 के बीच इस क्षेत्र की गैर-कृषि रोज़गार दर 52% से बढ़कर 71% हो गई जो विश्व भर में सबसे तेज़ विकास दर में से एक है।
- सतत् विकास:
  - यह महामारी संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के तहत महत्त्वपूर्ण लक्ष्यों की दिशा में एशिया-प्रशांत की प्रगति के लिये खतरा उत्पन्न करती है।
- बच्चों से संबंधित डेटा:
  - अल्पपोषण की व्यापकता वर्ष 2001 के 521 मिलियन से घटकर वर्ष 2019 में 316 मिलियन हो गई।
  - कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूलों के बंद होने से क्षेत्र के लगभग सभी शिक्षार्थी प्रभावित हुए।
  - दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से स्कूल की गतिविधियों को जारी रखने के प्रयासों के बावजूद गरीब छात्रों को महामारी के दौरान शिक्षा में अधिक व्यवधान का सामना करना पड़ा।

आगे की राह

- एशिया और प्रशांत ने प्रभावशाली प्रगति की है लेकिन कोविड-19 ने सामाजिक और आर्थिक दोषों को प्रकट किया है जो इस क्षेत्र के सतत् और समावेशी विकास को कमज़ोर कर सकते हैं।
- सतत् विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडा के SDG को प्राप्त करने हेतु निर्णय निर्माताओं को कार्रवाई के लिये एक गाइड के रूप में उच्च गुणवत्ता और समय पर डेटा का उपयोग करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्वास्थ्य लाभों से विशेष रूप से गरीब और कमजोंर पीछे न रहें।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के सात वर्ष

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने बैंकों से कहा है कि वे प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) में फ्लेक्सी-आवर्ती योजनाओं की तरह खाताधारकों की माइक्रो-क्रेडिट और सूक्ष्म निवेश उत्पादों तक पहुँच में सुधार सुनिश्चित करें।

- PMJDY जो कि वित्तीय समावेशन के लिये एक राष्ट्रीय मिशन है, ने अपने कार्यान्वयन के सात वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिये हैं।

प्रमुख बिंदु

- PMJDY के उद्देश्य:
  - समाज के वंचित वर्गों अर्थात् कमज़ोर वर्ग और निम्न आय वर्ग हेतु किफायती कीमत पर विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना और इसके लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
- योजना के छह स्तंभ:
  - बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच - शाखा और बैंकिंग संवाददाता।
    - खोले गए खाते बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली से ऑनलाइन जुड़े खाते हैं।
    - योजना का मुख्य फोकस 'हर घर' (Every Household) से हटकर हर बैंक रहित वयस्क (Every Unbanked Adult) पर हो गया है।
  - रुपए की ओवरड्राफ्ट (OD) सुविधा के साथ हर घर से 10,000 रुपए की मूल बचत के साथ बैंक खाते।
  - वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम- बचत को बढ़ावा देना, एटीएम का उपयोग, बैंकिंग कार्य हेतु बुनियादी मोबाइल फोन का उपयोग करना आदि।
    - रुपे (RuPay) डेबिट कार्ड या आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) के माध्यम से इंटरऑपरेबिलिटी की सुविधा।
  - क्रेडिट गारंटी फंड का निर्माण- बकाया मामले में बैंकों को कुछ गारंटी प्रदान करने के लिये।

- बीमा- अगस्त 2018 के बाद खोले गए PMJDY खातों के लिये रुपे कार्ड पर मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर राशि को एक लाख रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दिया गया है।
- असंगठित क्षेत्र के लिये पेंशन योजना

- उपलब्धियाँ:
  - लेखा-जोखा:
    - अगस्त 2021 में खातों की संख्या बढ़कर 43.04 करोड़ हो गई, जो अगस्त 2015 में 17.9 करोड़ थी।
    - इसमें से 55.47% जन धन खाताधारक महिलाएँ हैं और 66.69% खाताधारकों में ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों के लोग शामिल हैं।
  - जमा राशि:
    - वर्ष 2015-2021 के दौरान जमा राशि 22,901 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.46 लाख करोड़ रुपए हो गई हैं।
  - सक्रिय खाते:
    - भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक पीएमजेडीवाई खाते को उस स्थिति में निष्क्रिय माना जाता है यदि खाते में दो वर्ष से अधिक समय तक कोई ग्राहक प्रेरित लेन-देन नहीं होता है।
    - अगस्त 2021 में कुल 43.04 करोड़ PMJDY खातों में से 36.86 करोड़ (85.6%) सक्रिय थे।
    - सक्रिय खातों के प्रतिशत में निरंतर वृद्धि इस बात का संकेत है कि इनमें से अधिक-से- अधिक खाते ग्राहकों द्वारा नियमित रूप से उपयोग किये जा रहे हैं।
  - RuPay कार्ड का प्रयोग:
    - RuPay कार्ड की संख्या और उनका उपयोग भी समय के साथ बढ़ा है।
  - जन-धन दर्शक एप:
    - इस एप का उपयोग उन गाँवों की पहचान करने के लिये किया जा रहा है, जहाँ 5 किमी. के भीतर बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप ऐसे गाँवों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है।
  - PMJDY महिलाओं हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (PMGKP):
    - पीएमजीकेपी के तहत कुल 30,945 करोड़ रुपए कोविड लॉकडाउन के दौरान महिला PMJDY खाताधारकों के खातों में जमा किये गए हैं।
  - सुचारु DBT लेन-देन:
    - लगभग 5 करोड़ PMJDY खाताधारक विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) प्राप्त करते हैं।
- प्रभाव:
  - वित्तीय समावेशन में वृद्धि:
    - PMJDY जन-केंद्रित आर्थिक पहलों की आधारशिला रही है। चाहे वह डीबीटी हो या कोविड-19 वित्तीय सहायता, पीएम-किसान, मनरेगा के तहत बढ़ी हुई मज़दूरी, जीवन और स्वास्थ्य बीमा कवर, इन सभी पहलों का पहला कदम प्रत्येक वयस्क को एक बैंक खाता प्रदान करना है, जिसे पीएमजेडीवाई ने लगभग पूरा कर लिया है।
  - वित्तीय प्रणाली का औपचारिकरण:
    - यह गरीबों को उनकी बचत को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने का एक अवसर प्रदान करती है, गाँवों में उनके परिवारों को धन भेजने के अलावा उन्हें सूदखोर साहूकारों के चंगुल से बाहर निकालने का अवसर भी प्रदान करती है।
  - लीकेज को रोकना:
    - 'प्रधानमंत्री जन धन खातों' के माध्यम से 'प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण' की सुविधा देकर यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक रुपया अपने निर्धारित लाभार्थी तक ही पहुँचे और प्रणालीगत रिसाव या लीकेज को रोका जा सके।

- चुनौतियाँ
  - कनेक्टिविटी:
    - फिज़िकल और डिजिटल कनेक्टिविटी की कमी ग्रामीण भारत के लिये वित्तीय समावेशन प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा बन रही है।
  - तकनीकी मुद्दे:
    - खराब कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग और बैंडविड्थ जैसी समस्याओं से लेकर देश भर के विभिन्न बैंकों, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी अवसंरचना को बनाए रखने हेतु लागत प्रबंधन संबंधी तकनीकी मुद्दे बैंकों को प्रभावित कर रहे हैं।
  - अस्पष्ट प्रक्रिया:
    - अधिकांश लोग जागरूक हैं, किंतु इसके बावजूद कई लोगों के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया है, क्योंकि वे खाता खोलने की उचित प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज़ों से अवगत नहीं हैं।

आगे की राह

- सूक्ष्म बीमा योजनाओं के तहत 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' खाताधारकों का कवरेज सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिये।
  - पात्र खाताधारकों को 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' (PMJJBY) और 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' (PMSBY) के तहत कवर किया जा सकता है।
- भारत भर में स्वीकृत बुनियादी अवसंरचना के निर्माण के माध्यम से 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' खाताधारकों के बीच 'रुपे डेबिट कार्ड' के उपयोग सहित डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

कला एवं संस्कृति

'प्रसाद' योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने 47 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से 'प्रसाद' (तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्द्धन अभियान-PRASHAD) योजना के तहत सोमनाथ, गुजरात में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है।

प्रमुख बिंदु

परिचय

- 'पर्यटक सुविधा केंद्र' के परिसर में निर्मित सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र, पुराने सोमनाथ मंदिर के खंडित हिस्सों और नागर शैली के मंदिर वास्तुकला वाले मूर्तियों को प्रदर्शित करता है।
  - इस मंदिर को अहिल्याबाई मंदिर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसे इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने तब बनवाया था।
- श्री पार्वती मंदिर का निर्माण कुल 30 करोड़ रुपए के परिव्यय से प्रस्तावित है। इसमें सोमपुरा सलात शैली में मंदिर निर्माण, गर्भगृह और नृत्य मंडप का विकास किया जाएगा।

'प्रसाद' (PRASHAD) योजना

- शुरुआत:
  - पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में चिह्नित तीर्थ स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्द्धन पर राष्ट्रीय मिशन' शुरू किया गया था।
  - अक्तूबर 2017 में योजना का नाम बदलकर 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्द्धन अभियान' (यानी 'प्रसाद') राष्ट्रीय मिशन कर दिया गया।
- क्रियान्वयन एजेंसी:
  - इस योजना के तहत चिह्नित परियोजनाओं को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा चिह्नित एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।
- उद्देश्य:
  - महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय/वैश्विक तीर्थ और विरासत स्थलों का कायाकल्प एवं आध्यात्मिक संवर्द्धन।
  - समुदाय आधारित विकास का पालन करना और स्थानीय समुदायों में जागरूकता पैदा करना।
  - आजीविका उत्पन्न करने के लिये विरासत शहर, स्थानीय कला, संस्कृति, हस्तशिल्प, व्यंजन आदि का एकीकृत पर्यटन विकास।
  - अवसंरचनात्मक कमियों को दूर करने के लिये तंत्र को सुदृढ़ बनाना।
- वित्तपोषण:
  - इसके तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा चिह्नित स्थलों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकारों को केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) प्रदान की जाती है।
  - इस योजना के तहत सार्वजनिक वित्तपोषण के घटकों के लिये शत-प्रतिशत निधि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
  - परियोजना की बेहतर स्थिरता/निरंतरता के लिये यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) को भी शामिल करने का उद्देश्य रखता है।

नोट :

नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली:

- उत्तर भारत में सामान्यत: एक पत्थर के चबूतरे पर संपूर्ण मंदिर का निर्माण होता है, जिसकी सीढ़ियाँ ऊपर तक जाती हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत के विपरीत इसमें आमतौर पर विस्तृत चहारदीवारी या प्रवेश द्वार नहीं होते हैं।
- जबकि आरंभिक मंदिरों में सिर्फ एक मीनार या शिखर होता था, लेकिन समय के साथ-साथ मंदिरों में कई मीनार या शिखर बनाये जाने लगे। गर्भगृह हमेशा सबसे ऊँचे शिखर के नीचे स्थापित होता है।
- शिखर के आकार के आधार पर नागर मंदिरों के कई उपखंड हैं।
- भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में मंदिर के विभिन्न हिस्सों के अलग-अलग नाम हैं।
  - साधारण शिखर के लिये सबसे सामान्य नाम जो आधार से वर्गाकार है और जिसकी दीवारें ऊपर की ओर एक बिंदु पर वक्र या ढलान वाली होती हैं, इसे 'लैटिना' या रेखा-प्रसाद का शिखर कहा जाता है।
  - नागर क्रम में दूसरा प्रमुख प्रकार का स्थापत्य रूप फामसन है, जो लैटिना की तुलना में व्यापक और छोटा होता है।
  - नागर भवन के तीसरे मुख्य उप-प्रकार को सामान्यत: वल्लभी प्रकार कहा जाता है। ये एक छत के साथ आयताकार इमारतें हैं जो एक गुंबददार कक्ष में स्थापित की जाती हैं।

सोमपुरा सलात (मंदिर वास्तुकला शिल्पकार)

परिचय:

- सोमपुरा (या सोमपुरा सलात) उन लोगों का एक समूह है जिन्होंने कलात्मक और चिनाई के काम को एक व्यवसाय के रूप में लिया और सोमपुरा ब्राह्मण समुदाय से अलग हो गए।
- वे सोमपुरा ब्राह्मण या प्रभास पाटन का एक वर्ग हैं जिसे कभी सोमपुरा कहा जाता था क्योंकि इसकी स्थापना चंद्र (चंद्रमा देवता) ने की थी।
  - हालाँकि सोमपुरा ब्राह्मण उन्हें ब्राह्मण के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं।
- वे विवाह के लिये एक सख्त नियम के रूप में कबीले को बनाए रखते हैं।

मूल:

- सोमपुरा मूल रूप से पटना, गुजरात के रहने वाले थे और उन्हें चित्तौड़गढ़ में बसने के लिये आमंत्रित किया गया था।

कार्य:

- पिछली पाँच शताब्दियों के दौरान वे गुजरात और दक्षिणी राजस्थान में कई जैन मंदिरों के साथ-साथ भारत के अन्य हिस्सों में जैनियों द्वारा बनाए गए मंदिरों के निर्माण व जीर्णोद्धार में शामिल रहे हैं।
- हालाँकि इनकी परंपराएँ शिल्प शास्त्रों की शिक्षा और प्राचीन मंदिर वास्तुकला को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने का आह्वान करती हैं, आधुनिक युग उस तकनीक के कुछ उन्नयन की मांग करता है।
- राम जन्मभूमि मंदिर भी सोमपुरा परिवार द्वारा डिज़ाइन किया गया है।

सिंधु घाटी की भाषायी संस्कृति

चर्चा में क्यों?

हाल ही के एक नए शोध पत्र ने सिंधु घाटी सभ्यता (Indus Valley Civilization- IVC) की भाषायी संस्कृति पर कुछ नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है।

- इससे पहले एक अध्ययन में पाया गया था कि आईवीसी के लोगों के आहार में मांस का प्रभुत्व था, जिसमें बीफ का व्यापक तौर पर सेवन भी शामिल था।
- जुलाई 2021 में यूनेस्को (UNESCO) ने गुजरात के धोलावीरा शहर को भारत की 40वीं विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया।

प्रमुख बिंदु

आईवीसी और द्रविड़ भाषा:

- आईवीसी की भाषा की जड़ें प्रोटो-द्रविड़ियन (Proto-Dravidian) में हैं, जो सभी आधुनिक द्रविड़ भाषाओं की पैतृक भाषा है।
    - आईवीसी की एक विशेष आबादी की बुनियादी शब्दावली प्रोटो-द्रविड़ियन रही होगी या सिंधु घाटी क्षेत्र में पैतृक द्रविड़ भाषाएँ बोली जाती रही होंगी।
- पैतृक द्रविड़ भाषाओं के बोलने वालों की सिंधु घाटी क्षेत्र सहित उत्तरी भारत में अधिक ऐतिहासिक उपस्थिति थी, जहाँ से ये प्रवास करते थे।
- प्रोटो-द्रविड़ियन सिंधु घाटी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं में से एक थी।
    - इस नए शोध का दावा है कि आईवीसी के दस लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं के एक या एक से अधिक समूह थे।

आईवीसी और अन्य सभ्यताएँ:

- अक्कादियन (Akkadian- प्राचीन मेसोपोटामिया में बोली जाने वाली भाषा) के कुछ शब्दों की जड़ंब सिंधु घाटी में थीं।
    - अध्ययन ने आईवीसी और फारस की खाड़ी के साथ-साथ मेसोपोटामिया के बीच संपन्न व्यापार संबंधों को ध्यान में रखा।
    - मेसोपोटामिया की सभ्यताएँ जो वर्तमान इराक और कुवैत की टाइग्रिस तथा यूफ्रेट्स नदियों के तट पर बसी थीं।
- हाथी दाँत विलासिता के सामानों में से एक था और पुरातात्विक तथा प्राणीशास्त्रीय साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि सिंधु घाटी मध्य-तीसरी से दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में हाथी दाँत का एकमात्र आपूर्तिकर्त्ता था।
    - आमतौर पर भूमध्य सागर के पूर्वी तटों के आसपास की भूमि, जिसमें उत्तर-पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण-पश्चिमी एशिया और कुछ बाल्कन प्रायद्वीप (Balkan Peninsula) शामिल हैं।
- चूँकि प्राचीन फारस के लोग मेसोपोटामिया और IVC व्यापारियों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे, आईवीसी के हाथी दाँत का निर्यात करते समय इन्होंने यकीनन मेसोपोटामिया में भी भारतीय शब्दों का प्रसार किया था।

सिंधु घाटी सभ्यता

सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में:

- सिंधु सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी ज्ञात शहरी संस्कृति है।
    - हड़प्पा नामक स्थान पर पहली बार यह संस्कृति खोजी गई थी, इसलिये इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है।
- विश्व की तीन सबसे शुरुआती सभ्यताओं यथा- मेसोपोटामिया और मिस्र से सिंधु सभ्यता व्यापक थी।

समय-सीमा:

- इसकी स्थापना लगभग 3300 ईसा पूर्व में हुई थी। यह 2600 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के बीच अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। 1900 ईसा पूर्व के आसपास इसका पतन होना शुरू हो गया तथा 1400 ईसा पूर्व के आसपास यह सभ्यता समाप्त हो गई।

भौगोलिक विस्तार:

- भौगोलिक रूप से यह सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैली थी।
- इनमें सुत्कागोर (बलूचिस्तान में) से पूर्व में आलमगीरपुर (पश्चिमी यूपी) तक तथा उत्तर में मांडू (जम्मू) से दक्षिण में दायमाबाद (अहमदनगर, महाराष्ट्र) तक के क्षेत्र शामिल थे। कुछ सिंधु घाटी स्थल अफगानिस्तान में भी पाए गए हैं।

महत्त्वपूर्ण साइट:

- कालीबंगा (राजस्थान), लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, सुरकोटडा (गुजरात), बनवाली (हरियाणा), रोपड़ (पंजाब)।
- पाकिस्तान में: हड़प्पा (रावी नदी के तट पर), मोहनजोदड़ो (सिंध में सिंधु नदी के तट पर), चन्हुदड़ो (सिंध में)।

नोट :

कुछ महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ:

- सिंधु घाटी के शहर इतने परिष्कृत और उन्नति का स्तर प्रदर्शित करते हैं जो अन्य समकालीन सभ्यताओं में नहीं देखा गया।
- अधिकांश शहर समान पैटर्न पर बने थे।
- इनके दो भाग थे: गढ़ और निचला शहर जो कि समाज में पदानुक्रम की उपस्थिति को दर्शाता है।
- अधिकांश शहरों में एक बड़ा स्नानागार था।
- अन्न भंडार, पकी हुई ईंटों से बने दो मंजिला घर, बंद जल निकासी लाइनें और अपशिष्ट जल प्रबंधन की बेहतर प्रणाली के साथ ही यहाँ खिलौने, बर्तन आदि भी मिले।
- यहाँ बड़ी संख्या में मुहरें पाई गई है।

कृषि:

- कपास की खेती करने वाली पहली सभ्यता।
- पशुपालन के तहत भेड़, बकरी और सूअर को भी पाला जाता था।
- फसलें गेहूँ, जौ, कपास, रागी, खजूर और मटर थीं।
- सुमेरियों (मेसोपोटामिया) के साथ व्यापार किया जाता था।

धातु उत्पाद:

- जिनका उत्पादन किया जाता था उनमें तांबा, कांस्य, टिन और सीसा शामिल थे। सोना-चाँदी भी ज्ञात थे।
- लोहे का ज्ञान उन्हें नहीं था।

धार्मिक विश्वास:

- मंदिर या महल जैसी कोई संरचना नहीं मिली है।
- लोग नर और मादा देवताओं की पूजा करते थे।
- खुदाई में एक ऐसी मुहर प्राप्त हुई जिसे 'पशुपति सील (Pashupati Seal) नाम दिया गया था और यह तीन आँखों वाली आकृति की छवि जैसी दिखती है।

मिट्टी के बर्तन:

- खुदाई में काले रंग में डिज़ाइन किये गए लाल मिट्टी के उत्कृष्ट बर्तनों के टुकड़े पाए गए हैं।
- फेएन्स (Faience) का उपयोग मोतियों, चूड़ियों, झुमके और बर्तन बनाने के लिये किया जाता था।

आर्ट फार्म:

- मोहनजोदड़ो से 'डांसिंग गर्ल (Dancing Girl) की एक मूर्ति मिली है और माना जाता है कि यह 4000 वर्ष पुरानी है।
- मोहनजोदड़ो से एक दाढ़ी वाले पुजारी-राजा की आकृति भी मिली है।

अन्य तथ्य:

- लोथल एक पोतगाह (Dockyard- जहाज़ बनाने का स्थान) था।
- मृत लोगों को लकड़ी के ताबूतों में दफन किया जाता था।
- सिंधु घाटी की लिपि का अभी तक स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है।

प्रोटो-द्रविड़ भाषा

- यह द्रविड़ भाषाओं की जननी मानी जाती है। प्रोटो-द्रविड़ियन ने 21 द्रविड़ भाषाओं को जन्म दिया।

द्रविड़ भाषाएँ

- द्रविड़ भाषाएँ लगभग 70 भाषाओं का एक परिवार है जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया में बोली जाती हैं। ये भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका में 215 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं।
- सबसे अधिक बोली जाने वाली द्रविड़ भाषाएँ (बोलने वालों की संख्या के अवरोही क्रम में) तेलुगू, तमिल, कन्नड़ और मलयालम हैं, जिनमें से सभी की लंबी साहित्यिक परंपराएँ हैं। छोटी साहित्यिक भाषाएँ तुलु और कोडवा हैं।
  - कई द्रविड़-भाषी अनुसूचित जनजातियाँ भी हैं जैसे-पूर्वी भारत में कुरुख और मध्य भारत में गोंडी।
- अरब सागर के तटों के साथ द्रविड़ में स्थानों के नाम और द्रविड़ व्याकरणिक प्रभाव जैसे कि इंडो-आर्यन भाषाओं की विशिष्टता, अर्थात् मराठी, गुजराती, मारवाड़ी और सिंधी से पता चलता है कि द्रविड़ भाषाएँ भारतीय उपमहाद्वीप में अधिक व्यापक रूप से बोली जाती थीं।

विश्व संस्कृत दिवस

चर्चा में क्यों ?

विश्व संस्कृत दिवस (विश्व संस्कृत दिनम) 22 अगस्त, 2021 को मनाया गया।

- भारत में संस्कृत एक शास्त्रीय और आठवीं अनुसूची की भाषा है।
- वर्ष 2020 में उत्तराखंड सरकार ने नियमित रूप से संस्कृत का उपयोग सिखाने के लिये राज्य भर में 'संस्कृत ग्राम' विकसित करने का निर्णय लिया।

प्रमुख बिंदु

परिचय:

- यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य संस्कृत भाषा के पुनरुद्धार और रखरखाव को बढ़ावा देना है।
- यह हिंदू कैलेंडर में श्रावण महीने के पूर्णिमा दिवस (पूर्णिमा) को मनाया जाता है।
- प्राचीन काल की तरह व्यापक रूप से नहीं बोली जाने के बावजूद यह दिवस अनिवार्य रूप से संस्कृत सीखने और जानने के महत्त्व की बात करता है।
- केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्य और केंद्र सरकारों को अधिसूचना जारी करने के बाद वर्ष 1969 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था।
- संस्कृत संगठन संस्कृत भारती (Sanskrit Organisation Samskrita Bharati) दिवस को बढ़ावा देने का कार्य करता है।

संस्कृत भाषा के बारे में कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य:

- इसे विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है। यह एक प्राचीन इंडो-आर्यन भाषा है जिसमें सबसे प्राचीन दस्तावेज़, वेद, वैदिक संस्कृत में हैं।
- वैदिक काल में संस्कृत एक अखिल भारतीय भाषा हुआ करती थी और देश में अधिकांश भाषाओं का जन्म संस्कृत से हुआ है।
  - यह भाषा किसी-न-किसी तरह की आधुनिक व्युत्पत्तियों और क्षेत्रीय बोलियों के कारण अपना अस्तित्व खोती गई।
- शास्त्रीय संस्कृत, उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिम में इस्तेमाल होने वाली वैदिक के करीब की भाषा ग्रंथ पाणिनी (6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व) द्वारा रचित अष्टाध्याय (आठ अध्याय), अब तक के सबसे बेहतरीन व्याकरण ग्रंथों में से एक है।
- संस्कृत को देवनागरी लिपि और विभिन्न क्षेत्रीय लिपियों में लिखा गया है, जैसे- उत्तर (कश्मीर) में शारदा, पूर्व में बांग्ला (बंगाली), पश्चिम में गुजराती व ग्रंथ वर्णमाला सहित विभिन्न दक्षिणी लिपियाँ जिसे विशेष रूप से संस्कृत ग्रंथों के लिये तैयार गया था।
- इसे एक वैज्ञानिक भाषा माना जाता है और इसे सबसे अधिक कंप्यूटर के अनुकूल भाषा माना जाता है।
  - वर्ष 1786 में अंग्रेज़ी भाषाविद् विलियम जोन्स ने अपनी पुस्तक 'द संस्कृत लैंग्वेज' में बताया है कि ग्रीक और लैटिन भाषा संस्कृत से संबंधित थी।

नोट :

- हालाँकि यह भाषा पूरी तरह से मृत नहीं है। माना जाता है कि कर्नाटक के शिमोगा ज़िले के एक गाँव, जिसे मत्तूर कहा जाता है, ने भाषा को संरक्षित रखा है।
- विश्व का एकमात्र संस्कृत समाचार पत्र 'सुधर्म' है। यह समाचार पत्र 1970 से कर्नाटक के मैसूर से प्रकाशित हो रहा है और ऑनलाइन भी उपलब्ध है।
- पाणिनि, पतंजलि, आदि शंकराचार्य, वेद व्यास, कालिदास आदि संस्कृत के कुछ प्रसिद्ध लेखक हैं।

संस्कृत में महत्त्वपूर्ण लेखक और कार्य:

- भास (उदाहरण के लिये उनके स्वप्नवासवदत्त - वासवदत्त इन ए ड्रीम), जिनके लिये व्यापक रूप से अलग-अलग तिथियाँ निर्धारित की गई हैं, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से कालिदास से पहले कार्य किया है, इनमें उनका उल्लेख मिलता है।
- कालिदास (पहली शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी तक) के कार्यों में शकुंतला, विक्रमोर्वण्य, कुमारसंभव और रघुवंश शामिल हैं।
- सूद्रका (Śūdraka) और मच्छकाटिका ("लिटिल क्ले कार्ट") संभवत: तीसरी शताब्दी के काल की हैं।
- अश्वघोष की बुद्धचरित (Ashvaghosha's Buddhacarita) बौद्ध साहित्य के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है।
- भारवी और किरातार्जुन्य (अर्जुन और किरात) लगभग 7वीं शताब्दी के हैं।
- माघ (Māgha) का शिशुपालवधा ("शिशुपाल का वध") 7वीं शताब्दी के अंत का है।
- दो महाकाव्य रामायण ("राम का जीवन") और महाभारत ("भारत की महान कथा") भी संस्कृत में रचे गए।

केंद्र सरकार द्वारा संस्कृत को बढ़ावा:

- नई शिक्षा नीति (NEP) ने भाषा को "मुख्यधारा" में लाने के लिये एक महत्त्वाकांक्षी मार्ग निर्धारित किया है। इसके तहत स्कूलों में संस्कृत के अध्ययन की पेशकश करना है, जिसमें त्रि-भाषा सूत्र के साथ-साथ उच्च शिक्षा में एक भाषा विकल्प भी शामिल है।
  - NEP में यह भी कहा गया है कि संस्कृत विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा के बहु-विषयक संस्थानों में बदल दिया जाएगा।
- संस्कृत को बढ़ावा देने के लिये एक नोडल प्राधिकरण के रूप में दिल्ली में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की स्थापना की गई है।
- साथ ही आदर्श संस्कृत महाविद्यालय/शोध संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- महाविद्यालय स्तर पर संस्कृत पाठशाला के विद्यार्थियों को योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान करना।
- विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिये गैर-सरकारी संगठनों/संस्कृत के उच्च शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता देना।
- शास्त्र चूड़ामणि योजना (Shastra Chudamani Scheme) के तहत अध्यापन के लिये सेवानिवृत्त प्रख्यात संस्कृत विद्वान कार्यरत हैं।
- भारतीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी, आयुर्वेद संस्थानों, आधुनिक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में गैर-औपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रों की स्थापना करके गैर-औपचारिक संस्कृत शिक्षा (Non-formal Sanskrit Education- NFSE) कार्यक्रम के माध्यम से भी संस्कृत पढ़ाया जाता है।
- संस्कृत भाषा के लिये राष्ट्रपति पुरस्कार प्रतिवर्ष 16 वरिष्ठ विद्वानों और 5 युवा विद्वानों को प्रदान किया जाता है।
- प्रकाशन के लिये वित्तीय सहायता और दुर्लभ संस्कृत पुस्तकों का पुनर्मुद्रण।
- संस्कृत के विकास के लिये अठारह परियोजनाओं वाली अष्टादशी को लागू करना।

श्री नारायण गुरु

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने श्री नारायण गुरु को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी।

- इससे पहले भारत के उपराष्ट्रपति ने श्री नारायण गुरु (Sree Narayana Guru) की कविताओं का अंग्रेज़ी अनुवाद, "नॉट मैनी, बट वन" (Not Many, But One) लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

जन्म:

- श्री नारायण गुरु का जन्म 22 अगस्त, 1856 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पास एक गाँव चेमपज़ंथी (Chempazhanthy) में हुआ था। इनेक पिता का नाम' मदन असन और माता का नाम कुट्टियम्मा (Kuttiyamma) था।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा:

- उनका परिवार एझावा (Ezhava) जाति से संबंध रखता था और उस समय के सामाजिक मान्यताओं के अनुसार इसे 'अवर्ण" (Avarna) माना जाता था।
- उन्हें बचपन से ही एकांत पसंद था और वे हमेशा गहन चिंतन में लिप्त रहते थे। वह स्थानीय मंदिरों में पूजा करने के लिये प्रयासरत रहते थे, जिसके लिये भजनों तथा भक्ति गीतों की रचना करते रहते थे।
- छोटी उम्र से ही उनका आकर्षण तप की ओर था जिसके चलते वे संन्यासी के रूप में आठ वर्षों तक जंगल में रहे थे।
- उनको वेद, उपनिषद, साहित्य, हठ योग और अन्य दर्शनों का ज्ञान था।

महत्त्वपूर्ण कार्य:

- जातिगत अन्याय के खिलाफ:
    - उन्होंने "एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर" (ओरु जति, ओरु माथम, ओरु दैवम, मानुष्यानु) का प्रसिद्ध नारा दिया।
    - उन्होंने वर्ष 1888 में अरुविप्पुरम में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर बनाया, जो उस समय के जाति-आधारित प्रतिबंधों के खिलाफ था।
    - उन्होंने एक मंदिर कलावन्कोड (Kalavancode) में अभिषेक किया और मंदिरों में मूर्तियों की जगह दर्पण रखा। यह उनके इस संदेश का प्रतीक था कि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है।
- धर्म-परिवर्त्तन का विरोध:
    - उन्होंने लोगों को समानता की सीख दी लेकिन इस बात को महसूस किया कि असमानता का उपयोग धर्म परिवर्तन के लिये नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि इससे समाज में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है।
    - श्री नारायण गुरु ने वर्ष 1923 में अलवे अद्वैत आश्रम (Alwaye Advaita Ashram) में एक सर्व-क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन किया, जिसे भारत में इस तरह का पहला कार्यक्रम बताया जाता है। यह एझावा समुदाय में होने वाले धार्मिक रूपांतरणों को रोकने का एक प्रयास था।
- अन्य:
    - वर्ष 1903 में, उन्होंने संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में एक धर्मार्थ समाज, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम (Sree Narayana Dharma Paripalana Yogam-SNDP) की स्थापना की। संगठन वर्तमान समय में भी अपनी मज़बूत उपस्थिति दर्ज कर रहा है।
    - वर्ष 1924 में, स्वच्छता, शिक्षा, भक्ति, कृषि, हस्तशिल्प और व्यापार के गुणों को बढ़ावा देने के लिये शिवगिरी तीर्थ (Sivagiri pilgrimage) की स्थापना की गई थी।

श्री नारायण गुरु का दर्शन:

- श्री नारायण गुरु बहुआयामी प्रतिभा, महान महर्षि, अद्वैत दर्शन के प्रबल प्रस्तावक, कवि और एक महान आध्यात्मिक व्यक्ति थे।

साहित्यिक रचनाएँ:

- उन्होंने विभिन्न भाषाओं में अनेक पुस्तकें लिखीं। उनमें से कुछ प्रमुख हैं: अद्वैत दीपिका, असरमा, थिरुकुरल, थेवरप्पाथिंकंगल आदि।

राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान:

- श्री नारायण गुरु मंदिर प्रवेश आंदोलन में सबसे अग्रणी थे और अछूतों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ थे।

- श्री नारायण गुरु ने वायकोम सत्याग्रह (त्रावणकोर) को गति प्रदान की। इस आंदोलन का उद्देश्य निम्न जातियों को मंदिरों में प्रवेश दिलाना था। इस आंदोलन की वजह से महात्मा गांधी सहित सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया।
- उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीयता के सार को समाहित किया और दुनिया की विविधता के बीच मौजूद एकता को रेखांकित किया।

विज्ञान में योगदान:

- श्री नारायण गुरु ने स्वच्छता, शिक्षा, कृषि, व्यापार, हस्तशिल्प और तकनीकी प्रशिक्षण पर ज़ोर दिया।
- श्री नारायण गुरु का अध्यारोप (Adyaropa) दर्शनम् (दर्शनमला) ब्रह्मांड के निर्माण की व्याख्या करता है।
- इनके दर्शन में दैवदशकम् (Daivadasakam) और आत्मोपदेश शतकम् (Atmopadesa Satakam) जैसे कुछ उदाहरण हैं जो यह बताते हैं कि कैसे रहस्यवादी विचार तथा अंतर्दृष्टि वर्तमान की उन्नत भौतिकी से मिलते-जुलते हैं।

दर्शन की वर्तमान प्रासंगिकता:

- श्री नारायण गुरु की सार्वभौमिक एकता के दर्शन का समकालीन विश्व में मौजूद देशों और समुदायों के बीच घृणा, हिंसा, कट्टरता, संप्रदायवाद तथा अन्य विभाजनकारी प्रवृत्तियों का मुकाबला करने के लिये विशेष महत्त्व है।

मृत्यु:

- श्री नारायण गुरु की मृत्यु 20 सितंबर, 1928 को हो गई। केरल में यह दिन श्री नारायण गुरु समाधि (Sree Narayana Guru Samadhi) के रूप में मनाया जाता है।

गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत, अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब (सिख पवित्र पुस्तक) के तीन स्वरूप/प्रतियाँ (Saroops) लाया है, अब अफगानिस्तान में शेष तीन प्रतियाँ बची हैं।

- अफगानिस्तान में 13 प्रतियाँ थी, जिनमें से सात पहले ही भारत में स्थानांतरित हो चुकी थीं।

प्रमुख बिंदु

परिचय :

- स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब की एक भौतिक प्रति है, जिसे पंजाबी में बीर भी कहा जाता है। प्रत्येक बीर में 1,430 पृष्ठ होते हैं, जिन्हें अंग कहा जाता है। प्रत्येक पृष्ठ पर छंद एक समान रहते हैं।
- सिख गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को एक जीवित गुरु मानते हैं तथा इसे अत्यंत सम्मान के साथ रखते हैं।
  - उनका मानना है कि सभी 10 गुरु अलग-अलग शरीरों में एक ही आत्मा थे तथा गुरु ग्रंथ साहिब उनका शाश्वत भौतिक और आध्यात्मिक रूप है।
- गुरु अर्जुन देव (पाँचवें सिख गुरु) ने 1604 में गुरु ग्रंथ साहिब के पहले बीर को संकलित किया और इसे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में स्थापित किया।
- बाद में गुरु गोबिंद सिंह (दसवें सिख गुरु) ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर (नौवें गुरु) द्वारा लिखे गए छंदों को जोड़ा तथा दूसरी और आखिरी बार बीर का संकलन किया।
- 1708 में गुरु गोबिंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का जीवित गुरु घोषित किया था।
- गुरु ग्रंथ साहिब छह सिख गुरुओं, 15 संतों द्वारा लिखे गए भजनों का एक संग्रह है, जिसमें भगत कबीर, भगत रविदास, शेख फरीद और भगत नामदेव, 11 भट्ट (गीतकार) और 4 सिख शामिल हैं।
  - श्लोकों की रचना 31 रागों में की गई है।

- शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के पास गुरु ग्रंथ साहिब के बीर को प्रकाशित करने का एकाधिकार है तथा इसका प्रकाशन अमृतसर में किया जाता है।
- गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना तथा परिवहन एक सख्त आचार संहिता द्वारा नियंत्रित होती है जिसे सिख राहत मर्यादा कहा जाता है।
    - आदर्श परिस्थितियों में गुरु ग्रंथ साहिब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिये पाँच बपतिस्मा (Baptism) प्राप्त सिखों की आवश्यकता होती है। सम्मान की निशानी के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब के बीर को सिर पर रखा जाता है और व्यक्ति नंगे पैर चलता है।
- गुरुद्वारों में स्वरूप के लिये एक अलग विश्राम स्थल है, जिसे 'सुख आसन स्थान' या 'सचखंड' कहा जाता है जहाँ गुरु रात में विश्राम करते हैं।
- सुबह में स्वरूप को फिर से 'प्रकाश' उत्सव समारोह में स्थापित किया जाता है।
- सिख राहत मर्यादा: यह एक मैनुअल है जो सिखों के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है तथा चार अनुष्ठानों को नाम देता है जिन्हें संस्कार मार्ग कहा जाता है।
    - पहला अनुष्ठान जन्म और गुरुद्वारे में आयोजित नामकरण समारोह है।
    - दूसरा अनुष्ठान आनंद करज (आनंदमय मिलन) या विवाह समारोह है।
    - तीसरा अनुष्ठान जिसे सबसे महत्त्वपूर्ण माना जाता है, अमृत संस्कार है जो खालसा में दीक्षा के लिये होने वाला समारोह है।
    - चौथा अनुष्ठान मृत्योपरांत होने वाला अंतिम संस्कार समारोह है।

सिख धर्म

- पंजाबी भाषा में 'सिख' शब्द का अर्थ है 'शिष्य'। सिख भगवान के शिष्य हैं, जो दस सिख गुरुओं के लेखन और शिक्षाओं का पालन करते हैं।
- सिख एक ईश्वर (एक ओंकार) में विश्वास करते हैं। सिख अपने पंथ को गुरुमत (गुरु का मार्ग- The Way of the Guru) कहते हैं।
- सिख परंपरा के अनुसार, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक (1469-1539) द्वारा की गई थी और बाद में नौ अन्य गुरुओं ने इसका नेतृत्व किया।
    - सिख धर्म का विकास भक्ति आंदोलन और वैष्णव हिंदू धर्म से प्रभावित था।
- इस्लामिक युग में सिखों के उत्पीड़न ने खालसा की स्थापना को प्रेरित किया जो अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का पंथ है।
- गुरु गोविंद सिंह ने खालसा (जिसका अर्थ है 'शुद्ध') पंथ की स्थापना की जो सैनिक-संतों का विशिष्ट समूह था।
    - खालसा (Khalsa) प्रतिबद्धता, समर्पण और सामाजिक विवेक के सर्वोच्च सिख गुणों को उजागर करता है तथा ये पंथ की पाँच निर्धारित भौतिक वस्तुओं को धारण करते हैं, जो हैं:
        - केश (बिना कटे बाल), कंघा (लकड़ी की कंघी), कड़ा (एक लोहे का कंगन), कच्छा (सूती जांघिया) और कृपाण (एक लोहे का खंजर)।
- यह उपदेश देता है कि विभिन्न नस्ल, धर्म या लिंग के लोग भगवान की नज़र में समान हैं।
- सिख साहित्य:
    - आदि ग्रंथ को सिखों द्वारा शाश्वत गुरु का दर्जा दिया गया है और इसी कारण इसे 'गुरु ग्रंथ साहिब' के नाम से जाना जाता है।
    - दशम ग्रंथ के साहित्यिक कार्य और रचनाओं को लेकर सिख धर्म के अंदर कुछ संदेह और विवाद है।

सिख धर्म के दस गुरु

गुरु नानक देव (1469-1539)

- ये सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे।
- इन्होंने 'गुरु का लंगर' की शुरुआत की।

नोट :

- वह बाबर के समकालीन थे।
- गुरु नानक देव की 550वीं जयंती पर करतारपुर कॉरिडोर को शुरू किया गया था।

गुरु अंगद (1504-1552)

- इन्होंने गुरुमुखी नामक नई लिपि का आविष्कार किया और 'गुरु का लंगर' प्रथा को लोकप्रिय बनाया।

गुरु अमर दास (1479-1574)

- इन्होंने आनंद कारज विवाह (Anand Karaj Marriage) समारोह की शुरुआत की।
- इन्होंने सिखों के बीच सती और पर्दा व्यवस्था जैसी प्रथाओं को समाप्त कर दिया।
- ये अकबर के समकालीन थे।

गुरु राम दास (1534-1581)

- इन्होंने वर्ष 1577 में अकबर द्वारा दी गई ज़मीन पर अमृतसर की स्थापना की।
- इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर (Golden Temple) का निर्माण शुरू किया।

गुरु अर्जुन देव (1563-1606)

- इन्होंने वर्ष 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की।
- इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा किया।
- वे शाहिदीन-दे-सरताज (Shaheeden-de-Sartaj) के रूप में प्रचलित थे।
- इन्हें जहाँगीर ने राजकुमार खुसरो की मदद करने के आरोप में मार दिया।

गुरु हरगोबिंद (1594-1644)

- इन्होंने सिख समुदाय को एक सैन्य समुदाय में बदल दिया। इन्हें "सैनिक संत" (Soldier Saint) के रूप में जाना जाता है।
- इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और अमृतसर शहर को मज़बूत किया।
- इन्होंने जहाँगीर और शाहजहाँ के खिलाफ युद्ध छेड़ा।

गुरु हर राय (1630-1661)

- ये शांतिप्रिय व्यक्ति थे और इन्होंने अपना अधिकांश जीवन औरंगज़ेब के साथ शांति बनाए रखने तथा मिशनरी काम करने में समर्पित कर दिया।

गुरु हरकिशन (1656-1664)

- ये अन्य सभी गुरुओं में सबसे कम आयु के गुरु थे और इन्हें 5 वर्ष की आयु में गुरु की उपाधि दी गई थी।
- इनके खिलाफ औरंगज़ेब द्वारा इस्लाम विरोधी कार्य के लिये सम्मन जारी किया गया था।

गुरु तेग बहादुर (1621-1675)

- इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की।

गुरु गोबिंद सिंह (1666-1708)

- इन्होंने वर्ष 1699 में 'खालसा' नामक योद्धा समुदाय की स्थापना की।
- इन्होंने एक नया संस्कार "पाहुल" (Pahul) शुरू किया।
- ये मानव रूप में अंतिम सिख गुरु थे और इन्होंने 'गुरु ग्रंथ साहिब' को सिखों के गुरु के रूप में नामित किया।

आंतरिक सुरक्षा

मेघालय में अस्थिरता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'हन्नीवट्रेप नेशनल लिब्रेशन काउंसिल' (HNLC) का एक पूर्व आतंकवादी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जिससे मेघालय में सुरक्षा संकट और अस्थिरता की स्थिति पैदा हो गई है।

- इस मुठभेड़ को पूर्वी खासी हिल्स और पूर्वी जयंतिया हिल्स की पुलिस टीम द्वारा अंजाम दिया गया।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि

- मेघालय, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है और यहाँ पड़ोसी देश के साथ-साथ भारत के अन्य हिस्सों जैसे- बंगाल, पंजाब और बिहार के प्रवासी मौजूद हैं।
- इस प्रवास ने स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के बीच गंभीर चिंता को जन्म दिया तथा 'बाहरी लोगों' की आमद के कारण इन समुदायों के बीच 'अपनी मातृभूमि में अल्पसंख्यक' बनने का डर उत्पन्न हो गया।
- इन्हीं 'बाहरी-विरोधी भावनाओं' की परिणति थी, जिसके कारण वर्ष 1992 में मेघालय के पहले उग्रवादी समूह 'हन्नीवट्रेप अचिक नेशनल लिब्रेशन काउंसिल' (HALP) का गठन हुआ।
  - हन्नीवट्रेप ने खासी और जयंतिया समुदायों का प्रतिनिधित्व किया, जबकि अचिक ने गारो समुदाय का प्रतिनिधित्व किया।
- 'हन्नीवट्रेप अचिक नेशनल लिब्रेशन काउंसिल' का बाद में विभाजन हो गया और 'हन्नीवट्रेप नेशनल लिब्रेशन काउंसिल' अस्तित्व में आया, जो खासी और जयंतिया समुदायों का प्रतिनिधित्व करता था और 'अचिक मातग्रिक लिबरेशन आर्मी' जो गारो समुदाय का प्रतिनिधित्व करती थी।
  - 'अचिक मातग्रिक लिबरेशन आर्मी' को बाद में 'अचिक नेशनल वालंटियर्स काउंसिल' (ANVC) में बदल दिया गया।
- HNLC ने केवल खासी समुदायों के हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया, जबकि 'अचिक मातग्रिक लिबरेशन आर्मी' ने गारो समुदाय के लिये एक अलग राज्य की मांग की।

मेघालय में उग्रवाद की वर्तमान स्थिति:

- वर्ष 2004 में ANVC ने सरकार के साथ एक विस्तारित युद्धविराम समझौता कर लिया था, जबकि HNLC सरकार के साथ सशर्त शांति वार्ता करने की कोशिश कर रहा है।
- पिछले कई वर्षों में, मेघालय में उग्रवाद में गिरावट देखी गई है।
  - वर्ष 2018 में उग्रवाद से संबंधित घटनाओं में 80% की गिरावट के बाद केंद्र सरकार ने मेघालय से 'सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम' (AFSPA) को लगभग 27 वर्षों के बाद वापस ले लिया था।

अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह

- नगालैंड: नगा विद्रोह
- मिज़ोरम: मिज़ो आंदोलन
- असम विद्रोह: वर्ष 1979 में अवैध प्रवासियों के निर्वासन के लिये 'यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम' (ULFA) का गठन किया गया था।
  - बोडोलैंड राज्य आंदोलन।

नोट :

- मणिपुर: मणिपुर के स्थानीय लोगों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1964 में 'यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट' का गठन किया गया था।
- अरुणाचल प्रदेश: अरुणाचल प्रदेश में स्वदेशी विद्रोह आंदोलन का एकमात्र मामला 'अरुणाचल ड्रैगन फोर्स' (ADF) का उदय था, जिसे वर्ष 2001 में 'ईस्ट इंडिया लिबरेशन फ्रंट' (EALF) के रूप में पुनर्गठित किया गया था।
- मौतें:
  - पूर्वोत्तर में नागरिकों और सुरक्षा बलों दोनों की ही बहुत बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं।
- भारत की पूर्वोत्तर आर्थिक नीतियों में बाधा:
  - तेल समृद्ध असम में आतंकवादियों द्वारा समय-समय पर तेल और गैस पाइपलाइनों को लक्ष्य बनाया जाता है, उनका यह आरोप है कि भारत इस राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है।
  - उग्रवादियों के हमलों के बाद राष्ट्रीय परियोजनाएँ या तो ठप हो जाती हैं या धीमी गति से आगे बढ़ी हैं। पर्यटन, जो बेहद खुबसूरत पूर्वोत्तर राज्यों में फल-फूल सकता था, क्षेत्र में अस्थिरता के कारण इसे काफी नुकसान हुआ है।
- भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बाधा:
  - आतंकवाद ने पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थव्यवस्था को पड़ोसी दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से जोड़ने की संभावना को भी रोक दिया है
- शिक्षा में बाधा:
  - शिक्षा क्षेत्र भी उग्रवाद से प्रभावित हुआ है। त्रिपुरा के आंतरिक क्षेत्रों में कई स्कूल बंद कर दिये गए हैं क्योंकि शिक्षक आतंकवादी हमलों के डर के कारण उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में जाने से बचते हैं।

विद्रोह का मुकाबला करने हेतु उपाय:

- सैन्य अभियान और विशेष अधिनियम:
  - 1990 के दशक में असम में ULFA उग्रवादीयों के खिलाफ दो सैन्य अभियान, ऑपरेशन राइनो और बजरंग शुरू किये गए थे।
  - AFSPA (सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम) के तहत सशस्त्र बलों को आपातकालीन स्थितियों से निपटने हेतु विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई थीं। यह पूरे असम, नगालैंड, अधिकांश मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में लागू है।
- शांति वार्ता:
  - आज इस क्षेत्र के लगभग सभी प्रमुख विद्रोही समूहों मैइतेई विद्रोहियों को छोड़कर संघ और/या राज्य सरकारों के साथ युद्धविराम या सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (Suspension of Operation- SoO) समझौतों में शामिल हो गए हैं ।
  - वे शांति वार्ता में लगे हुए हैं और कुछ ने तो अपने सशस्त्र कैडरों को भी भंग कर दिया है।
- इनर लाइन परमिट (ILP):
  - मिज़ोरम, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के स्थायी लोगों की मूल पहचान को बनाए रखने के लिये इन राज्यों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है, बाहरी लोगों को ILP के बिना राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER):
  - यह क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिये पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास योजनाओं और परियोजनाओं के निष्पादन और निगरानी से संबंधित मामलों हेतु ज़िम्मेदार है।

खासी समुदाय

- खासी उत्तर-पूर्वी भारत में मेघालय का एक स्वदेशी जातीय समूह है। इसकी एक विशिष्ट संस्कृति है और यह मेघालय की सबसे बड़ी जनजाति है।
  - संपत्ति का उत्तराधिकार और आदिवासी कार्यालय का उत्तराधिकार दोनों ही महिलाओं के माध्यम से चलते हैं। खासी आदिवासी परिवार की सबसे छोटी बेटी परिवार में काफी महत्त्व रखती है।
- खासी ऑस्ट्रोएशियाटिक स्टॉक (Austroasiatic Stock) की मोन-खमेर (Mon-Khmer) भाषा बोलते हैं।

- वे कई कुलों में विभाजित हैं। गीला चावल (धान) उनके निर्वाह हेतु मुख्य भोजन है जिसकी खेती घाटी के तल में और पहाड़ियों पर बने छत के बगीचों में की जाती है।

गारो समुदाय

- गारो, जो खुद को आचिक (A•chiks) कहते हैं, मेघालय की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है।
- गारो की एक मज़बूत परंपरा है क्योंकि वे तिब्बत से आए हैं। उनकी कई बोलियाँ और सांस्कृतिक समूह हैं। उनमें से प्रत्येक मूल रूप से गारो हिल्स के एक विशेष क्षेत्र और बाहरी मैदानी भूमि पर बस गए।
- हालाँकि आधुनिक गारो समुदाय की संस्कृति ईसाई धर्म से काफी प्रभावित रही है। इसमें सभी बच्चों को माता-पिता द्वारा समान देखभाल, अधिकार और महत्व दिया जाता है।
- गारो विवाह दो महत्त्वपूर्ण कानूनों द्वारा नियंत्रित होता है जैसे- बहिर्विवाह और आकिम (A•Kim) एक ही कबीले से संबंधित हैं, एक ही कबीले के बीच विवाह की अनुमति नहीं है।

आगे की राह

- मुख्य भूमि के साथ क्षेत्र के बेहतर एकीकरण के लिये सरकार को संचार और कनेक्टिविटी, बुनियादी ढाँचे में सुधार करना चाहिये।
- उग्रवादियों के हमले के त्वरित निपटान के लिये सख्त कानून और तेज़ आपराधिक न्याय प्रणाली लागू की जानी चाहिये।
- सरकार को बेहतर सामरिक प्रतिक्रिया और देश के बाकी हिस्सों के साथ अधिक-से-अधिक वार्ताओं के माध्यम से सांस्कृतिक एवं सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये केंद्रीय बलों व राज्य बलों के बीच अधिक समन्वय को बढ़ावा देना चाहिये ताकि समग्र समावेशी विकास सुनिश्चित हो।

बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (BTR)

चर्चा में क्यों?

बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (BTR) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 1996 के जातीय और सांप्रदायिक दंगों के कारण विस्थापित हुए लोग अब अपने छोड़े गए क्षेत्रों में लौटने के लिये तैयार हैं।

- गृह मंत्रालय (MHA), असम सरकार और बोडो समूहों ने असम में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र ज़िला (BTAD) में सत्ता-साझाकरण समझौते को फिर से निर्मित करने और इसका नाम बदलने के संदर्भ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु

- बोडो के बारे में:
  - जनसंख्या: असम में अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों में बोडो सबसे बड़ा समुदाय है। वह असम की आबादी की लगभग 5-6% है।
    - असम में कोकराझार, बक्सा, उदलगुरी और चिरांग ज़िले बोडो प्रादेशिक क्षेत्र ज़िला (BTAD) का गठन करते हैं और यह कई जातीय समूहों का निवास स्थान है।
- विवाद:
  - अलग राज्य की मांग: बोडो राज्य की पहली संगठित मांग वर्ष 1967-68 में प्लेन ट्राइबल काउंसिल ऑफ असम नामक राजनीतिक दल द्वारा की गई थी।
  - असम समझौता: वर्ष 1985 में जब असम आंदोलन की परिणति असम समझौते में हुई, तो कई बोडो लोगों ने इसे अनिवार्य रूप से असमिया भाषी समुदाय के हितों पर ध्यान केंद्रित करने के रूप में देखा।
    - इसके परिणामस्वरूप ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (ABSU) और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के नेतृत्त्व में कई बोडो समूह जातीय समुदाय के लिये अलग क्षेत्र की मांग करते रहे हैं, इसके बाद हुए एक आंदोलन में लगभग 4000 लोगों की मृत्यु हो गई थी।

नोट :

- लोगों का विस्थापन: वर्ष 1993 और 2014 के बीच 970 से अधिक बांग्ला भाषी मुस्लिम, आदिवासी और बोडो चरमपंथी लोग मुख्य रूप से वर्तमान में भंग हो चुके नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी के कारण हुई झड़पों में मारे गए।
  - हिंसा से विस्थापित हुए 8.4 लाख लोगों में से कुछ जर्जर राहत शिविरों में रह रहे हैं, जबकि अन्य वर्तमान BTR से आगे के क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गए हैं। बोडो-संथाल संघर्ष में 2.5 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए थे।

- बोडो समझौता:
  - पहला बोडो समझौता: वर्षों के हिंसक संघर्षों के बाद 1993 में ABSU के साथ पहले बोडो समझौते पर हस्ताक्षर किये गए, जिससे सीमित राजनीतिक शक्तियों के साथ एक बोडोलैंड स्वायत्त परिषद का निर्माण हुआ।
  - दूसरा बोडो समझौता: इसके तहत असम राज्य में बोडो क्षेत्रों के लिये एक स्वशासी निकाय बनाने पर सहमति बनी।
    - इसके अनुसरण में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (BTC) को 2003 में कुछ और वित्तीय तथा अन्य शक्तियों के साथ बनाया गया था।
  - तीसरा बोडो समझौता: इस समझौते पर 2020 में हस्ताक्षर किये गए, इसने BTAD का नाम बदलकर बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (BTR) कर दिया।
    - यह बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (BTC) की छठी अनुसूची के तहत अधिक विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक स्वायत्तता एवं राज्य के बदले BTC क्षेत्र के विस्तार का वादा करता है।
    - यह BTAD के क्षेत्र में परिवर्तन और BTAD के बाहर बोडो के लिये प्रावधान प्रदान करता है।
    - BTR में वे क्षेत्र शामिल हैं जो बोडो बहुल हैं लेकिन वर्तमान में BTAD से बाहर हैं।

बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (BTC)

- यह भारत के असम राज्य में एक स्वायत्त क्षेत्र है।
- यह भूटान और अरुणाचल प्रदेश की तलहटी से ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर चार ज़िलों (कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगुरी) से बना है।
  - 2003 के समझौते के तहत गठित BTC के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को बोडो प्रादेशिक स्वायत्त ज़िला (BTAD) कहा जाता था।
- BTC छठी अनुसूची के तहत शासित क्षेत्र है। हालाँकि BTC छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक प्रावधान का अपवाद है।
  - चूँकि इसमें 46 सदस्य हो सकते हैं जिनमें से 40 निर्वाचित होते हैं।
  - इन 40 सीटों में से 35 अनुसूचित जनजाति और गैर-आदिवासी समुदायों के लिये आरक्षित हैं, पाँच अनारक्षित हैं तथा बाकी छह BTAD के कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों से राज्यपाल द्वारा नामित किये जाते हैं।

स्वायत्त ज़िले और क्षेत्रीय परिषदें

- ADC के साथ छठी अनुसूची एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में गठित प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग क्षेत्रीय परिषदों का भी प्रावधान करती है।
  - कुल मिलाकर पूर्वोत्तर में 10 क्षेत्र हैं जो स्वायत्त ज़िलों के रूप में पंजीकृत हैं - तीन असम, मेघालय और मिजोरम में और एक त्रिपुरा में।
  - इन क्षेत्रों को ज़िला परिषद (ज़िले का नाम) और क्षेत्रीय परिषद (क्षेत्र का नाम) के रूप में नामित किया गया है।
- स्वायत्त ज़िला और क्षेत्रीय परिषद में 30 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, जिनमें से चार राज्यपाल द्वारा और बाकी चुनावों के माध्यम से मनोनीत होते हैं।
  - ये सभी पाँच साल के कार्यकाल के लिये सत्ता में बने रहते हैं।

चर्चा में

अल-मोहद अल-हिंदी अभ्यास: भारत-सऊदी अरब

हाल ही में भारत और सऊदी अरब ने अल-मोहद अल-हिंदी अभ्यास (Al-Mohed Al-Hindi Exercise) नामक अपना पहला नौसेना संयुक्त अभ्यास शुरू किया।

- इस द्विपक्षीय अभ्यास पर फैसला वर्ष 2019 में आयोजित रियाद शिखर सम्मेलन में लिया गया।

प्रमुख बिंदु

संदर्भ:

- भारतीय नौसेना का जहाज़ (INS) कोच्चि इस अभ्यास में भाग ले रहा है। इस अभ्यास में दोनों नौसेनाओं के बीच कई तटीय और समुद्र आधारित अभ्यास शामिल हैं।
  - INS कोच्चि कोलकाता-श्रेणी के स्टील्थ गाइडेड-मिसाइल विध्वंसक का दूसरा जहाज़ है, जिसे भारतीय नौसेना द्वारा कोड नाम प्रोजेक्ट 15ए (Project 15A) के तहत बनाया गया था।
  - इस जहाज़ को 'नेटवर्क्स का नेटवर्क' (Network of Networks) कहा जाता है क्योंकि यह परिष्कृत डिजिटल नेटवर्क, अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है जो किसी भी समुद्री खतरे से निपटने में सक्षम है।
- एक-दूसरे की परिचालन प्रथाओं की गहरी समझ प्रदान करने के लिये दोनों नौसेनाओं के विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान भी दिये जाएंगे।

लक्ष्य:

- इसका लक्ष्य इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिये सामरिक युद्धाभ्यास, खोज और बचाव अभियान तथा एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अभ्यास करना है।

महत्त्व:

- यह खाड़ी क्षेत्र में तेज़ी से बदलते घटनाक्रम के बीच दोनों देशों के मध्य बढ़ते रक्षा संबंधों को दर्शाता है।
- यह हिंद महासागर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और सुरक्षा को बढ़ाएगा।

प्रमुख भारतीय समुद्री अभ्यास

अभ्यास का नाम	देश का नाम
SLINEX	श्रीलंका
बोंगोसागर और IN-BN CORPAT	बांग्लादेश
जिमेक्स	जापान
नसीम-अल-बहर	ओमान
इंद्र	रूस
ज़ैर-अल-बहरी	कतर
समुद्र शक्ति	इंडोनेशिया
भारत-थाई कॉर्पेट	थाईलैंड
IMCOR	मलेशिया
सिम्बेक्स	सिंगापुर
औसइंडेक्स	ऑस्ट्रेलिया
मालाबार अभ्यास	जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका

नोट :

केव लॉयन

हाल ही में वैज्ञानिकों ने लगभग पूरी तरह से संरक्षित दो केव लॉयन (Cave Lion) शावकों की खोज की है जो 28,000 वर्ष पहले के थे, इनके उपनाम बोरिस (Boris) और स्पार्टा (Sparta) हैं।

- ये साइबेरिया के पर्माफ्रॉस्ट (Permafrost), रूस में पाए गए। शावक एक-दूसरे से 15 मीटर की दूरी पर पाए गए थे, ये न केवल अलग-अलग जगह पर मिले, बल्कि हज़ारों वर्षों के अंतर पर पैदा हुए थे।

प्रमुख बिंदु

संदर्भ:

- केव लॉयन (पैंथेरा स्पेलिया-Panthera spelaea), जिसे प्राय: मेगा-लॉयन के नाम से जाना जाता है, प्रागैतिहासिक लॉयन की एक प्रजाति है जो अंतिम हिमयुग के दौरान उत्पन्न हुई थी।
- आयु- 2.6 मिलियन वर्ष पूर्व से 11,700 वर्ष पूर्व।
  - इसे आमतौर पर लॉयन की उप-प्रजाति के रूप में रखा जाता है।
- यह अंतिम हिमयुग के दौरान पूरे उत्तरी यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका में वितरण के साथ ही सबसे आम बड़े शिकारियों में से एक था। यह लगभग 14,000 साल पहले विलुप्त हो गया था।

व्यवहार और विशेषता:

- केव लॉयन प्रमुख शिकारी थे, जो हिमयुग के हिरण, बाइसन और अन्य जानवरों का शिकार करते थे। ये लॉयन भी घात लगाने वाले शिकारी थे, जो प्रतीक्षा में लेटे हुए और प्रभावशाली गति, चपलता तथा ताकत के साथ अपने शिकार से निपटने के लिये अपने निवास से बाहर निकलते थे।
  - 3 मीटर लंबा और 340 किलो वज़नी, यह बिल्ली की अब तक की सबसे बड़ी प्रजाति थी।
- हालाँकि सभी बिल्लियों की तरह केव लॉयन कुछ ही दूरी तक शिकार का पीछा कर सकता था।
- अपने आकार, ताकत और अपेक्षाकृत लंबे पैरों के बावजूद केव लॉयन लंबी दूरी के शिकार करने मे सक्षम नहीं थे।

खोज का महत्त्व:

- रूस के विशाल साइबेरियाई क्षेत्र में इसी तरह की खोज नियमितता के साथ बढ़ी है। जलवायु परिवर्तन विश्व के बाकी हिस्सों की तुलना में आर्कटिक को तेज़ गति से गर्म कर रहा है और जिसने कुछ क्षेत्रों में लंबे समय से पर्माफ्रॉस्ट को पिघला दिया है।

पर्माफ्रॉस्ट

परिचय:

- पर्माफ्रॉस्ट अथवा स्थायी तुषार भूमि वह क्षेत्र है जो कम-से-कम लगातार दो वर्षों से शून्य डिग्री सेल्सियस (32 डिग्री F) से कम तापमान पर जमी हुई अवस्था में है।
  - पर्माफ्रॉस्ट मिट्टी में पत्तियाँ, टूटे हुए वृक्ष आदि बिना क्षय हुए पड़े रहते है। इस कारण यह जैविक कार्बन से समृद्ध होती है।
- ये स्थायी रूप से जमे हुए भूमि-क्षेत्र मुख्यत: उच्च पर्वतीय क्षेत्रों और पृथ्वी के उच्च अक्षांशों (उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों के निकट) में पाए जाते हैं।
- पर्माफ्रॉस्ट पृथ्वी के एक बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं। उत्तरी गोलार्द्ध में लगभग एक-चौथाई भूमि में पर्माफ्रॉस्ट मौजूद हैं। यद्यपि ये भूमि-क्षेत्र जमे हुए होते हैं, लेकिन आवश्यक रूप से हमेशा बर्फ से ढके नहीं होते।

पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना:

- आधारिक संरचना की क्षति: कई गाँव पर्माफ्रॉस्ट पर बने हैं। जब पर्माफ्रॉस्ट जम जाता है, तो यह कंक्रीट से भी सख्त होता है। हालाँकि पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना घरों, सड़कों और अन्य आधारिक संरचनाओं को नष्ट कर सकता है।

- ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन: जैसे ही पर्माफ्रॉस्ट पिघलता है, जीवाणु इस सामग्री को विघटित करना शुरू कर देते हैं। यह प्रक्रिया वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसों को छोड़ती है।
- रोग: जब पर्माफ्रॉस्ट पिघलता है, तो प्राचीन बैक्टीरिया और वायरस बर्फ तथा मिट्टी में मौजूद होते हैं। ये नए न जमे हुए रोगाणु इंसानों और जानवरों को गंभीर रूप से बीमार कर सकते हैं।

पारसी नववर्ष: नवरोज़

भारत में 16 अगस्त को नवरोज उत्सव मनाया जा रहा है।

- संपूर्ण विश्व में उत्तरी गोलार्द्ध में वसंत विषुव (वसंत की शुरुआत का प्रतीक) के समय नवरोज़ त्योहार मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु

नवरोज़ के बारे में:

- नवरोज़ को पारसी नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है।
- फारसी में 'नव' का अर्थ है नया और 'रोज़' का अर्थ है दिन, जिसका शाब्दिक अर्थ है 'नया दिन'(New Day).
- हालाँकि वैश्विक स्तर पर इसे मार्च में मनाया जाता है। नवरोज़ भारत में 200 दिन बाद आता है और अगस्त के महीने में मनाया जाता है क्योंकि यहाँ पारसी शहंशाही कैलेंडर (Shahenshahi Calendar) को मानते हैं जिसमें लीप वर्ष नहीं होता है।
  - भारत में नवरोज़ को फारसी राजा जमशेद के बाद से जमशेद-ए-नवरोज़ (Jamshed-i-Navroz) के नाम से भी जाना जाता है। राजा जमशेद को शहंशाही कैलेंडर बनाने का श्रेय दिया जाता है।
- इस त्योहार की खास बात यह है कि भारत में लोग इसे वर्ष में दो बार मनाते हैं- पहला ईरानी कैलेंडर के अनुसार और दूसरा शहंशाही कैलेंडर के अनुसार जिसका पालन भारत और पाकिस्तान में लोग करते हैं। यह त्योहार जुलाई और अगस्त माह के मध्य आता है।
- इस परंपरा को दुनिया भर में ईरानियों और पारसियों द्वारा मनाया जाता है।
- वर्ष 2009 में नवरोज़ को यूनेस्को द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था।
  - इस प्रतिष्ठित सूची में उन अमूर्त विरासत तत्त्वों को शामिल किया जाता है जो सांस्कृतिक विरासत की विविधता को प्रदर्शित करने और इसके महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं।

पारसी धर्म (ज़ोरोएस्ट्रिनिइज़्म)

- पारसी धर्म/ज़ोरोएस्ट्रिनिइज़्म पारसियों द्वारा अपनाए जाने वाले सबसे पहले ज्ञात एकेश्वरवादी विश्वासों में से एक है।
- इस धर्म की आधारशिला 3,500 वर्ष पूर्व प्राचीन ईरान में पैगंबर जरथुस्त्र (Prophet Zarathustra) द्वारा रखी गई थी।
- यह 650 ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव तक फारस (अब ईरान) का आधिकारिक धर्म था और 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक यह प्राचीन विश्व के महत्त्वपूर्ण धर्मों में से एक था।
- जब इस्लामी सैनिकों ने फारस पर आक्रमण किया, तो कई पारसी लोग भारत (गुजरात) और पाकिस्तान में आकर बस गए।
- पारसी ('पारसी' फारसियों के लिये गुजराती है) भारत में सबसे बड़ा एकल समूह है। विश्व में इनकी कुल अनुमानित आबादी 2.6 मिलियन है।
- पारसी अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में से एक है।

पारंपरिक नववर्ष के त्योहार

चैत्र शुक्लादि:

- यह विक्रम संवत के नववर्ष की शुरुआत को चिह्नित करता है जिसे वैदिक [हिंदू] कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है।
- विक्रम संवत उस दिन से संबंधित है जब सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को पराजित कर एक नए युग का आह्वान किया।

गुड़ी पड़वा और उगादि:

- ये त्योहार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सहित दक्कन क्षेत्र में लोगों द्वारा मनाए जाते हैं।

नवरेह:

- यह कश्मीर में मनाया जाने वाला चंद्र नववर्ष है तथा इसे चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आयोजित किया जाता है।

शाजिबू चीरोबा:

- यह मैतेई (मणिपुर में एक जातीय समूह) द्वारा मनाया जाता है जो मणिपुर चंद्र माह शाजिबू (Manipur lunar month Shajibu) के पहले दिन मनाया जाता है, यह हर वर्ष अप्रैल के महीने में आता है।

चेटी चंड:

- सिंधी 'चेटी चंड' को नववर्ष के रूप में मनाते हैं। चैत्र माह को सिंधी में 'चेत' कहा जाता है।
- यह दिन सिंधियों के संरक्षक संत उदयलाल/झूलेलाल की जयंती के रूप में मनाया जाता है।

बिहू:

- यह साल में तीन बार मनाया जाता है।
- बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू, जिसे हतबिहू (सात बिहू) भी कहा जाता है, यह असम तथा पूर्वोत्तर भारत के अन्य भागों में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक आदिवासी जातीय त्योहार है।
- रोंगाली या बोहाग बिहू असमिया नववर्ष और वसंत त्योहार है।

बैसाखी:

- इसे भारतीय किसानों द्वारा धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- सिख समुदाय के लिये भी इसका धार्मिक महत्त्व है क्योंकि इसी दिन गुरु गोबिंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की नींव रखी गई थी।

लोसूंग:

- इसे नामसूंग के रूप में भी जाना जाता है, यह सिक्किम का नया वर्ष है।
- यह आमतौर पर वह समय होता है जब किसान खुश होकर अपनी फसल का जश्न मनाते हैं।

हुनर हाट

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 75 'हुनर हाट' के माध्यम से 7 लाख 50 हज़ार कारीगरों, शिल्पकारों को रोज़गार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा है।

- देश भर में आयोजित होने वाले 75 हाट 'अमृत महोत्सव' का हिस्सा होंगे और भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर को चिह्नित करेंगे।
- साथ ही 'वक्फ तरक्कियाती योजना' और 'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम' (PMJVK) के तहत देश भर में खाली पड़ी वक्फ भूमि पर 75 'अमृत महोत्सव पार्क' स्थापित किये जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

हुनर हाट

- हुनर हाट अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों की एक प्रदर्शनी है।

थीम

- वोकल फॉर लोकल

नोट :

आयोजक

- ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 'उस्ताद' (विकास के लिये पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण उन्नयन) योजना के तहत आयोजित किये जाते हैं।
    - उस्ताद योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की पारंपरिक कला एवं शिल्प की समृद्ध विरासत को बढ़ावा देना और संरक्षित करना है।

उद्देश्य

- 'हुनर हाट' का उद्देश्य कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाक कला विशेषज्ञों को बाज़ार में एक्सपोज़र एवं रोज़गार के अवसर प्रदान करना है।
- यह उन शिल्पकारों, बुनकरों और कारीगरों के कौशल को बढ़ावा देने की परिकल्पना करता है जो पहले से ही पारंपरिक पुश्तैनी काम में संलग्न हैं।

महत्त्व

- 'हुनर हाट' कुशल कारीगरों और शिल्पकारों के लिये 'सशक्तीकरण' का एक माध्यम साबित हुआ है।
- यह कारीगरों और शिल्पकारों के लिये बेहद फायदेमंद और उत्साहजनक साबित हुआ है, क्योंकि लाखों लोग 'हुनर हाट' में जाते हैं और बड़े पैमाने पर कारीगरों के स्वदेशी उत्पादों को खरीदते हैं।
    - पिछले लगभग 5 वर्षों में 'हुनर हाट' के माध्यम से 5 लाख से अधिक कारीगरों, शिल्पकारों और उनसे जुड़े लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान किये गए हैं।

स्लेंडर लोरिस

हाल ही में कुछ पर्यावरणविदों ने मांग की है कि स्लेंडर लोरिस (लोरिस टार्डिग्राडस- Loris Tardigradus) के संरक्षण के लिये तमिलनाडु के कदवुर रिज़र्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया जाए।

- वर्ष 2016-17 के दौरान की गई वन्यजीव गणना के अनुसार करूर रिज़र्व फॉरेस्ट में स्लेंडर लोरिस की आबादी 3,500 देखी गई।

प्रमुख बिंदु

परिचय:

- स्लेंडर लोरिस भारत और श्रीलंका की स्थानिक/मूल लोरिस की एक प्रजाति है।
- स्लेंडर लोरिस अपना अधिकांश जीवन वृक्षों पर व्यतीत करते हैं। ये धीमी और सटीक गति के साथ शाखाओं के शीर्ष पर घूमते रहते हैं।
- ये प्राय: कीड़े, सरीसृप, पौधों और फलों का भोजन करते हैं।

आवास:

- वे उष्णकटिबंधीय वर्षावनों, झाड़ीदार जंगलों, अर्द्ध-पर्णपाती वनों और दलदली भूमि पर पाए जाते हैं।

प्रकार:

- स्लेंडर लोरिस की दो प्रजातियाँ हैं, जो 'लोरिस' जीनस (वर्ग) के सदस्य हैं:
    - रेड स्लेंडर लोरिस (लोरिस टार्डिग्रैडस)
    - ग्रे स्लेंडर लोरिस (लोरिस लिडेकेरियानस)

खतरे:

- ऐसा माना जाता है कि इनमें औषधीय गुण होते हैं और इन्हें पकड़कर बेचा जाता है। चूँकि इन जानवरों को पालतू जानवर के रूप में रखने की बहुत मांग है, इसलिये इनकी अवैध रूप से तस्करी की जाती है।
- पर्यावास का नुकसान, बिजली के तारों का करंट लगना और सड़क दुर्घटना अन्य खतरे हैं जिनके कारण इनकी आबादी कम हो गई है।

संरक्षण स्थिति:

- IUCN: संकटग्रस्त
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची- I
- CITES: परिशिष्ट- II

कदवुर रिज़र्व फॉरेस्ट

संदर्भ:

- यह जंगल तमिलनाडु के करूर ज़िले में लगभग 6000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में स्थित है। जंगल में पहाड़ियाँ और घने शुष्क क्षेत्र हैं।
- भारतीय बाइसन, चित्तीदार हिरण, चूहा हिरण, स्लेंडर लोरिस, सियार, नेवला, काले रंग का खरगोश, जंगली सूअर, साही, मॉनिटर छिपकली, पैंगोलिन, बंदर, अजगर आदि इन जंगलों में पाए जाते हैं।

तमिलनाडु में प्रमुख संरक्षित क्षेत्र:

कैटल आइलैंड: हीराकुंड जलाशय

ओडिशा वन और पर्यावरण विभाग पर्यटकों के लिये हीराकुंड जलाशय के द्वीपों के लिये इकोटूरिज़्म पैकेज शुरू कर रहा है।

- हीराकुंड जलाशय के तीन द्वीपों में से एक कैटल आइलैंड (Cattle Island) को दर्शनीय स्थल के रूप में चुना गया है।

प्रमुख बिंदु

कैटल द्वीप:

- यह हीराकुंड जलाशय के चरम बिंदुओं में से एक में स्थित है। यह पूरी तरह से जंगली जानवरों का निवास स्थान है और यहाँ मनुष्यों का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है।
- यह बेलपहाड़-बन्हरपाली रेंज के कुमारबंध गाँव के पास है जो ओडिशा के संबलपुर से लगभग 90 किमी. दूर है।

- द्वीप एक जलमग्न पहाड़ी है और हीराकुंड बाँध के निर्माण से पहले यह एक विकसित गाँव था।
    - पुनर्वास अवधि के दौरान ग्रामीणों ने अपने कुछ मवेशियों को यहीं छोड़ दिया था; तथा बाँध का निर्माण समाप्त होने पर ये मवेशी पहाड़ी की चोटी पर बस गए।
    - जैसे ही बाँध के निर्माण के बाद क्षेत्र जलमग्न होने लगा मवेशी झारसुगुडा ज़िले के एक ऊँचे स्थान भुजापहाड़ पर चले गए। बाद में इसका नाम 'कैटल आइलैंड' रखा गया।

हीराकुंड बाँध:

- स्थापना:
    - वर्ष 1937 में महानदी में विनाशकारी बाढ़ की पुनरावृत्ति के बाद इंजीनियर एम. विश्वेश्वरैया द्वारा परिकल्पित यह एक बहुउद्देशीय योजना है।
    - इसका पहला पनबिजली संयंत्र वर्ष 1956 में चालू किया गया था।
    - यह भारत का सबसे लंबा बाँध है।
- अवस्थिति:
- यह बाँध ओडिशा के संबलपुर शहर के ऊपर की ओर लगभग 15 किमी. की दूरी पर महानदी नदी में बनाया गया है।
    - महानदी नदी प्रणाली गोदावरी और कृष्णा के बाद प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी और ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी है।
    - इसका उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य की बस्तर पहाड़ियों में सिहावा के पास अमरकंटक के दक्षिण से होता है।
    - नदी का जलग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है।
- उद्देश्य:
    - सिंचाई: यह परियोजना संबलपुर, बरगढ़, बोलांगीर और सुबरनापुर ज़िलों में 1,55,635 हेक्टेयर खरीफ तथा 1,08,385 हेक्टेयर रबी फसलों हेतु सिंचाई सुविधा प्रदान करती है।
        - पावर हाउस के माध्यम से छोड़ा गया जल महानदी डेल्टा में 4,36,000 हेक्टेयर क्षेत्रों को सिंचित करता है।
    - विद्युत उत्पादन: विद्युत उत्पादन के लिये स्थापित क्षमता 347.5 मेगावाट है, इसके दो बिजलीघरों बुर्ला में दाहिने किनारे पर और चिपलीमा, बांध से 22 किमी. नीचे की ओर स्थित हैं।
    - बाढ़ नियंत्रण: परियोजना कटक और पुरी ज़िलों में 9500 वर्ग किलोमीटर डेल्टा क्षेत्र सहित महानदी बेसिन को बाढ़ सुरक्षा प्रदान करती है।
- वन्यजीव अभयारण्य:
    - देबरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, हीराकुंड बाँध के पास स्थित है। यह पूर्व और उत्तर में विशाल हीराकुंड जलाशय से घिरा है।
        - यह स्थलीय और जलीय जैव विविधता दोनों का समर्थन करने वाले राज्य के कुछ चुनिंदा अभयारण्यों में से एक है।

नई शैवाल प्रजाति: अंडमान और निकोबार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक 'अम्ब्रेला हेड' वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है।

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रवाल भित्तियों का सकेंद्रण स्थल है तथा समुद्री जैव विविधता से समृद्ध है।
- मार्च 2021 में भारत के समुद्र तट के किनारे लाल समुद्री शैवाल की दो नई प्रजातियों की खोज की गई।

शैवाल (Algae)

- शैवाल को मुख्य रूप से जलीय, प्रकाश संश्लेषक और नाभिक-असर वाले जीवों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनमें पौधों की वास्तविक जड़ों, तनों, पत्तियों और विशेष बहुकोशिकीय प्रजनन संरचनाओं की कमी होती है।

नोट :

- उनके प्रकाश संश्लेषक वर्णक पौधों की तुलना में अधिक विविधतापूर्ण हैं और उनकी कोशिकाएँ पौधों एवं जानवरों के मध्य पाए जाने वाली विशेषताओं से भिन्न हैं।
- ऑक्सीजन उत्पादकों और लगभग सभी जलीय जीवन के लिये खाद्य आधार के रूप में उनकी पारिस्थितिक भूमिकाएँ हैं।
- वे कच्चे तेल एवं भोजन के स्रोत तथा मनुष्यों के लिये कई दवा और औद्योगिक उत्पादों हेतु आर्थिक रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी (Phycology) कहते हैं।

प्रमुख बिंदु

परिचय :

- यह एक चमकीले हरे रंग का शैवाल है जिसका आकार 20 से 40 मिमी. होता है।
- काल्पनिक समुद्री मत्स्यांगना के नाम पर रखा गया एसिटाबुलरिया जलकन्याका (Acetabularia jalakanyakae) बहुत ही प्राचीन है और एक एकल कोशिका जीव है।
    - संस्कृत में जलकन्याका का शाब्दिक अर्थ है मत्स्यांगना और महासागरों की देवी।
- यह भारत में खोजी गई जींस एसिटाबुलेरिया (Acetabularia) की पहली प्रजाति है।

विशेषताएँ :

- यह एक छतरी या एक मशरूम की तरह दिखाई देता है, इसकी टोपी पर 15 से 20 मिमी. व्यास के खाँचे/रेखाएँ होती हैं।
- यह एक नाभिक के साथ एक विशाल कोशिका से बना होता है। इसका केंद्रक एक राइज़ॉइड (Rhizoid) संरचना बनाता है, जो शैवाल को उथली चट्टानों से खुद को जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। यह प्रकृति में अत्यधिक पुनर्योजी है।
    - Rhizoids पौधों और कवक के रूप में एक संरचना है जो मज़बूती या अवशोषण में जड़ की तरह कार्य करती है।

महत्त्व :

- चूँकि उनके पास एक विशाल कोशिका है, यह आणविक जीवविज्ञानी के लिये लाभकारी है जो सेलुलर प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं; वे इसे देख सकते हैं और नग्न आँखों से इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। इस कारण से एसिटाबुलरिया (Acetabularia) को एक आदर्श जीव माना जाता है।

चिंताएँ :

- वे विभिन्न प्रवाल भित्तियों के साथ ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि के खतरे का सामना कर रहे हैं।
- वे वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण महासागर अम्लीकरण के लिये अत्यधिक प्रवण हैं क्योंकि जीनस एसिटाबुलरिया समूह के पौधों में समृद्ध कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है जिनके सूखने पर इनका वज़न लगभग आधा हो जाता है।

'यूनाइट अवेयर' प्लेटफॉर्म

हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र (UN) के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे 'शांति सैनिकों' की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये एक प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया है।

- 'यूनाइट अवेयर' (UNITE AWARE) प्लेटफॉर्म का शुभारंभ तब हुआ, जब भारत ने अगस्त माह के लिये 15 देशों वाले 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' की अध्यक्षता ग्रहण की है।

प्रमुख बिंदु

'यूनाइट अवेयर' प्लेटफॉर्म के विषय में

- उद्देश्य: इस परियोजना का उद्देश्य विषम खतरों का पता लगाने हेतु आधुनिक निगरानी प्रौद्योगिकी के प्रभाव को प्रदर्शित करना है।
- सिचुएशनल अवेयरनेस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम: यह सुरक्षा बनाए रखने में शांति सैनिकों के लिये वास्तविक समय में खतरे के आकलन हेतु आधुनिक निगरानी तकनीक का उपयोग करता है।
    - यह लाइव वीडियो और सैटेलाइट इमेजरी एक्सेस प्रदान करेगा और बहुत ही अस्थिर परिस्थितियों में शांति सैनिकों को शुरुआती चेतावनी भी दे सकता है।

- यह महत्त्वपूर्ण घटनाओं का भी डेटा रिकॉर्ड करता है और दैनिक परिचालन गतिविधियों का पालन करता है।
- इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके वास्तविक समय के आधार पर शांति अभियान की परिकल्पना, समन्वय और निगरानी की जा सकती है।

- साझेदारी: भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान संचालन विभाग और परिचालन सहायता विभाग के साथ साझेदारी में प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
- तैनाती: प्लेटफॉर्म शुरू में चार संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में तैनात किया जाएगा: MINUSMA (माली), UNMISS (दक्षिण सूडान), UNFICYP (साइप्रस) और AMISOM (सोमालिया)।
- भारत का योगदान: भारत ने इस परियोजना के लिये 1.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है।

संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन:

- संयुक्त प्रयास: यह शांति अभियान विभाग और परिचालन सहायता विभाग का एक संयुक्त प्रयास है।
  - इसके तहत दुनिया भर से सैनिकों और पुलिस को तैनात किया जाता है तथा उन्हें 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' (UNSC) एवं 'संयुक्त राष्ट्र महासभा' द्वारा निर्धारित कई जनादेशों को संबोधित करने के लिये नागरिक शांति सैनिकों के साथ एकीकृत किया जाता है।
  - यह देशों को संघर्ष से शांति के कठिन रास्ते पर चलने में मदद करता है।
- वित्तीय योगदान: संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिये वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करना संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की सामूहिक ज़िम्मेदारी है।
- कानूनी दायित्व: संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार, प्रत्येक सदस्य राज्य शांति स्थापना के लिये अपने-अपने हिस्से का भुगतान करने के लिये कानूनी रूप से बाध्य है।
- भारतीय योगदान
  - भारत, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना गतिविधियों में प्रमुख योगदान देने वाला देश है।
    - वर्तमान में भारत से 5506 सैनिक और पुलिस शांति सेना में शामिल हैं, जिन्हें नौ अलग-अलग संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात किया गया है, यह सैन्य योगदान देने वाले देशों में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्त्ता है।
  - वर्ष 1948 से दुनिया भर में स्थापित 71 संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में से 49 में 200,000 से अधिक भारतीयों ने सेवा दी है।
  - भारत में महिलाओं को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भेजने की लंबी परंपरा रही है।
    - वर्ष 2007 में भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में एक महिला दल को तैनात करने वाला पहला देश बना था।

राष्ट्रीय जैव उद्यमिता प्रतियोगिता

हाल ही में भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म (C-CAMP) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जैव उद्यमिता प्रतियोगिता (NBEC) के पाँचवें संस्करण की शुरुआत की।

- NBEC का संचालन बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल रीज़नल एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर के एक हिस्से के रूप में किया जाता है, जिसे BIRAC की साझेदारी में सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म (C-CAMP) में स्थापित किया गया है।
  - BIRAC एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जिसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा स्थापित किया गया है।

सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म (C-CAMP)

- C-CAMP जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के तहत जीवन विज्ञान के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार और उद्यमिता केंद्रों में से एक है।
- यह अत्याधुनिक तकनीकों को विकसित करने, अकादमिक और उद्योग को इन प्रौद्योगिकियों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करता है।

प्रमुख बिंदु:

NBEC के बारे में:

- यह जैव-उद्यमियों हेतु भारत की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता है।
- इसे पहली बार वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया, NBEC भारत में जैव-उद्यमियों और नवप्रवर्तकों (Innovators) के गहन विज्ञान संचालित विचारों को प्रदर्शित करने हेतु एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है और महत्त्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करता है।
- इसे जीवन विज्ञान के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण विज्ञान-संचालित व्यावसायिक विचारों की पहचान और पोषण करने हेतु प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें सामाजिक चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करने की अपार संभावनाएँ विद्यमान हैं।

पुरस्कार:

- इसमें विजेताओं को 8.5 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार के साथ ही इस वर्ष निवेश के लिये अवसर प्रदान किये जाएंगे।

निवेश भागीदार:

- इस प्रतियोगिता के माध्यम से भारत में जैव-उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और समर्थन देने हेतु 30 से अधिक उद्योग और निवेश भागीदार आगे आए हैं।

उपलब्धियाँ:

- NBEC ने चार वर्षों में जीवन विज्ञान के सभी उप-क्षेत्रों से 1,000 से अधिक सावधानीपूर्वक जाँचे गए और विशेषज्ञों द्वारा चुने गए व्यावसायिक विचारों को एकत्र किया है।
  - डिजिटल स्वास्थ्य, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, रोगाणुरोधी प्रतिरोध, पानी और स्वच्छता, हरित रसायन एवं व्यक्तिगत देखभाल जैसे विशेष रूप से उभरते क्षेत्रों के साथ ही स्वास्थ्य सेवा, कृषि और पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया गया है ।
- इसने वाणिज्यिक व्यवहार्यता के प्रदर्शन के साथ नवीन प्रौद्योगिकियों के सतत् चरण का निर्माण किया है।

इनसेल मूवमेंट

हाल ही में इंसेल मूवमेंट /आंदोलन (Incel Movement) को वैश्विक स्तर पर गंभीर हिंसा से जोड़कर देखा जा रहा है।

- यह आंदोलन ब्रिटेन के प्लायमाउथ में एक बार फिर सुर्खियों में आया, जहाँ एक 22 वर्षीय व्यक्ति ने एक बच्चे सहित पाँच लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी।

प्रमुख बिंदु:

इंसेल मूवमेंट के बारे में:

- यह एक खतरनाक ऑनलाइन उपसंस्कृति है जिसमें ऐसे पुरुष शामिल हैं जो स्वयं को 'अनैच्छिक ब्रह्मचारी' (Involuntary Celibates) के रूप में मानते हैं और महिलाओं के बारे में लगातार गलत अवधारणा का प्रचार करते हैं।
- जो पुरुष इस मूवमेंट /आंदोलन का हिस्सा हैं, वे महिलाओं और यौन रूप से सक्रिय अन्य पुरुषों दोनों के प्रति गहरी नाराज़गी रखते हैं।
- ये महिलाओं को उनकी खराब यौन और सामाजिक स्थिति के लिये दोषी मानते हैं।
- जबकि कुछ के विचार अलग हैं, कुछ का मानना है कि यौन उनका अधिकार है ठीक उसी प्रकार जैसे पुरुषों को पुरुष होने होने के कारण यह दिया जाता है।
  - विशेषज्ञों का कहना है कि इंसेल का एक चरमपंथी वर्ग महिलाओं के खिलाफ हिंसा की भी वकालत करता है। हालाँकि उपसंस्कृति के सभी सदस्य हिंसक नहीं हैं ।

'रेड पिल' (Red pill) और 'ब्लैक पिल' (Black Pill) की मानसिकता:

- ब्लैक पिल' थ्योरी, जो अक्सर इंसेल्स से जुड़ी है, पराजयवादी विचार (Defeatist Idea) को बढ़ावा देती है कि जन्म के समय ही आपका भाग्य निर्धारित कर दिया जाता है और आप जो भी बदलाव करने की कोशिश करते हैं, उससे आपकी यौन पूंजी (Sexual Capital) को बदला नहीं जा सकता है।

- दूसरी ओर 'रेड पिल' थ्योरी मानने वालों का विश्वास हैं कि विश्व महिलाओं के प्रति पक्षपाती है और नारीवाद को महिला वर्चस्व के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि महिलाओं के पक्ष में एक व्यवस्थित पूर्वाग्रह विद्यमान है।

चिंताएँ:

- इस मूवमेंट की पहचान युवा श्वेत पुरुषों (Young White Males) के ऑनलाइन कट्टरपंथी विचारों को प्रसारित करने की प्रवृत्ति के रूप में की गई है।
- यह बेटर ऑल्ट-राइट मूवमेंट (Alt-Right Movement) के साथ समानता रखता है, दोनों समूहों ने सामाजिक उदारवाद, महिलाओं और जातीय अल्पसंख्यकों को समाज में व्याप्त कमियों हेतु ज़िम्मेदार ठहराया है।
    - ऑल्ट-राइट (संक्षिप्त रूप से वैकल्पिक अधिकार) एक शिथिल रूप से जुड़ा हुआ दूर-दक्षिणपंथी, श्वेत राष्ट्रवादी आंदोलन/मूवमेंट है।
- न्यू अमेरिका फाउंडेशन द्वारा घरेलू आतंकी हमलों के विश्लेषण के अनुसार, अभी तक अन्य सुदूर-दक्षिणपंथी (Far-right) विचारधाराओं के अनुयायियों द्वारा किये गए हिंसक हमलों की तुलना में इंसेल-संबंधित हमलों को अमेरिका में एक आतंकी खतरे के रूप में नहीं देखा जाता है।
    - लेकिन इसी विश्लेषण में यह भी कहा गया कि इंसेल आतंकवाद, सुदूर-वामपंथी (Far-left) आतंकवाद की तुलना में अधिक घातक है।

कैस्केड मेंढक की नई प्रजाति: अरुणाचल प्रदेश

हाल ही में शोधकर्त्ताओं की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में कैस्केड मेंढक (Cascade Frog) की एक नई प्रजाति की खोज की है।

- इस मेंढक का नाम आदि कैस्केड (Adi Cascade) है।
- इससे पहले पश्चिमी घाट में मिनरवेरिया पेंटाली नाम की एक नई मेंढक प्रजाति की खोज की गई थी।

प्रमुख बिंदु:

संदर्भ:

- यह मुख्य रूप से भूरे रंग का मेंढक है जिसका आकार लगभग 4 सेमी से 7 सेमी के बीच होता है।
- इसे औपचारिक रूप से अमोलोप्स एडिकोला (Amolops Adicolasp.nov.) के रूप में वर्णित किया गया है, जो कि रूपात्मक रूप से वर्ण/रंग के मामले में अपने जन्मदाताओं से अलग होता है। इस भिन्नता में वयस्क मेंढक आकार, शरीर का रंग और चिह्न, त्वचा की बनावट, थूथन का आकार, पैरों की संरचना और डिजिट टिप जैसे आकृति विज्ञान शामिल हैं।

नामकरण:

- अरुणाचल प्रदेश की आदि पहाड़ियों में रहने वाली स्वदेशी आदि जनजाति के नाम पर इसका नाम आदि कैस्केड मेंढक (अमोलोप्स एडिकोला) रखा गया है। आदि का शाब्दिक अर्थ "पहाड़ी" या "पहाड़ की चोटी" है।
    - ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र को अबोर पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता था।

कैस्केड मेंढक:

- इसका नाम कास्केड मेंढक इसलिये रखा गया है क्योंकि यह पहाड़ी धाराओं में बहने वाले छोटे झरनों या झरनों में रहना पसंद करता है।
- कैस्केड मेंढक जीनस अमोलॉप्स से संबंधित हैं।
    - जीनस अमोलॉप्स वर्तमान में 73 ज्ञात प्रजातियों के साथ रैनिड मेंढक (परिवार रानीडे) के सबसे बड़े समूहों में से एक है, जो व्यापक रूप से पूर्वोत्तर और उत्तर भारत, नेपाल, भूटान, चीन, इंडो-चाइना के माध्यम से मलय प्रायद्वीप में वितरित हैं।

आदि जनजाति:

- माना जाता है कि अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति 16वीं शताब्दी में दक्षिणी चीन से आई थी।
- यह तिब्बती-बर्मन भाषा बोलने वाली आबादी हैं।

- ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग और निचली दिबांग घाटी ज़िलों के सुदूर उत्तर में निवास करते हैं।
- आदि जनजाति बेंत और बाँस के सामान बनाने में कुशल है।
- सोलुंग (फसल काटने का त्योहार जहाँ जानवरों की बलि और अनुष्ठान किये जाते हैं) और अरन (एक शिकार उत्सव जहाँ परिवार के सभी पुरुष सदस्य शिकार के लिये जाते हैं) आदि जनजातियों के दो प्रमुख त्योहार हैं।
- यह अरुणाचल प्रदेश में एक अनुसूचित जनजाति है।

उत्तराखंड का नारायणकोटि मंदिर: 'धरोहर गोद लें' परियोजना

हाल ही में उत्तराखंड के नारायणकोटि मंदिर को केंद्र की 'धरोहर गोद लें' (Adopt a Heritage) परियोजना के तहत शामिल किया गया है।

प्रमुख बिंदु

'धरोहर गोद लें' परियोजना के बारे :

- इस परियोजना को 27 सितंबर, 2017 (विश्व पर्यटन दिवस) पर शुरू किया गया था, यह पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI), राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों का एक समन्वित प्रयास है।

उद्देश्य:

- संपूर्ण देश में फैले विरासत/प्राकृतिक/पर्यटक स्थलों पर पर्यटन सुविधाओं का विकास करना ताकि उन्हें पर्यटन के अनुकूल, योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जा सके।

योजना का कार्यान्वयन:

- स्थलों/स्मारकों का चयन पर्यटकों की संख्या और दृश्यता के आधार पर किया जाता है तथा इसे पाँच साल की प्रारंभिक अवधि के लिये निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा अपनाया जा सकता है जिन्हें स्मारक मित्र के रूप में जाना जाता है।
- स्मारक मित्रों का चयन 'निगरानी और दृष्टि समिति' (Oversight and Vision Committee) द्वारा किया जाता है, जिसकी सह-अध्यक्षता पर्यटन सचिव और संस्कृति सचिव द्वारा विरासत स्थल पर सभी सुविधाओं के विकास हेतु बोली लगाने वाले के विज़न के आधार पर की जाती है।
  - बोली में कोई वित्तीय आधार शामिल नहीं है।
  - कॉर्पोरेट क्षेत्र से साइट के रखरखाव के लिये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड का उपयोग करने की उम्मीद की जाती है।

अन्य संबंधित योजनाएँ

- देखो अपना देश
- प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल
- स्वदेश दर्शन
- तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्द्धन अभियान (PRASHAD)

नारायणकोटि मंदिर:

- यह प्राचीन मंदिरों का एक समूह है, जो रुद्रप्रयाग-गौरीकुंड राजमार्ग पर गुप्तकाशी से लगभग 2 किमी. दूर अवस्थित है।
- यह देश का एकमात्र स्थान (नारायणकोटि) है जहाँ नौ ग्रहों के मंदिर एक समूह में स्थित हैं जो "नौ ग्रहों का प्रतीक" है।
- यह लक्ष्मी नारायण को समर्पित है जो पांडवों से संबंधित है।
- ऐसा माना जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण 9वीं शताब्दी में किया गया था।

उत्तराखंड में अन्य महत्त्वपूर्ण स्थान

- चारधाम- गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ (अलकनंदा नदी के तट पर भगवान विष्णु को समर्पित), केदारनाथ (भगवान शिव को समर्पित) को सामूहिक रूप से चार धाम के रूप में जाना जाता है।
  - चारधाम परियोजना के तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का लक्ष्य चारधाम के लिये कनेक्टिविटी में सुधार करना है।
- हेमकुंड साहिब: पूर्व में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी के नाम से जाना जाने वाला यह चमोली ज़िले में एक सिख पूजा स्थल और तीर्थ स्थल है। यह दसवें सिख गुरु, गुरु गोबिंद सिंह को समर्पित है तथा दशम ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है, जिन्हें स्वयं गुरुजी द्वारा लिखा गया है।
- यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान।
- जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क (देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान) और राजाजी टाइगर रिज़र्व।

तुंगभद्रा बाँध

हाल ही में उपराष्ट्रपति ने कर्नाटक में तुंगभद्रा बाँध (Tungabhadra Dam) का दौरा किया।

प्रमुख बिंदु:

संदर्भ:

- तुंगभद्रा बाँध जिसे पम्पा सागर के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक के बल्लारी ज़िले के होसापेटे में तुंगभद्रा नदी पर बना एक बहुउद्देशीय बाँध है। इसका निर्माण वर्ष 1953 में डॉ. थिरुमलाई अयंगर द्वारा किया गया था।
- तुंगभद्रा जलाशय में 101 टीएमसी (हज़ार मिलियन क्यूबिक फीट) की भंडारण क्षमता है, जिसमें जलग्रहण क्षेत्र 28000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी ऊँचाई लगभग 49.5 मीटर है।

महत्त्व:

- यह कर्नाटक के बेल्लारी, कोप्पल और रायचूर (कर्नाटक के चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है) और पड़ोसी आंध्र प्रदेश में अनंतपुर, कडप्पा एवं कुरनूल के 6 कालानुक्रमिक सूखा प्रवण जिलों की जीवन रेखा है।
- दोनों राज्यों में भूमि के बड़े हिस्से को सिंचित करने के अलावा यह जलविद्युत भी उत्पन्न करता है और बाढ़ को रोकने में मदद करता है।

तुंगभद्रा नदी

- यह दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है जो कर्नाटक राज्य से होकर आंध्र प्रदेश में बहती है। नदी का प्राचीन नाम पम्पा था। यह नदी लगभग 710 किमी. लंबी है।
- यह दो नदियों, तुंगा नदी और भद्रा नदी के संगम से बनती है। तुंगा और भद्रा दोनों नदियाँ पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों से निकलती हैं।
- तुंगभद्रा के मार्ग का अधिकांश भाग दक्कन के पठार के दक्षिणी भाग में स्थित है। नदी मुख्य रूप से वर्षा द्वारा पोषित है।
- इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ भद्रा, हरिद्रा, वेदवती, तुंगा, वरदा और कुमदावती हैं।
- पूर्वी कृष्णा नदी में मिलने से पहले यह कमोबेश उत्तर-पश्चिम दिशा में बहती है। कृष्णा नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में मिलती है।

सुरंगम प्रणाली

अफगानिस्तान की करेज प्रणाली खतरे में है, जबकि दक्षिण भारत में सुरंगम नामक एक समान प्रणाली फल-फूल रही है।

- सुरंगम संरचना और प्रसार दोनों में करेज प्रणाली से मिलती-जुलती है।

प्रमुख बिंदु

सुरंगम के बारे में:

- सुरंगम या सुरंगा प्रणाली आमतौर पर उत्तरी केरल और दक्षिणी कर्नाटक में पाई जाती है।

नोट :

- सुरंगम मूल रूप से एक लेटराइट पहाड़ी के माध्यम से खोदी गई एक सुरंग है जिसकी परिधि पर पानी के रिसाव के साथ नमी रहती है।
- सुरंगम कानाट्स (Qanats) के समान हैं जो कभी मेसोपोटामिया और बेबीलोन में लगभग 700 ईसा पूर्व के आस-पास मौजूद थे। 714 ईसा पूर्व तक यह तकनीक मिस्र, फारस और भारत में फैल गई थी।
    - कानाट्स भूमिगत सुरंग प्रणाली है जो केवल गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके घुसपैठ किये गए भूजल, सतही जल या झरने के पानी को पृथ्वी की सतह पर लाती है।
- उत्तरी मालाबार के शुष्क क्षेत्रों में घरेलू और कृषि उद्देश्यों के लिये इस प्रणाली का बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है।
- कुछ लोगों का मानना है कि सुरंगम स्वदेशी है और सुरंग प्रणाली की संभावित उत्पत्ति 18 करहदा ब्राह्मण परिवारों को संदर्भित करती है जिन्हें 17वीं शताब्दी में दबाव पूर्वक आधुनिक महाराष्ट्र से कासरगोड क्षेत्र में ले जाया गया था।

करेज प्रणाली:

- करेज प्रणाली अपने फारसी सांस्कृतिक मूरिंग्स (Moorings) की विरासत है। 43 वर्षों के युद्ध में इसे व्यापक नुकसान हुआ है और तालिबान के दूसरे शासन के तहत इसका भविष्य अनिश्चित दिखता है।
- करेज एक जल दोहन तकनीक है जिसमें भूमिगत जल को एक सुरंग द्वारा सतह पर लाया जाता है।
- इस प्रणाली में किसी यांत्रिक पंप या लिफ्ट का उपयोग नहीं किया जाता है। केवल गुरुत्वाकर्षण द्वारा भूमिगत स्रोत से पानी लाया जाता है।
- इस प्रौद्योगिकी की उत्पत्ति फारस/ईरान में हुई थी और मध्ययुगीन काल के दौरान इसका व्यापक रूप से उपयोग किया गया था।

क्रम संख्या	पारिस्थितिक क्षेत्र	पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणाली
1.	ट्रांस-हिमालयी क्षेत्र	जिंग
2.	पश्चिमी हिमालय	कुल, नौला, कुहल, खत्री
3.	पूर्वी हिमालय	अपतानि
4.	नॉर्थ ईस्टर्न हिल रेंज	ज़ाबो
5.	ब्रह्मपुत्र घाटी	डोंग्स / डंग्स / जम्पोइस
6.	इंडो-गंगा के मैदान	अहार - पायनेस, बंगाल के इनडेशन चैनल, दिघी, बावली
7.	थार रेगिस्तान	कुंड, कुइस/बेरी, बावड़ी/बेर/ झालारास, नाडी, तोबास, टंका, खांडिन, वाव/बावड़ी, वीरदास, पार
8.	केंद्रीय हाइलैंड्स	तालाब, बंधी, साजा कुवा, जोहड़, नाडा / बंद, पट, रापट, चंदेला टैंक, बुंदेला टैंक
9.	पूर्वी हाइलैंड्स	कटास / मुंडा / बंधा
10.	दक्कन का पठार	चेरुवु, कोहली टैंक, भंडारास, फड़, केरे, द रामटेक मॉडल
11.	पश्चिमी घाट	सुरंगम
12.	पश्चिमी तटीय मैदान	वीरदास
13.	पूर्वी घाट	कोराम्बु
14.	पूर्वी तटीय मैदान	एरी/ओरानिस
15.	द्वीप	जैक वेल्स

नोट :

शंकराचार्य मंदिर

हाल ही में वार्षिक अमरनाथ तीर्थयात्रा से जुड़ी सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार, भगवान शिव की पवित्र गदा (छड़ी मुबारक) को प्राचीन शंकराचार्य मंदिर में लाया गया।

प्रमुख बिंदु

मंदिर के विषय में:

- इसे बौद्धों द्वारा ज्येष्ठेश्वर मंदिर या पास-पहाड़ के रूप में भी जाना जाता है। फारसी और यहूदी इसे बाग-ए-सुलेमान या गार्डन ऑफ किंग सोलोमन भी कहते हैं। मंदिर के अंदर फारसी शिलालेख भी मिले हैं।
- यह श्रीनगर, कश्मीर में ज़बरवान पर्वत पर शंकराचार्य पहाड़ी (जिसे सोलोमन पहाड़ी भी कहा जाता है) की चोटी पर स्थित है।
  - मंदिर को कश्मीर की घाटी का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है।
- भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर ज़मीन के स्तर से 1,000 फीट की ऊँचाई पर स्थित है और यहाँ से श्रीनगर शहर को देखा जा सकता है।
- मंदिर 200 ईसा पूर्व का है, हालाँकि इसकी वर्तमान संरचना संभवत: 9वीं शताब्दी ईस्वी की है।
- आदि शंकराचार्य द्वारा इस मंदिर का भ्रमण किये जाने के बाद से ही उनका नाम इस मंदिर के साथ जुड़ा और इस तरह मंदिर का नाम शंकराचार्य पड़ा।

संरचना:

- यह प्राचीन मंदिर वास्तुकला की स्वदेशी प्रारंभिक कश्मीरी शैली में बनाया गया है और इसमें उन दिनों प्रचलित तकनीकों को अपनाया गया है।
- प्रारंभिक शिहारा शैली को इस इमारत के डिजाइन में प्रमुख रूप से स्पष्ट है और यह घोड़े की नाल के आर्क प्रकार के पैटर्न का संकेत है।
- यह लगभग तीस फीट ऊँचे अष्टकोणीय आधार/चबूतरे पर निर्मित एक विशाल पत्थर की संरचना है।
- यह चबूतरा एक निम्न ऊँचाई की चहारदीवारी से घिरा हुआ है। मंदिर में एक कक्ष है, जो अंदर से गोलाकार है तथा इसका व्यास तेरह फीट है।
- मंदिर का वर्गाकार भवन तहखाने द्वारा समर्थित है।

शंकराचार्य

परिचय:

- उन्हें आदि शंकर के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म केरल के कलादी में 788 ई. में में हुआ था।
- उन्होंने अद्वैतवाद (Monism) के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और संस्कृत में वैदिक सिद्धांत (उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवद गीता) पर कई टिप्पणियाँ लिखीं।

प्रमुख कृतियाँ/रचनाएँ:

- ब्रह्मसूत्रभाष्य (ब्रह्म सूत्र पर भाष्य या भाष्य)।
- भजगोविंदम स्तोत्र।
- निर्वाण षट्कम।

अन्य योगदान:

- इन्होने भारत में उस समय हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जब बौद्ध धर्म लोकप्रियता प्राप्त कर रहा था।
- इन्होंने भारत के चारों कोनों में चार मठों की स्थापना की और यह परंपरा आज भी जारी है।

कोंकण अभ्यास 2021

हाल ही में INS तबर और HMS वेस्टमिन्स्टर के बीच इंग्लिश चैनल में कोंकण अभ्यास 2021 आयोजित किया गया।

- इंग्लिश चैनल आइल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के दक्षिणी तट और फ्राँस के उत्तरी तट के बीच स्थित है। उत्तर में यह डोवर जलडमरूमध्य द्वारा उत्तरी सागर से अलग होता है।

प्रमुख बिंदु

अभ्यास के विषय में:

- द्विपक्षीय कोंकण अभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित एक नौसैनिक अभ्यास है।
- कोंकण अभ्यास श्रृंखला की शुरुआत वर्ष 2004 में शुरू की गई थी। तब से इस अभ्यास का आयोजन दोनों देशों की नौसेनाओं द्वारा बारी-बारी से किया जाता है।

भारत और यू.के. के बीच अन्य अभ्यास:

- अभ्यास इंद्रधनुष (वायु सेना अभ्यास)
- अजेय वारियर (संयुक्त थल सेना अभ्यास)

INS तबर:

- यह भारतीय नौसेना में तलवार श्रेणी का तीसरा युद्धपोत है, जिसे वर्ष 2004 के दौरान कैलिनिनग्राद, रूस में कमीशन किया गया था।
- यह युद्धपोत हवा या सतह या उपसतह संबंधी मिशन संचालन करने तथा बचाव करने में सक्षम है।
- भारतीय नौसेना के तलवार श्रेणी के युद्धपोत रूस में भारत-रूस संयुक्त उत्पादन के तहत बनाए गए हैं। तलवार श्रेणी के निर्देशित मिसाइल युद्धपोत रूस के क्रिवाक III श्रेणी के युद्धपोत का संशोधित रूप हैं। अन्य युद्धपोतों में शामिल हैं: INS तेग, तरकश, त्रिकंद, तलवार, त्रिशूल।
- अक्तूबर 2016 में, भारत और रूस ने चार क्रिवाक या तलवार स्टील्थ युद्धपोत के लिये एक अंतर-सरकारी समझौते (IGA) पर हस्ताक्षर किये थे।
- पहले दो युद्धपोत रूस के कैलिनिनग्राद स्थित यंतर शिपयार्ड में बनाए जाएंगे। इनके बाद दो युद्धपोत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) में बनाए जाएंगे।

प्रमुख भारतीय समुद्री अभ्यास

अभ्यास का नाम	देश का नाम
SLINEX	श्रीलंका
बोंगोसागर और IN-BN CORPAT	बांग्लादेश
जिमेक्स	जापान
नसीम-अल-बहर	ओमान
इंद्र	रूस
जैर-अल-बहरी	कतर
समुद्र शक्ति	इंडोनेशिया
भारत-थाई कॉर्पेट	थाईलैंड

नोट :

IMCOR	मलेशिया
सिम्बेक्स	सिंगापुर
औसइंडेक्स	ऑस्ट्रेलिया
मालाबार अभ्यास	जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका

कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व: उत्तराखंड

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority-NTCA) को कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के बाघ प्रजनन आवास के भीतर पुलों और दीवारों के कथित अवैध निर्माण को रोकने हेतु एक याचिका पर विचार करने के लिये कहा है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) है।
- इसकी स्थापना वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद की गई थी।
- इसका गठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया था तथा इसे सौंपे गए शक्तियों और कार्यों के अनुसार, बाघ संरक्षण मजबूती प्रदान करने के लिये वर्ष 2006 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था।

प्रमुख बिंदु

कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के विषय में:

- यह उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में अवस्थित है। वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कॉर्बेट नेशनल पार्क (भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान) में हुई थी, जो कि कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व का एक हिस्सा है।
    - इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी जिसका उद्देश्य लुप्तप्राय बंगाल टाइगर को संरक्षण प्रदान करना था।
    - इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- इसका मुख्य क्षेत्र में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जबकि बफर ज़ोन में आरक्षित वन और साथ ही सोनानदी वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं।
- रिज़र्व का पूरा क्षेत्र पहाड़ी है और यह शिवालिक तथा बाह्य हिमालय भूवैज्ञानिक प्रांतों के अंतर्गत आता है।
- रामगंगा, सोननदी, मंडल, पालेन और कोसी रिज़र्व से होकर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं।

वनस्पति:

- भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अनुसार कॉर्बेट में पौधों, वृक्षों, झाड़ियों, फर्न, घास, लताओं, जड़ी-बूटियों और बाँस आदि की 600 प्रजातियाँ विद्यमान हैं। साल, खैर और शीशम यहाँ सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष हैं।

जंतु वर्ग:

- कॉर्बेट में बाघों के अलावा तेंदुए भी पाए जाते हैं। अन्य स्तनधारी जैसे जंगली बिल्लियाँ, काकड़ या कांकड़ (Barking Deer), चित्तीदार हिरण, सांभर हिरण, स्लॉथ आदि भी यहाँ पाए जाते हैं।

उत्तराखंड के अन्य प्रमुख संरक्षित क्षेत्र:

- नंदा देवी नेशनल पार्क
- फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान
    - फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एक साथ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं।

नोट :

- राजाजी राष्ट्रीय उद्यान
- गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान
- गोविंद राष्ट्रीय उद्यान

"युक्तधारा"

हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural development) द्वारा एक नया भू-स्थानिक योजना पोर्टल "युक्तधारा" लॉन्च किया गया है। नए पोर्टल से रिमोट सेंसिंग और GIS आधारित जानकारियों का उपयोग करते हुए नई मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना बनाने में सुविधा प्राप्त होगी।

- यह भुवन (Bhuvan) के अंतर्गत एक नया पोर्टल है।

प्रमुख बिंदु

पोर्टल के विषय में:

- यह इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किए गए अथक प्रयासों का परिणाम है, जो विकेंद्रीकृत निर्णय लेने के समर्थन में ग्रामीण योजनाओं हेतु गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट (G2G) सेवा को साकार करने के लिये किया गया है।
  - पूर्व में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया 'भुवन' पोर्टल वर्तमान समय में पूरे भारत में कई विकासात्मक योजना गतिविधियों के लिये एक वास्तविक भू-स्थानिक मंच बन गया है।
- यह प्लेटफॉर्म विभिन्न राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों यानी मनरेगा, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, प्रति बूंद अधिक फसल और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आदि के अंतर्गत बनाई गई परिसंपत्तियों (जियोटैग) के भंडार के रूप में कार्य करेगा, जिसमें फील्ड फोटोग्राफी भी शामिल है।
- यह पोर्टल विभिन्न प्रकार की थीमेटिक परतों, मल्टी-टेम्पोरल हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा को, विश्लेषण उपकरणों के साथ एकीकृत करेगा।
- योजनाकार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पिछली परिसंपत्तियों का विश्लेषण करने तथा ऑनलाइन उपकरणों के माध्यम से नए कार्यों की पहचान करने में सक्षम होंगे। राज्य के विभागों के अंतर्गत आने वाले उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा।

भुवन पोर्टल:

- यह एक प्रकार का वेब पोर्टल है जिसका उपयोग इंटरनेट के माध्यम से भौगोलिक जानकारी (भू-स्थानिक जानकारी) और संबद्ध भौगोलिक सेवाओं (प्रदर्शन, संपादन, विश्लेषण, आदि) को खोजने और उन तक पहुँचने के लिये किया जाता है।
- यह भारत सरकार से उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश की वास्तविक सीमाओं को दर्शाता है।
- उपयोगकर्त्ता मैप संबंधी विदेशी ऐप्स के बजाय MapmyIndia मैप्स और एप्लिकेशन का उपयोग करके अपनी गोपनीयता की बेहतर सुरक्षा कर सकते हैं।
- यह सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन के अनुरूप है।

अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम:

- दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- (PMGSY)
- प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण
- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना
- गोबर धन योजना

भारत-फिलिपींस सामुद्रिक साझेदारी युद्धाभ्यास

हाल ही में भारतीय नौसेना ने पश्चिमी फिलीपीन सागर (West Philippine Sea) में फिलिपींस की नौसेना के साथ एक सामुद्रिक साझेदारी युद्धाभ्यास किया।

- इस पहले इंग्लिश चैनल में भारत-यू.के नौसैनिक अभ्यास 'कोंकण 2021' का आयोजन किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- यह अभ्यास स्थिर, शांतिपूर्ण और समृद्ध इंडो-पैसिफिक को सुनिश्चित करने के सामूहिक उद्देश्य की दिशा में समुद्री क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मज़बूती प्रदान करेगा।
- यह उन अभ्यासों की श्रृंखला में से एक है जिनका आयोजन भारत द्वारा उन देशों के साथ मिलकर आयोजित किया जा रहा है जो चीन के साथ अपनी समुद्री सीमाओं को साझा करते हैं।
- साझेदार देशों के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से INS रणविजय और INS कोरा को पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में तैनात किया गया है।
    - क्वाड देश (भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान) हिंद-प्रशांत में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति के प्रत्युत्तर में गुआम के तट पर मालाबार नौसैनिक अभ्यास के अगले संस्करण का आयोजन करेंगे।
    - चीन पूरे दक्षिण चीन सागर (पश्चिमी प्रशांत महासागर का भाग) पर संप्रभुता का दावा करता है जो कि हाइड्रोकार्बन का एक बड़ा स्रोत है। हालाँकि वियतनाम, फिलीपींस और ब्रुनेई सहित कई आसियान (एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस) के सदस्य देशों ने इसका विरोध किया है।

मदुर मैट को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार

हाल ही में पश्चिम बंगाल की दो महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान, 'मदुर फ्लोर मैट' (Madur Floor Mats) के निर्माण के लिये राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया।

प्रमुख बिंदु:

संदर्भ:

- शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाणपत्र देश में हस्तशिल्प कारीगरों के लिये सर्वोच्च पुरस्कारों में से हैं।
    - इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है।
- शिल्प गुरु पुरस्कार भारत में हस्तशिल्प पुनरुत्थान के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर वर्ष 2002 में स्थापित किया गया था।
- जबकि राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 1965 में और राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाणपत्र वर्ष 1967 में स्थापित किया गया था।
- शिल्प गुरु हस्तशिल्प के क्षेत्र में 20 वर्ष के अनुभव वाले 50 वर्ष से अधिक आयु के कारीगरों को दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च पुरस्कार है।
- इसी प्रकार शिल्प के विकास में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिये 30 वर्ष से अधिक आयु के शिल्पकार, जो हस्तशिल्प के क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव रखता है, को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
- राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाणपत्र उन मास्टर शिल्पकारों, जो 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और हस्तशिल्प के क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव रखते हैं, को शिल्प को बढ़ावा देने के लिये किये गए उनके कार्य, उसके प्रसार और कौशल स्तर को मान्यता प्रदान करने के लिये दिया जाता है।

मदुर फ्लोर मैट:

- बंगाली जीवनशैली का एक आंतरिक हिस्सा, मदुर मैट या मधुरकथी प्राकृतिक रेशों से बने होते हैं।
- इसे अप्रैल 2018 में जीआई रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत (GI Tag) टैग से सम्मानित किया गया था।
- यह एक प्रकंद आधारित पौधा (साइपरस टेगेटम या साइपरस पैंगोरेई) है जो पश्चिम बंगाल के पुरबा और पश्चिम मेदिनीपुर के जलोढ़ इलाकों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।

नोट :

बंगाल के जीआई टैग वाले अन्य उत्पाद:

- कुष्मंडी का लकड़ी का मुखौटा, पुरुलिया चौ-मुखौटा, गोविंदभोग चावल, तुलापंजी चावल, बंगाल पटचित्र, दार्जिलिंग चाय आदि।

चकमा-हाजोंग समुदाय

चर्चा में क्यों?

चकमा संगठनों ने अरुणाचल प्रदेश से चकमा और हाजोंग समुदायों के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है।

प्रमुख बिंदु

- ये जातीय लोग हैं जो चटगाँव पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे, इनमें से अधिकांश क्षेत्र बांग्लादेश में स्थित हैं।
  - दरअसल चकमा बौद्ध हैं, जबकि हाजोंग हिन्दू हैं।
  - ये लोग पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्याँमार में निवास करते हैं।
- ये 1964-65 में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से भारत आ गए तथा अरुणाचल प्रदेश में बस गए।

कारण:

  - चकमास ने बांग्लादेश के कर्णफुली (Karnaphuli) नदी पर बनाए गए कैपटाई बाँध (Kaptai dam) के कारण अपनी भूमि खो दी।
  - हाजोंग लोगों को धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा क्योंकि वे गैर-मुस्लिम थे और बांग्ला भाषा नहीं बोलते थे।
- 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को उन चकमा और हाजोंग्स को नागरिकता देने का निर्देश दिया, जो 1964-69 के बीच बांग्लादेश से भारत आए थे।
- ये प्रत्यक्ष रूप से नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA) के दायरे में नहीं आए क्योंकि अरुणाचल प्रदेश CAA से छूट प्राप्त राज्यों में से एक है और इसमें बाहरी लोगों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिये इनर लाइन परमिट की व्यवस्था है।
  - नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने नागरिकता अधिनियम,1955 में संशोधन किया, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिये भारतीय नागरिकता की अनुमति दी गई, ये दिसंबर 2014 से पहले "धार्मिक उत्पीड़न या" धार्मिक उत्पीड़न के डर" के कारण पड़ोसी मुस्लिम बहुल देशों- पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए थे। हालाँकि अधिनियम मुसलमानों को अपवर्जित करता है।
- यहाँ तक कि ये मूल अप्रवासी नागरिकता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, भारत में जन्मे उनके कई वंशज जो जन्म से नागरिकता के लिये पात्र हैं, मतदाता के रूप में नामांकन के लिये संघर्ष कर रहे हैं। शरणार्थियों को वर्ष 2004 में मतदान का अधिकार दिया गया था।
- स्थानीय लोग चकमा और हाजोंग की अलग-अलग जातीयता के कारण लंबे समय से इनका विरोध कर रहे हैं।
  - यदि चकमा और हाजोंग को अरुणाचल प्रदेश से बाहर कर दिया जाता है, तो इनर-लाइन परमिट के तहत असम (अरुणाचल प्रदेश के अलावा मणिपुर, मिज़ोरम और नगालैंड) तथा छठी अनुसूची क्षेत्रों (मेघालय) द्वारा कवर किये गए राज्यों में सभी अवांछित समुदायों के लिये डंपिंग ग्राउंड होगा।

हम्पी

हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने कर्नाटक के विजयनगर ज़िले में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल 'हम्पी' में विभिन्न स्मारकों का दौरा किया।

प्रमुख बिंदु

'हम्पी' के विषय में

- कर्नाटक के विजयनगर ज़िले में स्थित 'हम्पी' में मुख्य रूप से प्रसिद्ध हिंदू साम्राज्य- विजयनगर साम्राज्य (14वीं-16वीं शताब्दी) की राजधानी के अवशेष मौजूद हैं।

नोट :

- यह मध्य कर्नाटक के बेल्लारी ज़िले में तुंगभद्रा बेसिन में लगभग 4187.24 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है।
- 'हम्पी' के विशिष्ट व मनमोहक परिदृश्य में मुख्य तौर पर तुंगभद्रा नदी, पहाड़ी श्रृंखलाएँ और व्यापक भौतिक अवशेषों के साथ खुले मैदान शामिल हैं।
- हम्पी में मंदिरों की एक अनूठी विशेषता स्तंभों वाले मंडपों की कतार से घिरी चौड़ी सड़कें हैं।
- यहाँ के प्रसिद्ध स्थानों में कृष्ण मंदिर परिसर, नरसिंह, गणेश, हेमकुटा मंदिर समूह, अच्युतराय मंदिर परिसर, विट्ठल मंदिर परिसर, पट्टाभिराम मंदिर परिसर, कमल महल परिसर आदि शामिल हैं।

पृष्ठभूमि

- 'हम्पी' 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी का पुराना शहर तुंगभद्रा नदी के पास एक समृद्ध और भव्य शहर था, जिसमें कई मंदिर, खेत और व्यापारिक बाज़ार मौजूद थे।
- मध्यकाल में 'हम्पी'-विजयनगर, बीजिंग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मध्ययुगीन शहर था और शायद उस समय भारत का सबसे अमीर शहर था, यही कारण है कि फारस व पुर्तगाल के व्यापारी इससे काफी आकर्षित थे।
- विजयनगर साम्राज्य सल्तनत के गठबंधन से हार गया; इसकी राजधानी पर 1565 (तालिकोटा की लड़ाई) में सल्तनत सेनाओं ने विजय प्राप्त कर ली और इसे लूट लिया गया तथा नष्ट कर दिया गया, जिसके बाद 'हम्पी' खंडहर बन गया।

विजयनगर साम्राज्य

- विजयनगर या "विजय का शहर" एक शहर और एक साम्राज्य दोनों का नाम था।
- साम्राज्य की स्थापना चौदहवीं शताब्दी (1336 ईस्वी) में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने की थी।
  - 'हम्पी' को इसकी राजधानी बनाया गया।
- यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के दूरतम दक्षिण तक फैला हुआ है।
- विजयनगर साम्राज्य पर चार महत्त्वपूर्ण राजवंशों का शासन था जो इस प्रकार हैं:
  - संगम
  - सुलुव
  - तुलुव
  - अराविदु
- तुलुव वंश के कृष्णदेवराय (शासनकाल 1509-29) विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक थे।
- उन्हें कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण और कई महत्त्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रभावशाली गोपुरम जोड़ने का श्रेय दिया जाता है।
- उन्होंने तेलुगू में 'अमुक्तमलयद' (Amuktamalyada) नामक शासन कला के ग्रंथ की रचना की।

37वीं प्रगति बैठक

हाल ही में प्रधानमंत्री ने 'प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन' (प्रगति) के 37वें संस्करण की अध्यक्षता की। यह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित एक मल्टीमॉडल प्लेटफॉर्म है, जिसमें केंद्र तथा राज्य सरकारें शामिल हैं।

- इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' (ONORC) योजना समेत 1,26,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की।
- 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को रियायती खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

'प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन' (प्रगति)

- इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था ।
- इसे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की टीम ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Center- NIC) की मदद से डिज़ाइन किया है।
- यह प्रधानमंत्री को विभिन्न मुद्दों पर ज़मीनी स्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिये केंद्र एवं राज्य के अधिकारियों के साथ चर्चा करने में सक्षम बनाता है।
  - यह मंच तीन प्रकार की नवीनतम प्रौद्योगिकियों: डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी को एक साथ लाता है।
- यह एक त्रिस्तरीय प्रणाली है (प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्र सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव)।

उद्देश्य

- शिकायत निवारण
- कार्यक्रम क्रियान्वयन
- परियोजना निगरानी

महत्त्व

- यह भारत सरकार के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों को एक साथ एक मंच पर लाकर देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।
- यह मंच रियल टाइम उपस्थिति और प्रमुख हितधारकों के बीच विनिमय के साथ ई-पारदर्शिता एवं ई-जवाबदेही हेतु एक मज़बूत प्रणाली है।
- यह ई-गवर्नेंस और सुशासन हेतु एक अभिनव परियोजना है।

चिंताएँ

- राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधियों को शामिल किये बिना राज्य सचिवों के साथ प्रधानमंत्री की प्रत्यक्ष बातचीत राज्य की राजनीतिक कार्यकारिणी को कमज़ोर कर रही है।
- यह भी कहा जाता है कि यह प्रधानमंत्री के अतिरिक्त संवैधानिक कार्यालय में शक्ति के संकेंद्रण को बढ़ावा देती है।

AY.12 : डेल्टा वेरिएंट का उपवंश

भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG) की एक रिपोर्ट के अनुसार, कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट का एक नया उपवंश AY.12 जिसे हाल ही में इज़राइल में वर्गीकृत किया गया है, भारत के भी कई हिस्सों में देखा जा रहा है।

- जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG) एक सतत् अनुक्रमण प्रयास द्वारा SARS-CoV-2 में जीनोमिक विविधताओं की निगरानी करने हेतु एक मल्टी-लेबोरेटरी, मल्टी-एजेंसी, अखिल भारतीय नेटवर्क है।

प्रमुख बिंदु

AY.12 के बारे में:

- NSACOG द्वारा बताया गया है कि भारत में डेल्टा के रूप में वर्गीकृत कई मामलों को अब AY.12 के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा रहा है और इन पर कड़ी नज़र रखी जा रही है।
  - यह पुनर्वर्गीकरण मुख्य रूप से सूक्ष्म-महामारी विज्ञान के अध्ययन के लिये किया गया है और यह महत्त्वपूर्ण उत्परिवर्तन/म्यूटेशन पर आधारित नहीं है। इस प्रकार वर्तमान में यह ज्ञात नहीं है कि AY.12 नैदानिक रूप से डेल्टा से भिन्न है या नहीं।
- हालाँकि AY.12 से जुड़ा कोई चिंताजनक कारक नहीं देखा गया है। यह INSACOG की निगरानी में आ गया है क्योंकि यह इज़राइल में 60% टीकाकरण होने के बावजूद उत्पन्न हो रहा है।

डेल्टा वेरिएंट:

- B.1.617.2-जिसे डेल्टा वेरिएंट भी कहा जाता है, के बारे में माना जाता है कि यह अन्य वेरिएंट की तुलना में तेज़ी से फैलता है। डेल्टा वेरिएंट अत्यधिक संक्रामक है जो पहले के वेरिएंट की तुलना में दोगुना अधिक संक्रामक है।
- इसने कई उपवंशों को जन्म दिया है जिन्हें 'डेल्टा प्लस' वेरिएंट कहा जाता है जो इसके अधिकांश विशिष्ट उत्परिवर्तन को सहन करने में सक्षम हैं लेकिन वे और अन्य तरीकों में एक-दूसरे से भिन्न होते हैं।

डेल्टा वेरिएंट के अधिक संक्रामक होने का कारण:

- डेल्टा वेरिएंट की अधिक संक्रामकता का कारण एक प्रमुख अमीनो एसिड का उत्परिवर्तन (Amino Acid Mutation) हो सकता है।
- शोधकर्त्ताओं की एक टीम ने एक प्रमुख उत्परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया है जो SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन में एकल अमीनो एसिड को परिवर्तित करता है।
- इस परिवर्तन को P681R कहा जाता है और यह एक प्रोलाइन के अवशेष (Proline Residue) को एक आर्जिनिंन (Arginine) में बदल देता है।
  - आर्जिनिंन एक केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक (Chemical Building Block) है जिसे अमीनो एसिड कहा जाता है।
  - प्रोलाइन, अल्फा-हेलिक्स या बीटा-शीट संरचना के समान रीढ़ की हड्डी को बाधित कर प्रोटीन की द्वितीयक संरचना (Protein Secondary Structure) को बाधित करता है।

वायरस वेरिएंट

- वायरस के वेरिएंट में एक या अधिक उत्परिवर्तन होते हैं जो इसे अन्य प्रचलित वेरिएंट से अलग करते हैं। जबकि अधिकांश उत्परिवर्तन वायरस के लिये हानिकारक होते हैं तथा कुछ वायरस के जीवित रहने में साहयक होते हैं।
- SARS-CoV-2 (कोरोना) वायरस ने जितनी तीव्रता के साथ वैश्विक स्तर पर लोगों को संक्रमित किया है, इसका मतलब है कि यह तेज़ी से विकसित हो रहा है । वायरस के उच्च स्तर पर प्रसार का मतलब है कि वायरस आसानी से स्वयं को दुगनी गति से प्रसारित करने हेतु परिवर्तित करने में सक्षम है।

समृद्ध कार्यक्रम

हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 'उत्पाद, नवाचार विकास और वृद्धि (समृद्ध) के लिये MeitY के स्टार्टअप एक्सीलेरेटर (समृद्ध) कार्यक्रम को लॉन्च किया है।

प्रमुख बिंदु

- कार्यक्रम के बारे में:
  - अपने उत्पादों और व्यवसाय को बढ़ाने हेतु सुरक्षित निवेश के लिये भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप को एक अनुकूल मंच बनाना।
  - यह कार्यक्रम अगले तीन वर्षों में ग्राहक संपर्क, निवेशक संपर्क और अंतर्राष्ट्रीय पहुँच प्रदान करके 300 स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
  - स्टार्टअप के मौजूदा मूल्यांकन व विकास चरण के आधार पर स्टार्टअप में 40 लाख रुपए तक का निवेश चयनित एक्सीलेरेटरों के माध्यम से किया जाएगा।
  - कार्यक्रम का क्रियान्वयन MeitY स्टार्टअप हब (MSH) द्वारा किया जा रहा है।
    - MSH एक राष्ट्रीय समन्वय, सुविधा और निगरानी केंद्र के रूप में कार्य करता है जो MeitY के सभी इन्क्यूबेशन केंद्रों, स्टार्टअप और नवाचार संबंधी गतिविधियों को एकीकृत करेगा।

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप के विकास को आगे बढ़ाना है, जिसमें 63 यूनिकॉर्न सामने आए हैं, जो अब 168 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल मूल्यांकन के साथ वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न हब है।
  - "यूनिकॉर्न" एक शब्द है जिसका उपयोग उद्यम पूंजी उद्योग में निजी तौर पर आयोजित स्टार्टअप कंपनी का वर्णन करने हेतु किया जाता है, जिसका मूल्य 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होता है।

- अन्य संबंधित पहलें:
  - स्टार्टअप इंडिया फंड योजना
  - स्टार्टअप सेल
  - राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद
  - एआईएम-आईसीआरईएसटी (AIM-iCREST)

काजिंद-21

भारत-कज़ाखस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 5वाँ संस्करण, 'काजिंद-21' (KAZIND-21) कज़ाखस्तान में आयोजित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- काजिंद-21 के बारे में:
  - यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के मध्य एक संयुक्त प्रशिक्षण है।
  - संयुक्त अभ्यास के दायरे में पेशेवर आदान-प्रदान, काउंटर इंसर्जेंसी / काउंटर टेररिज़्म ऑपरेशन आदि के अनुभवों को साझा करना शामिल है।
- संयुक्त सैन्य अभ्यास: प्रबल दोस्तिक।
- कज़ाखस्तान का महत्त्व:
  - पहला, इसकी भू-रणनीतिक स्थिति और दूसरा, इसकी आर्थिक क्षमता, विशेष रूप से ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में तथा तीसरा, इसकी बहु-जातीय एवं धर्मनिरपेक्ष संरचना है।
    - कज़ाखस्तान मध्य एशिया में सबसे अधिक संसाधन संपन्न देश है और भारत का सबसे बड़ा व्यापार एवं निवेश भागीदार है।
  - भारत और कज़ाखस्तान एशिया में कॉन्फिडेंस-बिल्डिंग मेजर्स ((CICA), शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और संयुक्त राष्ट्र (UN) संगठनों सहित विभिन्न बहुपक्षीय मंचों के तत्त्वावधान में सक्रिय रूप से एक-दूसरे का सहयोग करते हैं।

हैकथॉन मंथन 2021

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के समन्वय में एक ऑनलाइन हैकथॉन "मंथन 2021" (Manthan 2021) की शुरुआत करेगा।

प्रमुख बिंदु:

- संदर्भ:
  - उद्देश्य: इसका उद्देश्य खुफिया एजेंसियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिये नवीन अवधारणाओं और प्रौद्योगिकी समाधानों की पहचान करना है।
  - प्रतिभागी: देश भर के शिक्षा संस्थानों से चयनित युवा और पंजीकृत स्टार्टअप।
- शामिल संगठन:
  - BPR&D की स्थापना पुलिस बल के आधुनिकीकरण के प्राथमिक उद्देश्य के साथ वर्ष 1970 के दशक में गृह मंत्रालय के तहत की गई थी। यह जेल सुधारों के कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित करता है।

- AICTE तकनीकी शिक्षा के लिये उपलब्ध सुविधाओं पर सर्वेक्षण करने और समन्वित तथा एकीकृत तरीके से देश में विकास को बढ़ावा देने के लिये एक राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष सलाहकार निकाय है।
- अन्य हैकथॉन:
  - वर्चुअल एग्री-हैकथॉन 2020
  - ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020
  - सीसीटीएनएस हैकथॉन और साइबर चैलेंज
  - भारत-ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकॉनमी हैकाथॉन
  - 5जी हैकथॉन

हरि सिंह नलवा: सिख योद्धा

साम्राज्यों का कब्रिस्तान (Graveyard of the Empires) कहे जाने वाले अफगानिस्तान पर पूरी तरह से किसी का नियंत्रण नहीं हो सका।

- लेकिन एक महान सिख सेनापति हरि सिंह नलवा ने अफगानिस्तान में उपद्रवी/अशांत ताकतों पर काबू पा लिया और वहाँ के सबसे खूंखार सिख योद्धा की प्रतिष्ठा अर्जित की।

प्रमुख बिंदु

- हरि सिंह नलवा के बारे में:
  - वह महाराजा रणजीत सिंह की सेना में सेनापति थे।
    - रणजीत सिंह पंजाब के सिख साम्राज्य के संस्थापक और महाराजा (1801-39) थे।
  - वे कश्मीर, हजारा और पेशावर के गवर्नर रहे।
  - उन्होंने अफगानों को हराया और अफगानिस्तान की सीमा के साथ विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया।
    - अफगानिस्तान को अविजित क्षेत्र कहा जाता था और यह हरि सिंह नलवा ही थे जिन्होंने पहली बार अफगानिस्तान सीमा और खैबर दर्रे के साथ कई क्षेत्रों पर नियंत्रण करके अफगानों को उत्तर-पश्चिम सीमांत को तबाह करने से रोका था।
  - इस प्रकार उन्होंने अफगानों को खैबर दर्रे के माध्यम से पंजाब में प्रवेश करने से रोक दिया, जो कि 1000 ईस्वी से 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक विदेशी आक्रमणकारियों के लिये भारत में घुसने का एक मुख्य प्रवेश मार्ग का कार्य करता था।
  - हरि सिंह नलवा ने अफगानिस्तान की एक जनजाति हज़ारा के हज़ारों सनिकों को हराया, जबकि हरि सिंह की ताकत हज़ारा के तीन गुना से भी कम थी।
  - सरकार ने वर्ष 2013 में उनकी बहादुरी और पराक्रम के लिये नलवा के नाम पर एक डाक टिकट जारी किया।
- लड़ाइयाँ जिनमें उन्होंने भाग लिया:
  - 1807 कसूर की लड़ाई (वर्तमान पाकिस्तान में स्थित): इसमें हरि सिंह नलवा ने अफगानी शासक कुतुब-उद-दीन खान (Kutab-ud-din Khan) को हराया।
  - अटक की लड़ाई (1813 में): नलवा ने अन्य कमांडरों के साथ अजीम खान और उसके भाई दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ जीत हासिल की, जो काबुल के शाह महमूद की ओर से लड़े थे और यह दुर्रानी पठानों पर सिखों की पहली बड़ी जीत थी।
  - वर्ष 1818 की पेशावर की लड़ाई: वर्ष 1818 में, नलवा के अधीन सिख सेना ने पेशावर की लड़ाई जीती और नलवा को वहा तैनात किया गया। वर्ष 1837 में नलवा ने ज़मरूद पर अधिकार कर लिया, जो खैबर दर्रे के माध्यम से अफगानिस्तान के प्रवेश द्वार पर एक किला था।
    - इतिहासकारों का कहना है कि यदि महाराजा रणजीत सिंह और उनके सेनापति हरि सिंह नलवा ने पेशावर और उत्तर पश्चिम सीमांत को नहीं जीता होता, जो कि अब वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा है, तो यह क्षेत्र अफगानिस्तान का हिस्सा हो सकता था और पंजाब तथा दिल्ली में अफगानों का आक्रमण कभी नहीं रुकता।

चागोस द्वीप समूह में ब्रिटिश स्टैम्प्स पर प्रतिबंध

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र (UN) ने चागोस द्वीपसमूह (Chagos Archipelago) पर ब्रिटिश स्टैम्प्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- संदर्भ:
  - अब यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) ब्रिटेन द्वारा द्वीपसमूह को दिये गए नाम ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र (BIOT) शब्दों वाले टिकटों का पंजीकरण, वितरण और प्रसारण बंद कर देगी।
    - UPU संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है और यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये डाक क्षेत्र का प्राथमिक मंच है।
  - चागोस द्वीपसमूह, मध्य हिंद महासागर में एक द्वीपसमूह है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी सिरे से लगभग 1,600 किमी. दक्षिण में स्थित है।
- पृष्ठभूमि:
  - 19वीं शताब्दी में चागोस मॉरीशस द्वारा शासित था, जो एक ब्रिटिश उपनिवेश था।
  - वर्ष 1968 में मॉरीशस स्वतंत्र हो गया परंतु चागोस द्वीपसमूह ब्रिटिश नियंत्रण में ही रहा। यूनाइटेड किंगडम (UK) सरकार इसे BIOT के रूप में संदर्भित करती है।
    - चागोसियों द्वारा इसके विरोध में प्रदर्शन किये गए, साथ ही लंदन के खिलाफ "अवैध कब्ज़ा" करने और उन्हें मातृभूमि से प्रतिबंधित करने का आरोप लगाया।
  - मॉरीशस द्वारा इन द्वीपों के लिये 4 मिलियन पाउंड से अधिक की राशि का भुगतान कर स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी UK ने चागोस द्वीपसमूह पर कब्ज़ा कर लिया, जिसमें डिएगो गार्सिया (Diego Garcia) का रणनीतिक अमेरिकी एयरबेस शामिल है।
    - चागोस द्वीपसमूह में डिएगो गार्सिया द्वीप से लगभग 1,500 मूल द्वीपवासियों को निर्वासित किया गया था ताकि वर्ष 1971 में एयरबेस के लिये इसे अमेरिका को पट्टे पर दिया जा सके।
  - वर्ष 1975 के बाद से मॉरीशस ने द्वीपसमूह की सुरक्षित वापसी के लिये एक ठोस कानूनी प्रयास किया है।
- हालिया विकास:
  - वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने फैसला सुनाया कि ब्रिटेन को द्वीपों पर नियंत्रण छोड़ देना चाहिये।
  - बाद में वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह स्वीकार करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया कि "चागोस द्वीपसमूह मॉरीशस क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है" और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से "मॉरीशस के विघटन का समर्थन करने" का आग्रह किया।
- भारत का रुख:
  - भारत ने चागोस द्वीपसमूह पर मॉरीशस के रुख का समर्थन किया है। भारत ने अपने प्रस्ताव में ICJ से कहा है कि चागोस द्वीपसमूह को लेकर वह मॉरीशस के साथ है और हमेशा रहेगा तथा ब्रिटेन से चागोस द्वीपसमूह पर संप्रभुता की मांग की।
  - भारत हिंद महासागर में अपने पड़ोसी मॉरीशस के साथ है और अपनी उपनिवेश विरोधी साख के लिये प्रतिबद्ध रहा है।

स्वीप: ECI

हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने दो दिवसीय SVEEP (स्वीप-व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी) परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया।

प्रमुख बिंदु

- स्वीप:
  - यह वर्ष 2009 में मतदाता शिक्षा के लिये ECI के प्रमुख कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ ।

नोट :

- इसका प्राथमिक लक्ष्य सभी पात्र नागरिकों को मतदान करने तथा एक निर्णय एवं नैतिक विकल्प प्रदान करने के लिये प्रोत्साहित करके एक समावेशी और सहभागी लोकतंत्र का निर्माण करना है।

- अन्य संबंधित पहल:
  - नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) विकल्प:
    - नोटा का विकल्प मतदाताओं को यह अधिकार देता है कि वे किसी भी उम्मीदवार को वोट न दें।
  - वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल:
    - यह एक स्वतंत्र सत्यापन प्रिंटर मशीन है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से संबद्ध है। यह मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि उनका वोट इच्छित उम्मीदवार को गया है या नहीं।
  - राष्ट्रीय मतदाता दिवस:
    - यह ईसीआई के गठन को चिह्नित करने के लिये वर्ष 2011 से हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है।
  - चुनावों का अपराधीकरण:
    - ECI और कोर्ट ने एक साथ यह सुनिश्चित किया है कि उम्मीदवार अपने आपराधिक रिकॉर्ड और किसी भी मामले को लंबित घोषित करें या नहीं।
  - सी-विजिल एप:
    - यह एप ऑटो लोकेशन डेटा के साथ लाइव फोटो/वीडियो सहित आदर्श आचार संहिता/व्यय संबंधी उल्लंघन का टाइम-स्टैम्प, साक्ष्य-आधारित प्रमाण प्रदान करता है।

भारत निर्वाचन आयोग

- भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिये ज़िम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण।
- लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों का प्रशासन करता है।
- भारतीय संविधान का भाग XV चुनावों से संबंधित है और इन मामलों के लिये एक आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है।
- संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है।
- मूल रूप से इसमें केवल एक चुनाव आयुक्त था, लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे एक बहु-सदस्यीय निकाय बना दिया गया है।
- वर्तमान में इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और दो चुनाव आयुक्त (ईसी) होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- वे 6 वर्ष की अवधि के लिये या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने (जो भी पहले हो) तक पद धारण करते हैं।

आईसीजीएस विग्रह

भारतीय तटरक्षक जहाज़ (ICGS) विग्रह जो कि एक अपतटीय निगरानी जहाज़ (OPV) है, को भारतीय तटरक्षक बल (ICG) में कमीशन किया गया था।

- यह वर्ष 2015 में हस्ताक्षरित रक्षा अनुबंध के तहत लार्सन एंड टुब्रो (निजी कंपनी) द्वारा निर्मित सात OPV जहाज़ों की श्रृंखला में अंतिम पोत है।
- मई 2021 में ओपीवी सजग (OPV Sajag) को ICG में कमीशन किया गया था।
- आईसीजीएस विग्रह के बारे में:
  - यह लगभग 98 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा, 3.6 मीटर ड्राफ्ट (Draught)है, जिसमें 2,140 टन विस्थापन और 5,000 समुद्री मील की सीमा है।
  - यह 26 समुद्री मील प्रति घंटे की अधिकतम गति के साथ संचालन में सक्षम है ।
  - यह उन्नत प्रौद्योगिकी रडार, नेविगेशन और संचार उपकरण, सेंसर व मशीनरी से सुसज्जित है जो उष्णकटिबंधीय समुद्री परिस्थितियों में काम करने में सक्षम है।

- यह एक एकीकृत पुल प्रणाली (Integrated Bridge System), एकीकृत मंच प्रबंधन प्रणाली (Integrated Platform Management System), स्वचालित बिजली प्रबंधन प्रणाली और उच्च विद्युत बाहरी अग्निशमन प्रणाली से भी सुसज्जित है।
- पोत 40/60 बोफोर्स तोप से लैस है और अग्नि नियंत्रण प्रणाली के साथ दो 12.7 मिमी स्थिर रिमोट कंट्रोल गन (एसआरसीजी) से सुसज्जित है।

- विशेष क्षमता:
  - बोर्डिंग ऑपरेशन, खोज और बचाव, कानून प्रवर्तन व समुद्री गश्त के लिये एक जुड़वाँ इंजन वाले हेलीकॉप्टर तथा चार उच्च गति वाली नौकाओं को ले जाने में सक्षम।
  - समुद्र में तेल रिसाव को रोकने के लिये प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरण ले जाने में सक्षम।
- अपतटीय गश्ती वाहन (OPVs):
  - OPVs लंबी दूरी के सतही जहाज़ हैं, जो भारत के समुद्री क्षेत्रों में संचालन में सक्षम हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर संचालन क्षमताओं वाले द्वीप क्षेत्र भी शामिल हैं।
  - उनकी भूमिकाओं में तटीय और अपतटीय गश्त, भारत के समुद्री क्षेत्रों में पुलिसिंग, नियंत्रण और निगरानी, तस्करी विरोधी और सीमित युद्धकालीन भूमिकाओं के साथ समुद्री डकैती विरोधी अभियान शामिल हैं।

भारतीय तटरक्षक बल:

- यह रक्षा मंत्रालय के तहत एक सशस्त्र बल, खोज और बचाव तथा समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- इसकी स्थापना अगस्त 1978 में तटरक्षक अधिनियम, 1978 द्वारा भारत के एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में की गई थी।
  - ICG के निर्माण की अवधारणा वर्ष 1971 के युद्ध के बाद अस्तित्व में आई। रुस्तमजी समिति द्वारा बहुआयामी तटरक्षक बल के लिये खाका तैयार किया गया था।
- सन्निहित क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) सहित भारत के क्षेत्रीय जल पर इसका अधिकार क्षेत्र है।
- यह भारत के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री पर्यावरण संरक्षण के लिये ज़िम्मेदार है और भारतीय जल में तेल रिसाव की प्रतिक्रिया हेतु प्राधिकरण का समन्वय कर रहा है।

'इडा' (Ida) हरिकेन

हाल ही में 'इडा' (Ida) हरिकेन अमेरिका के लुइसियाना से टकराया है। यह एक अत्यंत खतरनाक 'श्रेणी-4' का हरिकेन है और अमेरिका के अब तक के सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक है।

- 'कट्रीना' (2005) हरिकेन की तबाही के बाद बनाए गए सैकड़ों मील लंबे सेतु के लिये भी 'इडा' हरिकेन एक बड़ी चुनौती है।

प्रमुख बिंदु

- हरिकेन पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली एवं विनाशकारी तूफान होते हैं।
  - 'उष्णकटिबंधीय चक्रवात' नम हवा को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं और इसलिये इनका निर्माण मुख्यत: गर्म भूमध्यरेखीय जल में होता है।
- तंत्र
  - जब गर्म, नम हवा समुद्र की सतह से ऊपर की ओर उठती है, तो यह निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनाती है।
  - ऐसे में आसपास के क्षेत्रों से हवा इस जगह को भरती है और अंत में वह भी गर्म एवं नम होकर ऊपर उठ जाती है।
  - इस प्रकार चक्रवात के केंद्र में एक 'आँख' (Eye) का निर्माण होता है। यह चक्रवात का सबसे शांत भाग है, क्योंकि हवा चक्रवात के केंद्र में पहुँचने से पूर्व ही गर्म हो जाती है और ऊपर की ओर उठ जाती है।
  - जब गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी होती है, तो यह नमी बादल का निर्माण करती है। बादलों और हवाओं की यह प्रणाली आगे बढ़ती है और घूमती रहती है।

- यह विक्षोभ समुद्र की गर्मी और उसकी सतह से वाष्पित होने वाले जल से उत्पन्न होता है।
- इस प्रकार की चक्रवात प्रणाली काफी तेज़ी से घूमती है।
- पृथ्वी के घूमने के कारण उत्तरी गोलार्द्ध में चक्रवात की गति घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत अर्थात् वामावर्त (Counter Clockwise) और दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिणावर्त (Clockwise) होती है।

- विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में चक्रवात के नाम:
  - टाइफून: उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को चीन सागर और प्रशांत महासागर में टाइफून के रूप में जाना जाता है।
  - हरिकेन: कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर में पश्चिम भारतीय द्वीपों में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है।
  - विली-विलीज़: उत्तर-पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया।
  - उष्णकटिबंधीय चक्रवात: दक्षिण-पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र।
- हरिकेन का वर्गीकरण:
  - हरिकेन की तीव्रता को 'सैफिर-सिंपसन हरिकेन विंड स्केल' से मापा जाता है , जो हवा की गति के आधार पर उन्हें 1 से 5 के पैमाने पर मापता है।
  - श्रेणी तीन या उससे अधिक में आने वाले हरिकेन को प्रमुख और खतरनाक हरिकेन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

लैथम्स स्नाइप

शहरी विकास के कारण लैथम्स स्नाइप (Latham's Snipe) के आवासों को खतरा बना हुआ है क्योंकि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में कई स्निप साइटों को आवासीय विकास और बड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं से खतरा है।

- लैथम्स स्नाइप को पहले जापानी स्निप (Japanese Snipe) के नाम से जाना जाता था।

प्रमुख बिंदु

- विशेषताएँ:
  - लैथम्स स्नाइप ऑस्ट्रेलिया में भूरे रंग के पंखों वाला सबसे बड़ा स्निप है।
  - इनकी असाधारण दृष्टि इन्हें रात में खतरों को पहचानने में मदद करती है, जब ये खुले, गीले और कीचड़ वाले क्षेत्रों में चारा चुगते हैं।
- आवास:
  - ये मई-जुलाई के दौरान उत्तरी जापान और पूर्वी रूस के कुछ हिस्सों में प्रजनन करते हैं तथा गैर-प्रजनन मौसम (सितंबर से मार्च) ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर बिताते हैं।
  - इसमें अन्य प्रवासी शोरबर्ड की तरह ही प्रजनन और गैर प्रजनन मैदानों के बीच समुद्र के ऊपर नॉन स्टॉप लंबी उड़ान भरने की अविश्वसनीय सहनशक्ति है।
- संकट:
  - लैथम्स स्नाइप में गिरावट में 20वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण-पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में शिकार और आर्द्रभूमि के नुकसान ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
    - वर्ष 1981 में जापान-ऑस्ट्रेलिया प्रवासी पक्षी समझौते (Japan Australia Migratory Bird Agreement) पर हस्ताक्षर ने दोनों देशों में कुछ हद तक स्निप हंटिंग को रोक दिया है।
- संरक्षण की स्थिति:
  - IUCN की रेड लिस्ट: कम चिंताजनक

वेस्ट नाइल वायरस संक्रमण

हाल ही में रूस ने इस शरद ऋतु में वेस्ट नाइल वायरस (West Nile Virus- WNV) के संक्रमण में संभावित वृद्धि की चेतावनी दी थी क्योंकि हल्के तापमान और भारी वर्षा इसके वाहक मच्छरों के लिये अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करते हैं।

प्रमुख बिंदु

- वेस्ट नाइल वायरस के विषय में:
  - यह फ्लैविवायरस जीनस (Flavivirus Genus) का सदस्य है और फ्लैविविरिडे (Flaviviridae) परिवार के जापानी एन्सेफलाइटिस एंटीजेनिक कॉम्प्लेक्स (Japanese Encephalitis Antigenic Complex) से संबंधित है।
  - WNV आमतौर पर अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व, उत्तरी अमेरिका और पश्चिम एशिया में पाया जाता है।
  - इससे वृद्ध लोगों, बच्चों और कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को सबसे अधिक खतरा होता है।
- उत्पत्ति:
  - WNV को पहली बार वर्ष 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल ज़िले में एक महिला में पाया गया था।
  - इसकी पहचान वर्ष 1953 में नील डेल्टा क्षेत्र में पक्षियों (कौवे और कोलंबिफॉर्मिस) में की गई थी।
  - WNV को वर्ष 1997 से पहले पक्षियों के लिये रोगजनक नहीं माना जाता था, लेकिन इस समय इज़राइल में विषाणु के कारण विभिन्न पक्षी प्रजातियों की मृत्यु हो गई, जो एन्सेफलाइटिस और पक्षाघात के लक्षण दर्शाते थे।
  - कई देशों में 50 से अधिक वर्षों से WNV के कारण मानव संक्रमण की सूचना मिली है।
- प्रसार:
  - WNV एक संक्रामक रोग है जो संक्रमित मच्छरों द्वारा फैलता है। यह संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर के काटने से पक्षियों से मनुष्यों में फैलता है। यह मनुष्यों में एक घातक स्नायविक (Neurological) रोग का कारण बन सकता है।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, लगभग 20% मामलों में वायरस वेस्ट नाइल बुखार का कारण बनता है। यह जीका, डेंगू और येलो फीवर वायरस से संबंधित है।
- लक्षण:
  - संक्रमित लोगों में सामान्यत: या तो कोई लक्षण नहीं या बहुत कम लक्षण दिखाई देते हैं।
  - इसके लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द, त्वचा पर लाल चकत्ते और सूजी हुई लिम्फ ग्रंथियाँ शामिल हैं। ये लक्षण कुछ दिनों से लेकर कई हफ्तों तक बने रह सकते हैं तथा अपने आप खत्म हो जाते हैं।
  - यदि वेस्ट नाइल वायरस मस्तिष्क में प्रवेश करता है, तो यह जीवन के लिये खतरा हो सकता है। यह मस्तिष्क की सूजन का कारण हो सकता है, जिसे एन्सेफलाइटिस कहा जाता है, या मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले ऊतक की सूजन, जिसे मेनिन्जाइटिस कहा जाता है।
- उपचार:
  - मानव में होने वाले WNV रोग के लिये कोई विशिष्ट टीका या उपचार नहीं है।
  - WNV से बचने का सबसे अच्छा तरीका है मच्छरों के काटने से बचाव।
  - न्यूरो-इनवेसिव वेस्ट नाइल वायरस वाले रोगियों के उपचार में अक्सर अस्पताल में भर्ती, अंत:स्राव तरल पदार्थ, श्वसन सहायता और द्वितीयक संक्रमणों की रोकथाम शामिल है।

किलाऊआ ज्वालामुखी: हवाई

हाल ही में हवाई के किलाऊआ ज्वालामुखी में भूकंप के झटके और क्रेटर के दक्षिणी भाग में ज़मीन में उभार देखा गया।

प्रमुख बिंदु:

- संदर्भ:
  - किलाऊआ, जिसे माउंट किलाऊआ (हवाई में "अधिक फैलाने वाला") भी कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप के दक्षिण-पूर्वी भाग पर हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है।
    - किलाऊआ के पश्चिमी और उत्तरी ढलान इसके पास के ज्वालामुखी मौनालोआ के साथ विलय होते हैं।
  - यह एक केंद्रीय गड्ढा और पूर्व तथा दक्षिण-पश्चिम दरारों, या दरारों के साथ फैले गड्ढों की रेखाओं से लावा विस्फोट से बना एक लम्बा गुंबद है। ज्वालामुखी का 4,090-फुट (1,250-मीटर) शिखर क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे एक काल्डेरा का निर्माण हुआ है।
    - काल्डेरा, क्रेटर (यह ज्वालामुखी शंकु के ऊपर सामान्यत: कीपाकार गर्तनुमा आकृति है) का ही विस्तृत रूप है। यह क्रेटर में धँसाव अथवा विस्फोटक उदगार से निर्मित स्थलरूप माना जाता है। क्रेटर के धँसाव से उसका आकार बड़ा हो जाता है व काल्डेरा का निर्माण होता है।
- विस्फोट की घटनाएँ:
  - काल्डेरा 19वीं शताब्दी के दौरान और 20वीं शताब्दी के शुरुआती भाग में लगभग निरंतर सक्रिय रहने वाला स्थल था।
  - किलाऊआ में वर्ष 1952 से अब तक लगभग 34 बार विस्फोट हो चुका है।
    - ज्वालामुखी के पूर्वी रिफ्ट ज़ोन के साथ वर्ष 1983 से 2018 तक विस्फोट की गतिविधि लगभग जारी रहीं। दिसंबर 2020 में इसके क्रेटर में विस्फोट हुआ जिससे 10 हूवर बाँधों को भरने के लिये पर्याप्त लावा के साथ एक झील बन गई। वह विस्फोट मई 2021 में समाप्त हुआ।
- हाल ही में विस्फोट हुए ज्वालामुखी:
  - सांगे ज्वालामुखी: इक्वाडोर
  - ताल ज्वालामुखी: फिलीपींस
  - माउंट सिनाबंग, मेरापी ज्वालामुखी, सेमेरु ज्वालामुखी (इंडोनेशिया)
- भारत में ज्वालामुखी:
  - बैरन द्वीप, अंडमान द्वीप समूह (भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी)
  - नारकोंडम, अंडमान द्वीप समूह
  - बारातांग, अंडमान द्वीप समूह
  - डेक्कन ट्रैप्स, महाराष्ट्र
  - धिनोधर हिल्स, गुजरात
  - धोसी हिल, हरियाणा

दारा शिकोह

हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने 'दारा शिकोह' की कब्र का पता लगाने के लिये 'भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण' (ASI) के सात सदस्यीय पैनल का गठन किया है।

- माना जाता है कि उन्हें दिल्ली में हुमायूँ के मकबरे परिसर में कहीं दफनाया गया था, जो मुगल वंश की 140 कब्रों में से एक है।

प्रमुख बिंदु

- दारा शिकोह
  - वह (1615-59) शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें इतिहासकारों द्वारा एक 'उदार मुस्लिम' के रूप में वर्णित किया जाता है, जिन्होंने हिंदू और इस्लामी परंपराओं के बीच समानताएँ खोजने की कोशिश की।

नोट :

- उन्हें भारत में अंतर-धार्मिक समझ के लिये अकादमिक आंदोलन के अग्रणी के रूप में जाना जाता है। उन्हें प्रमुख धर्मों, विशेष रूप से इस्लाम और हिंदू धर्म की गहरी समझ व ज्ञान था।
  - अपने भाई औरंगज़ेब की तुलना में दारा शिकोह का झुकाव सैन्य गतिविधियों के विपरीत दर्शन और रहस्यवाद की ओर अधिक था।
- वर्ष 1655 में उनके पिता शाहजहाँ ने उन्हें युवराज घोषित कर दिया, लेकिन शाहजहाँ के बीमार पड़ने के बाद वर्ष 1657 में उनके छोटे भाई औरंगज़ेब ने उन्हें हरा दिया।
- औरंगज़ेब ने 30 अगस्त, 1659 को 44 वर्ष की आयु में दारा शिकोह की हत्या कर दी।

- कार्य
  - हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच संबंध:
    - उनकी सबसे महत्त्वपूर्ण रचनाएँ- 'मजमा-उल-बहरीन' (दो महासागरों का मिलन) और 'सिर-ए-अकबर' (महान रहस्य), हिंदू धर्म तथा इस्लाम के बीच संबंध स्थापित करने के लिये समर्पित हैं।
  - भारतीय संस्कृति का प्रचार
    - उन्होंने संस्कृत और फारसी में दक्षता हासिल की तथा भारतीय संस्कृति एवं हिंदू धार्मिक विचारों को लोकप्रिय बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की।
    - उन्होंने उपनिषदों और हिंदू धर्म तथा आध्यात्मिकता के अन्य महत्त्वपूर्ण स्रोतों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। इन अनुवादों के माध्यम से उन्होंने हिंदू संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं को यूरोप एवं पश्चिमी देशों तक पहुँचाया।
    - भारत की बौद्धिक और धार्मिक विरासत में उनका उत्कृष्ट योगदान है।

दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे

हाल ही में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (DHR) ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित मुद्रीकरण को लेकर चिंता व्यक्त की है।

प्रमुख बिंदु:

- संदर्भ:
  - DHR का निर्माण ब्रिटिश काल में वर्ष 1879 और 1881 के बीच किया गया था।
  - यह पश्चिम बंगाल में हिमालय की तलहटी में स्थित है।
  - यह पहाड़ी यात्री रेलवे का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका डिज़ाइन पहाड़ी इलाके में एक प्रभावी रेल लिंक स्थापित करने की समस्या के लिये साहसिक और सरल इंजीनियरिंग समाधान लागू करता है।
  - इसे वर्ष 1999 में यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।
- अन्य पर्वतीय रेलवे जिन्हें विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया:
  - नीलगिरि पर्वतीय रेलवे, तमिलनाडु (दक्षिण भारत) की नीलगिरि पहाड़ियों में स्थित है (2005)।
  - कालका शिमला रेलवे, हिमाचल प्रदेश (उत्तर पश्चिम भारत) (2008) की हिमालय की तलहटी में स्थित है।

यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल

- विश्व धरोहर स्थल एक ऐसा स्थान होता है जिसे यूनेस्को द्वारा अपने विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्त्व के लिये सूचीबद्ध किया जाता है।
- विश्व धरोहर स्थलों की सूची का रखरखाव यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय 'विश्व विरासत कार्यक्रम' द्वारा किया जाता है।
- यह एक अंतराष्ट्रीय संधि में सन्निहित है जिसे विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन कहा जाता है, इसे वर्ष 1972 में यूनेस्को द्वारा अपनाया गया था।
- भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल हैं- 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित।
  - वर्ष 2021 में धोलावीरा (गुजरात) और रामप्पा मंदिर (तेलंगाना) को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है

चर्चा में

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस

हाल ही में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है। इसके आयोजन का उद्देश्य विभाजन के दौरान आम जनमानस द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा को याद करना है। अगस्त 1947 में जब अंतत: ब्रिटिश शासकों ने भारत छोड़ा तो देश को दो स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों में विभाजित कर दिया गया- भारत और पाकिस्तान। इसी के साथ मानव इतिहास में सबसे बड़े प्रवासों में से एक की शुरुआत हुई, जिसमें लाखों हिंदू और सिख वर्तमान भारत की ओर आ गए, जबकि लाखों मुसलमानों ने पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान (जिसे अब बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है) की ओर पलायन किया, हालाँकि इसमें सैकड़ों-हज़ारों लोग ऐसे भी थे, जो प्रवास के लिये चले तो थे पर कभी कहीं पहुँच नहीं सके। समग्र भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग एक सहस्राब्दी से सह-अस्तित्व में रहने वाले समुदायों के बीच सांप्रदायिक हिंसा पैदा हो गई। पंजाब और बंगाल, जो क्रमश: पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान के साथ सटे प्रांत थे, में नरसंहार, आगज़नी, ज़बरन धर्मांतरण, महिलाओं के साथ दुष्कर्म, सामूहिक अपहरण और बर्बर हिंसा के मामले सबसे अधिक देखे गए। वर्ष 1948 में जब यह महान प्रवास का सिलसिला समाप्त हुआ, तब तक पंद्रह मिलियन से अधिक लोग एक ओर से दूसरी ओर जा चुके थे और लगभग एक मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी थी।

'क्लीनसिटी' एप

'उत्तरी दिल्ली नगर निगम' (NDMC) ने हाल ही में मोबाइल संचालित एक एप्लीकेशन 'क्लीनसिटी' लॉन्च किया है, जो क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को उस क्षेत्र में कचरा उठाने के संबंध में शिकायत दर्ज करने में मदद करेगा। इस एप को उत्तरी दिल्ली के मेयर द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। इस एप की मदद से नागरिक कचरा उठाने वाले वाहनों की जीपीएस लोकेशन देख सकते हैं, इस संबंध में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और सेवाओं में सुधार के लिये सुझाव दे सकते हैं। सिविल लाइंस ज़ोन, केशवपुरम ज़ोन और रोहिणी ज़ोन के निवासी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

सुभद्रा कुमारी चौहान

हाल ही में टेक कंपनी 'गूगल' ने 'डूडल' के माध्यम से अग्रणी लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी 'सुभद्रा कुमारी चौहान की 117वीं जयंती के अवसर पर उनके जीवन और उपलब्धियों के प्रति सम्मान प्रकट किया है। ज्ञात हो कि सुभद्रा कुमारी चौहान के कार्य को साहित्य के पुरुष-प्रधान युग के दौरान राष्ट्रीय प्रमुखता मिली थी। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त, 1904 को इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) के निहालपुर में हुआ था। उनकी पहली कविता तब प्रकाशित हुई थी, जब वह मात्र 9 वर्ष की थीं। विवाह के बाद वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध महात्मा गांधी के साथ 'असहयोग आंदोलन' में शामिल हो गईं और इस तरह देश की पहली महिला सत्याग्रही बनीं। ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के कारण उन्हें दो बार (वर्ष 1923 और वर्ष 1942 में) जेल जाना पड़ा था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक प्रतिभागी के नाते उन्होंने अपने प्रभावशाली लेखन और कविताओं को अन्य लोगों को प्रेरित करने के लिये एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उनकी रचनाओं में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय महिलाओं की कठिनाइयों और चुनौतियों को गंभीरता से दर्शाया गया है। उन्होंने अपने लेखन में हिंदी की 'खड़ी बोली' का प्रयोग किया। उनकी विचारोत्तेजक राष्ट्रवादी कविता 'झांसी की रानी' को व्यापक रूप से हिंदी साहित्य में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली कविताओं में से एक माना जाता है।

क्रांतिवीर 'संगोली रायन्ना'

हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर 'संगोली रायन्ना' की जयंती का आयोजन किया गया। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 26 जनवरी को क्रांतिवीर 'संगोली रायन्ना' का शहादत दिवस भी मनाया जाएगा। क्रांतिवीर 'संगोली रायन्ना' (1798-1831) रानी चेन्नम्मा द्वारा शासित तत्कालीन 'कित्तूर साम्राज्य' के सेना प्रमुख थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध बहादुरी से जंग लड़ी थी। अंग्रेज़ शासकों द्वारा उन्हें वर्ष 1831 में बेलगावी ज़िले के नंदगड़ के पास एक बरगद के पेड़ से फाँसी पर लटका दिया गया था। 'संगोली रायन्ना' को 'कुरुबा समुदाय' के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गौरतलब है कि 'कुरुबा समुदाय' कर्नाटक में तीसरा सबसे बड़ा समुदाय है।

नोट :

डी जुरे ट्रांसफर डे

16 अगस्त, 2021 को पुद्दुचेरी में 'डी जुरे ट्रांसफर डे' मनाया गया। 'डी जुरे ट्रांसफर डे' एक क्षेत्रीय सार्वजनिक अवकाश है, जो पुडुचेरी में प्रतिवर्ष 16 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1962 में पुद्दुचेरी का भारतीय संघ में विलय हुआ था। गौरतलब है कि यद्यपि 15 अगस्त, 1947 को संपूर्ण भारत को स्वतंत्रता मिल गई, किंतु उस समय देश के कई क्षेत्र ऐसे भी थे जो यूरोपीय देशों के नियंत्रण में थे और पुदुचेरी तथा गोवा उनमें से थे। वर्तमान केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरी में तत्कालीन फ्राँसीसी उपनिवेश- पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यनम शामिल थे। पुदुचेरी और कराईकल क्षेत्र तमिलनाडु राज्य से घिरे हुए हैं, जबकि माहे केरल राज्य से और यनम आंध्र प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। 1 नवंबर, 1954 को फ्राँसीसी कब्ज़े वाले भारत के क्षेत्रों को वास्तव में भारत गणराज्य में स्थानांतरित कर दिया गया था और 16 अगस्त, 1962 को भारत में फ्राँसीसी अस्तित्व समाप्त हो गया तथा फ्राँसीसी संसद ने भारत सरकार और फ्राँसीसी सरकार द्वारा हस्ताक्षरित संधि की पुष्टि कर दी।

अटल बिहारी वाजपेयी

16 अगस्त, 2021 को देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर, 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी अपने छात्र जीवन के दौरान सर्वप्रथम राष्ट्रवादी राजनीति में तब सामने आए जब उन्होंने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। कॉलेज के दिनों में ही उनकी रुचि विदेशी मामलों में काफी अधिक थी, यही कारण है कि बाद में उन्होंने विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व कर अपने कौशल का परिचय दिया। वर्ष 1947 में वाजपेयी जी ने एक पत्रकार के तौर पर अपने कॅरियर की शुरुआत की और वर्ष 1951 में वे 'भारतीय जनसंघ' में शामिल हो गए। चुनावी राजनीति में उनकी यात्रा वर्ष 1957 में शुरू हुई, जब उन्होंने तीन सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ा और उत्तर प्रदेश के बलरामपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के बाद वर्ष 1968 में वाजपेयी जी को जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर कुल 3 कार्यकाल मिले, वर्ष 1996 में उनका पहला कार्यकाल केवल 13 दिनों तक चला, जिसके बाद वर्ष 1998 से वर्ष 1999 तक वह 13 महीने के लिये प्रधानमंत्री पद पर रहे और अंत में वर्ष 1999 से वर्ष 2004 तक उन्होंने सफलतापूर्वक अपना पाँच वर्षीय कार्यकाल पूरा किया। 16 अगस्त, 2018 को 93 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई।

डीज़ल की डोर-टू-डोर डिलीवरी

'भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (BPCL) ने डीज़ल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये 'हाई स्पीड डीज़ल' की डोर-टू-डोर डिलीवरी शुरू की है। मोबाइल डिस्पेंसर के माध्यम से डोर-टू-डोर डिलीवरी की पहल के परिणामस्वरूप पूरे उद्योग में लगभग 1588 फ्यूलकार्ट और 129 फ्यूलएंट्स चालू किये गए हैं। तीव्र डिलीवरी, गुणवत्ता और मात्रा का पूर्ण आश्वासन, सुरक्षित उत्पाद हैंडलिंग तथा कई अन्य लाभों के साथ फ्यूलकार्ट ग्राहकों के लिये परिचालन दक्षता बढ़ाने में मदद करेंगे, जो व्यापार करने में सुगमता की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण साबित होगा। कंपनी पहले ही पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और उत्तर-पूर्व राज्यों की ज़रूरतों को पूरा करने हेतु 63 मोबाइल डिस्पेंसर लॉन्च कर चुकी है। यह पहल पूर्वी क्षेत्र के युवा उद्यमियों के लिये व्यापार के नए अवसर और रोज़गार सृजित करने में भी काफी मददगार साबित होगी। इसके अलावा कई निजी उद्यम और स्टार्ट-अप भी ईंधन की डोरस्टेप डिलीवरी की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

शहरी क्षेत्र में 'सामुदायिक वन संसाधन अधिकार'

हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 4,127 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र पर धमतरी ज़िले के निवासियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की है, जिसके साथ ही छत्तीसगढ़, शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है। गौरतलब है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार ग्राम सभाओं को समग्र समुदाय या गाँव द्वारा उपयोग किये जाने वाले किसी भी वन संसाधन की रक्षा, पुनरुत्पादन या संरक्षण या प्रबंधन करने का अधिकार दिया जाता है। उनके अधिकारों की मान्यता के साथ अब ग्राम सभा में शामिल लोगों को जंगल में प्रवेश की अनुमति होगी और वे वन संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे।

अफगानिस्तान के लिये आपातकालीन वीज़ा

हाल ही में भारत सरकार ने भारत में प्रवेश के लिये तत्काल आवेदनों को सुविधाजनक बनाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की एक विशेष श्रेणी- 'e-Emergency X-Misc Visa' से संबंधित नए नियम प्रस्तुत किये हैं। वीज़ा संबंधी ये नए प्रावधान विशेष रूप से अफगान नागरिकों के लिये पेश किये गए हैं, क्योंकि तालिबान के कब्ज़े के बाद से अफगानिस्तान की स्थिति काफी चिंताजनक हो गई है। इस प्रकार का वीज़ा उन

विदेशी नागरिकों को जारी किया जाता है, जो वीज़ा की मौजूदा श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, लेकिन किसी विशिष्ट आपात स्थिति के कारण उनके लिये तत्काल भारत आना आवश्यक है। इस प्रकार एकल-प्रवेश वीज़ा प्राय: भारतीय मिशनों/केंद्रों द्वारा उचित अवधि के लिये जारी किया जाता है। पुराने नियमों के मुताबिक, अफगान नागरिकों को इस श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता था और उन्हें वीज़ा प्राप्त करने के लिये स्वयं दूतावास में उपस्थित होना पड़ता था। हालाँकि अब काबुल में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सभी अफगान नागरिकों को ई-वीज़ा के लिये आवेदन करने की अनुमति दे दी गई है। नियमो के मुताबिक, भारत में आपातकालीन पुनर्वास चाहने वाले व्यक्तियों को प्रारंभ में छ: माह के लिये आपातकालीन वीज़ा जारी किया जाएगा।

मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन का इस्तीफा

लंबे समय से चल रही राजनीतिक उथल-पुथल के बाद मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुहिद्दीन यासीन ने प्रधानमंत्री के तौर पर अपने 17 महीने के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दिया है, जो कि मलेशिया के किसी भी प्रधानमंत्री का अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल है। दक्षिण-पूर्व एशियाई देश मलेशिया के राजा ने नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक मुहिद्दीन यासीन को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है, हालाँकि इसके लिये कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है। गौरतलब है कि मलेशिया दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित एक संघीय राज्य है। मलेशिया मुख्य तौर पर दो क्षेत्रों से मिलकर बना है, जिन्हें दक्षिण चीन सागर द्वारा अलग किया जाता है- 'पश्चिम मलेशिया' (उत्तर में थाईलैंड और दक्षिण में सिंगापुर के साथ सीमा) और 'पूर्वी मलेशिया' (बोर्नियो द्वीप का उत्तरी भाग, जो दक्षिण में इंडोनेशिया और ब्रुनेई के साथ सीमा साझा करता है)। मलेशिया भूमध्य रेखा के काफी करीब स्थित है। मलेशिया की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पाम आयल के कारोबार पर निर्भर है और भारत प्रतिवर्ष लगभग 90 लाख टन पाम तेल मलेशिया तथा इंडोनेशिया से आयात करता है।

माकी काजी

हाल ही में 'सुडोकू के गॉडफादर' के रूप में प्रसिद्ध जापान के 'माकी काजी' का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। माकी काजी ने 'सुडोकू' को 1980 के दशक में सर्वप्रथम अपनी पत्रिका 'निकोली' में प्रकाशित किया था। तब से यह लोकप्रिय खेल- जिसमें 9X9 ग्रिड की प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ और वर्ग में 1 से 9 तक की संख्या भरनी होती है, दुनिया भर में फैल गया है। दुनिया भर में इस नंबर पहेली के टूर्नामेंट आयोजित किये जाते हैं और यह अनुमान है कि प्रतिदिन लाखों लोग इस खेल के अलग-अलग संस्करण खेलते हैं। माकी काजी का जन्म उत्तरी जापान के 'साप्पोरो' शहर में वर्ष 1951 में हुआ था। जापान के 'कीओ विश्वविद्यालय' से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने के बाद उन्होंने एक पहेली पत्रिका 'निकोली' की स्थापना की और अगस्त 1980 में इसका पहला संस्करण प्रकाशित किया गया। एक खेल के रूप में 'सुडोकू' की उत्पत्ति का इतिहास स्पष्ट नहीं है, एक मत के अनुसार, इस खेल की उत्पत्ति का श्रेय 18वीं शताब्दी के स्विस गणितज्ञ 'यूलर' को दिया जाता है, जबकि एक अन्य मत के अनुसार, यह 8वीं या 9वीं शताब्दी में भारत के रास्ते चीन से अरब जगत में आया। 'निकोली' पत्रिका में प्रकाशित होने के बाद 'सुडोकू' खेल जापान समेत दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया।

'बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना' का विस्तार

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में राज्य के 96 लाख परिवारों को कवर करने के लिये प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना 'बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना' (BSKY) के विस्तार की घोषणा की है, गौरतलब है कि अब तक इस योजना के माध्यम से राज्य के लगभग 71.69 लाख परिवारों को कवर किया जा रहा था। योजना के तहत राज्य की कुल 4.5 करोड़ आबादी में से लगभग 3.5 करोड़ लोगों को जल्द ही 'स्मार्ट हेल्थ कार्ड' प्रदान कर दिये जाएंगे। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य राज्य की स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली में महत्त्वपूर्ण बदलाव लाना है। ज्ञात हो कि ओडिशा सरकार ने केंद्र की प्रमुख योजना, 'आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (AB-PMJAY) को लागू नहीं किया है, बल्कि इसके बजाय वर्ष 2018 में 'बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना' को लॉन्च किया था। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज का लाभ उठा सकता है, जबकि परिवार की महिला सदस्य प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए तक का लाभ उठा सकती है।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मज़दूर न्याय योजना

छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में 12 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभान्वित करने हेतु 200 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मज़दूर न्याय योजना' की शुरुआत की है। राज्य सरकार के मुताबिक, इस योजना राशि को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अनुपूरक बजट में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि यह ग्रामीण भूमिहीन मज़दूरों के लिये आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में अपनी तरह की

नोट :

पहली योजना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भूमिहीन मज़दूरों को न्यूनतम मज़दूरी के साथ समर्थन प्रदान करना है ताकि बुनियादी सुविधाओं तक उनकी पहुँच सुनिश्चित की जा सके। योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के सफल संचालन को सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार ने लाभार्थी के बैंक खाते से संबंधित किसी भी विसंगति को 15 दिनों के भीतर हल करने हेतु एक तंत्र भी स्थापित किया है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से मुख्य तौर पर मनरेगा और ठेका श्रमिकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा समाज के अन्य समूहों जैसे- नाइ, धोबी, लोहार और पुजारी आदि को भी इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। योजना के लाभार्थी समर्पित पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

चिक्सुलब प्रभावक: डायनासोर की विलुप्ति

साउथवेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रस्तुत एक नए शोध के मुताबिक, 66 मिलियन वर्ष पूर्व डायनासोर की विलुप्ति हेतु उत्तरदायी क्षुद्रग्रह के सौरमंडल के मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट के बाहरी हिस्से से उत्पन्न होने की संभावना है। इस घटना को 'चिक्सुलब प्रभावक' के रूप में जाना जाता है और इस विशाल खगोलीय निकाय की अनुमानित चौड़ाई तकरीबन 6 मील (यानी 9.6 किलोमीटर) थी और इसके कारण मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में एक बड़ा गड्ढा उत्पन्न हुआ था, जो कि 90 मील (145 किलोमीटर) तक फैला हुआ था। पृथ्वी के साथ इस विशाल क्षुद्रग्रह के अचानक संपर्क के बाद क्षुद्रग्रह ने न केवल डायनासोर की प्रजाति को समाप्त कर दिया, बल्कि पृथ्वी की लगभग 75 प्रतिशत जानवरों की प्रजातियों को भी विलुप्त कर दिया। यह माना जाता है कि इस घटना के कारण हुए विस्फोटक के परिणामस्वरूप ही 'मेसोज़ोइक युग' की समाप्ति हुई। व्यापक स्तर पर विनाश करने वाला यह क्षुद्रग्रह, पृथ्वी से टकराने से पूर्व मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट में अन्य क्षुद्रग्रहों के साथ सूर्य की परिक्रमा कर रहा था। गौरतलब है कि हमारे सौरमंडल में बहुत सारे क्षुद्रग्रह हैं। उनमें से ज़्यादातर क्षुद्रग्रह 'मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट' (Main Asteroid Belt) में पाए जाते हैं। यह मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच के क्षेत्र में स्थित है।

छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0

अटल इनोवेशन मिशन (AIM) नीति आयोग ने भारत में 'ला फोंडेशन डसॉल्ट सिस्टम्स' के सहयोग से हाल ही में 'अटल टिंकरिंग लैब्स' (ATL) के युवा नवप्रवर्तकों के लिये 'छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0' (SEP 3.0) की शुरुआत की है। 'छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0' की थीम 'मेड इन 3डी-सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम' पर आधारित है, जिसे 2017 में 'ला मेन आ ला पाटे फाउंडेशन' और 'ला फोंडेशन डसॉल्ट सिस्टम्स' द्वारा फ्राँस में तैयार और शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में प्रत्येक स्कूल (6 छात्र और एक शिक्षक) की एक टीम को 3डी प्रिंटिंग का उपयोग करके अपना स्वयं का स्टार्टअप, डिज़ाइन और प्रोटोटाइप बनाने, मार्केटिंग अभियान तैयार करने, उत्पाद मूल्य निर्धारण को परिभाषित करने और विस्तार करने की रणनीति के लिये सीड फंडिंग आवंटित की जाएगी। इससे उन्हें 'स्टार्टअप कैसे काम करता है', का वास्तविक अनुभव प्राप्त होगा। कार्यक्रम के अंत में प्रत्येक स्कूल का स्टार्टअप एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा और उद्योग एवं शिक्षा जगत के विशेषज्ञों के सामने अपना मार्केटिंग अभियान प्रस्तुत करेगा। इस कार्यक्रम के लिये 26 राज्यों की कुल 50 टीमों का चयन किया गया है। इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि इसमें फ्राँस और भारतीय स्कूलों के बीच छात्रों व शिक्षकों के लिये बातचीत के अवसर भी होंगे। गौरतलब है कि इस प्रकार की उद्योग भागीदारी युवा छात्रों की आविष्कारशीलता को बढ़ाने के लिये काफी महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है।

जाम्बिया के नए राष्ट्रपति: हाकैंडे हिचिलेमा

जाम्बिया के विपक्षी नेता हाकैंडे हिचिलेमा को हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनावों में देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। हाकैंडे हिचिलेमा का जन्म दक्षिणी ज़िले 'मोंज़े' में 04 जून, 1962 को हुआ था। जाम्बिया विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने ब्रिटेन में 'बर्मिंघम विश्वविद्यालय' से एमबीए की डिग्री हासिल की। वर्तमान में वे जाम्बिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं और वित्त, पशुपालन, संपत्ति, स्वास्थ्य देखभाल तथा पर्यटन जैसे क्षेत्रों में उनके व्यावसायिक हित मौजूद हैं। ज्ञात हो कि जाम्बिया, दक्षिण-मध्य अफ्रीका में एक लैंडलॉक देश है और यह अंगोला, ज़ैरे, तंजानिया, मलावी, मोज़ाम्बिक, ज़िम्बाब्वे, बोत्सवाना तथा नामीबिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यह देश अधिकांशत: पठारीय क्षेत्र है, जो पूर्व में 8,000 फीट (2,434 मीटर) तक ऊँचा है। अफ्रीका खासतौर पर जाम्बिया के अग्रणी नेताओं में से एक डॉ. केनेथ कोंडा ने जाम्बिया में उपनिवेशवाद को समाप्त करने और एक नए जाम्बिया का गठन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।

डॉ. शंकर दयाल शर्मा

19 अगस्त, 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, वकील और राजनीतिज्ञ डॉ. शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त, 1918 को भोपाल (मध्य प्रदेश) में हुआ था। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा आगरा और लखनऊ विश्वविद्यालयों से प्राप्त की, इसके पश्चात् उन्होंने 'कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय' से विधि (कानून) में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1940 में लखनऊ में उन्होंने वकील के तौर पर प्रैक्टिस शुरू की, जिसके कुछ समय पश्चात् वे कॉन्ग्रेस में शामिल हो गए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वे लगभग आठ महीनों तक जेल में रहे। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डॉ. शंकर दयाल शर्मा स्वतंत्र भारत के राजनीतिक वातावरण में और अधिक सक्रिय हो गए और उन्होंने राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य किया। डॉ. शंकर दयाल शर्मा ने वर्ष 1992 से वर्ष 1997 तक देश के नौवें राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया, उन्हें वर्ष 1984 में आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 26 दिसंबर, 1999 को नई दिल्ली में 81 वर्ष की उम्र में डॉ. शंकर दयाल शर्मा का निधन हो गया।

भारत-बांग्लादेश आपदा प्रबंधन समझौता

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच आपदा प्रबंधन, सहनीयता और शमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन (MoU) को मंज़ूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन के तहत एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे भारत और बांग्लादेश एक-दूसरे की आपदा प्रबंधन व्यवस्था से लाभान्वित हो सकेंगे। इससे आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तैयारी, त्वरित बचाव व राहत कार्य एवं क्षमता निर्माण को मज़बूती प्रदान करने में सहायता मिलेगी। इस समझौते की प्रमुख विशेषताओं में त्वरित बचाव व राहत कार्य, पुनर्निर्माण और रिकवरी हेतु समर्थन; प्रासंगिक जानकारी, रिमोट सेंसिंग डेटा तथा अन्य वैज्ञानिक डेटा का आदान-प्रदान करना; त्वरित बचाव व राहत कार्य के अनुभव/सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना; आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अधिकारियों के प्रशिक्षण का समर्थन करना; दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रूप से संयुक्त आपदा प्रबंधन अभ्यास आयोजित करना; आपदा सहनीय समुदाय बनाने के लिये मानक, नवीनतम तकनीक और उपकरण साझा करना आदि शामिल हैं। इस समझौते में भारत की ओर से 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (NDMA) और बांग्लादेश की ओर से 'आपदा प्रबंधन और राहत मंत्रालय' शामिल हैं।

विश्व मानवता दिवस

प्रतिवर्ष 19 अगस्त को दुनिया भर में 'विश्व मानवतावादी दिवस' या 'विश्व मानवता दिवस' (World Humanitarian Day) का आयोजन किया जाता है। यह दिन उन लोगों की स्मृति में मनाया जाता है जिन्होंने विश्व स्तर पर मानवतावादी संकट में अपनी जान गंवाई या मानवीय उद्देश्यों के कारण दूसरों की सहायता हेतु अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। 'विश्व मानवतावादी दिवस' उस घटना को भी चिह्नित करता है, जब 19 अगस्त, 2003 को बगदाद में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर बमबारी में इराक के महासचिव के तत्कालीन विशेष प्रतिनिधि 'सर्जियो विएरा डी मेलो' और 21 सहायता कर्मियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद वर्ष 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में नामित करने के लिये एक प्रस्ताव अपनाया। वर्ष 2021 के लिये इस दिवस की थीम है- 'द ह्यूमन रेस' (The Human Race)।

भारत-ऑस्ट्रेलिया नौसेना के लिये 'जॉइंट गाइडेंस' दस्तावेज़

भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई नौसेनाओं के प्रमुखों ने हाल ही में दोनों सेनाओं के बीच विभिन्न स्तरों पर बातचीत को कारगर बनाने के लिये एक मार्गदर्शन दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किये हैं। 'जॉइंट गाइडेंस फॉर द ऑस्ट्रेलिया-इंडिया नेवी टू नेवी रिलेशनशिप' नामक इस दस्तावेज़ के माध्यम से दोनों देशों की नौसेना के बीच समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी। यह दस्तावेज़ दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा सहमत '2020 व्यापक रणनीतिक साझेदारी' से जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के लिये साझा दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है। गौरतलब है कि अमेरिका और जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया तथा भारत चार देश 'चतुर्भुज सुरक्षा संवाद' या क्वाड का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य 'मुक्त, स्वतंत्र और समृद्ध' भारत-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना है। यह 'जॉइंट गाइडेंस' दस्तावेज़ दोनों देशों की नौसेनाओं के द्विपक्षीय संबंधों को और मज़बूत करने हेतु दिशा-निर्देश दस्तावेज़ के रूप में कार्य करेगा। दस्तावेज़ की प्रमुख विशेषताओं में 'हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी' (IONS), 'पश्चिमी प्रशांत नौसेना संगोष्ठी' (WPNS), 'हिंद महासागर रिम एसोसिएशन' (IORA) और 'आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक- प्लस' के अधीनस्थ विशेषज्ञ कार्य समूहों सहित विभिन्न क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय मंचों में घनिष्ठ सहयोग स्थापित करना है।

नोट :

उभरते सितारे' फंड

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में छोटी एवं मध्यम आकार की निर्यातोन्मुखी कंपनियों के लिये 250 करोड़ रुपए के वैकल्पिक निवेश कोष 'उभरते सितारे' फंड का शुभारंभ किया है। इस वैकल्पिक निवेश कोष को संयुक्त रूप से 'एक्ज़िम बैंक ऑफ इंडिया' और सिडबी द्वारा प्रायोजित किया जाएगा, जो निर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में निर्यात-उन्मुख इकाइयों में इक्विटी एवं इक्विटी जैसे उत्पादों के माध्यम से फंड में निवेश करेंगे। इस फंड में 250 करोड़ रुपए का 'ग्रीनशू' विकल्प भी शामिल होगा। 'ग्रीनशू' या 'ओवर-अलॉटमेंट ऑप्शन' IPO अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में शामिल एक प्रावधान है, जो अंडरराइटर को अधिक शेयर बेचने का अधिकार प्रदान करता है। 'उभरते सितारे कार्यक्रम' (USP) के माध्यम से उन भारतीय कंपनियों की पहचान की जाएगी, जिनमें वैश्विक मांगों और मानकों को पूरा करते हुए घरेलू क्षेत्र में चैंपियन बनने की क्षमता है। साथ ही इसके तहत ऐसी कंपनियों की भी पहचान की जाएगी, जो वर्तमान में तो खराब प्रदर्शन कर रही हैं, किंतु उनके पास प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं या उत्पादों और निर्यात की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण क्षमता मौजूद हैं। वैकल्पिक निवेश कोष वित्तीय एवं सलाहकार सेवाओं और इक्विटी या इक्विटी जैसे उपकरणों में निवेश के माध्यम से संरचित समर्थन प्रदान करेगा। इस फंड का प्राथमिक उद्देश्य एमएसएमई के विकास को प्रोत्साहित करना है, क्योंकि वे रोज़गार सृजन, नवाचार करने और जोखिम लेने के मामले में अर्थव्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

'ZyCoV-D' वैक्सीन

भारतीय दवा नियामक की विषय विशेषज्ञ समिति ने आपातकालीन उपयोग के लिये 'ज़ाइडस कैडिला' कंपनी की तीन-खुराक वाली कोविड-19 वैक्सीन- 'ZyCoV-D' को मंज़ूरी देने की सिफारिश की है। जेनेरिक दवा निर्माता कंपनी 'ज़ाइडस कैडिला' ने देश भर में 28,000 से अधिक स्वयंसेवकों के परीक्षण में 66.6% की प्रभावकारिता दर के आधार पर 'ZyCoV-D' वैक्सीन को मंज़ूरी देने के लिये आवेदन किया था। 'ZyCoV-D' एक प्लास्मिड डीएनए वैक्सीन है जो SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन का उत्पादन करती है और मानव प्रतिरक्षा प्रणाली के सेलुलर (T लिम्फोसाइट्स इम्युनिटी) तथा ह्यूमरल (एंटीबॉडी-मध्यस्थता प्रतिरक्षा) के ज़रिये प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रदान करती है। 'ZyCoV-D' वैक्सीन स्थानीय रूप से उत्पादित 'कोविशील्ड', भारत बायोटेक की 'कोवैक्सिन', रूस की 'स्पुतनिक वी' और अमेरिका में निर्मित 'मॉडर्ना' के बाद देश में उपयोग के लिये स्वीकृत पाँचवीं वैक्सीन बन जाएगी। साथ ही यह किसी भी देश में मंज़ूरी पाने वाली दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भी बन जाएगी।

डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज 5.0

रक्षा मंत्री ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस- डिफेंस इनोवेशन ऑर्गनाइज़ेशन' (iDEX-DIO) के तहत 'डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0' का शुभारंभ किया है। 'डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज के तहत सिचुएशनल अवेयरनेस, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एयरक्राफ्ट-ट्रेनर, नॉन-लेथ डिवाइस, 5G नेटवर्क, अंडर-वाटर डोमेन अवेयरनेस, ड्रोन स्वार्म और डेटा कैप्चरिंग जैसे क्षेत्रों को कवर किया गया है। 'डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज 5.0' का उद्देश्य भारतीय रक्षा क्षेत्र को 'आत्मनिर्भर' बनाना है और नवाचार, डिज़ाइन तथा विकास को नई ऊँचाइयों पर ले जाना है। 'डिफेंस इनोवेशन ऑर्गनाइज़ेशन' (DIO) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-8 के तहत पंजीकृत एक 'गैर-लाभकारी' कंपनी है। इसके दो संस्थापक सदस्य 'हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड' (HAL) और 'भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड' (BEL)- रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (DPSUs) हैं। 'हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड' और 'भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड' नवरत्न कंपनियाँ हैं।

रिमोट सेंसिंग डेटा साझाकरण हेतु ब्रिक्स समझौता

ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझाकरण में सहयोग के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। 'भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन' (इसरो) के मुताबिक, यह समझौता ब्रिक्स देशों को अपनी अंतरिक्ष एजेंसियों के निर्दिष्ट रिमोट सेंसिंग उपग्रहों के माध्यम से एक 'वर्चुअल इंस्टॉलेशन' के निर्माण में सक्षम बनाता है, जिसमें संबंधित देशों के ग्राउंड स्टेशनों से डेटा प्राप्त किया जा सकेगा। यह वैश्विक जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरण संरक्षण जैसी चुनौतियों का सामना करने में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच बहुपक्षीय सहयोग को मज़बूत करने में योगदान देगा। यह समझौता ब्रिक्स में भारत की अध्यक्षता के तहत हस्ताक्षरित किया गया है।

मद्रास दिवस

चेन्नई में आम लोगों द्वारा प्रतिवर्ष 22 अगस्त को 'मद्रास दिवस' के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस, चेन्नई शहर में रहने वाले लोगों के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1639 में मद्रास शहर की स्थापना की गई थी। गौरतलब है कि 22 अगस्त, 1639 को मद्रासपट्टनम गाँव को 'ईस्ट इंडिया कंपनी' ने स्थानीय शासकों से खरीद लिया था। यद्यपि इस सौदे की सही तिथि को लेकर कुछ विवाद रहे हैं, किंतु 22 अगस्त को सबसे उपयुक्त तारीख माना जाता है। यह समझौता ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी 'फ्रांसिस डे' और तत्कालीन स्थानीय शासकों के बीच हुआ था। धीरे-धीरे इस क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्र में लोगों की आबादी बढ़ने लगी तथा कुछ समय बाद आसपास के गाँवों को भी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खरीद लिया गया। इस नए और पुराने क्षेत्र को मिलाकर एक नए मद्रास शहर की स्थापना की गई। 'मद्रास दिवस' की अवधारणा की संकल्पना वर्ष 2004 में चेन्नई के पत्रकार 'विन्सेंट डिसूज़ा' ने की थी। उन्होंने चेन्नई हेरिटेज फाउंडेशन के ट्रस्टियों की एक बैठक के दौरान शहर के प्रसिद्ध इतिहासकार 'एस. मुथैया' को यह विचार दिया और इसके बाद 'मद्रास दिवस' को आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

राजीव गांधी

20 अगस्त, 2021 को उपराष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि मात्र 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और संभवत: दुनिया के उन युवा राजनेताओं में से एक हैं जिन्होंने इतनी कम उम्र में किसी सरकार का नेतृत्त्व किया। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त, 1944 को बम्बई (मुंबई) में हुआ था। विज्ञान में रुचि रखने वाले राजीव गांधी वर्ष 1984 में अपनी माँ की हत्या के पश्चात् कॉन्ग्रेस अध्यक्ष एवं देश के प्रधानमंत्री बने और वर्ष 1989 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 21 मई, 1991 को चेन्नई में एक रैली के दौरान अलगाववादी संगठन लिट्टे की महिला सुसाइड बॉम्बर ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। यही कारण है कि राजीव गांधी की पुण्यतिथि (21 मई) पर प्रतिवर्ष देश में एंटी-टेररिज़्म दिवस अथवा आतंकवाद विरोधी दिवस का आयोजन किया जाता है। ध्यातव्य है कि राजीव गांधी को 'भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार क्रांति का जनक' और डिजिटल इंडिया के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। देश के छठे प्रधानमंत्री के तौर पर राजीव गांधी का कार्यकाल देश में सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण दौर था।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्द ही 'राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन' (NMP) का शुभारंभ करेंगी,जिसके तहत सरकार द्वारा आगामी चार वर्षों में बेची जाने वाली अपनी बुनियादी अवसंरचना संपत्तियों को सूचीबद्ध किया जाएगा। 'राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन' केंद्र सरकार की परिसंपत्ति मुद्रीकरण पहल के लिये एक मध्यम अवधि के रोडमैप के रूप में भी काम करेगी। केंद्रीय बजट 2021-22 में सरकार ने बुनियादी अवसंरचना के लिये नवीन एवं वैकल्पिक वित्तपोषण के साधन के रूप में परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर काफी अधिक ज़ोर दिया था और इससे संबंधित कई घोषणाएँ भी की थीं। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया था कि नए बुनियादी अवसंरचना के निर्माण के लिये वर्तमान सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे की संपत्ति का मुद्रीकरण एक महत्त्वपूर्ण वित्तपोषण विकल्प है। सरकार ने 'राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन' की रियल-टाइम प्रगति की निगरानी के लिये एक परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड भी विकसित किया है। संपत्ति मुद्रीकरण का आशय किसी भी संपत्ति को आर्थिक मूल्य में बदलने की प्रक्रिया से है। इसका उपयोग प्राय: अतिरिक्त संपत्ति के निर्माण के लिये किया जाता है।

भारत में सबसे अधिक ऊँचाई पर मौजूद हर्बल पार्क

हाल ही में उत्तराखंड के चमोली ज़िले में भारत-चीन सीमा के पास 'माणा गाँव' में 11,000 फीट की ऊँचाई पर स्थित भारत के सबसे ऊँचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। भारत के इस सबसे ऊँचे हर्बल पार्क का मुख्य उद्देश्य विभिन्न औषधीय और सांस्कृतिक रूप से महत्त्वपूर्ण अल्पाइन प्रजातियों का और उनके प्रसार एवं आवास पारिस्थितिकी पर शोध करना है। यह पार्क उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा 'माणा वन पंचायत' द्वारा दिये गए तीन एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है। इसे केंद्र सरकार की 'क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण' (CAMPA) के तहत तीन वर्षीय अवधि में विकसित किया गया है। इस हर्बल पार्क में भारतीय हिमालयी क्षेत्र में ऊँचाई वाले अल्पाइन क्षेत्रों की लगभग 40 प्रजातियाँ मौजूद हैं। इनमें से कई प्रजातियाँ 'अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ' (IUCN) की रेड लिस्ट के साथ-साथ राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा 'लुप्तप्राय और खतरे' में मौजूद प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध हैं। साथ ही इसमें कई महत्त्वपूर्ण औषधीय जड़ी-बूटियाँ भी शामिल हैं।

सेना में कर्नल पद पर महिलाओं की पदोन्नति

हाल ही में 'सेना चयन बोर्ड' ने 26 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली पाँच महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर पदोन्नत करने की मंज़ूरी दे दी है। यह पहली बार है कि 'कोर ऑफ सिग्नल', 'कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स' (EME) और 'कोर ऑफ इंजीनियर्स' में सेवारत महिला अधिकारियों को कर्नल के पद पर पदोन्नत करने की मंज़ूरी दी गई है। इससे पूर्व महिलाओं के लिये कर्नल के पद पर पदोन्नति की व्यवस्था केवल आर्मी मेडिकल कोर (AMC), जज एडवोकेट जनरल (JAG) और सेना शिक्षा कोर (AEC) में लागू थी। पाँच महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर पदोन्नत करने का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय के बाद आया है, जिसमें महिला उम्मीदवारों को भी 'राष्ट्रीय रक्षा अकादमी' (NDA) की प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी। भारतीय सेना की अन्य शाखाओं में पदोन्नति मिलने से महिला अधिकारियों के लिये कॅरियर के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। गौरतलब है कि सेना, वायु सेना और नौसेना ने वर्ष 1992 में महिलाओं को शॉर्ट-सर्विस कमीशन (SSC) अधिकारियों के रूप में शामिल करना शुरू किया था। यह पहली बार था जब महिलाओं को मेडिकल स्ट्रीम के बाहर सेना में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। सेना में महिलाओं के लिये एक महत्त्वपूर्ण मोड़ वर्ष 2015 में आया जब भारतीय वायु सेना ने महिलाओं को लड़ाकू स्ट्रीम में शामिल करने का फैसला किया।

'2016 AJ193' क्षुद्रग्रह

दुनिया की सबसे ऊँची इमारत 'बुर्ज खलीफा' से भी विशाल क्षुद्रग्रह हाल ही में पृथ्वी के करीब से गुज़रा है। अपने विशाल आकार और पृथ्वी के करीब इसकी कक्षा के कारण वैज्ञानिकों द्वारा इस क्षुद्रग्रह को 'संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह' (PHAs) के रूप में वर्णित किया गया था। पृथ्वी से इस क्षुद्रग्रह की दूरी बीते 65 वर्षों में पृथ्वी के पास से गुज़रने वाले किसी भी क्षुद्रग्रह की तुलना में सबसे करीब थी। इस क्षुद्रग्रह को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी 'नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन' (NASA) द्वारा आधिकारिक तौर पर '2016 AJ193' नाम दिया गया था। नासा के मुताबिक, यह खगोलीय निकाय 94,208 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रहा था, जो कि इस प्रकार के किसी अन्य खगोलीय निकाय की तुलना में काफी अधिक है। नासा सहित दुनिया भर की विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों के वैज्ञानिक लगातार क्षुद्रग्रह की गति पर नजर रख रहे हैं। क्षुद्रग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे चट्टानी पदार्थ होते हैं। क्षुद्रग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा ग्रहों के समान ही की जाती है लेकिन इनका आकार ग्रहों की तुलना में बहुत छोटा होता है। 'संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह' (PHAs) किसी एक क्षुद्रग्रह के पृथ्वी के करीब आने की संभावना को इंगित करता है।

'एसिटाबुलरिया जलकन्याका' शैवाल

केंद्रीय पंजाब विश्वविद्यालय के समुद्री जीव वैज्ञानिकों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से समुद्री हरी शैवाल की एक नई प्रजाति की खोज की है। इस समुद्री शैवाल प्रजाति का नाम महासागरों की देवी के नाम पर 'एसिटाबुलरिया जलकन्याका' रखा गया है। इस नए खोजे गए शैवाल में जटिल डिज़ाइन वाली छतरी जैसी टोपियाँ मौजूद हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह पूरा पौधा सिर्फ एक विशाल कोशिका के रूप में है, जिसमें एक अकेला केंद्रक मौजूद है। वनस्पति विज्ञान में इस स्थिति को 'कोएनोसाइटिक' कहा जाता है। वर्ष 1940 के दशक में 'एसिटाबुलरिया' पर जर्मन वनस्पतिशास्त्री 'जोआचिम हैमरलिंग' द्वारा किये गए अग्रणी काम ने 'प्लांट न्यूक्लियस या केंद्रक' के सेलुलर नियंत्रण कार्यों की खोज में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ज्ञात हो कि अंडमान में दुनिया के सबसे स्वस्थ 'कोरल रीफ' मौजूद हैं, जो शैवाल सहित कई अन्य जीवों का समर्थन करती हैं। इस क्षेत्र में सबसे अधिक शैवाल विविधता पाई जाती है, लेकिन बढ़ते समुद्री जल तापमान और समुद्र के अम्लीकरण के कारण इन पर जलवायु परिवर्तन का तनाव सबसे अधिक है।

सिम्हाद्री में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना

राज्य संचालित बिजली उत्पादक एनटीपीसी लिमिटेड ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अपने 'सिम्हाद्री थर्मल स्टेशन' पर भारत की सबसे बड़ी 'फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना' में वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है। 15 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना को चालू करने के बाद इस सुविधा में कुल स्थापित क्षमता 25 मेगावाट हो गई है। इसी के साथ एनटीपीसी की कुल स्थापित क्षमता अब 53,475 मेगावाट हो गई है, जबकि इसकी वाणिज्यिक क्षमता अब 52,425 मेगावाट तक पहुँच गई है। इस फ्लोटिंग सोलर परियोजना में 1 लाख से अधिक सोलर पीवी मॉड्यूल के माध्यम से बिजली पैदा करने की क्षमता है। यह न केवल लगभग 7,000 घरों को रोशन करने में मदद करेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि इस परियोजना के जीवनकाल के दौरान प्रतिवर्ष कार्बन उत्सर्जन में 46,000 टन की कमी आए। साथ ही इस परियोजना के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,364 मिलियन लीटर पानी की बचत की जा सकेगी। यह 6,700 परिवारों की वार्षिक जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त होगा।

अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन स्मरण दिवस

प्रतिवर्ष 23 अगस्त को विश्व भर में 'अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन स्मरण दिवस' का आयोजन किया जाता है। यूनेस्को के मुताबिक, यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दास व्यापार की त्रासदी से पीड़ित लोगों की याद में आयोजित किया जाता है। विदित हो कि पश्चिमी यूरोप के औपनिवेशिक साम्राज्यों को ट्रान्साटलांटिक दास व्यापार के कारण सबसे अधिक लाभ हुआ था। इस व्यवस्था के तहत दुनिया भर के तमाम हिस्सों, विशेष तौर पर अफ्रीकी देशों से प्राप्त दासों को हैती, कैरिबियाई देशों और विश्व के अन्य हिस्सों में मौजूद औपनिवेशों में अमानवीय परिस्थितियों में कार्य करने के लिये ले जाया गया। हालाँकि यह व्यवस्था लंबे समय तक न चल सकी और जल्द ही लोगों में असंतोष पैदा हो गया। 22-23 अगस्त, 1791 की रात आधुनिक हैती और डोमिनिकन गणराज्य के 'सैंटो डोमिंगो' में इसके विरुद्ध पहले विद्रोह की शुरुआत हुई। इस विद्रोह ने ट्रान्साटलांटिक दास व्यापार के उन्मूलन में एक प्रमुख भूमिका निभाई। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को 'अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन स्मरण दिवस' के रूप में आयोजित किया जाता है। यह दिवस हमें दास व्यापार जैसी त्रासदी के ऐतिहासिक कारणों, परिणामों और तरीकों पर सामूहिक रूप से पुनर्विचार करने का अवसर प्रदान करता है।

'चंद्रयान-2' के डेटा विश्लेषण हेतु प्रस्ताव आमंत्रित

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 'चंद्रयान-2' ऑर्बिटर प्रयोगों से प्राप्त डेटा के वैज्ञानिक विश्लेषण हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी शोधकर्त्ताओं द्वारा चंद्रमा की सतह पर जल की उपस्थिति का पता लगाने के लिये 'चंद्रयान-1' मिशन के माध्यम से चंद्रमा की आकृति, चंद्रमा की सतह संरचना, सतह की आयु का निर्धारण और मैग्मैटिक डेटा का व्यापक पैमाने पर उपयोग किया गया था। इसरो के मुताबिक, इस प्रकार के अध्ययन चंद्रमा की विकास प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं और चंद्रयान-1 के अध्ययन ने भारतीय वैज्ञानिक समुदाय का काफी विस्तार किया है। चंद्रयान-2 ऑर्बिटर वर्तमान में चंद्रमा के चारों ओर 10,000 वर्ग किलोमीटर में एक गोलाकार ध्रुवीय कक्षा में मौजूद है। यह ऑर्बिटर, चंद्रमा की सतह के भूविज्ञान और बहिर्मंडल की संरचना जैसे पहलुओं का अध्ययन करने के लिये अलग-अलग प्रकार के कुल आठ प्रयोग कर रहा है। इसरो का मानना है कि ये अध्ययन पिछले मिशनों की समझ को और अधिक विकसित करने में मददगार साबित हो सकते हैं। यह भारत का चंद्रमा पर दूसरा मिशन है। चंद्रयान-2 भारत द्वारा चंद्रमा की सतह पर उतरने का पहला प्रयास था। सितंबर 2019 में लैंडर विक्रम ने चंद्रमा की सतह पर 'हार्ड लैंडिंग' की। इसका ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा की कक्षा में है और इस मिशन की अवधि सात वर्ष है।

अभय कुमार सिंह

हाल ही में आईएएस अधिकारी अभय कुमार सिंह को देश में सहकारिता आंदोलन को मज़बूत करने के उद्देश्य से गठित 'सहकारिता मंत्रालय' में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। बिहार कैडर के वर्ष 2004 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अभय कुमार सिंह को इस नवनिर्मित पद पर कुल सात वर्ष के कार्यकाल के लिये नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2021 में 'सहकार से समृद्धि' (सहकारिता के माध्यम से समृद्धि) के दृष्टिकोण को साकार करने और सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देने के लिये एक अलग 'सहकारिता मंत्रालय' का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य देश में सहकारिता आंदोलन को मज़बूत करने के लिये एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढाँचा प्रदान करना था। यह मंत्रालय ज़मीनी स्तर तक पहुँच वाले सहकारी समितियों को एक जन आधारित आंदोलन के रूप में मज़बूत करने में मदद करेगा।

सुजलम' अभियान

जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' समारोह के अंतर्गत 'सुजलम' अभियान की शुरुआत की है, जिसके द्वारा ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन संबंधी गतिविधियों जैसे- दस लाख सोख-गड्ढों का निर्माण और अन्य ग्रेवाटर प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से अधिक-से-अधिक गाँवों को ओडीएफ प्लस गाँवों में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाएगा। इस अभियान को आगामी 100 दिनों के लिये संचालित किया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से न केवल गाँवों में ग्रेवाटर प्रबंधन के लिये वांछित बुनियादी संरचना अर्थात् सोख गड्ढों का निर्माण किया जाएगा, बल्कि जल के सतत् प्रबंधन में भी सहायता प्राप्त होगी। गौरतलब है कि गाँवों में या गाँवों के बाहरी इलाकों में गंदे पानी का निष्कासन और जल निकायों का निस्तारण एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इस अभियान से अपशिष्ट जल प्रबंधन में सहायता प्राप्त होगी और साथ ही जल निकायों को पूर्वरूप में लाने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा इस अभियान के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी द्वारा 'स्वच्छ भारत

मिशन- ग्रामीण' के फेज़-II की गतिविधियों को तीव्रता प्राप्त होगी तथा इससे ओडीएफ-प्लस गतिविधियों के बारे में जागरूकता को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। इस अभियान के अंतर्गत गाँवों में आयोजित की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों में- सामुदायिक परामर्श और ग्राम सभा का आयोजन, 100 दिवसीय कार्ययोजना विकसित करना, आवश्यक सोख गड्ढों का निर्माण करना, शौचालयों का निर्माण करना और गाँव के सभी परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करना आदि शामिल हैं।

ऑपरेशन देवी शक्ति

तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्ज़ा करने के बाद काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगान भागीदारों को बाहर निकालने के लिये भारत ने 'ऑपरेशन देवी शक्ति' नाम से एक अभियान की शुरुआत की है। इस जटिल निकासी अभियान की शुरुआत तालिबान द्वारा अफगान राजधानी पर कब्ज़ा करने के एक दिन बाद 16 अगस्त को तब हुई थी, जब भारत द्वारा 40 भारतीयों को काबुल से एयरलिफ्ट किया गया था। काबुल में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के मद्देनज़र इस अभियान के तहत अब तक भारत ने कुल 800 से अधिक लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकाला है। बीते दिनों अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान के कट्टरपंथी राजनीतिक और सैन्य संगठन तालिबान ने राजधानी काबुल पर कब्ज़ा कर लिया था, जिसके बाद से अफगानिस्तान में स्थिति काफी अस्थिर एवं चिंताजनक बनी हुई है, ऐसे में तमाम देशों द्वारा अपने नागरिकों और अफगान भागीदारों को बाहर निकालने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। यद्यपि तालिबान ने घोषणा की है कि किसी के साथ भी हिंसा नहीं की जाएगी और वह शांतिपूर्ण ट्रांज़िशन प्रक्रिया का सम्मान करेगा, किंतु लोगों के बीच तालिबान शासन को लेकर डर बना हुआ है।

'फतह-1' रॉकेट सिस्टम

पाकिस्तान ने हाल ही में स्वदेश में विकसित निर्देशित मल्टी-लॉन्च रॉकेट सिस्टम 'फतह-1' का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तानी सेना द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना के मुताबिक, यह हथियार प्रणाली पाकिस्तानी सेना को सटीक निशाना लगाने की क्षमता प्रदान करेगी। यह रॉकेट पारंपरिक आयुध पहुँचाने में सक्षम है। 'फतह-1' हथियार प्रणाली 140 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। यह 'फतह-1' हथियार प्रणाली का दूसरा परीक्षण था। पाकिस्तान ने जनवरी 2021 में स्वदेश में विकसित 'फतह-1' का पहला परीक्षण किया था। इससे पूर्व पाकिस्तान ने 14 अगस्त को परमाणु सक्षम सतह-से-सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल 'गज़नवी' का सफल परीक्षण किया है। यह 290 किलोमीटर की रेंज तक कई तरह के हथियार पहुँचाने में सक्षम है। इससे पूर्व पाकिस्तान ने शाहीन-3 और बाबर क्रूज़ मिसाइल को भी लॉन्च किया था।

आइन दुबई: सबसे ऊँचा ऑब्ज़र्वेशन व्हील

हाल ही में दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊँचा ऑब्ज़र्वेशन व्हील- 'आइन दुबई' शुरू किया गया है। 'लंदन आई', जो कि अब तक दुनिया का सबसे ऊँचा ऑब्ज़र्वेशन व्हील था, की ऊँचाई से भी लगभग दोगुना 'आइन दुबई' आगंतुकों को 250 मीटर की ऊँचाई तक से दुबई के सुरम्य क्षितिज के राजसी दृश्य का आनंद प्रदान करता है। ब्लूवाटर्स द्वीप पर स्थित 'आइन दुबई', दुबई के विश्व प्रसिद्ध आकर्षणों की सूची में एक नए नाम के तौर पर शामिल हुआ है। इसमें प्राइवेट केबिन भी मौजूद हैं।

एलआईसी का मोबाइल एप्लीकेशन

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने संभावित ग्राहकों को जोड़ने के लिये अपने एजेंटों और मध्यस्थों के लिये एक मोबाइल एप लॉन्च किया है। यह एप 'आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिज़नेस डिजिटल एप्लीकेशन' का नवीनतम आयाम है, जिसे 'भारतीय जीवन बीमा निगम' द्वारा नई व्यावसायिक प्रक्रियाओं हेतु पेपरलेस समाधान के रूप में बीते वर्ष लॉन्च किया गया था। भारतीय जीवन बीमा निगम के मुताबिक, यह डिजिटल एप्लीकेशन एजेंट/मध्यस्थ की मदद से कागज़ रहित बीमा पॉलिसी प्रदान करने में एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के तौर पर काम करेगा। इस मोबाइल एप में डिजिटल एप्लीकेशन की सभी विशेषताएँ मौजूद हैं। गौरतलब है कि यह मोबाइल एप्लीकेशन भारतीय जीवन बीमा निगम के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। यह भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है तथा देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में भारतीय संसद द्वारा भारतीय जीवन बीमा अधिनियम के माध्यम से की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारतीय जीवन बीमा निगम को बाज़ार में अनवरत नवीन और लाभदायक नीतियों को लाने के लिये जाना जाता है। सामान्यत: LIC पॉलिसी को बीमा बाज़ार में एक बेंचमार्क के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2018-19 में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ LIC की कुल संपत्ति 31.11 लाख करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर रही थी।

महाराष्ट्र में विधवा महिलाओं के लिये विशेष मिशन

महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में उन गरीब परिवारों की महिलाओं के लिये एक विशेष मिशन शुरू किया है, जिन्होंने कोविड-19 संक्रमण के कारण अपने पति को खो दिया है। इस विशेष मिशन का उद्देश्य ऐसी महिलाओं को एक ही छत के नीचे तमाम तरह की सेवाएँ प्रदान करना है। 'मिशन वात्सल्य' नामक यह कार्यक्रम विधवा महिलाओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब पृष्ठभूमि और वंचित वर्गों से आने वाली महिलाओं के लिये डिज़ाइन किया गया है। ज्ञात हो कि परिवार में इकलौते कमाने वाले की मृत्यु के कारण ऐसी महिलाओं के लिये चुनौती और अधिक बढ़ गई है। ऐसे में इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विधवाओं को एक छत के नीचे 18 लाभ, योजनाएँ और सेवाएँ प्रदान की जाएंगी। इसके तहत महिलाओं के लिये 'संजय गांधी निराधार योजना', 'घरकुल योजना' जैसी कई योजनाएँ शामिल हैं। इस मिशन को राज्य के 'महिला बाल विकास' मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध आँकड़ों के मुताबिक, बीते 18 महीनों में कोविड-19 के कारण 15 हज़ार से अधिक महिलाओं ने अपने पति खो दिये हैं। इसमें से कुल 14,661 महिलाओं को 'ज़िला टास्क फोर्स' द्वारा सूचीबद्ध किया गया है।

विश्व बैंक ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली सहायता रोकी

विश्व बैंक ने तालिबान के शासन के तहत अफगानिस्तान के विकास की संभावनाओं और महिलाओं के अधिकारों से संबंधित चिंताओं के मद्देनज़र अफगानिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर रोक लगा दी है। ज्ञात हो कि 'विश्व बैंक' वर्तमान में अफगानिस्तान में दो दर्जन से अधिक विकास परियोजनाएँ संचालित कर रहा है और वर्ष 2002 से अब तक इसने अफगानिस्तान को अनुदान के रूप में कुल 5.3 बिलियन डॉलर प्रदान किये हैं। इसके अलावा 'अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष' (IMF) ने भी अफगानिस्तान के साथ परिचालन को निलंबित कर दिया है, जिसमें मौजूदा 370 मिलियन डॉलर ऋण कार्यक्रम भी शामिल था। अमेरिका ने भी पिछले सप्ताह देश के केंद्रीय बैंक 'दा अफगानिस्तान बैंक' (DAB) द्वारा अमेरिकी खातों में रखी अरबों डॉलर की संपत्ति को ज़ब्त कर लिया था। अफगानिस्तान के इस केंद्रीय बैंक के पास कुल 9.5 अरब डॉलर की संपत्ति है, जो अधिकांशत: अफगानिस्तान के बाहर स्थित है।

'बी इंटरनेट ऑसम' कार्यक्रम

दिग्गज इंटनेट कंपनी 'गूगल' ने भारतीय कॉमिक बुक प्रकाशक 'अमर चित्र कथा' के साथ साझेदारी में भारतीय बच्चों के लिये अपना वैश्विक 'बी इंटरनेट ऑसम' कार्यक्रम लॉन्च किया है। गूगल ने उपयोगकर्त्ताओं, खासतौर पर बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा बढ़ाने के अपने प्रयासों के तहत आठ भारतीय भाषाओं में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम गूगल इंडिया को इंटरनेट पर गलत सूचना, धोखाधड़ी, बाल सुरक्षा संबंधी खतरों, हिंसक उग्रवाद, फिशिंग हमलों और मालवेयर जैसे खतरों का मुकाबला करने में मदद करेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से सीख सकें। इस कार्यक्रम के माध्यम से गूगल का लक्ष्य इंटरनेट पर कंपनी और उपयोगकर्त्ताओं के बीच विश्वास की नींव की स्थापना करना है।

स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक

'स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट' द्वारा 23 अगस्त से 27 अगस्त के बीच 'वर्ल्ड वाटर वीक' का आयोजन किया गया। 'स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक' की स्थापना वर्ष 1991 में 'स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट' (SIWI) द्वारा की गई थी। यह पाँच दिवसीय आयोजन वर्तमान में दुनिया का सबसे अग्रणी जल सम्मेलन है, जो मुख्य तौर पर जल, विकास और स्थिरता एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को संबोधित करने का प्रयास करता है। इस कार्यक्रम में 130 से अधिक देशों के छात्र, व्यावसायिक प्रमुख, राजनेता, गैर-सरकारी संगठन, शोधकर्त्ता, अंतर-सरकारी संगठन और कई अन्य लोग शामिल होते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक स्वतंत्र एवं गतिशील मंच के माध्यम से विज्ञान, नीति और निर्णय लेने की प्रक्रिया का एकीकरण करना है। प्रतिवर्ष 'वर्ल्ड वाटर वीक' एक अलग विषय पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्ष 2021 की थीम 'बिल्डिंग रेज़िलिएशन फास्टर' है, जो जल की कमी, खाद्य असुरक्षा और कोविड-19 महामारी के प्रभाव जैसी मौजूदा चुनौतियों के साथ-साथ जलवायु संकट के मुद्दे को संबोधित करती है। ज्ञात हो कि भारत की ओर से 'सूरत नगर निगम' एकमात्र ऐसा नागरिक निकाय था, जिसे 'ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिटीज़' विषय पर पैनल चर्चा में आमंत्रित किया गया था।

'इंडियासाइज़' सर्वेक्षण

कपड़ा मंत्रालय (भारत सरकार) के तत्त्वावधान में नई दिल्ली स्थित 'राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान' (NIFT) द्वारा भारतीय नागरिकों के लिये शरीर आकार चार्ट विकसित करने हेतु एक व्यापक मानवशास्त्रीय अनुसंधान किया जा रहा है। 'इंडियासाइज़' सर्वेक्षण का उद्देश्य रेडी-

टू-वियर कपड़ों के क्षेत्र में भारत के लिये एक नया मानकीकृत आकार चार्ट पेश करना है। यद्यपि इस परियोजना की घोषणा फरवरी 2019 में की गई थी, किंतु महामारी के कारण इसमें देरी हुई। यह अनुसंधान कार्य वर्ष 2022 के अंत तक पूरा हो जाएगा। इस सर्वेक्षण में विभिन्न आयु समूहों, आय वर्ग और विभिन्न जातियों के प्रतिभागी शामिल होंगे। इस सर्वेक्षण में एक सुरक्षित '3D होल बॉडी स्कैनर' तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय आकार सर्वेक्षण के सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का पालन करेगा और इस आकार का उपयोग परिधान उद्योग द्वारा किया जाएगा। गौरतलब है कि 'इंडियासाइज़' सर्वेक्षण, कपड़ा मंत्रालय की एक व्यापक 'फाइबर-टू-फैशन' पहल का हिस्सा है। कपड़ा क्षेत्र भारत में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है और प्रतिवर्ष लगभग 140 अरब रुपए का व्यापार करता है, जिसमें से 100 अरब रुपए अकेले भारतीय उपभोक्ताओं से, जबकि 40 अरब रुपए निर्यात से प्राप्त किया जाता है।

अल्जीरिया और मोरक्को के बीच राजनयिक संबंध समाप्त

हाल ही में अल्जीरिया ने शत्रुतापूर्ण कार्य का हवाला देते हुए मोरक्को के साथ अपने सभी राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिया है, इसी के साथ 1970 के दशक के बाद से उत्तरी अफ्रीकी पड़ोसियों के बीच राजनीतिक संबंध सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुँच गए हैं। यद्यपि वर्ष 1994 से दो उत्तरी अफ्रीकी देशों (अल्जीरिया और मोरक्को) के बीच की सीमा पूर्णत: बंद थी, किंतु वर्ष 1988 में दोनों देशों के संबंध बहाल किये गए थे, जो अब तक जारी थे। अल्जीरिया को अफ्रीका और यूरोप के बीच प्रवेश द्वार माना जाता है और यह पिछली आधी सदी से हिंसा से त्रस्त रहा है। सहारा रेगिस्तान, अल्जीरिया के 80 प्रतिशत हिस्से को कवर करता है। 'अल्जीरिया' अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और दुनिया का 10वाँ सबसे बड़ा देश है। अल्जीरिया उन तीन देशों में सबसे बड़ा है, जो उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के 'माघरेब क्षेत्र' का निर्माण करते हैं। वहीं मोरक्को, उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसकी आबादी लगभग 34 मिलियन है। यह पूर्व में अल्जीरिया और दक्षिण में पश्चिमी सहारा के साथ अपनी सीमा साझा करता है।

क्यूबा में 'क्रिप्टोकरेंसी' को मान्यता

क्यूबा की सरकार ने हाल ही में भुगतान के लिये 'क्रिप्टोकरेंसी' को मान्यता देने और विनियमित करने का निर्णय लिया है। आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित एक प्रस्ताव के मुताबिक, क्यूबा का केंद्रीय बैंक ऐसी मुद्राओं के लिये जल्द ही नियम निर्धारित करेगा और यह भी निर्धारित किया जाएगा कि क्यूबा के भीतर संबंधित सेवाओं प्रदाताओं को किस प्रकार लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। ज्ञात हो कि क्यूबा में इस प्रकार की मुद्राओं की लोकप्रियता काफी बढ़ गई है, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासन के तहत लगाए गए कड़े प्रतिबंध नियमों के कारण क्यूबा में डॉलर का उपयोग करना कठिन हो गया है। इसके अलावा मध्य अमेरिकी देश 'अल सल्वाडोर' ने भी विदेशों में रहने वाले अपने नागरिकों से प्रेषण प्राप्त करने के तरीके के रूप में क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन के उपयोग को मान्यता देने की घोषणा की थी।

राष्ट्रीय खेल दिवस

भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को 'राष्ट्रीय खेल दिवस' का आयोजन किया जाता है। यह दिन भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद भारतीय और विश्व हॉकी में सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने वर्ष 1928, वर्ष 1932 और वर्ष 1936 के 'समर ओलंपिक' में जीत के साथ भारत को ओलंपिक स्वर्ण पदक की पहली हैट्रिक पूरी करने में काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त, 1905 को प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद मेजर ध्यानचंद वर्ष 1922 में एक सैनिक के रूप में भारतीय सेना में शामिल हो गए। मेजर ध्यानचंद हॉकी खेल के प्रति काफी समर्पित थे और उन्होंने अपने हॉकी कॅरियर की शुरुआत ब्रिटिश भारतीय सेना की रेजिमेंटल टीम से की। वर्ष 1926 से वर्ष 1948 तक के अपने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी कॅरियर में मेजर ध्यानचंद ने कुल 185 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें उन्होंने 400 से अधिक गोल किये। यही कारण है कि मेजर ध्यानचंद की विरासत का सम्मान करने और हमारे जीवन में खेलों के महत्त्व को स्वीकार करने के लिये प्रतिवर्ष 'राष्ट्रीय खेल दिवस' का आयोजन किया जाता है। भारत में पहला 'राष्ट्रीय खेल दिवस' 29 अगस्त, 2012 को आयोजित किया गया था।

'क्यूसिम' क्वांटम सिम्युलेटर

हाल ही में भारत सरकार ने 'क्यूसिम' (QSim) नाम से एक क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट को लॉन्च किया है। 'क्वांटम सिमुलेटर' का आशय ऐसे उपकरणों से है, जो वैज्ञानिकों को क्वांटम प्रभावों का अध्ययन करने की अनुमति प्रदान करते हैं, अन्यथा इनका एक प्रयोगशाला में अध्ययन करना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। इसका उद्देश्य शोधकर्त्ताओं और छात्रों को क्वांटम कंप्यूटिंग में लागत प्रभावी तरीके से अनुसंधान

करने में सक्षम बनाना है। 'क्यूसिम' सिम्युलेटर का विकास 'क्वांटम कंप्यूटर टूलकिट (सिम्युलेटर, वर्कबेंच) और क्षमता निर्माण हेतु डिज़ाइन एवं विकास' परियोजना का परिणाम है। यह सिम्युलेटर भारत में क्वांटम कम्प्यूटिंग अनुसंधान को आगे बढ़ाने की आम चुनौतियों का समाधान निकालने की दिशा में देश की प्रथम पहलों में से एक है। यह परियोजना भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से आईआईएससी बंगलूरू, आईआईटी-रुड़की और सी-डेक के समन्वय से निष्पादित की जा रही है। 'क्यूसिम' टूलकिट शोधकर्त्ताओं और छात्रों को क्वांटम कोड लिखने और डी-बग करने की अनुमति प्रदान करती है, जो क्वांटम एल्गोरिदम विकसित करने के लिये आवश्यक है।

'देश के मेंटर' कार्यक्रम

बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को हाल ही में दिल्ली सरकार के 'देश के मेंटर' कार्यक्रम के ब्रांड एंबेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। जल्द ही लॉन्च होने वाले इस कार्यक्रम में देश भर के नागरिक और दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे शामिल होंगे। अभी तक इस कार्यक्रम को दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर क्रियान्वित किया जा रहा था। इसके तहत हिस्सा लेने वाले नागरिक दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अधिकतम 10 छात्रों को 'अडॉप्ट' करेंगे और उन्हें संबंधित क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। छात्रों को फोन के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु सभी 'मेंटर्स' प्रति सप्ताह 10 मिनट का समय निकालेंगे। इस कार्यक्रम का लक्ष्य कम-से-कम 10 लाख बच्चों और 3 लाख कामकाजी पेशेवरों तक पहुँच बनाना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य दिल्ली में शिक्षा को जन आंदोलन के रूप में विकसित करना है।

उत्तर प्रदेश का पहला 'आयुष विश्वविद्यालय'

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में गोरखपुर ज़िले के पिपरी-तरकुलहा गाँव में उत्तर प्रदेश के पहले 'आयुष विश्वविद्यालय' की आधारशिला रखी है। इस आयुष विश्वविद्यालय को 'महायोगी गुरु गोरक्षनाथ उत्तर प्रदेश राज्य आयुष' विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। राज्य सरकार ने आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण का काम पूरा करने की समय-सीमा वर्ष 2023 तय की है। 52 एकड़ में फैले इस विश्वविद्यालय में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और योग संबंधी चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध रहेंगी। इसका बजट 299 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। आयुष के क्षेत्र में अनुसंधान की दृष्टि से यह विश्वविद्यालय काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। राज्य के 98 आयुष कॉलेज इस विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे। ज्ञात हो कि गोरखपुर में पहले से ही एक मेडिकल कॉलेज मौजूद है और जल्द ही यहाँ एक 'एम्स' का उद्घाटन किया जाएगा।

बुद्धदेब गुहा

'मधुकरी' जैसी कई उल्लेखनीय रचनाओं के रचयिता प्रख्यात बांग्ला लेखक 'बुद्धदेब गुहा' का हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। प्रधानमंत्री ने बुद्धदेब गुहा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। 29 जून, 1936 को कलकत्ता में जन्मे बुद्धदेब गुहा ने अपना बचपन मुख्यत: पूर्वी बंगाल (अब बांग्लादेश) के रंगपुर और बारीसाल ज़िलों में बिताया था। उनके बचपन के अनुभवों और यात्राओं ने उन पर गहरी छाप छोड़ी, जो बाद में उनकी रचनाओं में परिलक्षित हुई। उनके उपन्यासों और लघु कथाओं की आलोचकों द्वारा अत्यधिक प्रशंसा की गई है और उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें वर्ष 1976 में आनंद पुरस्कार, शिरोमन पुरस्कार और शरत पुरस्कार आदि शामिल हैं। 'मधुकरी' के अलावा उनकी महत्त्वपूर्ण कृतियों में 'कोयलर कच्छे' (कोयल नदी के पास) और 'सोबिनॉय निबेदों' (विनम्र भेंट) भी शामिल हैं। बुद्धदेब गुहा की तमाम रचनाएँ पूर्वी भारत की प्रकृति और जंगलों के साथ उनकी निकटता को दर्शाती हैं। उनकी दो कृतियों- 'बाबा होवा' (बीइंग ए फादर) और 'स्वामी होवा' (बीइंग ए हसबैंड) पर एक पुरस्कार विजेता बंगाली फिल्म 'डिक्शनरी' भी बनाई गई थी। इसके अलावा बुद्धदेब गुहा एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक और कुशल चित्रकार भी थे।

परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस

परमाणु हथियारों के परीक्षण के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता लाना और ऐसे परीक्षणों के विरुद्ध आमजन की भावना को मज़बूत करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 29 अगस्त को 'परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस' (International Day against Nuclear Tests) का आयोजन किया जाता है। 'परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस' की स्थापना 2 दिसंबर, 2009 को 'संयुक्त राष्ट्र महासभा' द्वारा अपने 64वें सत्र के दौरान की गई थी। वर्ष 1991 में कज़ाखस्तान में यूएसएसआर-नियंत्रित 'सेमिपालाटिंस्क परमाणु परीक्षण' स्थल के बंद होने की 18वीं वर्षगाँठ के अवसर पर कज़ाखस्तान ने इस दिवस के आयोजन का प्रस्ताव दिया था। ज्ञात हो कि पहला परमाणु परीक्षण (जिसे 'ट्रिनिटी' कहा जाता है) संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा न्यू मैक्सिको के एक रेगिस्तान में 16 जुलाई, 1945 को किया गया था। इसके बाद अमेरिका ने अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में पहली बार इसका प्रयोग किया। इस हमले के कारण अनुमानत: 2,00,000

नोट :

लोगों की मृत्यु हुई और जीवित बचे हुए लोग विकिरण-प्रेरित कैंसर से ग्रसित हो गए। इस विनाशकारी घटना के बावजूद वर्ष 1945 से वर्ष 1996 के बीच कुल 2000 परमाणु परीक्षण किये गए। इसके अलावा वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा '26 सितंबर' को 'अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार पूर्ण उन्मूलन दिवस' के रूप में घोषित किया गया था।

फिट इंडिया मोबाइल एप

हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने 'राष्ट्रीय खेल दिवस' के अवसर पर 'फिट इंडिया मोबाइल एप' का शुभारंभ किया है। फिट इंडिया एप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर अंग्रेज़ी एवं हिंदी में नि:शुल्क उपलब्ध है। 'फिट इंडिया मोबाइल एप' प्रत्येक भारतीय को मोबाइल के माध्यम से फिटनेस स्तर की जाँच करने की सुविधा प्रदान करता है। इस एप में फिटनेस स्कोर, एनिमेटेड वीडियो, गतिविधि ट्रैकर्स और व्यक्तिगत विशिष्ट ज़रूरतों को पूरा करने संबंधी अनूठी विशेषताएँ हैं। साथ ही एप्लीकेशन की 'एक्टिविटी ट्रैकर' सुविधा दैनिक गतिविधि पर नज़र रखने में मदद करती है। वास्तविक समय पर स्टेप ट्रैकर व्यक्तियों को उनके दैनिक कार्यों की जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है और उन्हें उच्च लक्ष्य निर्धारित करने के लिये प्रोत्साहित करता है। यह एप व्यक्तियों को दैनिक स्तर पर जल की मात्रा, कैलोरी मात्रा और नींद के घंटों की भी निगरानी रखने में मदद करता है। ध्यातव्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त, 2019 को 'राष्ट्रीय खेल दिवस' के अवसर पर 'फिट इंडिया मूवमेंट' की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य फिटनेस को प्रत्येक भारतीय के जीवन का अभिन्न अंग बनाना था।

अवनि लेखरा

भारतीय पैरालिंपियन और राइफल शूटर 'अवनि लेखरा' ने हाल ही में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रच दिया है और वे स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अवनि लेखरा ने वर्ष 2016 के रियो खेलों के स्वर्ण पदक विजेता चीन के क्यूपिंग झांग को पीछे छोड़ दिया है। जयपुर की 19 वर्षीय अवनि लेखरा, जिन्हें वर्ष 2012 में एक कार दुर्घटना के दौरान रीढ़ की हड्डी में चोट का सामना करना पड़ा था, ने कुल 249.6 अंक अर्जित किये, जो कि स्वयं में एक पैरालंपिक विश्व रिकॉर्ड है। इसके अलावा वह तैराक मुरलीकांत पेटकर (1972), भाला फेंकने वाले देवेंद्र झाझरिया (2004 और 2016) और हाई जम्पर मरियप्पन थंगावेलु (2016) के बाद पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली चौथी भारतीय एथलीट भी हैं। यह अवनि लखेरा का पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पदक भी है। वर्ष 2019 में पिछली विश्व चैंपियनशिप में वह चौथे स्थान पर रही थीं।